



प्राक्कथन

वनो की सुरक्षा व जानवरों के प्रति दया-भाव अनादि काल से ही हमारा भारतीय सारकृति की उदात्त परम्परा रही है। कालान्तर में श्री गुरु जगद्गुरु ने इसे आगे बढ़ाते हुए प्रगल्भ पूर्वक इनकी रक्षा की हमें प्रेरणा दी। वर्तमान में प्रकृति के नियमों की अवहेलना के दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। हमारे लिए जीवनोंपयोगी हवा, पानी, जमीन और वनस्पति प्रदूषण युक्त होने से विश्व की अधिकांश आबादी भुक्ष्म, नाद व अकाल आदि विभीषिकाएँ झेलने हेतु विवश हैं। जानवरों के प्रति हिंसा व मात्स्यार की प्रवृत्ति बढ़ने से सहज शान्त स्वभाव के मनुष्य में दया, करुणा, सहनशीलता व विनम्रता आदि मानवीय सद्गुणों का लोप हो रहा है। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण से ऊपजे विकट हालात के कारण आज हमारा जीवन विविध संकटों से घिर आया है।

इनसे छुटकारा पाने हेतु हमें प्रकृति के साथ खिलवाड करने का शिलशिला बन्द करना होगा। मौजूदा हरे पेड़ों व वन्य प्राणियों की सुरक्षा के ठोस उपाय तलाशने होंगे। इनके विनाश के कारण जो क्षति हुई है, उसकी भरपायी हेतु वृक्षों व वन्य प्राणियों के उचित संरक्षण के साथ साथ इनकी वृद्धि के उपाय भी करने होंगे। इस धारणा को गति देने हेतु समाज के रहनुमाओं और बुद्धिजीवियों को समर्पित होकर सुनियोजित प्रयास कर अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। तभी हम इस क्षेत्र में अभिष्ट सफलता हासिल कर पायेंगे।

इस विचार को बढ़ावा देने हेतु लेखक ने अच्छा प्रयास किया है। ऐसे सद्प्रयासों के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार की जरूरत है। ताकि आम आदमी वृक्ष एवं जंगली जानवरों की उपयोगिता को भली भाँति समझकर इनकी सुरक्षा के प्रति सचेत हो सके। इसके अलावा इनकी सुरक्षार्थ कानूनी पहलुओं की सटीक जानकारी देकर लेखक ने आम जन को जागरूक करने का सफल प्रयास किया है। इसकी काफी समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। क्योंकि पूर्व में कानूनी जानकारी के अभाव में कई लोग अज्ञान वश कानून की पेंचीदगियों में उलझ जाते थे अतः इस पुस्तक से वन अपराधों को रोकने हेतु विविध पहलुओं की जानकारी मिल सकेगी।

मैं आशा करता हूँ कि पुस्तक में वर्णित तमाम जानकारियों का लाभ को मिलेगा। विश्व कल्याण की भावना से संचालित ऐसे सद् प्रयासों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए। यही आज के समय की प्रमुख माँग है।

(स्वामी रामानन्द आचार्य)

**वन एवं
वन्य जीव
संरक्षण क्यों ?
और कैसे ?**

लेखक

राम किशन डेलू

महासचिव अखिल भारतीय जीव रक्षा
विश्वोर्घ समा,
बीकानेर

राम किशन डेलू

मूल्य . 20/- रूपये मात्र

टकण :- लिम्बा कम्प्यूटर्स, खाजूवाला, मो. 9414903805
मुद्रक :- मनीष प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
आवरण, सज्जा व्यापारियों का मौहल्ला, बीकानेर 2522957

अनुक्रमणिका

1. पर्यावरण घेतना के अग्रदूत - गुरु जम्मेश्वर भगवान	5
2. अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई समा	8
3. अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई समा के उद्देश्य	12
4. अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई समा के नियम	13
5. क्यों जरूरी है वन सुरक्षा ?	16
6. वृक्षों की उपयोगिता एवं वृक्षारोपण	17
7. रेगिस्तान में वन विनाश की भयावहता	20
8. अवैध पेड़ कटाई रोकवाने हेतु सुझाव	23
9. वृक्षों की रक्षार्थ विश्नोई समाज की अग्रणी भूमिका	23
10. बहुपयोगी खेजडली-प्रकृति का अनमोल उपहार	25
11. उजड़ती हरियाली-उदासीन वन विभाग	27
12. पी. के. डी. नहर वन भूमि पर अवैध काश्त प्रकरण	29
13. खेजडली शहीदों की स्मृति में खाजूवाला में वृक्षारोपण	32
14. वन अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता	33
15. क्यों आवश्यक है वन्य जीव संरक्षण ?	34
16. धर्म शास्त्रों में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा की महिमा	36
17. महापुरुषों की नजर में अहिंसा	39
18. वन्य जीव सुरक्षा कानून का विकास-एक नजर में	40
19. अवैध शिकार की परिभाषा	42
20. शिकार के बाद बरती जाने वाली सावधानियाँ	42
21. वन्य जीव सुरक्षा कानून में तलाशी गिरफ्तारी बरामदगी	45
22. वन्य जीव शिकार गतिविधियाँ	47
23. चिंकारा हरिणों के अस्तित्व पर संकट के बादल	51
24. वन्य जीव शिकार अपराध पर नियत सजा	53
25. बन्दूक से शिकार करने पर	54
26. जीप या किसी वाहन से शिकार करने पर	54
27. चिड़ियाघर के किसी प्राणी को तंग करने पर	54
28. हरिण पालना दण्डनीय अपराध	55
29. वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1991 की विशेषताएँ	56
30. शिकार प्रकरणों में गवाह के बयानों की उपयोगिता	58
31. शंका समाधान-प्रश्नोत्तर	60
32. इसलिए कानूनी सजा से बच रहे हैं वन्य जीव शिकारी	62
33. अवैध शिकार की रोकथाम हेतु आवश्यक सुझाव	65

34	कानून द्वारा संरक्षित वन्य पशु-पक्षी	—	66
35	हरिणों की रक्षार्थ अमर शहीद बलिदानी	—	68
36.	विश्वोई महिलाओं के हरिण प्रेम की अनूठी मिशाल	—	69
37.	जब मोहम्मद साहब हरिण के जामिन बने	—	70
38.	हरिणी के प्रति बादशाह की सहृदयता	—	70
39	सौन्दर्य प्रसाधनों पर टिका क्रूरता का संसार	—	71
40.	राजस्थान में गौ वध प्रतिषेध कानून	—	73
41.	गौ वंशीय पशु के अस्थायी प्रवर्जन के लिए परमिट	—	75
42	राजस्थान में पशु बलि कानूनी अपराध	—	76
43	बीमार एवं घायल पशु पक्षी की सेवा-हमारा धर्म	—	77
44	आक्सीटोक्सीन इंजेक्शन के दुष्परिणाम	—	79
45	पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम 1960	—	81
46.	जमीन पर बिखरा पोलिथीन कितना घातक ?	—	82
47.	यज्ञ का विधान क्यों ?	—	85
48.	अ मा.जीव रक्षा विश्वोई समा बीकानेर के बढ़ते कदम	—	86
49	लूणकरणसर जीव रक्षा विश्वोई समा की गतिविधियाँ	—	87
50	बीकानेर शहर इकाई की गतिविधियाँ	—	89
51.	जीव रक्षा विश्वोई समा खाजूवाला परिचय	—	87
52.	पीपुल फॉर एनीमल्स बीकानेर परिचय	—	112
53.	मनुष्य के अनुकूल नहीं है-मांसाहार	—	113
पद्य-भाग			
54.	हरिणों की व्यथा	—	114
55	घरती करे पुकार	—	115
56.	पेड़ लगाओ जोत जलाओ	—	116
57.	खेजडली महाबलिदान	—	117
58.	खेजडली के शहीदों की अमरवाणी	—	118
59.	प्रकृति सगीत	—	119
60.	मत पेड़ काट इन्सान	—	120

पुस्तक-परिचय

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य आम-जन में वन एवं वन्य जीवों के प्रति सुरक्षा के भाव पैदा करना है। वन एवं वन्य जीवों के विनाश की बढ़ती हुई अंधी दौड़ को कैसे रोका जाय? हरे पेड़ों और जंगली जानवरों की वृद्धि के क्या उपाय हो? पर्यावरण प्रदूषण के आसन्न खतरों को कैसे टाला जाय? आदि ऐसे कई ज्वलन्त प्रश्न हैं, जो प्रायः हमारे मनो मस्तिष्क में तैरते रहते हैं। समय रहते अगर इनका समाधान सम्भव नहीं हुआ, तो हमारा अस्तित्व तक खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में सृष्टि के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य पर ये जिम्मेवारी आयद होती है, कि वह अपनी भूलों के कारण उपजे इस गम्भीर संकट से निजात पाने हेतु गहराई से सोच विचार कर उचित उपाय करे, जिससे जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो तथा जंगली जानवरों के विनाश का सिलसिला थम जाय।

इसके लिए हमें रोजाना जगह-जगह घटित होने वाले वन अपराधों की तह में जाना होगा। आम तौर पर घटित होने वाले इन अपराधों में अपराध को अंजाम देते समय कानून की पकड़ से बच निकलने हेतु वन अपराधी अनेक प्रकार की चालाकियाँ करते हैं, हमें सावधान होकर उनकी हर सदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखकर उनके द्वारा की गई कारगुजारियों को उजागर करना होगा तथा वन अपराध प्रवृत्ति को समझ कर चौकस निगाह के द्वारा अपराध से सम्बंधित तमाम जानकारियाँ हासिल करनी होंगी। तभी हम वन अपराधियों को कानूनी सजा की परिधी में ला सकते हैं, अन्यथा नहीं। आज वन्य जीवों के शिकार व हरे पेड़ों की कटाई के कारण बिगड़े पर्यावरणीय हालात विश्व में चिन्ता का कारण बने हुए हैं। जन जागरूकता के अभाव में अपराधी कानून की पकड़ में नहीं आ रहे हैं और कानून की उचित जानकारी के अभाव में अपराधियों तक पहुँचकर उन्हें कानून के हवाले करवाना सहज आसान नहीं होने के कारण वन्य प्राणियों के अन्धा-धुन्ध शिकार से सृष्टि की अनेक बहुपयोगी पशु-पक्षियों की प्रजातियाँ नष्ट हो गईं, और कई दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियाँ अपने अस्तित्व की अंतिम घड़ियाँ गिन रही हैं। अर्थात् नष्ट होने के कगार पर हैं। इस प्रकार अहिंसा के देश में हिंसा का ताड़व मचा हुआ है।

यूँ तो रोजाना छुपे तौर पर शिकारियों द्वारा मारे जाने वाले जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन शिकारियों को पकड़वाने में कम लोगों द्वारा रूचि लेने के कारण कुल घटित घटनाओं में से मात्र 5 प्रतिशत वारदातें ही सामने आ रही हैं। इस स्थिति का सर्वाधिक निराशाजनक और दुःखद पहलु यह है कि पकड़ में आने के बावजूद दिल्ली लघु व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार का लाभ उठाकर अधिकांश दोषी शिकारी अदालतों से धड़ा-धड़ बरी हो रहे हैं। ऐसे अराजक माहौल में यह सबसे बड़ी चुनौती है कि कानून के डर से बेखोप इन दुस्साहसी शिकारियों में कानून का भय कैसे पैदा किया जाय? ताकि वे हताश होकर वन अपराध से किनारा कर लें।

वैसे तो वन एव वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कानून द्वारा कुछ नियम कायदे बने हुए हैं (जिनकी चर्चा हम इसी पुस्तक में करेंगे) इस सम्बन्ध में बने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में शिकार में दोषी पाये जाने पर कठोर दण्ड का प्रावधान है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था की विसंगतियों के कारण दोषी शिकारी को सजा दितवाना सहज आसान नहीं रह गया है। क्योंकि वर्तमान में शिकारियों को दण्डित करवाने वालों से बचाने वाले अधिक हावी हैं, अतः इस विषय स्थिति को बदलने के लिए हमें विचार करना होगा, कि इस बिगड़े माहौल को कैसे पटरी पर लाया जाय ?

मौजूदा वन्य जीवों व हरे पेड़ों को कैसे बचाया जाये ? वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति खतरा बने शिकारियों एव वन माफियाओं को पकड़वाने हेतु क्या उपाय किये जायें ? इन्हे दण्डित कैसे करवाया जाय ? वन अपराधों को रोकने हेतु हमारी क्या भूमिका हो ? वन एव वन्य जीव कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ? आदि प्रश्नों के समाधान का प्रयास पुस्तक में किया गया है। इसके अलावा पालतु पशुओं के प्रति बरती जाने वाली क्रूरता को रोकने व गौ वध निषेध कानून तथा पोलीथीन के दुष्प्रभावों की जानकारी भी शामिल हैं।

दुष्ट शिकारियों द्वारा निरंतर किये जा रहे वन्य पशु-पक्षियों के अवैध शिकार और वन माफियाओं द्वारा की जा रही पेड़ों की बर्बादी को इनकी सुरक्षार्थ जिम्मेवार अधिकारी देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, सुनकर अनसुना कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा हेतु किये जा रहे मौजूदा सरकारी प्रयासों में गम्भीरता नहीं झलकती। समुचित दूरदर्शिता के अभाव में सतही तौर पर किये जा रहे थोथे उपाय इस समस्या के समाधान की दिशा में नहीं जाते। उदाहरणार्थ वन एव वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु नियुक्त वन कर्मियों के पास हथियार बन्द क्रूर शिकारियों एव सगठित वन माफियाओं को खदेड़ने हेतु आवश्यक जीप, हथियार एव संचार के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण जंगल और जीव भगवान भरोसे छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार बेहद कमजोर निगरानी तत्र जंगल के मौजूदा पेड़ों की रक्षा करने में अपने आप को असहाय पाता है।

राजस्थान की आबोहवा में कम पानी में फलने-फूलने वाले बहुपयोगी मरुभूमि के कल्पवृक्ष खेजड़ी, को कहने को तो राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। लेकिन उन्हें काटकर ऊट-गाड़ों पर ढोने की सरकारी छूट के कारण इसे भारी मात्रा में काट-2 कर आग की भट्टियों में झाँका जा रहा है। रोजाना खेजड़ियों के कटे पेड़ों से लदे गाड़ों की शहरों की ओर बढ़ती लम्बी कतारें इनकी बर्बादी का स्वतः बयान करती हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की सोच रखने वाले तमाम लोगों को एकजुट होकर आसन्न समस्या से छुटकारा पाने के लिए अ भा जीव रक्षा बिश्नोई सभा एव पीपुल फॉर एनीमल्स जैसे पर्यावरण संरक्षण के हिमायती सगठनों से जुड़ कर सामूहिक रूप से सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये। ताकि इस क्षेत्र में आ रही मौजूदा एवं सम्भावित चुनौतियों का दृढ़ता पूर्वक सामना किया जा सके।

ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से तो उचित है ही साथ ही यह हमारा नैतिक दायित्व

भी है। मात्र-जन घर्षा और भाषणों से समाधान सम्भव नहीं है इस हेतु हमें जमीनी सच्चाई को मानते हुए ध्ववहारिक धरातल पर उतरकर ठोस कार्य योजना को अमली जामा पहनाना होगा। लेकिन ऐसा तभी सम्भव हो पायेगा, जब आम आदमी को इस विषय में विस्तृत जानकारी होगी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।

हमारे जीवन जीने के लिए सबसे पहले स्वच्छ प्राण वायु (आक्सीजन) का होना अति आवश्यक है और प्रकृति द्वारा यह स्वाभाविक प्रक्रिया तय है कि हमारे द्वारा श्वांस लेकर वापस छोड़ी गई दुर्धित कार्बनडाईऑक्साईड पेड़-पौधे पी लेते हैं, और इसके बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन देकर हमारे जीवन को बनाये रखते हैं, लेकिन धरती पर हो रही हरे पेड़ों की अन्धा-धुन्ध कटाई बढ़ते मशीनीकरण के फलस्वरूप आक्सीजन की मात्रा घटने तथा जहरीली गैस की मात्रा के बढ़ने से हमारा अस्तित्व संकट में है।

मानवीकृत भूलों से रूष्ट प्रकृति अपना रोद्र रूप दिखा रही है धरती का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ रहा है प्रकृति का स्वाभाविक घक्र गड़बड़ा गया है। जिससे हिमनदों की बर्फ पिघल रही है, अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है तथा पेड़ों की कमी से राजस्थान जैसे प्रदेश में रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है, वनस्पतियों में कीटनाशकों एवं रासायनिक खाद के उपयोग के कारण भूमि का उपजाऊपन नष्ट होकर भूमि में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ जहरीले हो गये हैं। वातावरण में जहरीली गैसों मिल जाने से जन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में हमारा यह नैतिक कर्तव्य बनता है, कि हम मौजूदा वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु अनुकूल प्रयास कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।

इस पुस्तक के प्रकाशन में सर्वाधिक सहयोगी रहे राजस्थान पथ परिवहन निगम में सेवारत उन परिचालक महानुभावों का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रकाशित इस पुस्तक की तमाम लागत राशि को स्वयं वहन कर समाज के सामने एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका यह त्याग वन एवं वन्य जीवों के प्रति आम जन में सुरक्षा के भाव पैदा कर समाज में जन चेतना जागृत करने में कारगर साबित होगा।

इसके अलावा पुस्तक के प्रकाशन में बिश्नोई समाज के वरिष्ठ साहित्यकार डॉ कृष्णलाल बिश्नोई का रचनात्मक सहयोग मिला एवं समाज के वयोवृद्ध अधिवक्ता श्री पाबुराम बेनीवाल (बीकानेर) ने पुस्तक में संदर्भित कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। वरिष्ठ पशुचिकित्सक डॉ. हनुमानराम सिरवी (वर्तमान खाजूबाला) जिन्होंने सदैव घायल एवं बिमार पशु पक्षियों की चिकित्सा सेवा में रूचि लेकर अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया तथा पोलिथीन व ऑक्सीटोक्सीन ईजेक्शन के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाया।

अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा प्रधान श्री हनुमान बिश्नोई, मंत्री श्री हेतराम बिश्नोई जिन्होंने सभा की राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों की जानकारी में सहयोग प्रदान किया।

बीकानेर सभा के जिलाध्यक्ष श्री बीरबलराम धारणियाँ, उपाध्यक्ष श्री शिवराज जाखड़, बीकानेर तहसील प्रभारी श्री मोखराम धारणियाँ, श्री लक्ष्मण खीचड़, श्री रामधन माल

(खाजूवाला) रोवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी श्री ओमप्रकाश गोदारा, पूर्व विकास अधिकारी श्री मोहनलाल लोहमरोड़, बिश्नोई धर्मशाला बीकानेर के अध्यक्ष श्री लेखराम धायल, श्री श्यामसुन्दर गोदारा, एडवोकेट श्री कृष्णलाल बेनीवाल, एडवोकेट श्री कृष्णकुमार दुकिया, एडवोकेट श्री बद्रीराम सिवर (खाजूवाला), एडवोकेट रामसिंह सिहाग, सभा अध्यक्ष श्री धुकलराम भादू (लूणकरणसर) आदि का आत्मिक सहयोग मिला।

परम श्रद्धेय स्वामी रामानन्द जी आचार्य, स्वामी भागीरथदास जी शास्त्री, स्वामी कृष्णानन्दजी आचार्य, स्वामी गौवर्धनदासजी आचार्य, समराथल धाम के महन्त स्वामी रामाकृष्णजी व स्वामी छगनप्रकाशजी, वयोवृद्ध सत पुज्यस्वामी कनीरामजी महाराज की अनुकम्पा से मुझे पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली।

इस पुस्तक की प्रकाशित एक हजार प्रतियां सुधि पाठको को लागत मुल्य पर उपलब्ध करवायी जा रही हैं। प्रथम सस्करण की प्रतियां बिकते ही उसी बिक्री राशि से पुनः उतनी ही पुस्तकों का फिर से प्रकाशन करवाया जायेगा। इस प्रकार आपके सहयोग से यह क्रम अनवरत चलता रहेगा।

पुस्तक के प्रकाशन में अगर कोई त्रुटि रह गयी है तो सुविज्ञ पाठको के सुझाव सादर आमंत्रित हैं ऐसी त्रुटि को अगले प्रकाशन में सुधारा जायेगा।

उपरोक्त वर्णित महानुभावों के अलावा जिन लोगों ने पुस्तक के प्रकाशन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग दिया है मैं उनका तहेदिल से आभारी हूँ।

रामकिशन डेवू
खाजूवाला

विश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री गुरु जम्भेश्वर महाराज का प्रादुर्भाव विक्रम संवत् 1508 को मिती भादवा बदी अष्टमी के दिन नागौर जिले में ग्राम पीपासर के ग्रामपति श्री लौहटजी पंवार के घर माता हसादेवी की कोख से हुआ। उनका तेजोमय स्वरूप अलौकिक आत्मा युक्त था। अपनी सकल्प सिद्धी से जो वे चाहते वही हो जाता था, वे पूर्ण निराहारी तथा भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि से रहित थे। उनकी पलके नहीं झपकती थी तथा पेट व पीठ की बजाय चारों ओर से देखने पर उनका मुख मण्डल ही दिखाई देता था तथा उनकी देह की छाया नहीं पड़ती थी। उनके इस तेजोमय दिव्य स्वरूप एव उनके द्वारा बताये जा रहे चमत्कारों से प्रभावित माता पिता ने उनके बचपन के दुलार का नाम अचभा रखा। बाद में उन्हें जाम्भा कहकर पुकारे लगे।

जन्म से सात वर्ष तक वे मौन रहे, 27 वर्ष तक गाये चरायी, 51 वर्ष तक मौक्षदायिनी वाणी कही। जिनमें से उनके कुछ शब्द उनके शिष्य नाथोजी को कठस्थ हो गये थे, उन्हें कालांतर में लिपिबद्ध किया गया, जिन्हे शब्द वाणी कहा जाता है। विश्नोई समाज के हर घर में इन 120 शब्दों का लयबद्ध ढग से सस्वर श्रद्धा पूर्वक पाठ किया जाता है। मरु भाषा में रचित इन शब्दों में मानवीय जीवन मूल्यों एव नैतिक आदर्शों का अत्यंत सजीवगी से वर्णन किया गया है, तथा धर्म के गूढ प्रश्नों का इसमें सहज और सरल भाषा में उल्लेख है। उन्होंने किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं की। स्वयं उन्हीं के द्वारा उच्चरित शब्दों में उल्लेख है।

“म्हे सारे न बैठा सीख न पूछी निरत सूरत सब जाणी”।

अपने माता-पिता के देहावसान के उपरान्त सारी पैतृक सम्पत्ति गरीबों को दान कर वे समराथल नामक एक ऊंचे टीबे पर आ विराजे, और वहा प्रकृति को ही उन्होंने अपना स्थायी घर मान लिया उन्हीं के शब्दों में—

‘हरी ककहडी मडप मेडी, जहाँ हमार वासा’

यहां पर आकर उन्होंने अपने तपोबल एव सकल्प से प्रकृति के गूढ रहस्यों का गहराई से विश्लेषण किया। विक्रम संवत् 1542 में राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा। अकाल की मार से दुखी लोग अपने घरों को सुना छोड़कर मालवा की ओर पलायन करने लगे, तो गुरु महाराज ने उन्हें घर छोड़कर जाने से रोका और अपने स्वयं के प्रयास से उनके लिए अन्न एवं चारे की व्यवस्था की। इससे लोग उनके भक्त बन गये। गुरु जम्भेश्वर महाराज ने उन्हें बताया कि इस मरु क्षेत्र में अधिकतर अकाल के हालात का कारण यह है कि यहा हरे पेड़ कम हैं इसी कारण यहा वर्षा कम होती है अतः आप लोग ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओं। पेड़ वर्षा के बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दुसरा उपाय यह बताया कि शुद्ध घी से यज्ञ करने से भी वर्षा के आसार बन जाते हैं और पर्यावरण शुद्ध होता है।

इस प्रकार पर्यावरण की शुद्धि हेतु यज्ञ एव वृक्ष सुरक्षा को उन्होंने सुकाल के लिए आवश्यक माना। उन्होंने मनुष्य को जीवन जीने की उत्कृष्ट युक्ति पूर्ण 29 धर्म नियमों का प्रतिपादन कर घोषणा की—कि “इन धर्म नियमों का पालन करने वाला भविष्य में बिश्नोई कहलायेगा”। “इन नियमों का पालन करने वाले जब तक जीयेगें सुख पूर्वक जियेगें तथा मृत्यु के बाद मोक्ष के अधिकारी होंगें”। इसे उन्होंने — “जीयां ने जुगति मुआ ने मुगति” नाम दिया। विक्रम संवत् 1542 को उन्होंने समराथल धोरे पर विराजमान होकर बिश्नोई पथ की नींव रखते हुए इस धर्म को अपनाने वाले हजारों अनुयायीओं को पवित्र यज्ञ की साक्षी में पाहत पिलाकर दीक्षित किया जिन्हे आज बिश्नोई जाति के नाम से जाना जाता है।

उनके द्वारा बनाये गये 29 धर्म नियमों में 16वें व 17वें धर्म नियम में उल्लेखित—“जीव दया पालणी, रूँख लीतो नही घावे” का ही प्रभाव था जिसके कारण आज तक खेजड़ी वृक्ष एव हरिण आदि वन्य जीवों की सुरक्षार्थ सैकड़ों नर-नारियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी इनकी रक्षा की। इतिहास साक्षी है कि विक्रम संवत् 1648 में तिलवासनी (जोधपुर) में हरी खेजड़ियों की रक्षा हेतु मोटोजी नैण व तेजूदेवी और नैतूदेवी तथा विक्रम संवत् 1661 को इसी जिले के ग्राम रामासड़ी की कर्मा व गौरा नामक दो नवयौवनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।

विक्रम संवत् 1710 में ग्राम पोलावास (जोधपुर) के नवयुवक बुच्चोजी ऐचरा ने भी खेजड़ियों की रक्षा हेतु अपने प्राण होम दिये। विक्रम संवत् 1787 में गुरु महाराज के आदर्शों से प्रेरित बिश्नोई समाज के 363 नर नारियों ने हरी खेजड़ियों की रक्षार्थ आत्म बलिदान देकर सम्पूर्ण विश्व को वृक्षों की सुरक्षा की ऐसी प्रेरणा दी जो युगों युगों तक हमारी राह को आलोकित करती रहेगी। जिनमें 69 महिलाएँ व 294 पुरुष थे। इसी प्रकार हरिणों की रक्षार्थ आज तक सैकड़ों लोगो ने बलिदान दिये और वन्य जीवों की सुरक्षार्थ बलिदान देने का सिलसिला आज भी जारी है।

गुरु जम्भेश्वर भगवान ने अनेक राजाओं व महाराजाओं को ज्ञानोपदेश दिया जिनमें दिल्ली के तत्कालीन राजा सिकन्दर लौदी, जोधपुर के राव सातल, बीकानेर के राव लुणकरण, बीदासर के राव बीदा, कर्नाटक के शेर सद्दु, नागौर के मोहम्मदखाँ जैसलमेर के राव जैतसी व झाली राणी आदि प्रमुख हैं।

उनका विचार था कि मात्र उत्तम दुःख में जन्म लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता—

“उत्तम कुली का उत्तम न होयवा। कारण किरिया सारू” ॥ (शब्दवाणी)

धर्म के नाम पर पाखंड कर धर्म की गलत व्याख्या करने वालों को फटकारते हुए कहा “बामण धाते वेदे भुला, काजी कलम गुमाई।

जोग बिहुणा जोगी भूला मुडिया अकल न काई ॥ (शब्दवाणी)

वृक्षारोपण को अधिकाधिक बढ़ावा देने हेतु उन्होंने स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हेतु प्रेरित किया।

उन्होंने अपने हाथों से लाखों पेड़ लगाये। उनके इस अभियान के दौरान लगाये गए पेड़ों में ग्राम रोदू जिला नागौर जिसमें एक ही दिन में लगाए गये 3 हजार से अधिक खेजड़ी के पेड़ आज भी विद्यमान हैं। गुरु महाराज के वरदान के कारण उन पेड़ों पर रहने वाले पक्षी वहाँ के खेतों में नुकसान नहीं करते और उस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ता।

वृक्षारोपण के अलावा उन्होंने पेयजल हेतु जन-सहयोग से अनेक स्थानों पर घूम-2 कर तालाब, कुण्ड आदि बनवाये जिनमें समराथल व जाम्भोलाव को पवित्र तीर्थ माना जाता है। हरे पेड़ काटने वालों को वे टोकते हुए कहते—अरे भाई अपने परम हितेपी पेड़ों को क्यों काट रहे हो ?

“कायं काटी वनरायो” (शब्दवाणी)

इसी प्रकार निरीह जानवरों को मारने वालों को डाँटते और कहते :-

“रे रे पिडस पिंडू, निरधन जीव क्यू खण्डू” (शब्दवाणी 38)

जीव हिंसा करने वाले पाखंडी जोगियो को फटकारते।

“जटा बघारो जीव सघारो, आयंसा ये पाखण्ड तो जोग न होई” (शब्दवाणी 43)

हिंसा भाव का विरोध करते हुए अक्सर वे ऐसा करने वालों से पूछते— आप स्वयं मरना नहीं चाहते, फिर दूसरो को मारने क्यों दोड़ते हो ?

“यू क्यू भलो ज आपन मरिये, अवरा मारण घाईये”। (शब्दवाणी 20)

एसे लोग जिनका जन्म तो अच्छे कुल में हुआ है, लेकिन उनके कर्म घण्डाल जैसे थे और वे जानवरों को मार कर खाते, उन अभागों की मृत्यु के बाद होने वाली अधोगति का उन्होंने शब्दवाणी में बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है जो इस प्रकार है—

जाका जनम नही पर करम घण्डालू, और कू जिमै कर आप कू पीखणा।।

जिहिं की रूह लै दी जेसी दौरे घुप अन्घारो। तानबे तानबा, छानबे छानबा।

कूक वै पुकारवा जाकी कोई न करवा सारू। (शब्दवाणी 112)

इसी प्रकार समराथल धारे पर उनके उपदेश सुनने पहुंचे मुसलमानों को धर्मोपदेश करते हुए वे कहते—हे भाई! किसकी आज्ञा से तुम गाय, बैल व बकरी आदि परोपकारी पशुओं को मारकर खाते हो ? स्वयं खुदा आपके हिसायुक्त कर्मों का हिसाब मांगते हुए जब आपसे पुछेंगे कि इन निर्दोष जानवरों को क्यों मारा ? तो क्या जबाब दोगे ? क्या इनकी मृत्यु के दौरान इन्हे होने वाली मर्मान्ताक पीडा का तुम्हे अहसास है? अगर इनको मारकर खाना जायज है तो स्वयं करीम (ईश्वर) ने गायें क्यों चराई? फिर तुम अपने शरीर को पुष्ट करने हेतु इनका दुध, दही, घी क्यों खाते हो ? गाय माता के समान अमृत मय दुध देकर हमारे शरीर का पोषण करती है उसका दुध अगीकार करने योग्य होता है ऐसे परोपकारी पशु पर छुरी चलाने वाले पढ सुनकर भी खाली रह गये। उनकी दृष्टि में जो व्यक्ति रहम (दया) का भाव रखता है वही वास्तव मे रहमान नाम रखने योग्य है। वे हिंसा करने वालों को प्रेम से समझाते कि आप लोग जानवरों के प्रति जोर जबर्दस्ती करने वाली करद (छुरी) का त्याग करोगे तभी विश्व कल्याण की कामना

से तुम्हारे द्वारा पड़े जाने वाले कलमे को खुदा सुन पायेगें अन्यथा नहीं—
 “जोर जरब करद जै छाडो, तो कलमा नाम खुदाई” (शब्दवाणी 106)

अगर जानवरों पर इस प्रकार जोर-जुल्म करोगे तो अत समय के बाद इस से कलकित जीवात्मा को अपार कष्ट उठाने पडेगें।

जीवा ऊपर जोर करीजै, अंतकाल होयसी भारुं। (शब्दवाणी 9)

जीव रक्षा को वे धर्म का अभिन्न अंग समझते थे उनका स्पष्ट अभिमत था कि जे दया व सवेदना नहीं है वहा निरघय ही उल्टे कर्म होंगे। कर्म फल का मजाक उढ़ाने व नास्तिकों की और मुखातिब होकर समझाते—“आप लोग सरारार में आने से पूर्व किये कें सदकर्म के वादे को भूल गये हो”—

“भरमी वादी वादे भूला, काय न पाली जीव दयो” (शब्दवाणी 44)

वृक्षो की कमी के फलस्वरूप निरतर पड़ने वाले अकाल से निपटने हेतु उन द्वारा दर्शायी गई युक्ति के अनुसार वन एव वन्य जीवों को बढावा देकर उनकी रक्षा करे और पर्यावरण शुद्धि के लिए घर-घर में यज्ञ का विधान मात्र बिश्नोई समाज ही नहीं बल्कि भौतिक चकाचौध मे भटकी सम्पूर्ण मानवता को युगों युगों तक राह दिखाता रहेगा।

अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा —परिचय

वैसे तो बिश्नोई समाज का हर व्यक्ति शुरु से ही वन्य जीवों की सुरक्षार्थ सजग प्रहरी की भूमिका निभाता आया है। लेकिन शिकारियों की बढती हुई उच्च राजनैतिक पहुँच तथा इस क्षेत्र मे आ रही बडी चुनौतियों से निपटने हेतु समाज में एक ऐसी सगठित शीर्ष नेतृत्व करने वाली सस्था की जरूरत महसूस की गई जो इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सके। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रथम प्रयास मे मेहराणा (पंजाब) मे चौ रामजीलाल बिश्नोई की अध्यक्षता में सन् 1966 मे “शिकार निरोधक कमेटी” का गठन हुआ जिसमे चौ सतकुमार जी राहड को प्रचार मंत्री बनाया गया। इसके बाद दिनांक 15 1 1975 को इस सस्था का नाम बदलकर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा कर दिया गया। नि स्वार्थ भाव से कार्य करने वाले श्री सतकुमार जी राहड निवासी दुतरावाली को इस सभा का प्रधान बनाया गया। सभा के सदस्य बनने की पहली शर्त शाकाहारी होना रखी गयी तथा इसकी वार्षिक एवं आजीवन सदस्यता शुल्क प्रारम्भ में क्रमश 100, 1000 रुपये रखा गया तथा कालांतर मे पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आदि अन्य प्रांतो मे भी इसके सदस्य बनाए गए। 31 सालो के लंबे सफर मे सभा द्वारा किए गए कार्यों की फेहरिस्त काफी लंबी है। अत. पाठको की सुविधार्थ कुछ विशेष चुनिदा घटनाओ को इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। जो इस प्रकार हैं—

सन् 1975 मे पंजाब सरकार ने श्री सतकुमार राहड को मानद वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया जिससे उन्हे शिकारियों को पकडकर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान करने के अधिकार

मिल गए।

24 नवम्बर 1975 को निमंत्रण मिलने पर उन्होंने दिल्ली में आयोजित विश्वधर्म सम्मेलन में भाग लेकर गुरु जम्भेश्वर जी के नियमों व पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उनके भाषण की विश्व भर से पधारे प्रतिनिधियों ने भूरी-2 प्रशंसा की और सचार माध्यमों ने इसे विश्व भर में प्रसारित किया।

इसी वर्ष सभा के कार्यों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने पंजाब के 16 बिश्नोई बाहुल्य गाँवों में वर्ल्ड लाईफ सेन्चुरी बनाकर वहाँ के वन्य जीवों को संरक्षित घोषित कर दिया। दिनांक 17.11.77 को गाँव लोहावट (जोधपुर) में हरिण शिकारियों से संघर्ष में श्री बीरबलराम खीचड़ के शहीद होने पर श्री संतकुमार राहड़ ने शहादत स्थल पर शहीद की मूर्ति लगवाई तथा शहीद की पुण्य समृति में लोहावट में शहीदी मेला शुरू करवाया जो प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को लगता है तथा शहीद के आश्रितों को 1200 रुपये नकद व एक सिलाई मशीन मदद स्वरूप प्रदान की गई।

दिनांक 8.4.78 को हरियाणा के भूतनकला में श्री कंहरसिंह जाट हरिणों के शिकारियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। प्रधानजी ने वहाँ पहुँचकर शहीद के परिजनो को सात्वना दी तथा 1100 रुपये मदद स्वरूप दिए, वहाँ के सरपंच श्री मोमनराम की प्रधानगी में वहाँ की सभा का प्रभार सौंपा गया।

इसके बाद उन्होंने बिश्नोई समाज के अत्यंत गौरवशाली खेजडली के खडाणे पर ध्यान केन्द्रित कर, हरे पेड़ों की की रक्षार्थ आत्म बलिदान देने वाले 363 शहीदों की शहादत को चौर-स्थायी बनाने के लिए उन शहीदों के गाँवों में जाकर उनके वंशजों से तथा बिश्नोई समाज के भाटों से सम्पर्क स्थापित कर 50 गाँवों के 69 स्त्री एवं 294 पुरुषों के नाम पिता के नाम, गोत्र आदि का सम्पूर्ण विवरण सूचिबद्ध किया। वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से चौ गंगाराम बिश्नोई की अध्यक्षता में एक मेला संचालन कमेटी बनाकर शहीदी मेला प्रारम्भ किया। स्व. श्री रामसिंह बिश्नोई आदि समाज के लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया, शहीदों की पावन समृति में शहीद-स्थल पर शहीदी स्मारक बनाया गया। दिनांक 12.12.78 को विश्व के इस प्रथम पर्यावरण मेले का शुभारम्भ अद्वितीय घटना थी।

दिनांक 27.12.78 को सऊदी अरब का शाहजादा प्रिंस बदर भारत सरकार से अनुमती लेकर जैसलमेर जिले के रामगढ़ गाँव में गोडावण के शिकार हेतु शाही लवाजमें के साथ आया। स्थानीय समाज के विरोध के बावजूद जब वह नहीं माना, तो सभा ने दखल कर विदेश मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित कर प्रिंस बदर को शिकार करने से रूकवाया।

सन् 1981 में कुछ इध्यालु लोगों की नुकताचीनी से व्यथित श्री संतकुमार राहड़ ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया। अतः सालभर तक सभा का काम बाधित होने पर समाज के द्वारा उन्हें पुनः दिनांक 13.8.82 को, सर्व सम्मति से आजीवन प्रधान चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिनांक 24.8.82 को वे राज्य सरकार (पंजाब) द्वारा वन्य जीव

सलाहकार बोर्ड के सदस्य चुन लिये गए।

दिनांक 11.5.83 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित ग्राम मंगलपुर जीरा के श्री हरिनारायण वाजपेयी ने नील गायों के शिकार पर पाबंदी की मांग पर कानपुर जिला प्रशासन को पूर्ण अल्टीमेटम देकर आत्मदाह कर लिया। सूचना मिलते ही प्रधानजी घनास्थल पर पहुंचे यहाँ नीलगायों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाया तथा शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया।

सन् 1984 में उड़ीसा सरकार के निमंत्रण पर वे उड़ीसा गए। वहां पर मांसाहारी लोगों द्वारा सरक्षित काले हरिणों के आवास क्षेत्र का दौरा कर वहां के लोगों की हरिणों के प्रति प्रेम-भाव की प्रशंसा कर उनका मनोबल बढ़ाया।

दिनांक 15.1.87 को समा की ओर से जोधपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. एस. एम. मोहनोत को 10000 रुपये नकदी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

दिनांक 18.2.92 को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव ने उनको जीव रक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के फलस्वरूप इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार की प्राप्त राशि एक लाख रुपये उन्होंने अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्वोई समा को समर्पित कर अतुलनीय त्याग का परिचय दिया।

दिनांक 9-12-97 को पर्यावरण संरक्षण की यह महान विमूति अपना नश्वर शरीर छोड़कर अन्त में विलीन हो गई।

श्री संतकुमार राहड के देहावसान के बाद श्री हनुमान विश्वोई समा के प्रधान बने। श्री संतकुमार के साथ पूर्व में काफी लंबे समय तक साथ रहने पर उन्हें समा की कार्य प्रणाली का अनुभव था। वे 1980 से पंजाब राज्य के वन्य जीव सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में प्रतिनिधी भी है इनके कार्यकाल में निम्न कार्य संपादित किए गये—

दिनांक 25.12.97 को समा के सदस्य श्री हनुमानदास सीगड निवासी भौजगढ (हरियाणा) को शिकारियों द्वारा ड्रेक्टर से कुचलकर घायल करने पर समा ने दोषियों के विरुद्ध जानलेवा हमले की कानूनी कार्यवाही करवाई तथा समा के जाबाज कार्यकर्ता को सम्मानित किया।

दिनांक 26.2.98 को ग्राम मिठडिया (राजस्थान) में शिकारियों की गोली से घायल लोगों की सहायता के लिए वे घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस थाने में केश दर्ज करवाया।

दिनांक 20.8.98 को घडसाना (श्रीगंगानगर) में शिकारियों द्वारा 24 हरिणों के शिकार करने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाई।

दिनांक 2.10.98 को सर्वाधिक चर्चित शिकार प्रकरण जिसमें जोधपुर जिले के कांकाणी क्षेत्र में फिल्मी सितारे सलमानखान, आदि के द्वारा किये गये काले हरिणा के शिकार के विरोध में वन अधिकारियों से मिलकर राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करवाया गया।

दिनांक 23.7.98 को कंदूखेड़ा (पंजाब) में बन्ध प्राणियों की रक्षा हेतु लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया।

दिनांक 6.6.99 को ग्राम गीलावाला (हनुमानगढ़) में शिकार होने पर शिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया।

दिनांक 27.10.99 को गांव सांवतसर जिला चुरू राजस्थान में घटित 40 हरिणों के शिकार के विरोध व रोष स्वरूप दिनांक 14.11.99 को महात्मा गांधी की समाधी राजघाट नई दिल्ली में प्रधानजी की अगुवाई में धरना देकर आक्रोश प्रकट किया व समाज के लोगों ने रैली निकाली।

दिनांक 8.9.2000 को ग्राम विराई (जोधपुर) के श्री गंगाराम ईसरवाल के शहीद होने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किशानीदेवी को 51 हजार रुपये नकदी देकर सभा द्वारा खेजड़ली मेले में सम्मानित किया गया।

दिनांक 20.9.99 को ग्राम घातरा मांजरा (नागौर) राजस्थान पुलिस में सेवारत जांबाज सिपाही श्री सुखराम जाट के शिकार प्रकरण में शहीद होने पर शहीद के गांव जाकर शहीद को श्रद्धांजली दी गई, तथा 5100 रुपये नकद मदद स्वरूप शहीद के आश्रितों को दिये गए।

दिनांक 9.12.2000 को अबोहर में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित कर सभा के संस्थापक व पूर्व प्रधान स्व. श्री संतकुमार बिश्नोई की आदमकद प्रतिमा का अनावरण, समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती भेनका गांधी भारत सरकार प्रतिनिधि से करवाया गया।

सन् 2001 में हनुमान बिश्नोई प्रधान अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा को अवैतनिक मानद बन्ध जीव प्रतिपालक नियुक्त किया गया।

दिनांक 17.12.2002 को शहीद श्री बीरबलराम की पुण्य तिथि पर ग्राम माप तहसील फलोदी जिला जोधपुर की विरांगना श्रीमती गोमती देवी, जिसने अदम्य साहस का परिचय देकर अकेली ने 6 शिकारियों का मुकाबला कर मारा गया हरिण छीन लिया था, उसकी वीरता पर उसे 11000 रु. नकद व शाल ओढाकर तोहावट में सम्मानित किया।

दिनांक 22.3.2003 को नागौर (राजस्थान) में आयोजित जीव रक्षा सम्मेलन में सभा द्वारा ग्राम भियासर जिला बीकानेर में हरिण स्वार्थ शहीद छैलुसिंह राजपूत की विधवा को 51000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया।

दिनांक 28.3.2005 को (चेत्र बदी तीज विक्रम संवत् 1661) को खेजड़ियों की स्वार्थ नागौर जिले के गांव पौलावास में शहीद बुच्चों जी ऐचरा की पुण्य स्मृति में उनकी पावन समाधी स्थल पर शहीदी मेला शुरू किया गया जो प्रति वर्ष चेत्र बदी 3 को लगता है।

दिनांक 2-9-2006 को खेजड़ली शहीद मेले के अवसर पर हाल ही में हरिण स्वार्थ शहीद स्व. श्री गंगाराम ज्याणी की धर्मपत्नि को 51 हजार रुपये नकद देकर सम्मानित किया गया।

इसके अलावा प्रति वर्ष जीव रक्षा के क्षेत्र में चत्लेखनीय कार्य करने वालों को सभा

द्वारा सम्मानित किया जाता है।

जीव रक्षा बिश्नोई सभा के प्रधानजी ने इस प्रकार समय-समय पर देश के किन्हीं भी कौने में शिकार की वारदात की सूचना मिलने पर घटना स्थल पर जाकर यथा सम्भव कार्यवाही की।

अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के उद्देश्य

1. अपने सदस्यों को प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाना।
2. थलचर, जलचर, नमचर तथा वनचर की रक्षा करना। उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध करना।
3. सस्यार के पशु पक्षी मनुष्य मात्र की सेवा करते हैं, इसलिए लोगों को शाकाहारी बनाने का प्रयत्न करना।
4. गाय हमारे को दुध देकर मा के समान पोषण करती है। गौ वध पर प्रतिबन्ध हेतु प्रयत्न करना एवं उत्पीड़न रोकना।
5. शिकार प्रभावित क्षेत्रों में वन्य जीवों के शिकार की वारदातों पर अकुश लगवाना, एवं मासाहार सेवन के दुष्परिणामों का प्रचार करना।
6. पर्यावरण संरक्षण हेतु वन एवं वन्य जीवों की रक्षार्थ परिचर्चा शिविर आयोजित करना, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु विचार गोष्ठियों का आयोजन करना, वन्य जीवों की सुरक्षा से सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन, व क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान करना।
7. पर्यावरण सतुलन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के महत्त्व से सम्बन्धित साहित्य प्रकाशित करना। फिल्मों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन द्वारा इसके महत्त्व का प्रचार प्रसार करना।
8. वन्य जीवों एवं हरे वृक्षों की रक्षार्थ बलिदान हुए अमर शहीदों की पावन पुण्य तिथि पर शहीदी मेलों आदि का आयोजन करना।
9. श्री जम्भेश्वर भगवान के बताये आर्दश नियम "जीव दया पालणी रूख लीलो नहीं घावै" को जन-जन तक फैलाकर हरे वृक्षों एवं जीव मात्र की सुरक्षा के प्रति जन जागृति के भाव उत्पन्न करना।

अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के नियम:-

1. सभा के साथ "बिश्नोई" शब्द जीवों के प्रति इस समाज के बलिदान की क्षमता को देखते हुए रखा गया है। अतः यह संस्था बिश्नोई धर्म के आदर्शों की हिमायती है।
2. विश्व के किसी भी देश व प्रान्त के भाई बहिन जो शाकाहारी है सभा के सदस्य बन सकते हैं।
3. जाति धर्म, वर्ग, रंग, लिंग आदि के आधार पर किसी को सदस्य बनने से नहीं रोका जायेगा।
4. ग्राम सभा का सदस्यता शुल्क 100 रु. होगा एव ग्राम सभा के प्राथमिक सदस्य की अवधि 1 तीन वर्ष होगी।
5. आजीवन सदस्य सभा को 2100 रूपये एकबार में जो एक सौ रूपये प्रति वर्ष दान देगा व जिला, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय सभा का सदस्य होगा और चुनावों में भाग ले सकेगा, उसे मतदान का अधिकार होगा। कोई भी वयस्क आजीवन सदस्य उसे जिला प्रान्त या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा का एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो वह राष्ट्रीय सभा में प्रधान पद का उम्मीदवार हो सकता है।
6. हर आजीवन सदस्य और प्राथमिक सदस्य को एक प्रार्थना पत्र भरकर ग्राम या नगर जीव रक्षा बिश्नोई सभा को देना होगा जिला सभा बनने पर सारे प्रार्थना पत्र जिला सभा के पास भेज दिये जायेंगे।
7. अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की समस्त सभाओं का वित्तीय वर्ष इसी सन् के जनवरी से दिसम्बर तक माना जायेगा।
8. दान या चन्दा केवल शाकाहारियों से लिया जायेगा।
9. जहां केवल जीव रक्षा बिश्नोई सभा लिखा होगा उसका अर्थ केवल अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा होगा, परन्तु ग्राम नगर जिला व प्रान्त लिखना आवश्यक है।
10. हर शाकाहारी ग्राम में या बहुसंख्यक शाकाहारी ग्राम में जहा के बहिन-भाई चाहेंगे जीव रक्षा बिश्नोई सभा बनाई जायेगी। जिसके चार पदाधिकारी - प्रधान, उपप्रधान, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष होंगे, और सात प्रबन्धक सदस्य कुल इग्यारह सदस्यों की एक अंतरिम समिति नियुक्ति की जायेगी अथवा चुनी जायेगी।
11. आम सभा का कोरम 1/10 होगा कार्यकारिणी की बैठक का कोरम 1/4 होगा पहली बार बुलाई गई बैठक का कोरम पुरा न होने पर दुसरी बार बैठक बुलाई जायेगी। फिर भी कोरम पुरा न हो तो जो भी कार्यवाही की जायेगी वह वैधानिक तौर पर मन्जूर होगी फिर कोई ऐतराज मान्य न होगा।
12. ग्राम सभा से राष्ट्रीय सभा तक का चुनाव तीन वर्षों के पश्चात हुआ करेगा एवं वोट परोक्ष अथवा अपरोक्ष एवं डाक द्वारा भी लिया जा सकता है।
13. महामंत्री के पास कार्यवाही का रजिस्टर पत्र व्यवहार पैड डाक रजिस्टर एवं फाईल

आय-व्यय की केश बुक चन्दा तथा दान की रसीदें, सम्पत्ति का रजिस्टर, खर्च की रसीदें और जरूरत पढ़ने पर और भी रजिस्टर या फाईल आवश्यकतानुसार रखी जा सकती है। महामंत्री अपने कार्य को सम्भालने के लिए आवश्यकतानुसार वैतनिक कार्यालय मंत्री एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रधान की स्वीकृति से कर सकता है। प्रधान अपने पास बैंक की पास बुक रखेंगे तथा आय व्यय का हिसाब पढ़ताल करेंगे आवश्यकता समझने पर अन्य समस्त कागजात का भी निरीक्षण करेंगे।

14. बैंक में खाता अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई समा के नाम से खोला जायेगा बैंक खाते से रूपये निकालने का अधिकार प्रधान, महामंत्री, मन्त्री व कोषाध्यक्ष में से प्रधान के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे एवं बाकी तीनपदाधिकारियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।

15. ग्राम जीव रक्षा बिश्नोई समा अपनी आय का 60 प्रतिशत अपने पास रखेगी 40 प्रतिशत जिला समा को देगी, इसी प्रकार जिला समा कुल आय का 60 प्रतिशत अपने पास रखकर 40 प्रतिशत प्रान्त की समा को देगी, इसी प्रकार प्रान्त 60 प्रतिशत अपने पास रखकर 40 प्रतिशत राष्ट्रीय देश की समा को देगी। (सिवाय बीकानेर जिला कार्यकारिणी के)

16. ग्राम समा का मंत्री अपने पास संस्था (भाग) के एकसौ रूपये जिले का मंत्री दो सौ पचास रूपये प्रान्त का मंत्री पाँचसौ रूपये तथा राष्ट्रीय महामंत्री एक हजार रूपये रख सकेगा। ग्राम समा का कोषाध्यक्ष अपने पास समा के दोसौ रूपये, जिले का कोषाध्यक्ष पाँच सौ रूपये, प्रान्त का कोषाध्यक्ष एक हजार रूपये राष्ट्रीय समा का कोषाध्यक्ष दो हजार सौ रूपये रख सकता है। जिला समा का प्रधान अपने पास समा के पाँच सौ रूपये, प्रान्त का प्रधान एक हजार रूपये राष्ट्रीय प्रधान दो हजार रूपये रख सकेगा। ग्राम समा, जिला समा, प्रान्त समा तथा देश की समा शेष रकम किसी बैंक या डाक खाते में रखेगी।

16. ग्राम समा हर प्रकार के साँठ की उचित रक्षा करने का प्रयत्न करेगी। साँठ अथवा साँठों की देख भाल के लिए वेतन पर सेवक भी रखा जा सकता है।

17. अविश्वास का प्रस्ताव कार्यकारिणी के सदस्यों में 2/3 मत्वों से स्वीकार हो जाने पर पदाधिकारी को अपना पद छोड़ना होगा एवं कार्यकारिणी उसके पदाधिकारी के स्थान पर शेष अवधि के लिए पदाधिकारी नियुक्त कर सकती है।

18. राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन केवल नव्र आजीवन सदस्यों में से ही होगा। राष्ट्रीय प्रधान का चुनाव वच मतदाताओं द्वारा होगा। प्रधान अपनी कार्यकारिणी को स्वयं मनोनीत करेगा, राष्ट्रीय प्रधान अपनी कार्यकारिणी के किसी भी पदाधिकारी को कार्य ठिक न करने पर अथवा विश्वास न होने पर पद से वंचित करके कार्यकारिणी के ही अन्य सदस्यों में से दूसरे पदाधिकारी मनोनीत कर सकता है एवं अपने से निम्न स्तरीय संस्थाओं को भंग कर सकता है और उनके स्थान पर तदर्थ समिति (एडहॉक कमेटी) को मनोनीत कर सकता है।

19. प्रधान या महामंत्री थोड़े समय (जितने समय में सबको सूचना मिल सके) का नोटिस देकर बैठक बुला सकते हैं।

20. वह सदस्य नहीं रहेगा:-

(क) जो प्रार्थना पत्र देकर नाम कटवा ले। (ख) स्वर्गवास हो जाने पर (ग) पागल हो जाने पर (घ) ग्राम या जिला छोड़ने पर (ङ) कार्यकारिणी की और से बहिष्कृत होने पर (च) लगातार पांच बैठकों में उपस्थित न होने पर (छ) सभा के उद्देश्यों, नियमों, पास होने वाले प्रस्तावों का उल्लंघन करने पर।

21. आय व्यय का हिसाब हर वर्ष छपवाकर वितरण किया जायेगा।

22. हिसाब देखने का हर सदस्य को अधिकार होगा।

23. जीव रक्षा विश्‍नोई सभा किसी भी राजनैतिक संस्था से सम्बन्ध नहीं रखेगी।

24. सभा उद्देश्यों तथा नियमों में परिवर्तन राष्ट्रीय सभा की कार्यकारिणी 2/3 बहुमत से कर सकती है।

25. सभा बुद्धिजीवियों तथा विद्वानों को संरक्षक भी बना सकती है।

26. सभा हर प्रकार के सलाहकार भी मनोनीत कर सकती है।

27. सभा का काम हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपी में होगा। आवश्यकता पड़ने पर दुसरी भाषाओं में भी किया जा सकता है।

28. ग्राम सभा के चार पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक 25 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि जिला को भेजा जायेगा। जिला कार्यकारिणी में सभा के 11 से 21 तक पदाधिकारी और सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी प्रांत सभा का निर्माण करेंगे। प्रान्त की कार्यकारिणी के सदस्य 21 से 31 तक होंगे (जिनमें पदाधिकारी शामिल है) प्रान्तों के पदाधिकारी स्पष्ट मतदान से राष्ट्रीय सभा का निर्माण करेंगे। जिसकी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित 21 से 51 तक सदस्य होंगे। 25 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि वाला फॉर्मूला जिला व प्रान्तीय सभा पर भी लागू होगा।

29. राष्ट्रीय सभा के प्रधान के लिए चुनाव हेतु वोटर केवल वे ही आजीवन सदस्य होंगे जिन्होंने चुनाव तिथि घोषित किये जाने की तारीख तक कम से कम एक वर्ष पहले सभा की एक सौ रुपये प्रति वर्ष की सदस्यता अथवा दौहजार एक सौ रुपये की आजीवन सदस्यता ग्रहण की हुई है, एवं पुराने आजीवन सदस्य का भी 365 पहले दिन तक का कोई बकाया न हो, और जिसकी आयु चुनाव घोषणा तिथि तक 21 वर्ष की हों एवं प्रान्तीय सभाओं के पदाधिकारी भी राष्ट्रीय सभा में वोट देने के अधिकारी होंगे।

30. चन्दे के लिए रसीद बुकें जिला स्तर पर छपाई जावेगी।

31. जिला स्तर से उपर की सभाओं की 6 महीने में एक बैठक होनी आवश्यक है ग्राम और जिला स्तर की सभा से जितनी चाहे बैठक बुला सकते हैं।

32. आजीवन सदस्यता शुल्क की कोपियां छपवाने, वितरण करने व सदस्यता शुल्क लेने इत्यादि का अधिकार केवल मात्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही होगा।

वर्षों जरूरी है वन सरदा ?

आप कल्पना करें, कि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बनडाई ऑक्साईड गैस को पीने वाले पेड़-पौधे पर्याप्त मात्रा में मौजूद न हो तो क्या होगा ? तब स्वाभाविक तौर पर कार्बनडाई ऑक्साईड गैस का अवशोषण नहीं होने से, उसकी मात्रा वायुमण्डल में अत्यधिक बढ़ जाएगी और ऐसा होना हमारे जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक साबित होगा। वर्तमान में हरे पत्तों की अग्घाघुन्ध कटाई होने और वृक्षारोपण को उचित बढ़ावा नहीं मिलने के कारण स्थिति दिनो-दिन बिगड़ती जा रही है। यही कारण है कि विश्व भर के मौसम वैज्ञानिक पेड़ों की कमी से चिंतित हैं। आदर्श स्थिति में पृथ्वी के क्षेत्रफल के हिसाब से एक तिहाई यानी 33 प्रतिशत क्षेत्र में हरे पेड़ों (वनो) का होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में कुल 22 प्रतिशत क्षेत्र में ही वन मौजूद हैं, जब कि राजस्थान की स्थिति तो और भी अधिक नाजुक और दयनीय है। राजस्थान में 33 प्रतिशत की बजाय मात्र 10 प्रतिशत भू-भाग में ही वन हैं। यही कारण है कि यहां प्रायः अकाल का स्थायी साया रहता है।

वर्षों से अकाल की विभीषिका झेलते आ रहे इस मरु प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने का यह सबसे बड़ा मूल कारण "पेड़ों की कमी से वर्षा का नहीं होना ही है"। राज्य की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी के कृषि और पशुपालन पर निर्भरता के बावजूद सरकार द्वारा इस समस्या की विकरालता से लगातार मुंह मोड़ना हेरत में डालने वाली बात है। विकास के लम्बे चौड़े दावे और वादे करने वाले राज नेतागण अकाल के इस मुलभूत कारण पर गंभीर होकर कभी प्रयास नहीं करते। इस विषय पर मात्र भाषण देकर औपचारिकता तो निभाते हैं, लेकिन जब वन विकास पर ठोस नीति बनाकर ईमानदारी से लागू करने की बात आती है, तो टाल दिया जाता है।

जब तक वन विनाश को रोकने और वन विकास को बढ़ावा देने वाली स्पष्ट ठोस नीति नहीं बनेगी और उसके क्रियान्वयन हेतु ईमानदार प्रयास नहीं होंगे, तब तक वन विकास का नारा लगातार छलावा ही साबित होता रहेगा। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा "जो रोजगार गारन्टी योजना" प्रारम्भ की गई है। राजस्थान जैसे सुखे प्रदेश में इस योजना के तहत अधिकाधिक वृक्षारोपण एवं वन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये तो प्रदेश को हरा भरा बनाने में काफी मदद मिल सकती है।

जगत् के जीतने भी जीव है उनमें मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इस नाते धरती को प्रदुषण मुक्त रखने की जिम्मेवारी भी उसी की है। लेकिन खेद का विषय है कि वह अपनी इस अहम जिम्मेवारी को निभाने में पूर्णतया विफल साबित हुआ है। भौतिक विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के नियमों की अवहेलना के चलते धरती, आकाश, हवा, पानी एवं अतरिक्ष प्रदुषित हो गये। इनके दुष्परिणाम स्वरूप प्रकृति द्वारा सहज संचालित स्वाभाविक मौसमी तंत्र गड़बड़ा गया है, और इस प्रकार पर्यावरण प्रदुषण से उपजे विकट हालात के कारण क्रुद्ध

प्रकृति अकाल, अतिवृष्टि, बाढ़-व-भूकम्प आदि देवी प्रकोपों के द्वारा अपना कहर बरपाकर हमें अपनी गलतियों की सजा दे रही है। मानवीकृत इस गभीर चूक के कारण धरती के तमाम जीव धारियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस प्रकार पर्यावरण प्रदुषण विश्व की सर्वाधिक आसन्न समस्या बन गई है।

सृष्टि के रचनाकार ईश्वर ने मनुष्य सहित अन्य प्राणियों के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्राण वायु (ऑक्सीजन गैस) की रचनाकर हमारे प्राणों को जीवित रखने का आधार खड़ा किया। इसी प्रकार पेड़ पौधों को मनुष्य आदि जीव धारियों के जीवन का आधार बनाया। लेकिन दोनों के श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया में अन्तर रखा है, यो यह है कि पेड़ पौधे हमारी तरह श्वास तो लेते है परन्तु वे ऑक्सीजन की बजाय हमारे द्वारा छोड़ी गई दुषित गैस कार्बनडाई ऑक्साईड पीते हैं, और उसे अपनी श्वासन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन के रूप में बदलकर वापिस उगलते (छोड़ते) हैं। पेड़ पौधो द्वारा छोड़ी गई यह ऑक्सीजन ही हमारे प्राणों का आधार है। हमारे द्वारा श्वास लेने की क्रिया से ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों में से गुजर कर रक्त के साथ बहती हुई कार्बनडाई ऑक्साईड के रूप में दुषित अवस्था में हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो उसे पेड़ पौधे सहज ही पी लेते हैं। इस प्रकार पेड़-पौधों और मनुष्य आदि जीव धारियों की आपसी निर्भर श्वासन प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, और अनादिकाल से चली आ रही है। इसी पर हमारा जीवन टीका हुआ है।

सामान्यतः हमारे वायु मण्डल में 21 प्रतिशत ऑक्सीजन, 78 प्रतिशत नाईट्रोजन तथा 1 प्रतिशत कार्बनडाई आक्साईड सहित अन्य गैसों होती हैं। जिसमें कार्बनडाई आक्साईड गैस की मात्रा मात्र 0.03 प्रतिशत ही है। उचित मात्रा में पेड़ पौधो के नही होने तथा बढ़ते औद्योगिकरण के कारण कार्बनडाई आक्साईड की मात्रा बढ़ने की सम्भावना बढ़ती जा रही है, तथा ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। मनुष्य आदि अन्य जीवधारियों के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए ऐसी स्थितिया उचित नही कही जा सकती। अतः पर्यावरण संतुलन हेतु धरती के हर भू-भाग पर 33 प्रतिशत हरे पेड़ों की मौजूदगी आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, एव इसकी उपेक्षा नही की जानी चाहिए।

वृक्षों की उपयोगिता एवं वृक्षारोपण

संसार में वृक्ष से ज्यादा उपकारी और कोई नही है। क्योंकि हमारे जीवन का हर पल वृक्षो की दया पर आश्रित है। वृक्ष का फलना-फुलना मात्र औरो की भलाई के लिए निहित है। वैसे अगर वृक्षों के लामो को ठीक से गिना जाये तो इसका हम ठीक तरह से मूल्यांकन ही नही कर पायेंगे। क्योंकि इनके फायदे अनगिनत और अनन्त हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देकर जिन्दा रखते हैं, और बदले में लेते है हमारे द्वारा छोड़ी गई दुषित कार्बनडाई आक्साईड गैस।

आप कल्पना करें अगर पेड़ इस दुषित गैस को पीने से इन्कार कर दें, तब क्या होगा? इसकी कल्पना मात्र से ही हम सिहर उठेंगे, क्योंकि ऐसी अवस्था में हमारी मृत्यु

निश्चित है। वृक्ष हमें फल फूल छाया एवं औषधियां तो देते ही है इसके साथ-साथ सर्दी, गर्मी, और वायु के दाब को रातुलित करने का काम भी करते है कड़ाके की ठण्ड में शीत लहर को रोकने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी वृक्ष निभाते हैं, वृक्षों के अभाव में हमारी फसलों का अत्यधिक अमूल्य दाना शीतलहर (पाला) खा जाती हैं। या फिर कड़ी धुप में बीज अकुरित होने की अवधि से पहले ही सूखकर नष्ट हो जाते हैं अतः फसल की बढ़वार हेतु वृक्षों की साधनता अनिवार्य हैं। खेजड़ी के पेड़ को तो हर खेत में अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए। क्योंकि खेजड़ी की पतियां उत्तम खाद तैयार करती हैं। और भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाती हैं अतः वृक्ष विश्व की सर्वाधिक किमती धरोहर है। ऐसे महान परोपकारी वृक्षों की मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणी के द्वारा अपने सर्वनाश की किमत पर लगातार की जा रही उपेक्षा सचमुच विस्मयकारी हैं। वर्तमान में विजली, पानी, रोजगार विषयक आदि न जाने कितने तरह के आन्दोलन हो रहे हैं, लेकिन हमारी आर्थिक उन्नति में बाधक मूल समस्या अगर कोई है तो वह है राजस्थान जैसे मरु प्रदेश में पेड़ों की कमी और हरे पेड़ों की कटाई। जिसपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

समय की पुकार है कि अब आम आदमी को सचेत होकर वन विनाश के खिलाफ मुँह खोलना होगा। अगर समय रहते इस गंभीर आसन्न समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब हम श्वास लेने के लिए भी तरस जायेंगे। अतः आज इस विकराल समस्या से विश्व को उबारना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, अतः इस आपद् धर्म को निमाने के लिए हमें अभी से कमर कसनी होगी। इसके लिए हर गाँव में जीव रक्षा सभा एवं पीपुल फॉर एनीमल्स जैसे सगठन खड़े किये जायें। जो हरे पेड़ काटने वालों को ऐसा करने से रोके और वृक्षारोपण और पोषण के पुनित कार्य को बढ़ावा देने हेतु उपाय करे तथा संगठित होकर खेत-2 में खेजड़ी, नीम, पीपल, बट जैसे उपयोगी पेड़ लगाये जायें।

ऐसे कार्यों की समीक्षा के लिए प्रति वर्ष वर्षाऋतु में वन-महोत्सव आयोजित कर ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाय। वृक्षारोपण करने के लिए आम आदमी में वृक्षों के महत्व के प्रति जनचेतना का भाव जगाना आवश्यक है। इस समझ को विकसित करने हेतु प्रारम्भिक स्तर पर सर्व प्रथम इसकी शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से करनी होगी। घर में हर बच्चे के जन्म के शुभ अवसर पर एक खेजड़ी का पेड़ लगाया जायें। विवाह होने पर वर वधू अपने भावी सुखी जीवन की मंगल कामना हेतु, सुखद गृहस्थ जीवन के लिए अपने हाथों से पेड़ लगाकर अपनी वर्ष गाँठ के इस यादगार पल को ताउम्र अपने हृदय में सजोकर पेड़ की देखभाल करें। इसके अलावा अपने प्रिय स्वजन के वियोग (सर्वगवास) होने पर उनकी आत्मा की शान्ति की कामना से दिवंगत आत्मा की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाया जायें। प्रति वर्ष खेजड़ली शहीदी दिवस भादवा सुदी दसमी अथवा अन्य किसी महापुरुष से सम्बधित किसी विशेष तीज त्यौहार पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। इस प्रकार अपने आत्मीय जनों के सुखद भविष्य की कामना एवं पुण्य स्मृति में लगाये गये पेड़ों में परिवार के सभी लोगों का भावनात्मक लगाव पैदा होने से इनकी उचित देखभाल भी बेहतर ढंग से संभव हो सकती

है। घर के बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि वे किरसे कहानियों के माध्यम से छोटे-छोटे बच्चों में वृक्षों के प्रति लगाव का भाव जागृत कर हरे पेड़ों का बीजारोपण करें। वृक्षों की सुरक्षा हेतु प्राण देने वाले पुण्यात्मा (शहीदों) की गाथाएँ सुनाकर बाल मन में हरे पेड़ों के प्रति अपनत्व के भाव जगाये जायें। गुरुजनो का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपने-2 स्तर पर पाठशालाओं में अपने शिष्यों को हरे पेड़ों के महत्व को समझाकर उनकी सुरक्षा की धुट्टी पिलाये। प्रत्येक सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग के अधिकारी अगर चाहें तो अपने अपने कार्यालय परिसर को हरा भरा बनाने हेतु बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। पौधों को लगाना यद्यपि एक आसान कार्य है, परन्तु उनको पनपाना व सुरक्षा करना एक चुनौति पूर्ण कार्य है, जो आमजन की सहभागिता के बिना सम्भव नहीं है। अतः इस हेतु सुनियोजित ढंग से कार्य योजना बनाकर लग्न से कार्य किया जाये तो इस क्षेत्र में निश्चित रूप से एक नयी वृक्ष क्रांति का सुत्रपात हो सकता है। अतः इस हेतु हमें आज से ही अपने मन में यह धारणा बना लेनी चाहिए कि "वृक्ष ही मानव मन को सुखी बनाकर उसे दृढ आर्थिक आधार दे सकता है"।

बिश्नोई समाज एक धर्म प्राण समाज है। समाज द्वारा बिश्नोई रत्न माननीय भजनलालजी की अगुवाई में आज तक समाज के धर्म स्थलों पर जो विकास के निर्माण कार्य किये गये हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। परन्तु अब स्थिति की नजाकतता के मद्देनजर हमें अपने उन सभी धर्म स्थलों को वृक्षारोपण कर हरा भरा बनाने के पुनित कार्य में जुट जाना चाहिए, ताकि समाज इससे प्रेरणा लेकर इस पावन परम्परा को आगे बढ़ाता रहे। यही धर्म का असली मकसद है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए अब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सक्रिय होकर जुटना होगा।

आज के समय में हरे पेड़ों की सुरक्षा उतनी मुश्किल नहीं रही जितनी 300 वर्ष पहले थी। तब राजाज्ञा ही कानून और सजा होती थी। ऐसे विकट समय में भी हमारे पूर्वजों ने वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में कोई आंच नहीं आने दी। बल्कि अपने प्राणों पर खेल कर भी उनकी रक्षा की थी। इस सम्बन्ध में खेजड़ली के खडाणे के उस प्रसंग का उदाहरण देना चाहूंगा जब सत्ता मद में घूर जोधपुर राजा के मंत्री गिरधरदास भडारी ने खेजड़ी के हरे पेड़ों को जबरन कटवाना चाहा तो विरागना अमृतादेवी ने राज कारिदें से कूल्हाडी छिनली और सिंहनी की तरह दहाड कर बोली—“तुँ अगर राजा का मंत्री है तो मैं एक बिश्नोई की पुत्री हूँ” और गुरु जाम्मोजी को साक्षी मानकर प्रण करती हूँ कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दो लेकिन पेड़ का एक पत्ता तक नहीं काटने दूगी।

उसने सपरिवार खेजड़ी से चिपक कर अपने प्राण होमकर भी इस वचन को निभाया लेकिन खेजड़ी नहीं काटने दी। आगे क्या हुआ लिखने की जरूरत नहीं पूरा संसार जानता है कि अमृतादेवी बिश्नोई द्वारा हरे पेड़ों की रक्षा हेतु धर्म की बलिबेदी पर स्वयं को होमकर जलायी गई जोत में उसके पति और पुत्रियों सहित 362 स्त्री, पुरुषों ने अपनी जान कुर्बान कर प्राणों की आहुति दी। लेकिन अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी। आज उनके वंशज

हम उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने में कहां तक सफल है ? यह बात हमें अपने आप से पुछनी चाहिए ।

रेगिस्तान में वन विनाश की भयावहता

राजस्थान के अधिकतर जिले वर्षा के पानी पर निर्भर है । पूरे देश में सबसे कम वर्षा बीकानेर, जैसलमेर, धुरु, जोधपुर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में होने के कारण यहां कम पानी में विकसित होने वाले खेजड़ी, नीम, बबूल के अलावा दूसरे पेड़ कम पनपते हैं अतः इस शुष्क क्षेत्र में हरियाली के नाम पर अधिकतर खेजड़ी के पेड़ हैं । जमीन की गहराई से पानी लेकर बढ़ने की क्षमता के कारण इस मरुस्थलीय क्षेत्र में खेजड़ी वरदान स्वरूप हैं । राज्य में हरे पेड़ों की कमी के कारण अधिकतर अकाल का साया रहता है कभी कभार थोड़ी बहुत वर्षा होने के बावजूद यहां की रेतीली भूमि में पानी जमीन में गहरा चला जाता है । लेकिन इसके बावजूद खेजड़ी के पेड़ों की बढ़वार में कोई फर्क नहीं पड़ता । जमीन में गहराई से पानी सोखने की क्षमता रखने वाली खेजड़ी के पेड़ की जड़े ऐसे विकट हालात में भी इसे हटा भरा बनाये रखती हैं ।

लेकिन अफसोस इस बात का है कि रेगिस्तान के इस कल्पवृक्ष खेजड़ी के महत्व को दरकिनारा कर अब इसे नासमझी में बेरहमी से भारी मात्रा में काटा जा रहा है । अगर फसल की दृष्टि से देखा जाये तो दूसरे वृक्षों की तुलना में खेजड़ी का पेड़ सर्वाधिक उपयोगी और उपजाऊ है । क्योंकि खेजड़ी ही मात्र एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे बोई गई हर तरह की फसलें अन्य भूमि की तुलना में अधिक मात्रा में पैदा होकर बढ़ती है । यही कारण था कि हमारे समझदार पूर्वज अपने खेतों में अधिकाधिक खेजड़ी के पेड़ लगाने और पनपाने में रुचि लेते थे तथा उनकी सुरक्षा के प्रति सदैव सचेत रहते थे । जिसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादन में भी उन्हें इसका प्रत्यक्ष फायदा मिलता था ।

खेजड़ी के पेड़ को तुलसी के समान पवित्र और देवतुल्य मानकर पूजा की जाती थी । उन्हें काटना बड़ा भारी पाप माना जाता था । इनकी सुरक्षा हेतु सचेत बिश्नोई समाज का वृक्ष प्रेम जग जाहिर है । लेकिन बड़े खेद का विषय है कि खेजड़ी आदि हरे पेड़ों के प्रति लोगों में अब वो लगाव व मज्जान नहीं रही जैसी आज से 300 वर्ष पहले थी । अब तो खेजड़ी काटने वाला किसान अपने ही पाव पर कुल्हाड़ी मारता सा प्रतीत हो रहा है । उसे ऐसा करने से अब कोई भी समझाने अथवा रोकने टोकने वाला नहीं है । खेजड़ी आदि हरे पेड़ों की सुरक्षा में आम जन की रुचि घट जाने के कारण वोटपरस्त राज नेताओं ने वन सुरक्षा कानून में ढील देकर एक तरह से इन्हें काटने की छुट दे दी है ।

जिसके परिणाम स्वरूप वृक्षों की हरियाली को रौंदकर खेतों के उपजाऊपन के मूल आधार खेजड़ियों को विनाश की किमत पर भी जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है, दूरगामी लाभ को तिलिजली देकर क्षणिक लाभ को महत्व दिया जा रहा है । ऐसा लगता है मानो

कुएँ में मांग पड़ गई है, इस सम्बन्ध में कोई कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं। सबसे ज्यादा अखरने वाली बात तो यह है कि खेजड़ियों के पेड़ों की सुरक्षार्थ प्राण गवाने वाले सैकड़ों बलिदानियों की सतति की रगों में दौड़ने वाला खून भी ठण्डा पड़ घूका है। अब पेड़ों की रक्षार्थ जान लड़ाना तो दूर, कोई इनके विनाश की और आंख उठाकर भी नहीं देखता, यह कटु सत्य है।

खेजड़ियों के अलावा हमें इस क्षेत्र में मौजूद फौग, खीप, सिणिया कँर, घास और विविध औषधीय वनस्पतियों की सुरक्षा पर भी विचार करना होगा। क्योंकि मानवीय दखल के कारण उपरोक्त वनस्पतियों का दायरा चिताजनक ढंग से सिमटता जा रहा है। उनमें कई मरुस्थलीय औषधियों की प्रजातियाँ तो विलुप्त हो गई हैं। कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। सैवण, भुरट व घास के मैदान सिमट जाने से जहाँ एक तरफ पशुओं के लिए घास, चारे और चारागाह की गभीर समस्या उठ खड़ी हुई है।

वहीं दुसरी ओर वनस्पति रहित बालू रेत आंधियों से उड़-उड़ कर सिंचित नहरी क्षेत्र को बरानी भूमि में तब्दील कर रही है, और भूमि को बजर बना रही है। आंधियों से चलायमान घूल सड़कों व रेल पटरियों पर परार कर जनजीवन में परेशानी का सबब बनती जा रही है।

जहाँ तक हरे पेड़ों की कटाई का प्रश्न है अकाल के हालात में खेजड़ी आदि हरे पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है। खेजड़ी की लकड़ी ईमारती फर्नीचर की बजाय मात्र जलावन के काम में आती है। इसकी विशेष उपयोगिता नहीं होने के बावजूद इन्हे काटने वाले लोगों ने खेजड़ी कटाई को रोजमर्रा का धंधा बना लिया है और ऐसा करने वाले पेशेवर लोग मौजूदा कानून की खामियों का नाजायज फायदा उठाकर खेजड़ी आदि वृक्षों को काट-काटकर ईंट भट्टों जिप्सम व घुना पकाने तथा माये की भट्टियों में पहुँचा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जगह-जगह इन काटे गये पेड़ों के ढेर के ढेर देखे जा सकते हैं।

खेजड़ियों के कटे पेड़ों के तनों से लदे ऊँट गाड़ों की लम्बी-लम्बी कतारें रात्रि को एवं सुबह के समय शहरों की तरफ जाती हुई कभी भी देखी जा सकती हैं। इन पर लदे पेड़ों के तने देखकर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रोजाना दिन भर में कितनी खेजड़ियों की बलि चढ़ती होगी।

नहरी क्षेत्रों में सिचाई सुविधा से किसानों एवं वन विभाग द्वारा 20-25 वर्ष पूर्व लगाये गये हरे पेड़ों की बर्बादी का किस्सा तो और भी ज्यादा खौफनाक है। वर्षों पूर्व नहरों व उप नहरों के किनारे लगाये गये अधिकांश लाखों हरे पेड़ वन विभाग द्वारा राजस्व अर्जित करने के लालच में काट डाले गये। जब कि सरकार का यह कदम उचित नहीं है। विशेषकर बीकानेर जिले के रेतीले क्षेत्र में जहा से नहरें गुजरती हैं वहाँ पर नहरों के अलावा आस-पास बहुत कम संख्या में हरे पेड़ मौजूद हैं। इस कारण इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में वर्षा सबसे कम होती है। और बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक नहर के अंतिम छोर तक नहर के ईर्द गिर्द अधिकांश क्षेत्रों में रेतीले टिब्बे हैं। अतः इस क्षेत्र में नहरों के किनारे खड़े हरे पेड़ों को काटना बर्बादी को निमंत्रण देने के समान है। क्योंकि पेड़ों कमी से वर्षा तो कम

होगी ही साथ ही आंधियों से उड़ने वाली रेत नहरों एवं खालों में गिरने से नहरों के रखरखाव व सिकाई व्यवस्था में भारी व्यवधान पैदा होगा। अतः राजस्थान सरकार को रीति-रिवाजों में पेड़ों की सरकारी कटाई के फैसले पर पुनर्विचार कर इस पर रोक लगानी चाहिए।

वन एवं राजस्व भूमि में शेष हरे पेड़ों की हिफाजत की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के कारण बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर आदि नहरी क्षेत्रों में वन माफियाओं ने सम्बंधित भ्रष्ट अफसरों से मिलीभक्त कर हरियाली को समेट कर चाँदी कुटने का एक बड़े पैमाने पर शुरू कर रखा है। ऐसे लोगों ने नहरी क्षेत्र के गावों और मण्डियों में संचालित पचासों लकड़ी चिराई के आरे वार्षिक ठेके पर ले रखे हैं और उन आरों पर प्रति आरा रोजाना लगभग 40 कि. लकड़ी चिराई की जाती है जिनमें जलाऊ लकड़ी के अलावा शीशम आदि वृक्षों की वैशकीमती ईमारती लकड़ी के पेड़ भी शामिल हैं। हर आरे वाले के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉला व 10-15 मजदूर होते हैं जो हरे पेड़ों को काटकर आरे पर लाकर चिराई के काम को अंजाम देते हैं। चीरी गई लकड़ियों के पाटियों आदि को तिरपालों से ढके बंद ट्रकों में रातों रात पार कर दिया जाता है।

इन लोगों की उपरोक्त गतिविधियाँ पुलिस एवं वन विभाग से छुपी हुई नहीं हैं। सम्बंधित अधिकारियों से इन वन माफियाओं की मासिक चौथ बंदी तय होती है। अतः इन्हें रोका नहीं जा रहा है। वन माफियाओं की इन नापाक गतिविधियों को रोकने हेतु जीव रक्षा बिश्नोई सभा प्रयासरत है लेकिन सभा द्वारा निस्वार्थ भाव से किये गये प्रयासों को सम्बंधित जबाब देह अधिकारी इस लिए तबज्जो नहीं देते, क्योंकि ऐसा करने से भ्रष्ट अधिकारियों की नियमित आमदनी में बाधा आती है। हरे पेड़ों की कटाई की सभा द्वारा बार-बार उच्च स्तर पर की गई शिकायतों की जांच के आदेश इन्हीं अधिकारियों के पास आते हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बचाव में आवश्यक खाना पूर्ति कर अक्सर रिपोर्ट भेज दी जाती है। इसमें सर्वाधिक गौरतलब तथ्य यह है कि खुद शिकायतकर्ता को यह पता ही नहीं चलता कि कब जांच हुई और कब रिपोर्ट भेजी गई। इस प्रकार पेड़ कटाई को प्रोत्साहन देने वाले भ्रष्टकर्मियों को बचा लिया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप अवैध पेड़ काटने वाले वन माफियाओं की कारगुजारियों को उजागर नहीं किया जा सकता।

कई बार शिकायतकर्ता द्वारा अधिक दबाव देने पर वन विभाग द्वारा थोड़ी बहुत जुर्माने की रसीद काटी जाती है। लेकिन रसीद उस वन माफिया के नाम से नहीं काटी जाती है जो इस प्रकार लम्बे समय से सुनियोजित ढंग से वार्षिक ठेके पर लेकर लकड़ी का आरा चला रहा है, और पेड़ भी कटवा कर ढुलाई कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जुर्माने के पैसे भी चुकाता है लेकिन सम्बंधित वनकर्मों उसे बचाने हेतु स्वयं उसकी बजाय अन्य किसी व्यक्ति के नाम से जुर्माने की रसीद काटते हैं। वन कर्मियों की इसी चालाकी के कारण सभा अथवा अन्य कोई शिकायतकर्ता चाहकर भी वन माफियाओं के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर पाता है और इस प्रकार अवैध कटान अबाध जारी है।

अतः आवश्यक है कि हरे पेड़ों की कटाई को रोकने हेतु सम्बंधित अधिकारियों की

जबाब देही निश्चित होनी चाहिए, तथा राज्य सरकार को इस प्रकार बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई करने वालों एवं उन्हें सह देने वाले भ्रष्ट कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें कानून के दायरे में लिया जाना चाहिए। ताकि हरे पेड़ों की कटाई की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लग सके।

अवैध पेड़ कटाई रोकवाने हेतु सुझावः—

1. हरी खेजड़ियों की ऊंट गाड़ों पर हो रही दुलाई की छुट समाप्त कर तुरन्त रोक लगायी जाये।
2. अवैध कटे जब्त पेड़ का जुर्माना न्यूनतम पेड़ की किमत का कम से कम दस गुणा निर्धारित हो।
3. अवैध पेड़ कटाई को प्रोत्साहन दे रहे वन कर्मियों की तुरन्त सेवा निवृत्ति हो।
4. हरे पेड़ों की कटाई को प्रोत्साहन दे रहे पेशेवर लकड़ी चीराई आरों के लाइसेंस रद्द हो।
5. जिप्सम व मावों की भट्टियों पर मौजूद खेजड़ी की लकड़ियों को अगियान चलाकर जब्त किया जाए।
6. जिप्सम की भट्टियों में जिप्सम पकाने हेतु पेड़ों की बजाय विजली से पकाने की शर्त का बैकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में प्रावधान हो।
7. खेतों में खड़े पाँच फिट से ऊँचे खेजड़ी के पेड़ों की वर्ष में एक बार गिरदावरी की व्यवस्था शुरू की जाय।
8. वन विभाग के क्षेत्रिय वन अधिकारियों को जीप, हथियार एवं मोबाईल, की सुविधा सभी रेंजो में उपलब्ध हो।
9. वन विभाग के सुस्त उडन दस्ते को वन एवं वन्य जीवों की निगरानी हेतु सक्रिय किया जाये। तथा स्वयं सेवी सस्थाओं के समर्पित लोगो को इससे जोडा जाये।
10. खेजड़ी कटाई को पूर्ण प्रतिबधित घोषित किया जाये।
11. वन अपराधों की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हेतु जिला मुख्यालय पर फेक्स व फोन सुविधाओं सहित कंट्रोलरूम बनाया जाये। जो ऐसी शिकायतें मिलते ही तुरन्त कार्यवाही को अजाम दे सके।

वृक्षों की रक्षार्थ बिश्नोई समाज की अग्रणी भूमिका

गुरु जम्भेश्वर भगवान द्वारा बनाये गये 29 धर्म नियमों में सोहलवां व सतरहवां नियम "जीव दया पालणी, रूँख लीलों नही घावे" धर्म नियम जीवों की रक्षा एवं वृक्षों के संरक्षण के सम्बंध में है। मात्र मनुष्य ही नही अपितु धरती के समस्त प्राणी जगत के अस्तित्व को बनाये रखने हेतु एक ऐसा महामंत्र है, जिसकी अनुगूँज पाँच सदी गुजरने के बाद भी

राजस्थान ही नहीं बल्कि आज पूरे विश्व में गुनाई दे रही है। मानव सहित समस्त प्राणी जल के कल्याणार्थ श्री गुरु महाराज द्वारा पूंके गये इस महामंत्र की शंख ध्वनि आज हमें सोचने को बाध्य कर रही है कि अब वन एवं वन्य प्राणियों के महत्व को ज्यादा समझा जा उठताया नहीं जा सकता। गुरु महाराज ने मरुभूमि में निरंतर पढ़ने वाले अकाल के स्वामी रामाधान हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण कर उनकी सुरक्षा करने की मानव मात्र को प्रेरणा दी उनके द्वारा दिये गये इसी महामंत्र का प्रभाव रहा कि मरुभूमि के कल्पवृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के वृक्षों एवं वन्य जीवों पर जब जब संकट आया उनके अनुयायी सैकड़ों नर-नारियों ने वृक्षों एवं वन्य जीवों की सुरक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान देकर भी उनके उपदेशों काकार किया। इतिहास साक्षी है कि विक्रम संवत् 1648 में ग्राम तिलवासानी (जोधपुर) में खेजड़ियों की रक्षा हेतु श्री मोटोजी खोखर व नेतुदेवी, और खीवणीदेवी ने अपने प्राण न्योछा किये। विक्रम संवत् 1661 में ग्राम रामासठी (जोधपुर) की करमां और गौरां नामक दो वीवनाओं ने जेठ बंदी 2 को खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया विक्रम संवत् 1710 में ग्राम पोलायारा (नागौर) के श्री बुच्चोजी ऐचरा ने भी खेजड़ियों की रक्षा हेतु अपने प्राण होम दिये। जिनकी याद में प्रति वर्ष जेठ बंदी 11 को अखिल भारतीय स्तर पर रक्षा विश्वनोई रामा द्वारा मेला लगाया जाता है। वहां पर उनकी लोक देवता के रूप में पूजा होती है।

खेजड़ियों की रक्षार्थ विश्वनोई समाज को सबसे बड़ी चुनौती विक्रम संवत् 1787 तब मिली जब जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम में तत्कालीन जोधपुर नरेश अमरसिंह का मन्त्रिगण गिरधरदास भण्डारी अपने दल बल सहित खेजड़ली ग्राम में खड़े खेजड़ी के वृक्ष काटने आ गया। वहा विश्वनोई समाज के लोगों के प्रतिरोध के बावजूद उसने भारी तादाद में खेजड़ी जबर्दस्ती काटने की ढिंढोरा पीटकर घोषणा कर दी इसकी जोधपुर जिले में मौजूद विश्वनोई समाज के 84 गांवों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सभी गांवों के लोग हरे वृक्षों की कटाई रोक्के हेतु आ उठे। समाज के बड़े बुजुर्गों ने राज कारिंदों को समझाने की बहुतेरी कोशिश की लेकिन गिरधरदास भण्डारी नहीं माना और जय भण्डारी ने वृक्षों के बदले दाम (रुपये) देना को कहा तो उन लोगों ने अपनी मजबूरी बयान कि—“दाग लगे जे दाम दों, पंथ मां पूजा होय, सिर साँपां रूँखां सटे म्हे टुकडो दां ना कोय” अर्थात् अगर हम पेड़ों के बदले में रूपये देते हैं तो हमारे धर्म में दाग लग जायेगा और हम अपने धर्म पालन में घौने समझे जायेगे उनका कहना था कि हम अपने धर्म में सवाये ही रहना चाहते हैं।

तब क्रोधित भण्डारी ने तमाम खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया लेकिन इसके बावजूद धर्म की आस्था से संचालित पर्यावरण प्रेमी पिछे नहीं हटे। उन्होंने संसार व एक नया नारा दिया—“सिर साटे रूँख रहे तो भी सस्तो जाण” और अपने आराध्य गुरु जम्भेश्वर भगवान का जय घोष करते हुए वे लोग खेजड़ियों को बाहो में लेकर घिपक गये राज सत्ता में मद सैनिकों ने खेजड़ियों के पेड़ों से घिपके नर-नारियों पर कुल्हाड़े चलाए

रू कर दिये लेकिन धर्म से संचालित वे आस्थावान जरा भी विचलित नहीं हुए। मरते दमक उन्होंने खेजड़ीयों को अपनी बाहों में धामे रखा और 50 ग्रामो के 363 नर-नारियों ने स प्रकार खेजड़ी के वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राणों का आत्म बलिदान कर दिया। जिसकी शाल विश्व में अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस महा बलिदान को खेजड़ली के खडारों के नाम। जाना जाता है उन हुतात्माओं की पावन स्मृति में अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्वोई समाज प्रति वर्ष भादवा सुदी 10 को विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण मेला भरता है, जिसमें विश्वोई समाज अलावा राज्य के वनमंत्री प्रति वर्ष भाग लेते हैं।

हां पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयासरत देश के कोने-2 से लोग पहुंच कर भाग लेते हैं। इस कार विश्वोई समाज का खेजड़ी जैसे बहुपयोगी हरे वृक्षों की सुरक्षार्थ गौरवशाली इतिहास हा है।

बहुपयोगी खेजड़ी-प्रकृति का अनमोल उपहार

राजस्थान के अधिकांश जिलों में पाया जाने वाला वृक्ष खेजड़ी प्रकृति प्रदत्त अमूल्य उपहार है। कम पानी में पनपने वाले इस वृक्ष को वैदिक भाषा में 'शमी' कहते हैं। पौराणिक ग्रन्थों में इस वृक्ष का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सदैव हरा भरा रहने वाला यह उदायहार वृक्ष मरुस्थल के लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। इस पेड़ के फायदों को गना जाये तो लम्बी चौड़ी फेहरिशत बन जायेगी। अत हम प्रमुख लाभों की ही चर्चा करेंगे।

अन्य पेड़ों की तरह इस पेड़ की जड़े आड़ी तिरछी व जमीन पर नहीं आती है बल्कि सीधी जमीन की गहराई तक जाकर पानी सोखती है। अत जिन खेतों में खेजड़ी के वृक्ष मौजूद हैं उनमें लगी फसलों की सिंचाई हेतु लगा पानी खेजड़ी वृक्ष नहीं लेता, यही कारण है मात्र खेजड़ी के पेड़ के नीचे अन्य स्थान की तुलना में फसल अच्छी पनपती है। इसका कारण यह भी है कि खेजड़ियों से निरंतर गिरने वाले पत्ते फसलों के लिए उत्तम खाद से कम नहीं हैं। यही प्रमुख कारण है कि जानकार अनुभवी किसान खेजड़ी के पेड़ों को नहीं काटते। वर्ष में एक बार इन बड़े पेड़ों के ऊपरी हिस्सों की पतली टहनियों की छगाई से प्राप्त लुग (पत्तियां) पशुओं के लिए उत्तम पौष्टिक आहार हैं। जिन लोगों के पास पशु नहीं हैं, वे लोग इनकी पत्तियों को ऊँचे दामों में बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकते हैं।

जिस किसान के खेत में खेजड़ी के पेड़ मौजूद हैं, उस घर में जलाउ ईधन की समस्या स्वतः हल हो जाती है क्योंकि वर्ष में एक बार शीत ऋतू में छगाई से प्राप्त पतली टहनिया वर्ष भर ईधन का काम देती है। खेजड़ी से प्राप्त सांगरी पौष्टिक हरी सब्जी तो है ही साथ ही ऊबाल कर सुखाने के बाद, कभी खराब न होने वाली सुस्वादु सब्जी बन जाती है। इसका महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। सांगरी की सब्जी य अचार के स्वाद का ही प्रभाव है, कि अब वह राज्य व देश की सीमाओं को लाघकर विदेशों तक पहुंच गयी है।

हमारे देश में प्राचीन समय से ही खेजड़ी के वृक्ष के धार्मिक महत्व व इन्हीं लक्ष्मण के मंदिर हमारे रौकड़ों पूर्वजों ने जब भी इन पर सकट आया। इनकी रक्षा हेतु अपने प्राण न्योछावर कर दिये। लेकिन मरुस्थल के रमणीक बाग खेजड़ियों पर आंच नहीं आने दी जायपुर जिले के ग्राम खेजड़ली का विश्व प्रसिद्ध बिश्नोई समाज का खडाणा जग जाहिर है। ग्राम रामासड़ी की बिश्नोई बालाएं करमा, गौरा पोलावास के बुच्चो जी बिश्नोई प्राण तिलवासनी के मोटोजी व नेतु एवं खिवणी बिश्नोई आदि ने खेजड़ियों की रक्षार्थ अपने प्राण का उत्सर्ग कर खेजड़ी के महत्व को रेखांकित किया।

खेजड़ी के वृक्ष को प्रकृति ने यह विशेषता प्रदान की है कि अकाल के हालात में इनके पत्तों की पत्तियां सुखकर निस्तेज होने की बजाय और ज्यादा हरी होकर दमकने लगती हैं। जबकि अन्य पेड़ों में ऐसी विलक्षण विशेषता नहीं पायी जाती। कई सुगनी लोग वर्षा ऋतु में खेजड़ की सुरगी पत्तियों को देखकर अकाल का पूर्वानुमान करते देखे गये हैं।

खेजड़ियों की रक्षार्थ शहीदों का बलन्द नारा—“सिर साटे रूँख रहे तो भी सस्त जाण” आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हर किमत पर खेजड़ियों की रक्षा करें। हिन्दू समाज में खेजड़ी, पीपल, वटवृक्ष को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। खेजड़ी को तुलसी भी कहा है। वैशाख के महीने में प्रचण्ड गर्मी के समय खेजड़ी पीपल, आदि वृक्षों में पानी देकर रीतिक के धार्मिक महत्व के कारण हमारी माताएं व बहनें महिने भर इनमें पानी देकर पूजा अर्चना करती हैं। हमारे जीवन के अधिकांश सत्कारों में खेजड़ी के लूग का महत्व है। अधिकांश ग्रामीण किसान लोग लोक देवी-देवताओं के प्रतीक के रूप में खेजड़ी की पूजा करते हैं शायद इसी लिए “गाँव-गाँव गोगो खेजड़ी” का मुहावरा प्रचलन में आया।

गुरु जम्भेश्वरजी ने स्वयं अपने हाथों से खेजड़ी के लाखों वृक्ष लगाकर जिर वृक्षारोपण आन्दोलन का सुत्र-पात किया था, जिसे अब और आगे बढ़ाने की जरूरत है लेकिन अफसोस का विषय है कि इतने अमूल्य और धार्मिक महत्व वाले खेजड़ी के पेड़ों के नादानी व श बेरहमी से काटा जा रहा है। वैसे खेजड़ी की लकड़ी इतनी ज्यादा किमती भी नहीं होती काटी गयी खेजड़ी जलावन के अलावा कहीं काम नहीं आती। अतः इन्हे काटने वाले नादान लोग अपने पापों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन्हे रोका जाना आज के समय की प्रमुख माँग है। खेजड़ी काटने वाले लोगों को समझा बुझाकर, धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं का वास्ता देकर अथवा कानून के भय से रोकने के प्रयास मानव समाज के बुद्धीजीवियों और राज नेताओं को करने चाहिए। अन्यथा इस क्षेत्र में मरुस्थल के प्रसार को रोक पाना किसी भी प्रयास से संभव नहीं हो पायेगा।

उजड़ती हरियाली और उदासीन वन-विभाग

राजस्थान जैसे सुखाग्रस्त क्षेत्र में हरे वृक्षों की मौजूदगी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षिणी व पूर्वी जिलों की बजाय प्रायः पश्चिमी क्षेत्र जौधपुर, नागौर बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में अन्य जिलों की तुलना में हरे वृक्ष कम मात्रा में हैं। अतः इस क्षेत्र में हरे पेड़ों की कमी के कारण बरसात प्रायः कम ही होती है। इन क्षेत्रों में अधिकाधिक वृक्षारोपण कर हरे पेड़ों की संख्या को बढ़ावा देने की जरूरत है, लेकिन अफसोस (दुःख) का विषय है कि अकाल के हालात में इस क्षेत्र में उल्टे वृक्षों की बेरहमी से कटाई हो रही है। नहरी क्षेत्र में वन विभाग एवं किसानों द्वारा विकसित किये गये लाखों हरे पेड़ों की बर्बादी का मंजर किसी से छुपा हुआ नहीं है।

एक तरफ राजस्व अर्जित करने के लोभ में राज्य सरकार नहरों के किनारे खड़े लाखों हरे पेड़ों को सिर से काटवा रही है तथा दूसरी तरफ वन एवं राजस्व भूमि पर अवैध पेड़ काटने वाले वन माफिया बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गये हैं। उनके कुल्हाड़े व आरे हरे पेड़ों पर चल रहे हैं।

जीव रक्षा विश्वोद्देश सभा ने खाजूवाला छतरगढ़, लूणकरणसर आदि क्षेत्रों में ऐसे लोगों द्वारा काटे गये हरे पेड़ों को कई बार पकड़वाया लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ वन अधिकारी ठोस कानूनी कार्यवाही की बजाय मात्र औपचारिकता निगाते पाये गये। हरे पेड़ों को रोजाना काटवाने वाले मुख्य अपराधियों की लगाम थामने की बजाय, उनके नौकरों के नाम से सहिने में एकाधबार थोड़ी बहुत जुमाने की रसीद काटकर वन्यकर्मी अपनी मासिक स्थायी आमदनी का रास्ता खुला रखते हैं और इस प्रकार रोजाना भारी मात्रा में अवैध पेड़ काटने वाले सम्बन्धित वन कर्मियों को सुविधा शुल्क चुकाकर सदैव निश्चित बने रहते हैं।

रोटों के अलावा वन माफियाओं ने नहरों के किनारे वन व सरकारी भूमि से भी पेड़ काट ले जाने का दुस्साहस जुटा लिया है। सभा ने ऐसी कई वारदातें घटित होने पर आवाज उठायी। लेकिन इसे कोई सुनने वाला नहीं इस सम्बन्ध में मैं एक उदहारण प्रस्तुत करना चाहूंगा। दिनांक 21.11.04 को 61 हेड (खाजूवाला) के पास के जे डी नहर के किनारे खड़े 5 हरे खेजड़े वन माफिया ने काट डाले। सूचना मिलने पर नहरी सीमा में काटे पेड़ों के फोटो खींचे और सम्बन्धित वनकर्मी रणधीरसिंह को सभा ने उक्त काटे पेड़ जब्त करवाये। लेकिन उक्त भ्रष्ट वनकर्मचारी ने भेंट पूजा लेकर रातों रात उन काटे गये खेजड़ों को बिना कानूनी कार्यवाही किये उठवा दिया। इसकी शिकायत सभा द्वारा श्रीमान् रेंजर साहब से लेकर राज्य सरकार तक की गई लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में उक्त कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसी प्रकार वन विभाग के छतरगढ़ रेंज क्षेत्र में पेशेवर आरा मशीन संचालकों द्वारा भारी पैमाने पर अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई हुई। वहां के सभा प्रतिनिधि श्री रामचन्द्र खीचड़ के अथक प्रयासों के बावजूद वहाँ पर वन माफियाओं द्वारा किये जा रहे हरे पेड़ों का कल्लेआम अभी तक नहीं रुका है। राजस्व भूमि के अलावा अब तो नहरों के किनारे एवं वन

विभाग की सरकारी भूमि में वर्षों पूर्व लगाये गये सरकारी पेड़ों पर भी वन माफियाओं कुदृष्टि पड़ चुकी है। खाजूवाला उपखण्ड क्षेत्र में जिप्सम की बहुतायत होने के कारण क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से जगह-जगह अनेक जिप्सम पकाने की बड़ी-2 भट्टिया लगी हैं और जब से यह भट्टिया शुरू हुई हैं तब से इस क्षेत्र में मौजूद हरे पेड़ों एवं फोंग की झाँ की शामत आ गयी है। इन भट्टियों में दिखावे के तौर पर बिजली के कनेक्शन ले रहे जबकि जिप्सम की पूरी की पूरी पकाई अवैध कटे पेड़ों से हो रही है। रोजाना सैकड़ों कि खेजड़ी आदि हरे पेड़ों की लकड़ियां कट-2 कर इन भट्टियों की आग में झोकी जा रही

एक-एक भट्टियों के पीछे छिपाकर रखे, काटे गये पेड़ों की सैकड़ों क्विंटल लकड़ी के ढेर लग पड़े हैं। यह गौर करने योग्य है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में पेड़ कहाँ से कटकर आ रहे हैं? इस बाबत पूछने पर भट्टियों के मालिकों का स्तर जबाब होता है-“हमें तो लोग ला कर बेचते हैं”। जबकि सच्चाई कुछ और ही बयान है जो यह है कि आम तौर पर किसान लोग खेतों में खड़े पेड़ काटने की सम्बन्धित तहसील से वैध इजाजत नहीं लेते और न ही किसान लोग स्वयं इतने पेड़ काटते हैं। होता यह अपने खेत में खड़े पेड़ों को अक्सर लोग पेशेवर वन माफियाओं को बेच देते हैं और खर के बाद वनमाफिया लोग अपने सधे हुए मजदुरों की मदद से उन पेड़ों को काट कर कि लकड़ियों को आरा मशीनों तक पहुँचा देते हैं तथा शेष बची खेजड़ी आदि की लकड़ियों भट्टियों में पहुँचा देते हैं। जिप्सम की भट्टियों की कारगुजारियों का समा ने नजदीक से अघ किया तो चौकाने वाले तथ्य उभरकर सामने आये।

29 जुलाई 2006 को समा को सूचना मिली कि पूगल ब्रांच नहर की 80 आ से 112 आरडी तक नहर के किनारे भारी तादाद में अवैध रूप से हरे पेड़ कटे हैं। त घटना स्थल पूगल ब्रांच नहर की 97 आरडी के पास राजस्थान पत्रिका सवाददाता को ले गया तो मौके पर वन विभाग की नर्सरी में चार औरतें हरे पेड़ काटती दिखी। तब सम्ब क्षेत्रिय वन अधिकारी श्रीमान् अहमद कादरी को मौके पर बुलाकर वन क्षेत्र में भारी में अवैध रूप से कटे हरे पेड़ों के अवशेष (टूँठ) दिखाये और पेड़ काटने वाली महिलाओं घरों से लगभग दो ट्रोली ताजे कटे पेड़ों के तने कुल्हाड़िया, आरियाँ आदि बरामद करवा

स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर जब उन्हें सही आकलन हेतु कटे पेड़ों की करने का निवेदन किया तो वह साफ इन्कार हो गये तथा अपने क्षेत्र में घटित इस अपराध पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने बिना गिनती किये कागज पर 286 पेड़ लिख लि तब रामचन्द्र खीचड़, रामनिवास सहारण सहीराम कालीराणा, श्यामसुन्दर गोदारा आदि के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैंने लगातार दो दिन तक उक्त अवैध कटान क्षेत्र में एक एक पेड़ की आर.डी. वार्डज (नहर की दूरी) कटे पेड़ों की सही गिनती की गई तो चौकाने के तथ्य उभरकर सामने आये। पूगल ब्रांच नहर की 80 आर.डी. से 112 आर.डी तक नहर दोनों किनारे पर 2447 वह इसी नहर के 97 हैड से निकलने वाली उप नहर बी.एल.डी. न

की 1 से 10 आर.डी. तक 866 पेड़ इस प्रकार कुल 3313 पेड़ अवैध कटे पाये जाने के बावजूद वन विभाग के सम्बन्धित उच्चाधिकारियों का रवैया इन पेड़ों की बर्बादी हेतु जिम्मेवार वन कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय उन्हें बचाने का रहा। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई समा के अध्यक्ष श्रीमान् बीरबल बिश्नोई एवं उपाध्यक्ष श्री शिवराज जाखड़ द्वारा बीकानेर वन मुख्यालय पर इस गंभीर प्रकरण पर भ्रष्ट वनकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु दबाव बनाने पर उक्त नहर के सुरक्षा गार्ड रामजीलाल व चौकीदार गंगाराम को निलयित किया गया। लेकिन कर्मचारी सगठन के दबाव में आकर उच्च वन अधिकारियों ने तीसरे दिन उन्हें पुन बहाल कर दिया।

अब यह विचारणीय प्रश्न है कि सरकार के ऐसे बौने प्रयासों से भला ये पेड़ कैसे सुरक्षित रह पायेंगे ? पूगल ब्रांच नहर के अवैध पेड़ कटान क्षेत्र के ईर्द गिर्द लगी हुई जिप्सम पकाने की भट्टिया बन्द नहीं की गई तो ये तब तक सुलगती रहेगी जब तक इनके चारों ओर की पूरी हरियाली इनकी भेंट न चढ जायेगी। काश! इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग आसन्न स्थिति की गंभीरता को समझ पाते। इन भट्टियों के बारे में पूछे जाने पर वहा के किसान श्री रामनिवास सारण कहते हैं कि सरकार इन भट्टियों के द्वारा इस क्षेत्र में कथित विकास का दावा करती है विकास हो या न हो लेकिन इन भट्टियों से हरियाली उजड़ने पर हम सब किसानों की बर्बादी होना तो तय है।

उनके हृदय से कहे इन शब्दों की पीडा इस धारणा को रेखांकित करती है कि पेड़ कट जाने पर उक्त रेतीले क्षेत्र में नहरों में मिट्टी भर जाने से सिंचाई सुविधा बाधित होगी तथा वृक्ष विहीन धरती पर वर्षा सदा के लिए मुह मोड़ लेगी और आधियों से उडी रेत सिंचित क्षेत्र को रेत के घोरों मे तब्दील कर देगी। पूगल ब्रांच नहर तो मात्र एक उदाहरण हैं। अन्य नहरों के किनारे इससे भी बडे अवैध कटाई के घफले उजागर हो सकते हैं। समा इसके लिए भविष्य में प्रयास करेगी। अब समय आ गया है कि सरकार को इस क्षेत्र मे कम मात्रा में मौजूद हरे वृक्षों की कटाई पर पूर्ण पाबंदी लगाकर वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के लोग खुशहाल हो सके।

पी के डी नहर क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध काश्त प्रकरण

खाजूवाला उपखण्ड क्षेत्र में 1978 में हरे पेड़ों की कमी के मद्देनजर राज्य सरकार के आदेश से उपनिवेशन विभाग ने 1978 में सैकड़ों मुरब्बे भूमि वन विभाग को वन विकास हेतु आवंटित की। 1994 में राजस्थान राज पत्र (गजट) में उक्त भूमि वाकायदा दर्ज हो गयी और वन विभाग ने उक्त भूमि का कब्जा ले लिया। इस भूमि पर वन विभाग ने लाखों रुपये खर्च कर वृक्षारोपण किया तथा चारागाह विकसित कर भूमि के चारों ओर तारबंदी की लेकिन वन विभाग की सही देख रेख के अभाव में उक्त तारबंदी गायब हो गई।

इसके बाद 1993 में जब पी के डी नहर बनी तो अधिकांश असिंचित भूमि सिंचित हो गई तथा सिंचाई विभाग ने उक्त भूमि में वन विकास हेतु पानी की बारी (सिंचाई सुविधा) उपलब्ध करवा दी। इस बेशकियती वन भूमि में नहर का पानी लगता देखकर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि इस पर पड़ी तो उन्होंने वन अधिकारियों से सठ गांठ कर सगठित रूप से इस वन विभाग की भूमि में खड़े पेड़ों को काटना शुरू कर दिया तथा सुनियोजित तरीके से वन भूमि में अवैध काश्त शुरू कर दी। सभा ने हरे पेड़ों की अवैध कटाई के विरुद्ध आवाज उठायी तब वन कर्मियों द्वारा इन्हें टोका गया।

लेकिन सभी चालाक भूमाफिया एक सेवानिवृत्त उपनिवेशन आवंटन अधिकारी द्वारा जारी पिछली तारीकों के फर्जी पट्टे ले आये। सभा ने बड़े पैमाने पर उक्त वन भूमि में अवैध पेड़ कटने की वारदात को गभीरता से लिया और पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ की लगभग 127 मुरब्बा वन भूमि में वन माफियाओं ने अनाधिकृत रूप से हरे पेड़ काटकर कब्जा काश्त शुरू कर दी है। विरोध की भनक लगते ही कब्जाधारी लोगों ने उक्त भूमि के फर्जी पट्टे बनवा लिये उक्त पट्टे बनवाने में उपरोक्त सेवानिवृत्त अधिकारी के निकट के रिश्तेदार का नाम सुना गया।

इन फर्जी पट्टों में ऐसे लोगों के नाम आवंटन दिखाया गया है जिन्होंने 20 वर्ष पहले राजस्व भूमि आवंटन हेतु उपनिवेशन विभाग में आवेदन कर रखा था। इस प्रकार हर किसी कब्जाधारी के पास ऐसा एक गिद्ध परवाना (फर्जी पट्टा) है। जिसके बल पर उन्होंने उक्त वन भूमि पर बेखट खेती शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान उन्हें लगातार सिंचाई सुविधा वन विभाग के नाम से ही मिलती रही क्योंकि उक्त भूमि आज भी वन विभाग की है। इसके बावजूद सिंचाई विभाग ने इस व्यापक धान्धली के विरुद्ध आज तक मुंह नहीं खोला और लगातार साल दर साल वन भूमि में अवैध काश्त हो रही है। राजस्व विभाग के सम्बन्धित पटवारी जिनके पास इस भूमि के आकड़े मौजूद रहते हैं। सब कुछ देख सुनकर लगातार अनजान बने रहे।

उक्त वन भूमि की सुरक्षा के लिए सेवारत वन पाल हरिकिशन खटीक और अमीलाल यादव ने वन भूमि पर इस प्रकार लगातार अवैध पेड़ कटते एवं काश्त होते देखते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। अतः वन भूमि में मौजूद तमाम हरे पेड़ों को कब्जाधारियों ने काट-काटकर बेच डाला और वन विभाग बड़े पैमाने पर हुए इस वन विनाश के उक्त कृत्य को मूक दर्शक बन कर देखता रहा। इस प्रकार लगभग 3000 बीघा से अधिक वन भूमि में लगे हजारों हरे पेड़ों और चरागाह का सफाया हो गया।

राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि में काबिज लोगों के नाम से नियम विरुद्ध बराबर गिरदावरी की जा रही है। जबकि जमीन का मालिक वन विभाग है। शिकायत होने पर वन विभाग ने वन भूमि से कब्जे हटाने चाहे, तो उक्त कब्जाधारी उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर से फर्जी पट्टों के आधार पर स्टे ऑर्डर ले आये अब वन विभाग चाह कर भी अतिक्रमियों को बेदखल नहीं कर पा रहा था। सभा ने इस धान्धली की उच्च स्तर पर शिकायत की तो उपखण्ड अधिकारी महोदय ने थोक में जारी किये गये

स्टे ऑर्डर रद्द कर दिये। उक्त फर्जी पट्टों में मुरब्बे के बीघा न हिन्दी लिपी में तथा मुरब्बा नं. अग्रेजी में अलग-अलग लिखायी से लिखा देखकर इनके फर्जी होने का साफ संदेह होता है। इसके अलावा कई पट्टे तो ऐसे बनाये हुए कि मुरब्बा तो एक है लेकिन उसके पट्टे दो व्यक्तियों के नाम से बनाये है उदाहरण के लिए लालुसिंह पुत्र डूगरसिंह चक 21 पी.के.डी के नाम से एक फर्जी पट्टा मु.नं. 181/48 में 25 बीघा भूमि आवंटित बतायी है।

इसी न. का मुरब्बा भवरलाल पुत्र मालाराम के नाम से 23 बीघा का पट्टा बना हुआ है। इसी भवरलाल पुत्र मालाराम के नाम से मु.नं. 181/56 में 25 बीघा का पट्टा बना हुआ है जबकि इसी मुरब्बे की 13 बीघा भूमि का पट्टा लालुसिंह पुत्र डूगरसिंह के नाम से बना हुआ है। चक 23 पी.के.डी में अख्तर पुत्र सतार मोहम्मद के नाम से मु.नं. 163/25 जिसे 1988 में आवंटित दर्शाया गया है जबकि अभी अख्तर की उम्र मात्र 20-21 वर्ष है। यही स्थिति युनस पुत्र गुलाम मुस्तफा के पास मौजूद पट्टे की है। दर्शाये गये आवंटन के समय यह दोनों दुध मुंहे बच्चे थे। अतः जाहिर है कि नाबालिगों को भी आवंटन बता दिया गया। उक्त क्षेत्र के काश्तकार लाधुराम कासणियां ने सभा कार्यकर्ताओं के समक्ष आशका व्यक्त की कि जब सरकारी भूमि पर ऊँची पहुँच वाले लोग इस तरह नाजायज कब्जा कर सकते हैं तो फिर गरीबों का तो भगवान ही मालिक है।

जीव रक्षा बिश्नोई सभा द्वारा इस प्रकरण को उठाने पर उक्त वन अपराधियों में से कई कब्जाधारियों के खिलाफ वन विभाग ने मई 2005 में मुकदमें दर्ज किये। लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में उक्त मुकदमे मात्र औपचारिकता ही साबित हुए। खाजूवाला के तहसीलदार ने अतिक्रमियों की कुर्क की गई लाखों रूपयों की फसलें कब्जाधारियों से साठ गाठ कर उन्हें वापिस सुपुर्द कर दी मात्र कुछ लोगों के नाम से मामूली तवान लगाकर उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही नहीं होने से उपरोक्त भूमि पर कब्जाधारियों ने पुनः काश्त शुरू कर दी। जो आज भी बेघडक जारी है।

कानून में प्रावधान है कि किसी भी वन भूमि को केन्द्र सरकार की अनुमति के बगैर गैरवानिकी कार्यों के लिए डी फोरेस्ट नहीं करवाया जा सकता, लेकिन तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने चक 20 पी.के.डी. के मुरब्बा नं. 4, 10, 11, 12, 13 तथा 21 पी.के.डी. के मु.नं. 2 व 3 को गैर कानूनी ढंग से डी फोरेस्ट करके नियम विरुद्ध आवंटित कर दिये। इसी वन भूमि में जारी स्टे ऑर्डरों में सम्बंधित अधिकारी द्वारा तहसीलदार से पत्रावली मांगने का उल्लेख है। लेकिन सही पत्रावली उपलब्ध क्यों नहीं करवायी गई? उक्त वन भूमि की सुरक्षार्थ तैनात वन कर्मी इस प्रकार वन विनाश को देखकर चुप क्यों रहे? लगातार वन भूमि में अवैध काश्त क्यों होने दी जा रही है? एवं सिचाई विभाग वन विकास के नाम से आवंटित पानी से कब्जाधारियों की फसल क्यों पका रहा है? तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी अरुणप्रकाश शर्मा खाजूवाला एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर रिकार्ड देखे बिना आँख मूंदकर वन भूमि के कब्जाधारियों को भूमि के मालिक वन विभाग को सुने बगैर घडा घड स्टे

जारी क्यों करते रहे ? इन्हे रोका क्यों नहीं गया ? उपरोक्त ज्वलत सवालों के जवाब अब भी अनुत्तरित हैं। खाजूवाला के अलावा बज्जू क्षेत्र में भी इसी प्रकार वन भूमि में अवैध कब्जे हुए। लेकिन इस क्षेत्र के पर्यावरण को घीपट करने की इन नापाक हरकतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिसके कारण वन भूमि पर कब्जा करने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने अगर ऐसी गतिविधियों पर दृढ़ता से रोक नहीं लगाई तो समुदाय वन क्षेत्र को उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता।

खेजडली के शहीदों की स्मृति में खाजूवाला में वृक्षारोपण

खेजडी के हरे वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 363 अमर शहीदों से प्रेरणा पाकर, उनकी पावन स्मृति को तरोताजा रखने हेतु खाजूवाला उपखण्ड के बिश्नोई समाज ने एकजुट होकर एक ऐसा नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो हर किसी के लिए अनुकरणीय साबित हो सकता है।

खाजूवाला में स्थित श्री गुरुजम्भेश्वर मन्दिर एवं धर्मशाला चैरिटेबल ट्रस्ट परिसर में पावन तीर्थ खेजडली स्थल से लाये गये उन पवित्र बीजों से पनपे खेजडी व श्रखलाबद्ध सुन्दर पेड़ों के उद्यान को देखकर उन महान आत्माओं के त्याग पूर्ण बलिदान की याद बरबस ताजा हो आती है। जिन्होंने 300 वर्ष पूर्व उन खेजडियों से लिपटकर उन्हें बचाने हेतु अपने प्राण होम दिये थे। आज भी उनके विश्व प्रसिद्ध बलिदान की गाथा को अपने-अपने में सजाये खड़े वे पेड़ वहा के कण कण के इतिहास को अपने आप में समेटे मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा हेतु हमें निरंतर प्रेरणा देते नजर आते हैं।

उनसे प्रेरणा लेकर सर्व प्रथम शहीदी स्थल के पेड़ों से लाये बीजों को वृक्षारोपण से 6 माह पूर्व थेलियों में खेजडी के पौधे उगाकर तैयार किये गये और उसके बाद जीव रक्षक बिश्नोई सभा व ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से आगामी कार्य योजना तैयार की गई। जिसमें अनुसार खाजूवाला क्षेत्र की 32 पंचायतों में जन सम्पर्क कर उक्त पेड़ लगाने हेतु 363 बिश्नोई समाज के लोगों को सूचिवद्ध किया गया। तदन्तर भादवा सुदी दसमी सवत् 2064 (शहीद दिवस) पर एक विशाल सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 363 स्त्री पुरुषों ने एकजुट होकर अपने-अपने नाम से कुल 363 खेजडी के पौधे लगाये उन पौधों की सुरक्षा, सिंचाई व पोषण का जिम्मा ट्रस्ट को सौंपा गया और प्रति पौधे पर खर्च होने वाली कुल 150 रुपये सेवा शुल्क राशि प्रति पौधा लगाने वालों ने जमा करवायी। पौधे लगाने वालों के नाम पते अंकित लौहे की पट्टिकाएं पौधे के पास लगाने वाले की पहचान के तौर पर लगायी गई तथा भूमि पर 10-10 फुट के अन्तराल से एक ही सीध में 4 लाईनों में सामान्तर ढग से 3-3 फुट के गहरे गड्ढे खुदवाकर पौधे लगवाये गये। वृक्षारोपण स्थल को "अमर शहीद अमृतादेवी बिश्नोई शही उद्यान" नाम दिया गया। इसका शुभारम्भ पुज्य स्वामी भागीरथदास जी शास्त्री व श्रीमान् विरेन्द्र वैनीवाल विधायक द्वारा किया गया।

यह तो एक छोटी सी शुरुआत है आज ऐसे प्रयासों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा करना मात्र पर्यावरण संरक्षण ही नहीं अपितु हमारे आर्थिक हितों के लिए भी जरूरी है ऐसे प्रयास मुक्ति घाम मुकाम समराथल जाम्मोलाव आदि तीर्थ स्थलो पर समाज द्वारा एकजुट होकर किये जा सकते हैं।

वन अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता

हमारे देश में सबसे कम वर्षा राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चुरू आदि क्षेत्रों में होती है एवं राज्य के अधिकांश भागों में खेजड़ी, नीम, बबूल, बैर आदि कम वर्षा में पलने वाले पेड़ हैं। इनमें बहुउपयोगी खेजड़ी तो प्रकृति प्रदत्त वरदान हैं। प्रशासन एवं वन विभाग कानूनी विसंगतियों के चलते इनके कटान को रोक पाने में असफल साबित हो रहे हैं।

खेजड़ी के पेड़ों की सर्वाधिक कटाई राजस्व भूमि में हो रही हैं। रोजाना हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन इनकी सुरक्षा हेतु सम्बन्धित तहसीलदारों के पास समय नहीं है। पटवारी अपने हलकों में कटते पेड़ों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सरकार की दुर्लभ नीति के अलावा मौजूदा लचीले कानूनों के चलते सम्बन्धित जबाबदेह अधिकारी कानूनी खामी और संसाधनों की कमी बताकर अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हैं।

आम जनता और सामाजिक सस्थाओं द्वारा खेजड़ी आदि वृक्षों के अवैध कटान करने वालों के खिलाफ लगातार बढ़ती शिकायतों पर कार्यवाही तो दूर की बात सुना तक नहीं जा रहा। जिसके परिणाम स्वरूप छिटपुट कटाई की जगह वन माफियाओं ने हरे पेड़ काटकर बेघने का घघा जगह जगह चला रखा है। ऐसे लोगों का घघा पाक सीमावर्ति नहरी क्षेत्रों में अत्यधिक बढ़ गया है। बज्जू, दन्तौर, रावला, खाजूवाला, छतरगढ, लूणकरणसर व गगानगर जिले के क्षेत्र में ऐसे लोगों का घघा दिनों दिन फल फुल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में हरे पेड़ों की संख्या दिनो दिन चिता जनक ढग से सिमटती जा रही है। मौजूदा कानून में पेड़ों की निगरानी और कटाई की रोकथाम हेतु पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र में भौगोलिक स्तर पर मौजूदा कानून में वन एवं सरकारी भूमि के पेड़ों की सुरक्षा का जिम्मा वन विभाग का है। इसके अलावा पुलिस को भी ऐसे वन अपराधों पर कार्यवाही का अधिकार है। राजस्व भूमि में बिना अनुमति के अवैध हरे पेड़ों की कटाई से सुरक्षा का जिम्मा राजस्व तहसीलदार का है। लेकिन राजस्व कर्मचारी ऐसी शिकायतों के बावजूद राजस्व भूमि में हरे पेड़ों की कटाई को रोकने में रूचि नहीं लेते।

यही कारण है कि वर्तमान में सर्वाधिक पेड़ों की कटाई की वारदातें राजस्व भूमि में हो रही हैं और इस कटाई को रोकना दिनो दिन मुश्किल होता जा रहा है। मौजूदा कानून में प्रावधान है कि कोई भी किसान सम्बन्धित तहसीलदार से वैध अनुमति प्राप्तकर अपने खेत में से पेड़ काट सकता है बशर्तें व काटे गये सख्या ये पाच गुना पेड़ लगाये। लेकिन आम

तौर पर यह देखा जाता है कि तहसीलदार से मजूरी लेने को किसान फालतू का इस्तेमाल करते हैं। अतः कम ही लोग मजूरी की प्रक्रिया को अपनाते हैं मजूरी की बजाय इतने ही के लोग अपने खेतों में खड़े हरे पेड़ों को वन माफियाओं को बेच देते हैं और खरीददार वन माफिया लोगों ने कानूनी खामी का फायदा उठाकर घन कर्मन के उद्देश्य से क्षेत्र की हरियाली को समेटने का घघा जोर शोर से चालू कर रखा है। मजूरी राजस्व नियमों में जूमरने की राशि बहुत कम है।

50 वर्ष पूर्व बने नियमों के बाद महगाई हजार गुणा बढ़ गयी है। लेकिन बुढ़ी की राशि वही अधिकतम 500 रुपये है। जो किसी पेड़ काटने वालों के लिए चुकानी पुलिस नहीं है। शीशम व रोहिडा जैसे किमती पेड़ काटने वालों के लिए 500 रु का जुर्माना बर्दा मायना नहीं रखता है। यही कारण है कि लोग पेड़ों की कटाई रोकने में रुचि नहीं लेते। दुसरी खामी यह है कि काटे गये पेड़ों को ऊँट गाडो पर ढोने की राज्य सरकार द्वारा खुली छुट मिली हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ काटने वालों ने कटे पेड़ों की दुलाई के लिए ऊँट गाडों का प्रयोग शुरू कर दिया है। जिन्हे पुलिस एवं वन विभाग कानूनी लाचारी के कारण पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर समय रहते उपरोक्त विसंगति पूर्ण कानून एवं व्यवस्था में उचित परिवर्तन नहीं किया गया तो निकट भविष्य में शेष बचे खुचे हरे पेड़ भी आम की भट्टियों में समा जायेंगे तथा क्षेत्र से वर्षा हमेशा के लिए मुह मोड लेगी। जिसकी क्षेत्र के लोगों को बड़ी भारी किमत चुकानी पडेगी।

उपरोक्त लचीले कानूनों में मात्र भाषण देने एवं लिखने से काम नहीं चलेगा आम आदमी को सचेत होकर ऐसे तुगलकी कानूनों और माहौल को बदलने हेतु जन आन्दोलन करना पडेगा तभी कुछ सुधार हो सकता अन्यथा नहीं।

बयो आवश्यक है वन्य जीव संरक्षण ?

सृष्टि के प्रत्येक जीव को जीवन जीने का हक है, सभी प्राणियों को अपना जीवन प्यारा है। मारे जाने पर हर जीव को अपार कष्ट और पीडा का आभास होता। विशेषज्ञों ने सिद्ध किया है कि कई जानवरों में मनुष्य की तरह जाति समुदाय, समाज सम्बन्धी एकता और पारिवारिक प्रेम व अपनत्व प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, इसलिए अपनों के मारे जाने व बिछोह का मानसिक शताप भी उन्हें मनुष्य की तरह ही होता है।

मनुष्य अपनी स्वयं की बढ़ती आबादी को नजर अंदाज कर जानवरों की सख्या सीमित करने हेतु उन्हें मारकर खाना जायज ठहरा रहा है। लेकिन मनुष्य की यह सोच एकदम उल्टी है। क्योंकि ऐसा करने पर जानवरों की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी और तब प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड होगा, उदाहारण के लिए शेर चीता, आदि मांसाहारी जानवर कम होंगे तो शाकाहारी पशुओं की सख्या बढ़ेगी और एसी अवस्था में वे स्वाभाविक तौर पर फसलों को नुकसान पहुंचावेंगे, और अगर शिकार आदि कारणों से शाकाहारी वन्य पशु कम होंगे तो मांसाहारी पशु गाँव ढाणियो एवं खेतों में पालतु पशुओं को अपना निवाला

बनायेगे, और मनुष्यो के लिए भी खतरा बनेगे ।

इसी प्रकार कीट पतंगो को खाने वाले पक्षी खत्म होंगे तो अनेक प्रकार के हानिकारक कीड़े कीटाणु बढ जायेगें जो फसलों को नष्ट कर देंगे ।

इस प्रकार प्रकृति का संतुलन बनाये रखने के लिए सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं की स्वाभाविक भूमिका प्रकृति द्वारा तय है । कोई भी जानवर अनुपयोगी नहीं है । यहा तक की जहरीले सर्प आदि जानवर घूहे खाकर फसलो की रक्षा करते है, और वायुमण्डल मे मौजूद जहरीली गैसों को पीकर प्राणवायु के शुद्धिकरण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते है । यही कारण कि वे किसानों द्वारा पूजे जाते हैं । इस प्रकार धरती के तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में मनुष्य की सेवा के लिए परमात्मा ने बनाये । लेकिन खेद का विषय है कि मनुष्य अपने अज्ञानवश इन्हे अपने अधीन मानकर क्रूरता पूर्वक नष्ट करने पर तुला हुआ है । मांस, खाल, लोम, सींग, दाँत आदि के लोभ में अथवा शौकिया (मनोरजन के लिए) वन्य प्राणियों को निर्दयता पूर्वक मारा जा रहा है । इसके अलावा देव पूजा के नाम पर पाखण्ड रचकर निर्दोष पशुओ की बलि चढाना, चिकित्सकीय परीक्षणों में जानवरों की हत्या करना, तथा जीवित जानवरों को मर्मन्तक पीड़ा देकर उनसे कथित कातिवर्धक वस्तुएं (सौन्दर्य प्रसाधन हेतु) प्राप्त करना भी शामिल है ।

वन्य प्राणियों के अन्धाधुन्ध शिकार की प्रवृत्ति के कारण विगत तीन सौ सालो में 36 किस्म के स्तनपायी व 94 किस्म के पक्षियों की प्रजातियों का नामोनिशान मिट गया, और अब 236 स्तनधारी एव 287 पक्षियों की प्रजातियें अपने अस्तित्व की अंतिम घडिया गिन रही हैं । जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि यही स्थिति अबाध चलती रही तो वनों की तीव्र कटाई के फलस्वरूप अगले 20 वर्षों में 50 प्रतिशत वन्य जीवों की व वनस्पतियो की प्रजातियां नष्ट हो जायेगी, और इनको सरक्षण नहीं दिया गया तो पर्यावरण चक्र पर अत्यत घातक प्रभाव पड़ेगा ।

आज से 40 वर्ष पहले खेतों में हरिणो व गिदड़ो की डार की डार घुमती रहती थी । लेकिन अब मात्र बिश्नोई बहुल क्षेत्रों में अथवा चिड़ियाघरो में ही देखने को मिलते हैं । ट्रेक्टर आदि मशीनीकृत यंत्रों की बुवाई मे भूमिगत सांप, केंचुए आदि की अनेक प्रजातियाँ नष्ट हो गई । डाइक्लोफेनिक सोडियम नामक जहर के दवा के रूप में उपयोग से नभचर गिद्ध, कौओं आदि की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई, जो हमारे मृत जानवरो की देह को खाकर पर्यावरण संतुलन का काम निःशुल्क करते थे ।

वनो के साथ-साथ वन्य प्राणियो का अस्तित्व भी जरुरी है क्योंकि वन एवं वन्य प्राणी एक दुसरे पर आश्रित हैं वनो के विकास में वन्य पशु पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है । वन्य प्राणियों के वन सहज प्राकृतिक आवास स्थल है । लेकिन जैसे-2 वनो का आकार सिमट रहा है वैसे-2 वनों पर निर्भर वन विकास की महत्वपूर्ण कड़ी माने जाने वाले वन्य पशु पक्षियों की जान पर बन आई है । उनके लिए अब अपने आपको शत्रु जानवरों एवं शिकारियों की नजर से बचा पाना मुश्किल हो गया है ।

जैसा कि हम जानते हैं कि वनों के पेड़ पौधों द्वारा वाह की घास व अनेक औरों को उगाने के लिए कोई हल जोतने नहीं जाता, वनों में पेड़ पौधों की अभिवृद्धि प्रकृति द्वारा स्वचालित प्रक्रिया के तहत स्वतः होती रहती है।

प्रकृति की इस लीला में वन्य जीवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है वन्य पशुओं व खुरों एवं शरीर के बालों आदि से चिपक कर घास, फूल फल आदि के बीज इधर-उधर फैलते रहते हैं। कई पशु पक्षियों द्वारा खाये जाने वाले फलों के बीज, फूल व बीठ आदि के द्वारा घरती पर एक जगह से दुसरी जगह बीजों के बिखराव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। छोटे-छोटे कीट पतंगें फूलों के परागकणों को एक पौधे से दुसरे पौधे तक पहुँचाकर वहाँ पौधे एवं उसके फलों की अभिवृद्धि में प्रत्यक्ष सहायक बनते हैं। कई लोगों का तर्क होता है कि अगर इन पशुओं को मारा नहीं जाये तो इनकी सख्या बढ़ जायेगी। लेकिन वास्तव में यह सोच सही नहीं है वन्य प्राणियों की आवश्यक सख्या, संतुलन को कायम रखने हेतु प्रकृति की व्यवस्था ही कारगर है। इसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर उस जानवर की उपयोगिता का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता।

धर्म शास्त्रों में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा की महिमा

हमारी प्राचीन भारतीय परम्परा में वृक्षों को देव तुल्य स्थान प्राप्त था। धर्म शास्त्रों में वृक्षों को अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। हमारे तीज त्यौहारों पर वृक्षों की पुजा का विधान कर प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण नियमों का परम्परागत विकास किया गया। इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए गुरु जम्भेश्वर महाराज ने पर्यावरण संरक्षण हेतु - "जीव दया पालणी रूँख लीलो नहीं घावे" नामक धर्म नियम अपनाते पर विशेष बल दिया। मनु स्मृति में वृक्षों की योनि पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप मानी गई है। उसमें वृक्षों व भी अन्य जीवित प्राणियों की भाँति सुख दुःख का अनुभव करने वाला माना गया।

कठोपनिषद् में जिज्ञासु ऋषि पुत्र नचिकेता को स्वयं यमराज कहते हैं कि मनुष्य की जीवात्मा को अपने पूर्व कर्मफल स्वरूप मृत्यु के बाद भी शरीर धारण करना पड़ता है। उनमें जिनके पाप-पुण्य समान होते हैं, वे मनुष्य का और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं, और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं, रथावर बाद रूँख प्रान्त हो कर वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पशु पक्षियों एवं वृक्षों में भी हमारी ही तरह सुख दुःख, कष्ट का अनुभव करने वाली जीवात्मा विद्यमान साबित होती है।

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन ।

स्याणुमन्ये अनुसयन्ति यथाकर्म यथा श्रुतम् ॥ (कठोपनिषद्-7)

कालान्तर में महान वैज्ञानिक सर चगदीश चन्द्र वसु ने तो इससे भी आगे बढ़ कर वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया था, कि पेड़-पौधों में भी सुख-दुःख का अनुभव करने वाली जान होती है ! श्रीमद् भगवद् गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन

उपदेश देते हुए कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ।

—“अश्वत्थमेनं सुविरूढ मूल.”

पीपल का पेड़ दुसरे अन्य पेड़ों की तुलना में 100 गुना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल के इसी महत्व के कारण इसे ऑक्सीजन का टैंक कहा गया है। वैसाख के महिने में अत्यधिक गर्मी के कारण हरे पेड़ों में जब सिंचाई की आवश्यकता होती है तो पौराणिक मान्यताओं के कारण हमारी माताओं एये बहिनों के द्वारा पीपल एवं खेजड़ी के वृक्षों में पूरे महिने पानी डालकर पुजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा एवं विश्वास से परिपूर्ण धार्मिक मान्यताओं से सिंचित पीपल, खेजड़ी, वट, नीम, आदि पेड़ों की अभिवृद्धि होती रहती है।

रामचरित मानस के अरण्यकांड में वन के सुरम्य पेड़ पौधों और मशु पक्षियों की सुन्दर क्रिड़ाओं का वर्णन अत्यंत मनमोहक ढंग से किया गया है। भगवान श्री राम जब वैदेही (सीता) की खोज में वन में विचरण करते हुए प्रकृति के सुन्दर स्वरूप का सजीव वर्णन करते हुए अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं :-

घौ- विटप विशाल लता अरुझानी। विविध ब्रितान दिए जनुतानी ॥

कदली ताल वर घुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जांका ॥ (1)

विविध भौंति फूल तरु नाना। जनु बानैत बने बहु बाना।

कहूँ-कहूँ सुंदर विटप सुहाए। जनु भट विलग-2 होई छाप ॥ (2)

कुँजत पिक मानहुँ गजमाते। ढेक महोक ऊँट बिसराते ॥

मोर चकोर कीर वर बाजी। पारावत मराल सब ताजी ॥ (3)

तितिर लावक पदचर जूथा। वरनि न जाइ मनोज बरुथा ॥

रथ गिरी सिला दुदुंभी झरना। घातक बदी गुन गन वरना ॥ (4)

मधुकर मुखर भेरी सहनाई। त्रिविध बयारी वसीठी आई ॥

चतुरगिनी सेन सँग लिन्हे। विघरत सबहि चुनौती दीन्हे ॥ (5)

मत्स्य पुराण में वृक्षारोपण को महान पुण्य कारक मानते हुए कहा गया है -

दस कूप समा वापी, दस वापी समा हृद।

दस हृद सम पुत्रों, दस पुत्र समा दम ॥

वृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि जो मनुष्य—“मैं सबका आत्मा हूँ” यह जानकर अडज, स्वेदज, उद्विज्ज व जरायुज इन चार प्रकार के प्राणियों को दुख नहीं देता, उस जीवात्मा को शरीर से अलग होने पर भी अर्थात् (मरने पर) कभी भय नहीं रहता—

योन हिंस्या दहं ह्यात्मा भुतयामं चतुर्विधम।

तस्य देहा द्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥ 34 ॥ (वृहस्पति स्मृति)

इसी स्मृति में और भी कहा है :-“दान द्वारा धन सफल होता है” जीव की रक्षा से आयु की वृद्धि होती है, जो मनुष्य हिंसा नहीं करता वह एश्वर्य और आरोग्य रूप अहिंसा के फल को भोगता है -

धन फलमि दानेन, जीवित जीव रक्षणात्।

रूपमारोग्यमैश्वर्यं, हिंसा फल मश्नुते ॥ 71 वृहस्पति स्मृति ॥

दश स्मृति में लेख है कि सुख की अगिलापा करने वाला अपने की समान दुःख जीवधारियों को भी देखे । यद्यपि जैसा सुख-दुःख स्वयं को होता है वैसा ही अनुभव दुःख को होता है-
 यथैवात्मा परस्ता दृष्ट दृष्टव्य. सुखमिच्छता ।

सुख दुखानि तुल्यानि, यथात्मनि तथा परे ॥ 21 दश स्मृति ॥
 और भी कहा है कि जो सुख दुःख दूसरे के लिए किया जाता है, वह सब कालान्तर में अन्त आत्मा में ही आकर कर्ता को प्राप्त होते हैं-
 सुख वा यदि वा दुःख, यत्किमित्कृपते परे ।

यस्कृत तु पुनः पश्चात्तार्वमात्मनि रखते ॥ 22 दश स्मृति ॥
 इसके अलावा मनुष्य शरीर का मुल्याकन करते हुए कहा गया है कि उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है जो बहुतों का जीवन मूल है, और जो केवल अपना पेट भरने में ही लगे रहते हैं वे जीते हुए ही मृतक के समान हैं ।
 स जीवति य एवै को बहुभिरचोय जीत्यते ।

जीवं तो मृतका स्त्वन्ये पुरुषा खोदर भरा ॥ 36 दश स्मृति ॥
 अत्रि स्मृति में लिखा है कि दुःख की अवस्था में जो प्राणी की रक्षा करता है, उसका दान के तीन फल (धर्म, अर्थ व काम) प्राप्त होता है-
 आतुरे प्राणदाता च त्रीणी दान फलानि च (अत्रि स्मृति)
 शातातप स्मृति में अध्याय 6 में उल्लेख है कि पशु की हिंसा करने वाला घोर दण्ड मारा जाता है-
 इय मा हिंसी द्विपद पशु सहस्राक्षो मेघाय घीयमानः ।

मयुं पशु मेघमग्रे जुषस्व तेन धिन्वानस्तन्वोनिषीद ॥ यजुर्वेद/13/47 ॥
 उपरोक्त श्लोक में यजुर्वेद में राजा को इंगित कर हिदायत दी गई है कि राजन! आप कई प्रकार की दृष्टि से देखने वाले हैं अतः सुख की प्राप्ति के लिए एवं अपने वृद्धि हेतु द्विपद प्राणी मनुष्य तथा पवित्रकार जंगली गवादि पशुओं को मत मारो, उस पशु की सेवा करके उससे लाभ उठाते हुए शरीर को निरन्तर स्थिर बनाओं ।

क्रांतिकारी सत जैनमुनी श्री तरुणसागर जी महाराज की दृष्टि में हिन्दू वही है जो हिंसा न होने दें । वे अक्सर कहा करते हैं कि जिस धर्म शास्त्र में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो, उसे सिर पर रखकर पूजना चाहिए और जो धर्म शास्त्र हिंसा को, धर्म बताता हो उसे चूल्हें में जला देना चाहिए । उपरोक्त विवरण के शास्त्रोक्त उदाहरणों का मोटे तौर पर सारांश यही है कि किसी भी प्राणी को दुःख देना अधर्म, और सुख पहुंचाना धर्म है ।

चार वेद छ शास्त्र में, बात लिखी है दोग ।
 दुःख दीने दुःख होत है, सुख दीने सुख होय ॥
 महर्षि वेद व्यास ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की-
 परोपकारस्य पुण्याय, पापाय पर पीडनम् ।
 अर्थात् दूसरों पर उपकार करना पुण्य, तथा दूसरों को दुःख पहुंचाना पाप की श्रेणी में आता ।

कहा भी है—

जन्मापि दातु न बल ही यत्र ।
 विनाशने तत्र न कोऽपि तर्कः ॥
 यत्रापि कुत्रापि यदर्थ मेवम ।
 हिंसा पशुनां परिवर्जनीया ॥

अर्थात् जब किसी को उत्पन्न करने में हम असमर्थ हैं, तो किसी को मारने का हमें क्या अधिकार है? अतः जहां कहीं भी पशु हिंसा होती हो, उसका विरोध करना चाहिए।

महापुरुषों की नजर में अहिंसा

- 1 भगवान महावीर स्वामी :- अपनी जान सबको प्यारी है अतः समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण भावना ही सच्चा धर्म है।
- 2 भगवान बुद्ध :- ज्ञानी होने का सार यही है, कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। अहिंसामूलक समता ही धर्म है। मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करना ही अभयदान है। मांस म्लेच्छों का भोजन है।
- 3 ईसा मसीह - मनुष्यों! तुम रक्त बहाना छोड़ दो, भुँह में मांस मत डालो। प्रभु बड़ा दयालु है, उसकी आज्ञा है कि मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अन्न व फलों से जीवन निर्वाह करे। बाइबिल (33-61-1)
- 4 मोहम्मद साहब.- (सुरी हज-जिकर हज) अल्लाह खून और गोशत को पसंद नहीं करता। लईयना लल्लाह लुहू मूहा वला दिमा ओहा वला कि अयना लुहत तकवा. अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानियों के गोशत और खून से कोई वास्ता नहीं, केवल विश्वास की जरूरत है।
5. सन्त कबीरजी:- इन झटका उन बिसमिल कीना, दया दोहां से भागी।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, आग दोवा घर लागी।
6. सत पीयाजी :- जीव मार जीमण करे, खातां करे बखाण।
 पीपा परतख देखले, थाली मांय मसाण ॥
7. गोस्वामी तुलसीदासजी - दया धर्म का मूल, पाप मूल अभिमान।
 तुलसी दया न छोडिये, जब लग घट में प्राण ॥
- 8 जार्ज बर्नार्डशा - मनुष्यों! जानवरो को भी जीने का हक दो।
 उन्हें खाकर पेट को कब्रिस्तान मत बनाओं ॥
- 9 स्वामी दयानन्दसरस्वती - वेदो में मांस खाने का कही उल्लेख नहीं है।
10. गुरु जम्भेश्वर भगवान - जाडी हिरण संहार, देख सिर दिजिये।
 बरजत मारे जीय, तहां मर जाईये ॥
11. बादशाह अकबर - दीन ए इलाही मत में मांसाहार व जीव हत्या का स्पष्ट रूप से निषेध माना जायेगा।
12. सुफीवाद - सूफी सन्त भी मांसाहार के विरुद्ध थे।
13. गुरु नानकदेव - मेरे शिष्यो तुम मांस भक्षण एव जीव हिंसा मत करना।

वन्य जीव कानूनों की नीतियों का इतिहास बहुत पुराना है। जैसे तो प्रायः धर्मों में इनके संरक्षण की बात कही गई है। लेकिन सबसे पहले इस सबन्ध में लिखित कानून ई.पू. तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनाया। अपने शासन काल के अंतिम दिनों उन्होंने लिखा— "अपने राज्यभिषेक के 26 साल बाद मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित वन्य जीव जंतुओं को नहीं मारा जायेगा: तोते, मैना, अरुणा, कलहस, नन्दीमुख, सारस, बिना क वाली मछलिया, गैंडे, और सभी चौपाए जानवर उपयोगी तथा खाने लायक हैं। वनों को नहीं जलाया जाएगा—आदि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वन्य जीवों की हत्या—करने व हानि पहुंचाये जाने पर राजा की और से कठोर दण्ड के प्रावधान का ब्यौता है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रणेता गुरु जम्भेश्वर महाराज के बाद बिश्नोई समाज की इन वन्य जीवों के प्रति सुरक्षा भावना के अनुरूप बीकानेर, जोधपुर, नागीर आदि अनेक जिलों में रियासत काल में राजाओं एवं जागीरदारों द्वारा वन्य जीवों के शिकार पर पाबंदी समय-समय पर लिखित परवाने एवं ताम्रपत्र जारी किये जाते रहे।

सर्वप्रथम भारत में सहिताबद्ध लिखित कानून सन् 1887 में अंग्रेजों ने बना जिसका नाम—'वन्य पक्षी सुरक्षा अधिनियम नं. 10 रखा गया। लेकिन यह कानून नगरपालिका आदि कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित था, इसके अलावा इस कानून में मात्र प्रजनन व पालन के लिए पक्षियों को बेचने व पास रखने में निषेध किया गया था, किन्तु उनको मारना मना था। अतः यह कानून लगभग बेअसर साबित हुआ और पशु पक्षियों की प्रजातियों के पिकार का खतरा नहीं टल पाया।

अतः अंग्रेज सरकार ने वर्ष 1912 में वन्य पक्षी एवं पशु संरक्षण अधिनियम पारित किया जिसमें राज्य सरकारों को राज पत्र में अधिसूचना के द्वारा यह अधिकार प्राप्त गया कि वे अपने क्षेत्र में पूरे वर्ष तक वन्य पक्षी तथा पशु के लिए शिकार बंद अवधि घोषित कर सकती है, ऐसे किसी वन्य पक्षी तथा पशु को पकड़ना, मारना, बेचना अथवा खरीदना कानून के विरुद्ध होगा तथा इस अधिनियम के उल्लंघन पर 50 से 100 रुपये तक जुर्माना तथा एक माह तक के कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया।

इस अधिनियम में मात्र चौंसिंगे, गधे, गधल, भैंस, हरिण, चिकारा, बकरिया, खर, बैल, गैंडे, भेड़ तथा 16 पक्षियों की प्रजातियाँ ही शामिल थीं। हाथी, शेर, बाघ, तैन्दुए, एवं घड़ियाल आदि बड़े जानवरों को इस कानून की परिधि में नहीं लेने से इनके शिकार रोकथाम नहीं हो पाई थी। अतः सन् 1935 में वन्य पक्षी एवं पशु सुरक्षा अधिनियम नं. 27 के द्वारा इस कानून में संशोधन कर 1912 के मुख्य अधिनियम में धारा 1 और जोड़ी गई जिसमें यह व्यवस्था थी कि प्रांतीय सरकारें अधिसूचना के द्वारा किसी भी पशु को वन्य पशु पक्षियों के लिए अभयारण्य घोषित कर सकती हैं, जिसमें मौजूद किसी भी पशु पक्षी को मारने की मनाही होगी और इसमें 50 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया और पशु पक्षियों को संशोधित कर अन्य बहुत से पशु पक्षियों को उसमें शामिल किया गया, लेकिन

अमयारण्य के अलावा कही पर भी शिकार की मनाही नहीं थी। इसी वर्ष बने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा 100 में सभी प्रान्तों को वन्य जीव कानून अपने-अपने स्तर पर बनाने की छुट दे दी गई। अतः सभी राज्यों में इस सम्बन्ध में अलग-अलग कानून बन गये।

यह कानून भी कारगर साबित नहीं हुआ, इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय स्तर पर कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये। इसके बाद देश आजाद होने के काफी समय बाद ससद ने 9 सितम्बर 1972 को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम स. 53 पारित किया, वैसे यह कानून पूर्ववर्ती कानूनों से सशक्त था। लेकिन इसमें भी कुछ खामियाँ रह गई इस अधिनियम की धारा 9 में लाईसेंस धारक को शिकार करने की अनुमति का प्रावधान था, तथा इसके अलावा अधिनियम की धारा 44 में लाईसेंस प्राप्त करने पर संरक्षित जीव जन्तुओं के व्यापार पर छुट थी।

इसके बाद 1976 में वन्य जीवों को कुछ सम्मानजनक स्थान मिला सरकार ने स्वयं देश के वन्य जीवों की सुरक्षा, सुधार और बचाव की संवैधानिक जिम्मेवारी सभाली और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य सूची-2 में उल्लेखित प्रविष्टि सख्या-20 को समवर्ती सूची-3 में अंतरित किया गया जिससे ससद और राज्य विधान मण्डल दोनों को वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा हेतु कानून पारित करने का अधिकार मिल गया। दुसरा महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि 20 जुलाई 1976 को वन्य प्राणीजात और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कनवेंशन जिसे 'साईटस' कहते हैं की अनुसमर्थन के दस्तावेजजमा करवाये और 18 अक्टूबर 1976 से देश इसका एक पक्षकार बन गया। सन् 1982 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 और 12 में संशोधन करके वैज्ञानिक प्रबन्ध अथवा संकटापन्न प्रजातियों के वैकल्पिक उपयुक्त वासस्थल में रखने के लिए वन्य जीवों को पकड़ने और स्थानान्तरण के लिए लाईसेंस लेना जरूरी कर दिया गया तथा धारा 44 में भी संशोधन किया गया। वर्ष 1986 में 1986 के संशोधन अधिनियम सख्या 28 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत वन्य प्राणियों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (साईटस) के उपबन्धों को लागू करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक नया अध्याय 5 क जोड़कर अनुसूचित जीव जन्तुओं से व्युत्पन्न ट्राफियों, जीव, जन्तु-वस्तुओं आदि के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया कि अब कोई भी व्यक्ति चाहे उसके पास लाईसेंस हो या न हो इन अनुसूचित जीव जन्तुओं उनके किसी अंगो, मांस, खाल, हड्डियों, दातों अथवा उनकी ट्राफियों, बंदी पशुओं आदि का कारोबार नहीं कर सकता था।

सन् 1991 के संशोधित अधिनियम संख्या 44 में एक नया अध्याय 3 क जोड़ा गया। जिसमें संकटापन्न पौधों के संकलन एवं वाणिज्यिक दोहन पर प्रतिबन्ध लगाने के उपबन्धों का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम में अनुसूची 6 जोड़ी गयी जिसमें संकटापन्न पौधों की विविध प्रजातियों को सूचिबद्ध किया गया।

इस प्रकार वन्य पशु पक्षियों के अलावा पौधों भी संरक्षित श्रेणी में आ गये इस प्रकार

सन् 1887 मे कुछ चुनिन्दा पक्षियों के संरक्षण से शुरु हुई प्रक्रिया उत्तरोत्तर आगे बढ़ी, जे अनेक सशोधनों की प्रक्रियाओ से गुजरती हुई 107 साल बाद सन् 1991 में अपना और स्थान प्राप्त कर वन एवं वन्य जीवों की सर्वाधिक उपेक्षित प्रजातियों को कानूनन अभिष्ट सुख मिल पाई। लेकिन यह प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है अब भी कुछ संकट ग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों सुरक्षा के इन्तजार मे हैं।

अवैध शिकार की परिभाषा

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून की अनुसूचि 1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित सरक्षित किसी भी वन्य प्राणी को बन्दूक, कुडका, तलवार, फासा, जाल, धनुष बाण, फदा, चाकू, फूँट, गुलेल से एवं विष देकर मारना, घायल करना तथा ऐसा करने का प्रयास करना अवैध शिकार की परिधी मे आता है। अर्थात् उपरोक्त साधनों से चारो अनुसूचियों के सरक्षित जंगली पशु पक्षियों को चोट पहुचाना, जान से मारने की चेष्टा करना अवैध शिकार माना जायेगा। (सिद्ध लाईसेंस धारी के जिसे Sub Section 5 मे लाईसेंस जारी किया गया हो) उपरोक्त विधियों से वन्य प्राणियों का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन माना जाता है तथा ऐसा करना इस अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डनीय अपराध है और इत अपराध की सजा कम से कम 6 माह से लेकर अधिकतम 6 वर्ष तक हो सकती है।

शिकार के बाद बरती जाने वाली सावधानियां

- वरिष्ठ विधि सलाहकार श्री पाबूराम विश्‍नोई के अनुसार कानून द्वारा सरक्षित किसी भी वन्य पशु पक्षी के शिकार की घटना घटित होने पर निम्न सावधानियां बरती जानी चाहिए-
- 1 वन्य पशु पक्षी के शिकार की घटना घटित होने पर मारा गया जानवर व उसके अंगों व घटना स्थल से न उठाने दे।
 2. शिकार कर भाग रहे शिकारी को बिना चोट पहुचाये पकडने का प्रयास करे अथवा अल्लोगो की मदद से ऐसा करे।
 - 3 जानवर अगर घायल अवस्था में है तो प्राथमिक उपचार कर अथवा डॉक्टरों ईलाज उसका जीवन बचाने का प्रयास करे।
 - 4 जानवर अगर शिकारी के कुडके अथवा किसी फासे या फदे में फसा हुआ हो तो सावधान से तुरन्त बाहर निकालकर उसे राहत पहुचाये और इस बात का ख्याल रखा जाये कि चोटि जानवर भाग न पाये तथा उसे कुत्ते आदि अन्य हिसक पशु मार न दे।
 5. घटनारथल पर विद्यमान जानवर का शव, बिखरा खून, खूनआलुदा मिट्टी, शिकारी के शिकार में प्रयुक्त वाहन के पद चिन्ह, मांस, खाल, हथियार, आदि साध्य जो मौके पर उपलब्ध हो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो ताकि इनकी बरामदगी से घटना की पुष्टि हो सके।
 - 6 मारा गया जानवर लेकर भाग रहे शिकारी से यथा सम्भव जानवर बन्दूक, आदि अस्त्र शस्त्र छिपाने का प्रयास करना चाहिए तथा शिकार मे प्रयुक्त जीव, ऊँट आदि को भी घटनास्थल

पर रोकना चाहिए ऐसा संभव न हो तो वाहन के नम्बर नोट कर लेने चाहिए तथा उनके भागने की दिशा की पूरी जानकारी रखनी चाहिए।

7. पकड़े गये शिकारी से किसी प्रकार का समझौता लाई (दण्ड) जुर्माना आदि न करके दोषी को कानूनन दण्ड दिलवाने हेतु दृढता पूर्वक कायम रहे। क्योंकि निरपराध जीवों की हत्या अक्षम्य अपराध है।

8. सक्षम अधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व मृतक अथवा घायल जानवर के शरीर के अंगों व अन्य साक्ष्यों को घटनास्थल पर पड़ा रहने दें। उनके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न हो।

9. घटना के तुरन्त बाद फोन पर नजदीकी पुलिस अथवा वन चौकी में सम्बंधित वारदात की सूचना देकर अधिकारी को घटनास्थल पर बुला लेना चाहिए। अधिकारी द्वारा आनाकानी अथवा पहुंचने में विलम्ब की अवस्था में जीव रक्षा सभा अथवा पीपुल फॉर एनीमल्स से सम्पर्क करना चाहिए, इनके फोन नम्बर हमेशा पास रखे।

10. अगर शिकारी को मौके पर पकड़ा जाना सम्भव न हो तो वह जहां भी जाकर छिपे, अधिकारी के पहुंचने तक उस पर पूरी नजर रखी जानी चाहिए।

11. पुलिस अथवा वन विभाग को दर्ज करवायी जाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का सिलसिलेवार सम्पूर्ण विवरण शिकारी का पूरा नाम, स्थान, समय, शिकार अपराध करने की प्रक्रिया सहित महत्वपूर्ण साक्ष्यों आदि की जानकारी एफ.आई.आर. में सम्बंधित अधिकारी को लिखित में देनी चाहिए।

12. अगर सम्भव हो सके तो मारे गये अथवा घायल जानवर एवं उसके अंगों व अन्य साक्ष्यों, शिकार में प्रयुक्त वाहन, ऊँट, हथियार एवं घटनास्थल का रंगीन फोटो लिया जाये। उक्त फोटो मय निगेटिव अदालत में केश जाने के बाद गवाही के दौरान मजिस्ट्रेट को सबूत के तौर पेश किया जाना चाहिए।

13. शिकारी को पकड़ने अथवा पकड़वाने में किसी प्रकार की झिझक महसूस न हो लेकिन उसके घर में प्रवेश नहीं किया जाये क्योंकि उसके घर की तलाशी करने का अधिकार पुलिस अथवा वन अधिकारी को ही है।

14. जाँच अधिकारी और अदालत को वारदात की सच्चाई अवगत करवाने हेतु खुलकर गवाही दें, क्योंकि गवाह के बयानों की शिकारी को दण्डित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

15. अगर कोई व्यक्ति मौके, बेमौके छिपकर चारों अनुसूचियों में सरक्षित किसी भी पशु पक्षी के शिकार करने के उद्देश्य से कुड़का, जाल, फासा, फदा, आदि लगाकर अथवा बन्दूक तलवार आदि से मारने अथवा पकड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही संभव है।

16. शिकार की घटना घटित होने पर उपरोक्त सावधानी रखकर कोई भी व्यक्ति चाहे व किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो शिकार अपराधी के विरुद्ध पुलिस अथवा वन विभाग में स्वयं

पक्षकार बनकर लिखित एवं मौखिक शिकायत कर दोषी को पकड़वा सकता है।
17. सम्बंधित विभाग में शिकार प्रकरण की एफआईआर. दर्ज होने के बाद उसकी एक कॉपी अवश्य प्राप्त करें। जाँच अधिकारी एफ.आई.आर. की कोपी शिकायत कर्ता को देने के लिए कानूनन बाध्य है।

घटना की जाँच के दौरान बरती जाने सावचेती:-

- 1 जाच अधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले अपराधी को पकड़वाने के उसकी मौजूदगी के सम्भावित स्थान से शिकारी को अविलम्ब पकड़वाने की कौशिल्य बर्ताने होने पर अथवा पुलिस के आने की भनक लगते ही अक्सर शिकारी फरार हो जाते हैं।
- 2 अगर शिकारी ने जानवर के मांस, खाल, हड्डियाँ, सिर आदि सबूत मिटाने की निशान कहीं छिपा दिये हैं। तो उन्हें ढूढने में अधिकारी का सहयोग करना चाहिए।
3. अगर शिकारी घटनास्थल से कहीं फरार हो गया हैं, अथवा छुप गया है, तो उतने दिन्हो के आधार पर अधिकारी को मददकर तलाशने के प्रयास किये जाने चाहिए।
4. शिकार के प्रयास में घायल वन्य जीव का डॉक्टरी मुआयना एवं ईलाज करवाया जाना चाहिए।
- 5 शिकार वारदात में मारे गये वन्य जीव के डाक्टर द्वारा किये जाने वाले पोस्टमार्टम दौरान सभा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आवश्यक है।
- 6 घटनास्थल पर जाँच अधिकारी द्वारा बनाये गये उन तमाम कागजों में जैसे- मौका न बरामदगी फर्द, पंचनामा आदि कागजातों पर लिखे तमाम विवरण को पढ सुन एव समझ ही हस्ताक्षर करने चाहिए, सादे कागजों पर नहीं।
- 7 मारे गये जानवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कोपी सम्बंधित पशुचिकित्सक नियमानुसार 30 रूपये फीस जमा करवाकर ली जा सकती है। ताकि बाद में रिपोर्ट में फेर नहीं किया जा सके।
- 8 अधिकारी को मौके पर घटना का पूरा वृत्तांत सविस्तार बताया जाना चाहिए ताकि घा शिकार प्रकरण में माकूल कार्यवाही की जा सके।
- 9 बरामद साक्ष्यों मांस, खाल, खून, खुर, हथियार आदि को सील बंद करने के दौरान ऊपर रील के साथ लगायी जाने वाली कागज की धिट पर हस्ताक्षर करने चाहिए, उ कागजों पर नहीं।
10. जाच के दौरान उपरोक्त एव मौका नक्शा की गवाही में जाच अधिकारी नाजायज से मुल्जिम पक्ष के किसी व्यक्ति को गवाह न बनाये तथा मुलजिम के परिजनों एव सम्पर्क से मिली भक्त कर उनसे साठ गाठ न कर पाये, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
11. किसी भी शिकार प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी गवाह है अतः घटना से सम्बंधित जानकारी रखने वाले प्रत्यक्षदर्शी गवाह जाच अधिकारी के सम्पर्क खुलकर निर्भीकता से मर्दाने और सही सही सत्य अधिकारी को बताये ताकि अपराधी को दण्डित किया जा सके।

12 ऐसा करते समय अपने मन में सदैव ये ख्याल रखे कि आप एक प्रकृति के घोर शत्रु को उसके किये की सजा दिलाने जा रहे हैं। ऐसा करना आपका धार्मिक एव नैतिक दायित्व भी है।

13. मुकदमा अदालत में जाने के बाद अदालत की सूचना मिलने पर निश्चित तारीख पर गवाह अपने सही सही बयान कोर्ट में दे। अपने पूर्व बयान न बदले।

14 आर्थिक प्रलोभन अथवा किसी के बहकावे में आकर अदालत में झूठ बोलकर अपराधी को सजा से बचाना उचित नहीं है।

वन्य जीव संरक्षण कानून में तलाशी, गिरफ्तारी व बरामदगी

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50 में निर्देश है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी या यह वन अथवा पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की श्रेणी से कम का न हो और जिसके पास यह विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम (वन्य जीव संरक्षण अधिनियम) के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तो वह—
(क) ऐसे व्यक्ति से अपने नियंत्रण में या कब्जे के किसी बन्दी वन्य जीव जीव जन्तु के अंग, मांस, ट्राफी, (खाल, खुर, सींग) आदि को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा।
(ख) किसी यान की तलाशी लेने या जांच करने के लिए उसे रोक सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति के अभियोग में के किसी परिसर, भूमि, यान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी कर सकेगा।

(ग) किसी व्यक्ति के कब्जे में के बन्दी प्राणी, वन्य प्राणी, वन्य प्राणी के कोई अंग, मांस, जिनके बावत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, किसी ऐसे अपराध को किए जाने के लिए प्रयुक्त किसी फासे, औजार, वाहन, और आयुध को जब्त कर सकता है, और जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति हजिर होगा और किसी ऐसे आरोप का उत्तर देगा, जो उसके विरुद्ध लगाया जाए, वह उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा, और उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

नियम 50 की धारा (1) में निर्दिष्ट

किसी भी अधिकारी के लिए यह कानून सम्मत होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह कोई ऐसा कार्य करते देखता है [नियम 50 की धारा (3) क) वन्य जीव संरक्षक व वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक के अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी ने यदि उप धारा (1) के खण्ड (ग) के किसी बन्दी प्राणी या वन्य प्राणी को अपने कब्जे में लिया है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पूर्व अभिरक्षा में दे सकेगा। जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है।

(घ) पूर्वक शक्ति अधीन निरूद्ध किया गया (पकड़ा गया) कोई व्यक्ति या जब्त कि गई वस्तुएं विधि के अनुसार कार्यवाही किये जाने के लिए तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जायी जायेगी।

(ङ) कोई व्यक्ति जो बिना युक्ति युक्त हेतुक के कोई ऐसी चीज पेश करने में असफल रहता

पाप मत्तिकर प्राणियां, देख अंधारि रति-

है जिसे इस धारा के अधीन पेश करने के लिए अपेक्षित है। इस अधिनियम के अधीन जन्तु का दोषी होगा।

धारा 50 की उप धारा (7) में कहा गया है कि जब कभी सक्षम अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपराध के निवारण या पता लगाने या अपराधी को पकड़ने में अथवा उससे मारे गये जानवर के शव, अंग, मांस व औजार बरामद करने के लिए सहायता देने के लिए कहे तब आरोपी व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सहायता करे अर्थात् आरोपी को इन्हे बरामद करवाना जरूरी होगा।

कानून में अन्य प्रावधान इस प्रकार है—

- * कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लिये बगैर वन्य जीव उत्पादों जैसे मांस, खाल, हड्डी, सींग, लोम आदि को लाने ले जाने पर प्रतिबंधित होगा। कोई भी व्यापारी इनका व्यापार नहीं कर सकेगा।
- * पक्षियों के विदेश निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
- * अनुसूची 1, 2, 3 व 4 के जीव जन्तुओं को बन्दी अवस्था में नहीं रखा जा सकेगा व उन्हें पकड़कर कहीं लाया ले जाया नहीं जा सकेगा।
- * चारों अनुसूचियों के किसी भी जीव जन्तु के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना करना या नुकसान पहुंचाना अथवा काट कर लेना।
- वन्य पक्षियों के अण्डों को नुकसान पहुंचाना तथा ऐसे पक्षियों व सरीसृपों के घोंसलों व गडबडाना क्षतिग्रस्त करना कानूनन प्रतिबंधित है।
- * ऐसे आयुध गोला बारूद धनुष बाण, विस्फोटक, कुडका, काटें, चाकु, जाल, विष, फंदे व आदि उपकरण जिनसे वन्य जीव को मारा गया हो अथवा वन्य जीव को धोखे से पकड़ा गया हो अथवा वन्य जीव के किसी अंग को क्षतिग्रस्त किया गया हो को सबूत के तौर पर बरामद करना कानून सम्मत है।
- * किसी भी अनुसूचित वन्य पशु पक्षी को बन्दी बनाना व उसका मांस, घरों, या होटलों में पकाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अतः ऐसी अवस्था में ऐसा करने वालों को पकड़ा जाना न्याय सगत है।।
- * स्वयं अपने अथवा किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में किसी वन्य जीव जन्तु को सदभावपूर्वक पकड़कर वन अधिकारियों को सुंपुर्द करना गलत नहीं है।
- * आदमखौर व जानलेवा हमला करने वाले हिंसक जानवर द्वारा आक्रमण की स्थिति में उक्त जन्तुओं को सदभाव पूर्वक घायल करना अथवा मारना अपराध नहीं होता, लेकिन मारागया उक्त पशु सरकारी सम्पत्ति होगा।
- * उपरोक्त नियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

वन्य जीव शिकार गतिविधियाँ

राजस्थान के बीकानेर व जौधपुर संभाग में वन्य जीव सबसे अधिक असुरक्षित हैं। यहां सर्वाधिक धिकारा हरिणों का शिकार हो रहा है। जब से जीव रक्षा बिश्नोई समा ने शिकारियों के खिलाफ धरपकड़ करवाने का अभियान छेड़ा है, तब से शिकारियों ने अपने दबाव के कई तरीके अपना लिये हैं। बिश्नोई समाज की चौकस निगाहों से बचने के लिए अब बन्दूकों की बजाय कई अन्य तरीकों से वन्य जीवों को मारा जा रहा है। उनमें कुडका, (लौहे का शिकजा) फासीनुमा तार का फदा, जाल आदि प्रमुख है।

शिकारी प्रवृत्ति के लोग ये जानते है कि हरिण कहीं भी विचरण करे, लेकिन रात को उसके बैठने की (विश्राम स्थल) खुराळी एक ही जगह निश्चित होती है, जहा वह बैठना पसंद करता है, और हरिण की यही आदत उसकी मौत का कारण बनती है। खुराळी में हरिण की जाने की डगर में शिकारी लोग जगह जगह लौहे के कुडके लगा देते हैं। लौहे की पत्तियों के गोलाकार पूरे घेरे के रूप में निर्मित कुडके में कपडा सिला होता है, कुडके को खोलते समय इस घेरे के ऊपर सिकजेनुमा अन्य दो पत्तिया फैलकर बाहरी घेरे के बराबर हो जाती है। इसे खुला रखने के लिए एक कुटा लगा होता है, जो कपड़े पर हरिण के पैर पड़ते ही (हलचल से) कुडके में लगी फैली पत्तिया शिकुड़कर हरिण का पैर मजबुती से कस लेती है। कुडके के एक सिरे पर लौहे की साकळ बधी होती है जिसके दुसरे सिरे में एक लकड़ी की गिल्ली लगी होती है उस को गहरा गड़ड़ा खोदकर दबा दिया जाता है।

ताकि कुडके में फंसा हरिण कुडका लेकर भाग न सके। शिकारी की इस करतूत से अनजान अपनी डगर से गुजर रहा हरिण का पैर इस प्रकार धोखे से कुडके में फस जाता है। कुडके की पकड़ से आजाद होने के लिए हरिण अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रयास करता है। जकड के भयंकर दर्द से छटपटाते हुए उन्मत्त की तरह कुडके के चारों और घक्करघिन्नी की तरह घक्कर काटता व गिरता पड़ता, कराहता एव रोता रहता है। लेकिन उसके करुण क्रन्दन को सुनने वाला यहा कोई नहीं होता लहुलुहान अवरथा मे चेतनाशून्य होकर दर्द से बिलबिलाते हरिण को थोड़ी सी आहट मिलते ही दूर छिपा शिकारी आकर (फसे हुए हरिण को) बेर्ददी से लाठियों से मारकर निकाल कर ले जाता है। कई बार शिकारी के पहुचने मे देर होने पर मांसाहारी जगली जानवर उसे जिन्द्या नोच-नोच कर खा जाते है। हरिण की ऐसी दयनीय दुर्दशाग्रस्त रक्तरजित घोर दुखदायी मौत मनुष्य की अकल्पनीय क्रूरता को प्रकट करती है।

लौहे के कुडके से हरिण का शिकार

जब से शिकारियों ने कुडकों से हरिणों का शिकार करना शुरू किया है तब से चालाक शिकारी अक्सर कानून की पकड़ बच रहे है। चोरी छुपे कुडके से शिकार करने वाले शिकारियों को कानून की पकड मे लाना जरूरी हैं। ऐसी वारदातो मे हरिण की चिल्लाहट की आहट से कई बार शिकारी पकडे भी जाते हैं, लेकिन कुल घटित ऐसी वारदातो में मात्र

सम्स्त जीव किसी न किसी रूप में मनुष्य के सेवक हैं ।

5 प्रतिशत मामले ही पकड़ में आ पाते हैं क्योंकि ज्यादातर शिकारी निर्जन ऐसे क्षेत्रों ही कुड़के लगाते हैं, जहाँ से फंसे हुए जानवर की आवाज कोई सुन न पाये। अब इन फंसे हुए चौरस निगरानी की जरूरत है। इस सम्बंध में पूर्ण जानकारी का आवश्यक प्रयास होना ही जरूरी है। इसकी जरूरत समझे बगैर अधिकतर लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। कुछ मामलों ऐसा देखने में आता है कि कुड़के में फंसा हरिण पजा तुड़ाकर भाग जाते। ऐसी अवस्था में कुड़का लगाने वाले अपराधी तक कैसे पहुँचा जाये ? इस सम्बन्ध में मैं अपने निजी अनुभव पर आधारित घटना प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो इस प्रकार है-

दिनांक 15/3/2000 को चक 15 केएलजी (आनन्दगढ़) निवासी श्री सतपाल सिंह रामा को सूचित किया कि वह खरूला पोस्ट के पास गाये चरा रहा था तो एक घिसपल हिन जिसके एक पाव में कुड़का लगा हुआ लंगड़ाता हुआ वहाँ से गुजरा। थोड़ी दूर आने पर ही हरिण आया था, एक व्यक्ति हरिण का पीछा करता मालूम हुआ जिसे उसने पहचाना कि श्री सतपाल ने हरिण को पकड़कर उसके पाव के जकड़े कुड़के को निकालने का प्रयास किया तो इसी दौरान पजा तुड़ाकर हरिण भाग गया। श्री सहू से पूरी घटना सुनकर लेखक स्वामी पूगल थाना प्रभारी को लेकर सतपाल सहू की ढाणी गया। वहाँ पर 15-20 अन्य व्यक्ति मौजूद मिले, उनमें से एक ने कहा-"मुझे इस शिकार प्रकरण में नाहक झुठा फसाया गया रहा है तो उसे मैंने सम्झाया गया कि पूरे मामले की तहकीकात (जाँच) कर ही कार्यवाही होगी किसी को झुठा फंसाना हमारा ध्येय नहीं है। श्री सतपाल सहू हमें घटना स्थल पर गये और हाथ से इशारा कर कुड़का घिसटते हरिण के पद चिन्ह और उन पद चिन्हों पीछे-पीछे एक व्यक्ति के चप्पलो के खोज बताते हुए कहा- कि यह पैर इसी शिकार आदुराम नायक के है जो अब आपके सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए झुठा नाटक कर रहा है। इसको कुड़का लगे हरिण का पीछा करते हुए मैंने स्वयं अपनी ओर से देखा है। आदुराम नायक के पैरो में उसी समय वही चप्पल पहनी हुई थी, जो हरिण पीछा करने के दौरान थी। उस चप्पल में लगे चमड़े के दो पैबन्द ही सतपाल के दावें सँहों ठहराने हेतु पर्याप्त थे, लेकिन फिर भी हमने घटना की पूरी तह में जाने की ठान ली। लगभग एक किलोमीटर चलने तक उसी व्यक्ति के पैर हरिण का पीछा करते दिखे। अब भी उसी शिकारी आदुराम के खेत की सीव के पास एक लकड़ी के ढेर तक जाकर पद चिन्ह रुक गये। लकड़िया हटाई गयी तो उनके नीचे कुड़का लगाते समय भूमि में खोदा गया गड्ढा निकल आया। वहीं पर हरिण के दिखरे बाल एव खुन आलुदा मिट्टी सच्चाई का बयान कर रहे थे। अब शक की कोई गुंजाईश नहीं थी।

जब थाना अधिकारी ने अपने तेवर दिखाये तो घिघियाते हुए शिकारी आदुराम नायक ने अपना अपराध कबूल कर लिया और पूरा अपराध घटनाक्रम हुबहु जबानी बयान कर सब कुछ सच-सच उगल दिया। इस प्रकार शिकार प्रभावित हरिण के भाग जाने के बादजुद मात्र कुड़के और कटे पजे तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अपराधी शिकारी पकड़ा गया।

फसल रखवाली के बहाने वन्य जीवों का विनाश

जीव रक्षा विश्वोद्देश समाज की सक्रियता और समाज की चौकस निगाहों से बचने के लिए वन्य जीव शिकारी कोइ न कोइ रास्ता निकाल ही लेते है। वर्तमान में पर्यावरण प्रेमियों की छोड़ी गई मुहिम से बचने के लिए शिकारियों द्वारा फसल रक्षा का अब झुठा बहाना बनाकर जोकानेर, श्रीगंगानगर, आदि जिलों के सीमावृत्ति नहरी क्षेत्र में मौजूद जंगली जानवरों पर कहर बरपाया जा रहा है। वहां पर चालाक पेशेवर वन दावरी शिकारी क्षेत्र के किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताकर जंगली जानवरों के सफाये हेतु भ्रमित कर मनाते है। और फसलों की सुरक्षा की आड में वन्य जीवों का शिकार करते है।

वास्तविकता यह है कि हरिण आदि जानवरों द्वारा बड़े पौधों के ऊपरी भाग चर लेने पर फसल की बढ़ोतरी में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता एव छोटे पौधों के समूल उखड़ने पर कृति उक्त फसल की क्षति पूर्ति किसी न किसी रूप में स्वतः पूरी कर देती है। लेकिन इस असलियत से बेखबर कई भ्रमित किसान बाहर से ऐसे आदतन शिकारियों को बुलाकर अपने खेतों के आस पास मौजूद हरिण, नील गाय, खरगोश आदि जंगली जानवरों को मरवा रहे है।

इसके लिए एक चक (निश्चित क्षेत्र लगभग 2000 बीघा सिंचित भूमि) के कारखाने का मास में मिलकर वन्य जीवों को मरवाने के एवज में सामूहिक तौर पर प्रति मुख्या गेहूँ व गद्दी एकत्रित कर शिकारियों को देते है और जंगली जानवरों को मरवाने के दौरान शिकारी का हर तरह से सहयोग करते है।

जंगली जानवरों के सफाये से पूर्व चतुर शिकारी उस क्षेत्र के सभी किसानों से सहमति-पत्र लिखवाकर हस्ताक्षर करवा लेते है। ताकि किसी सम्भावित विरोध अथवा कानूनी प्रवचन खड़ी होने की स्थिति में उक्त सहमति पत्र का भय दिखाकर उन लोगों को अपने पक्ष में सहायता के लिए आगे खड़े होने को मजबूर कर शिकारी अपना बचाव कर सके। इस प्रकार कुटिल शिकारी खेतों की फसलों की सुरक्षा के नाम पर किसानों को मुर्ख बनाकर एक एक मोटी रकम ऐठ रहे है तथा दुसरी तरफ उन्ही के संरक्षण में मारे गये जानवरों के मास, शाल बेच कर दौहरा लाभ कमा रहे हैं। इस प्रकार निरीह वन्य प्राणियों के अवैध शिकार की घटनाएँ दिनों दिन चिताजनक ढंग से बढ़ती ही जा रही है। जीव रक्षा विश्वोद्देश समाज के अध्यक्ष ग्यासों के बावजूद अधिकारियों की अनदेखी के कारण ऐसी वारदातों को रोक पाना मुश्किल होता जा रहा है। जानवरों को मरवाने वाले लोगों के पक्ष में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण इस प्रकार ठेके पर जंगली जीव मारने वाले शिकारियों के विरुद्ध सही कानूनी कार्यवाही करने में पुलिस बच रही है। अतः पुलिस के डर से बेखौफ शिकारियों द्वारा वन्य जीवों का कत्लेआम जारी है।

ऐसे शिकार प्रभावित क्षेत्रों के आस पास आधे से ज्यादा भू-भाग वन क्षेत्र हैं अतः शिकारी अपने साथे हुए ऊँट एव शिकारी कुत्तों की मदद से हरिण आदि जंगली जानवरों का

पीछा करते हुए उन्हें खदेड़ कर निर्जन वन क्षेत्र में ले जाकर गोली से मारकर फिर है। उस वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु तैनात निहत्थे वन प्रहरी प्राण भय से बन्दूक धारी शिकारियों की इन बेजा हरकतों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जानवरों को मार रहे शिकारियों को पकड़वाने हेतु सूने वन क्षेत्र में उनका पीछा करना साक्षात मौत से टकराने के बराबर है। अतः आम आदमी ऐसा कर पाने में अपने आपको असमर्थ पाता है। लेकिन अपराधों के तौर पर आज भी ऐसे वन्य जीव प्रेमी मौजूद हैं जो शिकारियों का पीछाकर उन्हें मारकर जानवर छोड़कर भागने तक मजबूर कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना 24 जनवरी 2003 में खाजूवाला के वन 1 केवाई.एम में तब घटी जब इसी प्रकार ठेके पर लाये गये वन रक्षक शिकारियों ने दो नील गायों का ऊँट से पीछाकर बन्दूक से मार डाला। घटना के प्रत्यक्ष पास की ढाणियों के निवासी श्री शयसाहब सहू व श्री खैरुराम डारा ने शिकारी द्वारा गई नील गाय नहीं उठाने दी। इसकी सूचना मिलने पर लेखक ने पुलिस को ले जाकर शिकारियों द्वारा मारी गई नीलगायों पद चिन्ह और शिकारियों का स्थान दिखाया। इसी दौरान हरिणों का पीछा कर रहे ऊँट पर सवार शिकारियों का सहायक उप निरीक्षक आदूराम को साथ लेकर जीप से पीछा किया गया तथा पिछा कर के दौरान शिकारी ऊँट छोड़कर भागने में सफल रहे। उनके द्वारा पिछे छुटा ऊँट पुलिस थाने ले आयी। इस प्रकरण में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस ने दोषी शिकारियों को पकड़ना तो दूर कागजों में ऊँट की जब्ती तक नहीं दर्शायी। दिन के प्रकाश में 4 बजे घटना को अंधेरी रात में घटना तथा नील गायों को कुतों से मारना दिखाकर दर्ज मुकदमा न 10/3 में एफ.आर. लगाकर दोषी शिकारियों को बचा लिया गया। इसकी उच्च स्तर शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

इसी प्रकार दिनांक 25.1.03 को वन 5 की वी के लोगों द्वारा वहां के जानवरों को चलाकर

7 पी.के.डी. ने शिकारी का पीछा किया। उन्हें अपने नजदीक आता देखकर शयोपतराम पर निशाना साधकर अपनी टोपीदार बंदूक से फायर कर दिया लेकिन शयोपतराम फुलों से जमीन पर गिर कर वार बचा गये एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए बंदूक छे हेतु शिकारी से निहत्थे ही भिड़ गये। काफी देर तक गुत्थमगुत्था होकर सघर्ष करने के साहसी शयोपत ने शिकारी की बन्दूक छीन ली।

इससे तिलमिलाकर क्रोध शिकारी ने अपनी पेंट की जेब से चाकू निकालकर शयोपतराम पर ताबड़तोड़ वार कर जान लेवा हमला कर दिया। चाकू के वार से अपने आपको बचाने के प्रयास में शयोपत बुरी तरह से लड्डुलूहान हो गये। लेकिन उस जाबाज ने शिकारी से सफाई करना नहीं छोड़ा और अततः शिकारी को जमीन पर पटककर उसके पहने तमाम कप फाड़कर छीन लिये। शिकारी भाग खड़ा हुआ। सूचना मिलने पर लेखक व श्री रामधन व श्री कृष्णलाल सुथार, खियाराम शहारण आदि पूगल पुलिस को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे।

कूओं से गंभीर रूप से घायल श्री श्योपतराम को खाजूवाला लाकर इलाज करवाया गया।
॥ शिकारी के विरुद्ध जानलेवा हमले का मुकदमा 49/6 पूगल थाना में दर्ज हुआ।

सभा ने इस घटना को गंभीरता से लेकर बिश्नोई धर्मशाला खाजूवाला में एक पात बैठक बुलायी तथा बैठक में मौजूद सभी लोगों ने खाजूवाला के श्रीमान् उपखण्ड धेकारी व श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षक से मिलकर घटना के प्रति रोष प्रकट कर फरार कारी को अविलम्ब गिरफ्तार करने की मांग रखी और समाज के दबाव के कारण अगले दिन शिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में पुलिस द्वारा सभा कार्यकर्ताओं मौजूदगी में सम्बन्धित लोगों से पूछताछ करने पर यह पुष्टि हो गयी थी कि शिकारी को ब्रदेवसिंह व केशुराम चक में मौजूद वन्य जीवों को मरवाने हेतु लूणखां गांव से लेकर आये। केशुराम की ढाणी पर उक्त शिकारी द्वारा जानवर मरवाने के एवज में सामूहिक रूप से कठी की हुई 15 कट्टे गेहूं व भागते वक्त शिकारी परिवार द्वारा छोड़ा गया घरेलू सामान रूपये और गहने पुलिस को पड़े मिले। जिन्हें जब्त करने के बावजूद पुलिस ने बाद में कारी के सहयोगियों को बचाने के लिए जानबूझकर सम्बन्धित मुकदमे में उल्लेख नहीं या।

इस प्रकार वन्य जीवों को मरवाने हेतु ठेके पर लाने वाले सह अभियुक्त ऊँची पहुँच कारण अपराध की सजा से बच गये। अगर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही संभव हो पाती,, भविष्य में इस प्रकार की संभावित घटनाओं पर अकुश लगता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।

चिंकारा हरिणों के अस्तित्व पर संकट के बादल

एक समय ऐसा भी था, जब राज्य के सभी जिलों में स्वच्छन्द अठखेलिया करते रेण हर कही दिखाई दे जाते, लोगों का इनके प्रति स्वाभाविक स्नेह-भाव होने के कारण रेणों के झुंड के झुंड निर्भय होकर विचरण करते नजर आ जाते। खेतों और वन क्षेत्र में हा भी नजर जाती, वहाँ कुलाँचे भरते सुन्दर मृगों का नयनाभिराम चित्ताकर्षक दृश्य आँखों सामने आ जाता। प्रकृति की गोद में उछल कूद क्रीड़ा करते सुन्दर मृग भला किसे नहीं डते ?

वर्ष की पहली बरसात पर किसान लोग जब खेत में हल लेकर हलोलिया (बुवाई [शुभारम्भ] करने जाते तो सर्व प्रथम श्रद्धापूर्वक भगवान को हाथ जोड़कर ध्यान मुद्रा में विर से कामना करते, कि-हे प्रभु! आप हम से पहले पशु पक्षियों व बहिन सुहासिनियों के जन की व्यवस्था करना। इससे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि अनपढ़ और गँवार मझे जाने वाले किसानों के मन में मूक प्राणियों के प्रति कितनी अधिक संवेदना थी? आज आधुनिकों की अपेक्षा उनके संस्कारी मन में दया का भाव कितना प्रबल था। यही कारण कि तब वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर खुले विचरण करते थे।

परन्तु जैसे-जैसे समय बदला लोगों की मानसिकता भी बदली,, उनके सोच में हले की अपेक्षा बड़ा परिवर्तन आया। परमार्थ की जगह स्वार्थ ने ले ली, और लोगों की

मानसिकता बदल जाने से भोला भासा हरिण असुरक्षित हो गया तथा दुष्ट शिकारियों के पर वक्र दृष्टि पड़ गई। बदली सोच के लोगों को अब लगने लगा कि हरिणों को खड़ा रहे हैं। लेकिन उनकी यह सोच सही नहीं थी। क्योंकि हरिणों द्वारा खाई जाने वाली फसलों की भरपाई प्रकृति किसी न किसी रूप में स्वतः कर देती है। इसी सोच के कारण किसान हरिणों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो गये और शिकारियों के दखल से हरिणों का राकट के बादल मटराने लगे और जहाँ जहाँ इनके शिकार की वारदातें घटित होने लगीं

इस प्रकार किसानों द्वारा सुरक्षित समझा जाने वाला निरीह वन्य प्राणी हरदोह घिर गया और इन मूक प्राणियों का कल्लेआम शुरू हो गया तथा इनकी संख्या दिनोंदिन घिता जनक ढंग से कम होती गई। किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जिन परिणाम स्वरूप उपेक्षापूर्ण माहौल में अब हरिणों की संख्या मात्र विश्‍वोई बाहुल्य क्षेत्रों ही शिमट कर रह गयी हैं। विश्‍वोईयों के अलावा अपवाद के तौर पर सिद्ध एव राजपूत जाति के लोग भी इनकी सुरक्षा के प्रति सजग हैं।

कुछ वर्ष पहले शिकारी विश्‍वोई बाहुल्य क्षेत्रों में हरिणों के शिकार के लिए करने से कतराते थे। लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि विश्‍वोई बाहुल्य क्षेत्रों में हरिणों की मौत बनकर उभरे शिकारी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और यहाँ भी अपना व बरपा रहे हैं। यहाँ भी दुस्ताहसी शिकारियों ने हरिणों को मारने का साहस जुटा लिया जिनसे शेष बचे खुचे हरिणों के अस्तित्व को बचाये रखने के लिए पर्यावरण प्रेमी सघर्ष रहे हैं। लोगों के प्रबल विरोध के बाजूद हथियार बन्द क्रूर शिकारी ऊँटों पर सवार हो आते हैं, और निरपराध भोले भाले हरिणों का मार कर ले जाते हैं। चिकारा हरिणों का मंहगे होटलो में जाता है, इनकी खाल ऊँचें दामों पर अन्तराष्ट्रीय बाजारों में बिकती इसी लालच में इन्हे मारा जा रहा है। आम तौर पर इनका शिकार पेशेवर बनबावरी कर रहें हैं। ऊँट गाड़ों पर घरेलू सामान लदे शिकारी कुत्तों के साथ सपरिवार वन के विचरण करने वाले इन घूमन्तु लोगों ने वन्य जीवों को मार कर उनकी मांस, खाल को का घन्था बना रखा है। यह लोग हरिण आदि वन्य जीवों के शिकार के लिए अक्सर टो बन्दूक और कुड़कों के अलावा शिकारी कुत्तों की भी मदद लेते हैं।

इनको ऐसा करने से रोकना साक्षात् मौत से टकराने के बराबर है। लेकिन वायजूद घन्थ है वे आस्था से संचालित पर्यावरण वीर जो इनसे निहत्थे ही भिड़ जा जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पडती है। बीकानेर, जौधपुर व नागौर में विगत पचास वर्षों में दो दर्जन से अधिक लोग हरिण शिकारियों से मुठभेड़ में शही घूके हैं। जिनमें अधिकांश विश्‍वोई समाज के लोग हैं।

प्रतिवर्ष मात्र बीकानेर जिले में लगभग 25 हरिण शिकार की वारदातें साम रही है जबकि चोरी छुपे हो रही इससे 20 गुनी ज्यादा वारदातों का तो खुलासा ही नहीं हो पाता। कई बार तो एक ही दिन में शिकारी लोग भारी तादाद में हरिणों को मार देते हैं। इस प्रकार सामुहिक रूप से बड़ी संख्या में मारे गये चिकारा हरिणों को समा कार्यकर्ताओं ने

कई बार पुलिस को बरामद करवाया है जिनमें सावतसर में 40 हरिण, घड़साना में 25 हरिण राणासर की रोही में 7 हरिण चक विजयसिंहपुरा की रोही में 7 हरिण लूणकरणसर क्षेत्र में 5 हरिण बरामद करवाये गये। इस प्रकार एक साथ इन बेजुबान वन्य प्राणियों के सहार की घटनाएँ दिल दहलाने वाली हैं। शिकारियों से नि स्वार्थ भाव से सघर्ष के दौरान मारे जाने वाले कानून के सहयोगी को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, बल्कि ऐसी घटनाओं में शहीद होने की घटना को सरकार आम दुर्घटना जैसी सामान्य घटना के रूप में लेती हैं तो दुःखद आश्चर्य होता है।

अगर मौजूदा हरिण शिकारी गतिविधियों पर समय रहते सख्ताई से रोक नहीं लग पाई, तो वह दिन दूर नहीं जब चिकारा हरिण किताबों के पन्नों तक ही सिमट कर रह जायेंगे। अतः आवश्यकता है इनकी रोकथाम हेतु ईमानदार प्रयासों की।

वन्य जीव शिकार अपराध पर नियत सजा

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत इस अपराध पर दी जाने वाली सजाओं को मोटे तौर पर दो भागों में बाटा जा सकता है जो इस प्रकार है -

1. यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के किसी भी ऐसे प्रावधान (अध्याय 5 क और धारा 38 ज को छोड़कर) अथवा उसके अन्तर्गत बने किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे इस कानून के अपराध का दोषी माना जायेगा। दोष सिद्ध होने पर उसे अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद या 25 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों ही सजाओं से दण्डित होगा।

अध्याय 5 की धारा 39 (1) क में पाचवी अनुसूची के पीडक जन्तु सामान्य कौवा, मुषक, चूहा, गान्धारी आदि आते हैं तथा इसी धारा 39 में उल्लेखित उपधारा 11 में उल्लेख है कि अगर यह जानने का पर्याप्त आधार मौजूद हो कि अपराधी को अपनी आत्मरक्षा के लिए बाघ, शेर आदि आक्रामक जानवर के प्रति ऐसा अपराध मजबूरी वश करना पडा हो तो उसे इस कानून में सुरक्षा मिल सकती है। अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 29 में प्रावधान है कि किसी विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार की अनुमति से लाईसेंस धारक द्वारा किसी अभयारण्य में वन्य जीव को मारना कानूनी अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा।

2. दुसरी श्रेणी में कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा, किन्तु जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तथा कम से कम 5000 रुपये जुर्माना भी किया जा सकता है। इस तरह का दण्ड उन मामलों में दिया जायेगा जहां अपराध अनुसूची 1 या अनुसूची भाग 2 में विनिर्दिष्ट वन्य जीवों के सम्बन्ध में हो अथवा किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के सम्बन्ध में हो।

अनुसूची 1 या 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी वन्य जीव जन्तु या उन जीवों के मांस, या जीव जन्तु के अंग मौजूद हैं अथवा यदि अपराध किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में शिकार सम्बंधित या उसकी सीमाओं में परिवर्त करने से सम्बंधित हो तो ऐसा अपराध ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जिसका विस्तार 6 वर्षों तक

हो सकता है और जुर्माना भी 5000 से कम नहीं होगा।

परन्तु यह और कि इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या परवर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि 6 वर्ष तक हो सकेगी तथा 2 वर्ष से कम नहीं है। जुर्माने की राशि 10 हजार से कम नहीं होगी।

बन्दूक से शिकार करने पर

सक्षम अधिकारी द्वारा वन्य जीव के शिकार में प्रयुक्त बंदूक आदि हथियार जर किया जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून की धारा 51 की उपधारा (4) में रू किया गया है कि अदालत में दोष सिद्ध होने पर बंदूक आदि हथियार का लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा तथा वह शिकारी दोष सिद्धि से 5 वर्ष तक दुबारा उस हथियार का लाईसेंस नही बना सकता। उल्लेखनीय है कि बन्दूक से शिकार करने का प्रयास भी अपराध है।

शिकार अपराध में बिना लाईसेंस की बन्दूक से वन्य प्राणी का शिकार करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत कार्यवाही होती है।

लाईसेंसी बन्दूक से शिकार की अवस्था में भा. द सं. की धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही होगी।

उपरोक्त दोनो ही अवस्था में वन्य जीव का शिकार होने पर शस्त्र अधिनियम के उलंघन का मामला बनता है एवं इस अपराध की सजा अधिकतम 3 वर्ष होगी। इसके अलावा हरिण शिकार के अपराध की सजा अलग से होगी।

जीप या किसी वाहन से शिकार करने पर

जीप अथवा किसी अन्य यान्त्रिक वाहन पर सवार होकर उससे वन्य जीव का पीछ कर शिकार करने पर उस वाहन को अथवा ऊँट आदि पशु को सक्षम अधिकारी द्वारा जर्त किया जा सकता है। शिकारी के उस अपराध का दोष साबित हो जाने पर वह मोटर अथवा वाहन अधिनियम की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत राज्य सरकार की सम्मति (सम्पूर्त) हो जायेगी।

चिड़ियाघर के किसी प्राणी को तंग करने पर

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 की (1 ख) में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति धारा (38 ज) के उपबंध जिसमें उल्लेख है कि अगर कोई चिड़िया घर के किसी प्राणी को तंग करें, सताये व नुक्सान पहुंचाये, खिलाये या शौर कर प्राणियों को उत्तेजित करे या चिड़िया घर की भूमि को गदा करेगा तो उसे 6 माह तक जेल की सजा हो सकती है। तथा 2000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों ही सजा हो सकती हैं। दुसरी बार यही अपराध करने पर 1 वर्ष की सजा 5000 रुपये जुर्माना हो सकता है।

हरिण पालना दण्डनीय अपराध

बहुत कम लोग जानते हैं कि हरिण आदि जंगली जानवरों को घर में पालना अनूनी जुर्म है। लेकिन कानूनी जानकारी के अभाव में आम तौर पर लोग शौकिया हरिणों को अपने घरों में पाल लेते हैं। जबकि ऐसा करना जंगली जानवर की सहज शमायिक जीवनचर्या के विरुद्ध अनाधिकृत प्रयास तो है ही साथ ही कानूनी अपराध की श्रेणी भी आता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1995 के तहत ऐसा अपराध साबित होने पर 1 माह की सजा का प्रावधान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई मांसाहारी लोग हरिण, खरगोश, सुन्दर, तोता, मैना आदि वन्य जीवों को पालने का बहाना लेकर घर में ले आते हैं और मौका पाकर उन्हें मारकर खा जाते हैं।

इस प्रकार छुपे तौर पर जंगली जानवर मारने वाले मारे गये जानवर के शेष अंगों को अपराध की सजा से बचने हेतु कहीं छिपा देते हैं, और उनकी इस करतूत की किसी को पता तक नहीं लगती कि "पाले गये जानवर को कब मारकर गायब कर दिया?" ऐसी शिकायतें जीव रक्षा बिश्नोई समाज को कई बार मिलती हैं लेकिन ऐसी स्थिति में खास दिक्कत यह है कि मारे गये जानवर के अंगों की बरामदगी आदि साक्ष्यों के अभाव में अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही संभव नहीं हो पाती। ऐसे सदिग्ध व्यक्ति के घर जीवित हरिण आदि वन्य जानवर मौजूद होने की अवस्था में कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराधी के खिलाफ निकटतम पुलिस चौकी अथवा वन कार्यालय में मुकदमा दर्ज करवाकर घर में बन्दी बनाया गया जंगली जानवर बरामद करवा सकता है। इसी प्रकार ऊँट गाढो पर वन क्षेत्र में घुमने वाले पेशेवर बनबावरी आदि शिकारियों के विरुद्ध भी (जंगली जानवर मौजूद पाये जाने पर) कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्तुत लेख में लेखक का उपरोक्त जानकारी देने का अभिप्राय यह कि "कोई भी व्यक्ति शौकिया तौर पर हरिण आदि वन्य प्राणी को पालकर उनकी सहज स्वतंत्रता को नाहक छिने का प्रयास न करें"।

प्रत्येक वन्य जीव स्वच्छंद और खुले वातावरण में रहने का आदी होता है, तथा वहीं सुरक्षित रहता है। जंगली पशु पक्षियों की सुरक्षा रहन सहन तथा शारीरिक विकास व पोषण हेतु जंगल अनुकूल परिस्थितिया प्रदान करता है। जंगली झाड़ियों के झुरमुट, घास के मैदान एवं पेड़ पौधे वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं भोजन के प्रमुख आधार हैं तथा वनों में मौजूद विविध जड़ी बुटियाँ उन्हें हर दम स्वस्थ और तरोताजा बनाये रखती हैं। जंगल में उन्मुक्त भाव से स्वच्छद विचरण एवं धमाचौकड़ी करते हरिण खरगोश आदि जंगली जानवरों को देखना किसे अच्छा नहीं लगता ? और यही उछल कूद जंगली जानवरों की जीवनचर्या का एक अहम हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अब उनकी स्वतंत्रता में सँघ लग चुकी है। क्योंकि हरिण आदि जानवरों को घरों में पालने की प्रवृत्ति चिताजनक ढँग से दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अक्सर लोग झाड़ी की ओट में अपनी माँ के इन्तजार में बैठे सुन्दर मृग छौने को अज्ञान वश उठाकर घर ले आते हैं। वे यह नहीं सोचते कि अपने कलेजे के टुकड़े को

किसी प्राणी को भयभीत नहीं करना चाहिये -

चरक संहिता

खुराकी में न पाकर उरा बच्चे के वियोग में कातर मों हरिणी कितनी दुखी होती होवे इस अन्दाजा हम सहज ही लगा सकते हैं। बच्चे को अपनी मां की ममता की छह से असह्य अघर्म नहीं तो और क्या है?

अपवाद के तौर पर कई वाहन की चपेट में आकर घायल,

मे असहाय हरिण आदि जंगली जानवर का तुरन्त ईलाज करवाना जंगली जीव का ऐसी विकट स्थिति में सद्भावना पूर्वक धीमार एवं घायल जंगली जीव का से उपचार करना गलत नहीं है। अतः ऐसी अवस्था के शिकार वन्य प्राणी को सुरक्षित स्थान पर रख कर स्वस्थ होने तक मानवीय आधार पर रखा जा सकता है।

ऐसे हालात में पीड़ित प्राणी को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। जीव विज्ञान के समझ ऐसे बेसहारा विषम हालात के शिकार वन्य पशु पक्षी प्रायः हैं और समा के निष्ठावान कार्यकर्ता सेवा भाव से ऐसे जानवरों की चिकित्सा में मदद है। पीपुल फॉर एनीमल्स संगठन भी इस क्षेत्र में सक्रिय है। मौजूदा समय में असहाय वन्य प्राणियों की सरकारी स्तर पर चिकित्सा की पुख्ता व्यवस्था सुरक्षा हेतु तैनात वन अधिकारी ऐसे जानवरों के ईलाज एवं देखभाल में विशेष लेते। कई बार दवाईयो का बजट नहीं होने का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। ऐसे समय में सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति बनाकर ऐसे निराश्रित वन्य प्राणियों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। अन्यथा इन्हे काल में जाने से मुश्किल कार्य है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1991 की मुख्य विशेषताएँ

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम (1972) में सन् 1991 में इस प्रकार से संशोधन किया गया था, कि जिससे उसमें मौजूद कई कमियाँ दूर हो गयीं। अधिनियम में अब तक का सबसे बड़ा और दूरगामी संशोधन था। इस संशोधन की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्न लिखित हैं-

- 1 इस अधिनियम में वन्य जीवों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। निम्न उल्लंघन करने की सजा बढ़ा दी गई है।
- 2 पहली बार गैर सरकारी व्यक्ति इस अधिनियम के उल्लंघन के मामले को सीधे न्यायालय में ले जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व गैर सरकारी व्यक्ति कानून के उल्लंघन के मामले का पता लगाने पर मामले की सूचना केवल सम्बंधित कर्मचारी को दे सकते थे। संशोधित अधिनियम की धारा 55 (ग) में प्रावधान है कि "कोई व्यक्ति लिखित अपराध के बारे में केन्द्र/राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी को शिकायत करने के अपने इरादे की सूचना निर्धारित विधि में कम से कम 60 दिनों का नोटिस दिया है।"

इस अधिनियम के विरूढ अपराध का प्रमाण हो, वह व्यक्ति अथवा गैर सरकारी सगठन, शोधित राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन या केन्द्र सरकार को इस आशय का नोटिस दे ता है और यदि 60 दिनों के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो सक्षम न्यायालय मामला दायर किया जा सकता है ।

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अनुसूचि 1, 2, 3 और 4 मे निर्दिष्ट सभी वन्य जीवों शिकार करना निषिद्ध है । इनमे से किसी प्रजाति के शिकार करने और उन्हे जाल में लाने हेतु लाईसेंस जारी नहीं होंगे तथा पहले के जारी किये हुए लाईसेंस रद्द होंगे । इन शों के क्रियान्वन को सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता और सतर्कता बरतने की रत है ।

निनियम लागु होने से पूर्व व्यापारियों के पास मौजूदा लाईसेंसशुदा वन्य जीवो से बनी ओं की जाँच की जानी है, और प्रत्येक वस्तु पर पहचान मोहर लगायी जानी है, क्योंकि व्यापारी इस आड में नया माल प्राप्त करने और बेचने के लिए पुराने स्टॉक का नाजायज माल करते है ।

फ़्डीय उद्यानों के समान वन्य जीव अभयारण्यों में हरे पेड़ों की वाणिज्यक कटाई एव जीवों के दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

वन्य जीव अभयारण्य के 10 किमी. की सीमा मे रहने वाले व्यक्तियों को राज्य के मुख्य जीव वार्डन की सहमति के बिना नये आग्नेयास्त्र के लाईसेंस जारी नहीं किये जायेंगे । ग्यातित हाथी दाँत और नक्काशी वाली वस्तुओं के व्यापार पर 2 अप्रेल 1992 से प्रतिबंध दिया गया है ।

वन्य जीवो के चोरी छिपे शिकार करने वालो और इस अधिनियम के उल्लघनकर्ता धियों के लिए एक-एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय शुरू किया गया है । इसके बाद ध मे प्रयुक्त वाहनों जीप, ट्रक, मोतो हथियारों आदि को अधिनियम के उपबन्धो के तार जब्त कर दिया जायेगा, और यह सरकारी सम्पति हो जायेगी ।

ख्य वन्य जीव वार्डनों या दुसरे प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर लिये गये मामलों ग्रेडकर अथवा पीडक जन्तुओ को छोड़कर वन्य जीवों या वन्य जीव उत्पादों को लाने ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

अब पक्षियों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है । सशोधित अधिनियम में गिबार पौध प्रजातियों की सुरक्षा की भी व्यवस्था है । लट्टो या घीरी हुई ईमारती लकड़ी र्प्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

वन्य जीवो, वन्य जीव उत्पादों एवं उनसे बने सामान का अवैध व्यापार जो काफी फैला है, सरकार द्वारा सापों की खालों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से पहले भारत से ानत प्रतिवर्ष 2.5 मिलीयन था तथा कस्तुरी मृग से प्राप्त कस्तुरी को सोने से तीगुने क मूल्य में बेचा जाता है, अन्य जैसे नेवले के बालो को बुरा बनाने के लिए इग्लैंड ले जाने, सूप बनाने के लिए बतासी (स्विपलेटस) नामक पक्षी का अति दोहन तक शामिल

आकास वायु तेज जल धरणी, तममें सकल सृष्टि की करणी- शब्दवाची ३

है। इसके अलावा गींठे के रोग, हाथी दौंठ, राकटापन्न पशियों के समुह (बाल) की हडिडियां रींछ का पित तथा ऐरो औषधिय पौधों की भी एक लम्बी सूची है। किया जा रहा है। उनमें बहुत से पौधे अतिदोहन के कारण संकटापन्न हो गये हैं।

भारतीय विडिया घरों की रिथति सुधारने का काम करेगा, नमूनों का आदान स्टडयुक्स् रखेगा, बदी वन्य जीव प्रजनन करने की व्यवस्था करायेगा, और वनों में सज्जन प्रजातियों का आशान्चित रक्षार्धन करायेगा आदि।

शिकार प्रकरणों में गवाह के बयानों की उपयोगिता

वन्य जीव शिकार प्रकरणों में दोषी शिकारी को सजा दिलवाने में गवाह की भूमिका होती है। प्रारम्भ में वन अथवा पुलिस जाँच अधिकारी द्वारा घटना से सम्बन्धित गवाही जाती है इसके बाद केस अदालत में जाने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही होती है। तौर पर वन्य प्राणियों के शिकार अपराध की यारदातें खेतो व वन क्षेत्र में होने के कारण प्रत्यक्षदर्शी अधिकतर अशिक्षित ग्रामीण पृष्ठ भूमि के लोग ही होते हैं जिन्हें अक्सर कानूनी जानकारी नहीं होती। अतः कई बार वन्य जीव के शिकार की घटना घटित होने पर शिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तो करना चाहते हैं।

लेकिन स्वयं मुखर होकर इस लिए गवाही देने आगे नहीं आते क्योंकि उनमें अनजाना भय बना रहता है कि कहीं वे गवाही देकर किसी कानूनी लफड़े में फस न जा सकें। जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। देश का कोई भी नागरिक चाहे व किसी भी जाति धर्म को मानने वाला क्यों न हो वह बिना किसी हिचकिचाहट के जंगली पशु पक्षियों का शिकार करने वाले अपराधी के विरुद्ध नजदीकी थाने अथवा वन विभाग चौकी में अपनी तरफ से लिखित या जुबानी मुकदमा दर्ज करवा सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति को यह विचार सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा काले बदन सहज जीव दया धर्म और कर्तव्य का पालन कर, निस्वार्थ भाव से कानून की मदद कर रहा है। उसे ऐसा करने से किसी को भी रोकने या टोकने का अधिकार नहीं है। मुकदमा दर्ज करवाने वाले व्यक्ति के अलावा अन्य लोग जिन्होंने शिकारी को जानवर मारते हुए देखा हो अथवा बुलाने पर घटनास्थल पर गये हो, शिकारी द्वारा मारे या घायल किये वन्य जीव के बारे में कोई जानकारी रखते हो, अथवा जिन्होंने शिकारी को जानवर का पीछा करते, बन्दूक चलाते या जानवर को फसाने हेतु कुडका, या फदा, जाल लगाते देखा हो अथवा इसी दौरान शिकारी को ललकार कर भागते हुए का पीछा किया हो या जानवर मारकर ले जाते देखा हो, ऐसे लोग प्रत्यक्षदर्शी गवाह की श्रेणी में आते हैं।

इसके अलावा पुलिस अथवा वन अधिकारी के अन्वेषण के दौरान घटनास्थल पर तूद वे मौजूद लोग जिनके सामने अधिकारी ने मारे गये जानवर या उसके मांस, खाल, हड्डी आदि को जिनकी मौजूदगी में भीके पर कागजों में बरामदगी लिखी हो घटना त का मौका नक्शा फर्द बरामदगी आदि कागजात तैयार किये हो उस समय वहां मौजूद क्त भी गवाह की श्रेणी में आता है। वह गवाह इस बात का साक्षी है कि उसके सामने स ने बरामदगी की ओर उपरोक्त कागजात तैयार किये। मोटे तौर पर शिकार से ंधित इन तमाम तथ्यों की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति गवाह कहलाता हैं।

वन्य प्राणियों के शिकार की घटना घटित होने पर घटना से सम्बन्धित साक्षी लोगो निष्क्रियता के कारण कई बार वन्य जीव शिकारी अपराध करके भी कानूनी सजा से बच ते हैं। ऐसे अपराधों में प्रत्यक्षदर्शी की गवाही जरूरी होती है लेकिन कई बार जीव रक्षा के समक्ष ऐसी स्थितियां आईं जब शिकारी के आतंक से या अज्ञानवश घटना के साक्षी ही देने से हिचकिचाने लगे तब उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवा कर हर सम्भव यता का आश्वासन दिया गया तो ये सहर्ष गवाही देने को तैयार हो गये।

कुछ घटनाओं में वास्तविक गवाह के निष्क्रिय होने की अवस्था में शिकारी पक्ष व अधिकारी से साठ गांठ कर शिकायतकर्ता की आँखों में धुल झोक कर झूठे बनावटी ह गढ़ लेते हैं, जो कोर्ट में अपराधी के अनुकूल गवाही दे देते हैं। इस प्रकार झूठे गवाह बयान के आधार पर शिकारी अपराध करके भी अदालत से छुट जाता हैं। अत इन वन राध प्रकरणों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए की जाँच अधिकारी ने अपराधी पक्ष कल्पित झूठे गवाह तो नहीं बना लिये हैं। दुरारी बात ध्यान में रखने की यह है कि मौजूदा नून में यह प्रावधान है कि पुलिस द्वारा लिखे गये गवाहों के बयानों में सम्बन्धित गवाहों के ताक्षर नहीं होते। अत. कई बार मुल्जिम से कथित प्रभावित जाघ अधिकारी मुल्जिम के पक्ष अपनी मनमर्जी से मन चाही गवाही लिख लेते है इस प्रकार कल्पित गवाहों के आधार अपराधी कोर्ट में बरी हो जाते हैं।

ऐसी अवस्था में सरकार को चाहिए कि पुलिस को पाबन्द किया जावे की पुलिस रा द्वारा 161 आर.पी.सी. के अन्तर्गत लिये गये गवाहान के बयान को उन्हें पढाये जाने के गवाह ही चालान किया जाये। अन्यथा गवाह के पुनः तितम्बा बयान लिये जावें। गवाहों की रक प्रमुख परेशानी यह है कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिकाश सरकारी वकील वन अपराध प्रकरणों में रूचि लेकर सम्बन्धित मुकदमें में सही पैरवी नहीं करते। जबकि उनका यह दायित्व होता है कि ये गवाह को सही सही गवाही देने की प्रक्रिया समझाये लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता। बचाव पक्ष की जीरह के दौरान सरकारी वकील प्राय चुप रहते हैं। बचाव पक्ष के वकील गवाह से उटपटाग सवाल कर गवाह को विचलित करने का प्रयास करते देखे गये हैं।

इसके बावजूद सरकारी वकील उसका उचित प्रतिवाद नहीं करते, और तो और अधिकतर केसों में गवाही बचाव पक्ष के वकील द्वारा पूछे गये सवालों पर भी आधारित होती

जीवों को अप्त्य देने वाला, कभी भयभीत नहीं होता - वृहस्पति स्मृति

है और गवाह उसी के अनुरूप उत्तर देता है। अन्य आवश्यक जानकारी बाबत गवाह को नहीं पूछता। अतः शिकारी के अपराध को साबित करने हेतु आवश्यक अहन दखलाना प्राप्त नहीं कर पाती और वन अपराधी को इस मौजूदा प्रचलित प्रक्रिया का लाभ मिलता है। यही कारण कि अधिकांश शिकारी शिकार करके भी कोर्टों से बरी होते हैं।

न्याय व्यवस्था की मौजूदा इन विरसंगतियों पर पर्यावरण प्रेमी समाज को पूर्णक विचार कर तुरन्त निर्णय लेने की जरूरत है। अब अपराधी शिकारियों को दंड करवाने के लिए अदालतों में विचाराधीन मुकदमों में निजी तौर पर वकील नियुक्त कर उनकी पैरवी करना आवश्यक हो गया है। अतः इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास की जरूरत है।

शंका समाधान-प्रश्नोत्तर



डॉ. पदुवन शिखर

प्रश्न 1- शिकारी ने हरिण आदि वन्य जीवों को फासने हेतु जानवर के आवास स्थल अर्थात् गुजरने की जगह कुडका फंदा जाल या शिकारा लगा रखा है, लेकिन उसमें जानवर में फंसा है, तो क्या उसके खिलाफ केश दर्ज हो सकता है?

उत्तर- हाँ उसके खिलाफ शिकार करने के प्रयास का मामला बनता है। अतः उसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। शिकार का उपकरण बरामद हो।

प्रश्न 2- शिकारी ने किसी वन्य जीव को मार लिया है, और सबूत मिटाने की नियत से गया जानवर लेकर भाग गया है। घटना स्थल पर उसके पेशों के निशान बच चुके हैं। हुआ है, तो क्या उसके खिलाफ केश दर्ज हो सकता है?

उत्तर- हाँ! उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है।

प्रश्न 3- शिकारी कुत्तों को उकसाकर किसी वन्य जीव को मरवाना शिकारी की श्रेणी में आता है या नहीं?

उत्तर- हाँ

प्रश्न 4- शिकार करके पिछा होने पर भागते शिकारी के पीछे छुटे जुते, चम्पल, चदर आदि सामान सबूत की श्रेणी में आते हैं या नहीं?

उत्तर- जुते, चम्पल, चदर आदि शिकार करने के सबूत नहीं होते।

प्रश्न 5- अगर ये आशंका हो कि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने में विलम्ब (देर) होने की अवस्था में शिकारी सबूत को छिपा देगा तो ऐसे सबूत को घटना स्थल से उठा ले जाकर अन्य सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है अथवा नहीं?

उत्तर- नहीं! क्योंकि ऐसा करने से घटना की सत्यता को साबित नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी अवस्था में घटना स्थल से घटना के साक्ष्यों से छेड़छाड़ न कर दूर से उसफी निगरानी की जा सकती है।

प्रश्न 6- बिना लाईसेन्स की बन्दूक से वन्य प्राणी का शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की कौनसी धारा लागू होगी? और उसकी सजा क्या है?

उत्तर- बिना लाईसेन्स की बन्दूक से शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा तथा अपराध साबित होने पर इसकी अधिकतम सजा तीन साल की होगी। बन्दूक की जप्ति होना जरूरी है।

प्रश्न 7- लाईसेन्सी बन्दूक से शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की कौनसी धारा लागू होगी?

उत्तर- लाईसेन्सी बन्दूक से शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की 27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा।

प्रश्न 8- ऊँट गाड़ों पर सदिग्ध रूप से वन क्षेत्र में घूमने वाले पेशेवर शिकारी वन बाबरियों की शक के आधार पर तलाशी ली जा सकती है या नहीं?

उत्तर- ऐसे लोगों की पुलिस अथवा वन-विभाग के अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा तलाशी ली जा सकती है।

प्रश्न 9- शिकार की घटना होने पर मोके पर पुलिस एच वन विभाग का किस स्तर का अधिकारी तलाशी व जाँच कार्यवाही में सक्षम है?

उत्तर- शिकार की वारदात में पुलिस उपनिरीक्षक अथवा उसके समकक्ष वन अधिकारी कार्यवाही करने में सक्षम है।

प्रश्न 10- अगर सम्बन्धित अधिकारी वन अपराध की जाँच में शिकारी पक्ष से साठ-गाठ कर उसे नाजायज फायदा पहुंचाने हेतु जान बुझ कर अनियमितता करते तो क्या उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है ?

उत्तर - अगर जाँच अधिकारी जानबुझकर अन्वेषणाधीन प्रकरण में शिकारी के पक्ष में निष्पक्षता का उल्लंघन कर अनियमितता करते तो उसके खिलाफ सक्षम कोर्ट में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166, 167 के तहत वाद दायर किया जा सकता है।

प्रश्न 11. शिकारी द्वारा बदले की भावना से शिकारकर्ता अथवा गवाह को प्रताड़ित करने, धमकाने या आर्थिक नुकसान किये जाने पर क्या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ?

उत्तर- एसी अवस्था में अदालत में यदि मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और अभियुक्त जमानत पर रिहा हो तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 107 व 116 के तहत कार्यवाही कर उसकी जमानत निरस्त करवायी जा सकती है।

प्रश्न 12. शिकारी स्वयं द्वारा मारा गया जानवर लेकर भाग रहा है. कानून की मदद करने के उद्देश्य से उससे जानवर छीनने के दौरान अगर पीछा करने वाले पर शिकारी आक्रामक

है और गवाह उसी के अनुरूप उतर देता है। अन्य आवश्यक जानकारी बाबत गवाह को कोई नहीं पूछता। अतः शिकारी के अपराध को साबित करने हेतु आवश्यक अहम तथ्य अदालत प्राप्त नहीं कर पाती और वन अपराधी को इस मौजूदा प्रचलित प्रक्रिया का सीधा फायदा मिलता है। यही कारण कि अधिकांश शिकारी शिकार करके भी कोर्टों से बरी हो रहे हैं।

न्याय व्यवस्था की मौजूदा इन विसंगतियों पर पर्यावरण प्रेमी समाज को गम्भीरता पूर्वक विचार कर तुरन्त निर्णय लेने की जरूरत है। अब अपराधी शिकारियों को दण्डित करवाने के लिए अदालतों में विचाराधीन मुकदमों में निजी तौर पर वकील नियुक्त कर मुकदमों की पैरवी करना आवश्यक हो गया है। अतः इस सम्वन्ध में गम्भीर प्रयास की जरूरत है।



डॉ. प्रबुध मिश्रा

शंका समाधान-प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1 शिकारी ने हरिण आदि वन्य जीवों को फासने हेतु जानवर के आवास स्थल अथवा गुजरने की जगह कुडका फंदा जाल या शिकजा लगा रखा है, लेकिन उसमें जानवर नहीं फसा है, तो क्या उसके खिलाफ केश दर्ज हो सकता है?

उत्तर- हाँ उसके खिलाफ शिकार करने के प्रयास का मामला बनता है। अतः उसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। बशर्त शिकार का उपकरण बरामद हो।

प्रश्न 2- शिकारी ने किसी वन्य जीव को मार लिया है, और सबूत मिटाने की नियत से मारा गया जानवर लेकर भाग गया है। घटना स्थल पर उसके पेशों के निशान व खून बिखरा हुआ है, तो क्या उसके खिलाफ केश दर्ज हो सकता है?

उत्तर- हाँ। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है।

प्रश्न 3- शिकारी कुत्तों को उकसाकर किसी वन्य जीव को मरवाना शिकारी की श्रेणी में आता है या नहीं?

उत्तर- हाँ

प्रश्न 4- शिकार करके पिछा होने पर भागते शिकारी के पीछे छुटे जुते, चप्पल, चदर आदि सामान सबूत की श्रेणी में आते हैं या नहीं?

उत्तर- जुते, चप्पल, चदर आदि शिकार करने के सबूत नहीं होते।

प्रश्न 5- अगर ये आशंका हो कि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने में विलम्ब (देर) होने की अवस्था में शिकारी सबूत को छिपा देगा तो ऐसे सबूत को घटना स्थल से उठा ले जाकर अन्य सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है अथवा नहीं?

उत्तर- नहीं। क्योंकि ऐसा करने से घटना की सत्यता को साबित नहीं किया जा सकता।
अतः ऐसी अवस्था में घटना स्थल से घटना के साक्ष्यों से छेड़छाड़ न कर दूर से उसकी
निगरानी की जा सकती है।

प्रश्न 6- बिना लाइसेन्स की बन्दूक से वन्य प्राणी का शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की
कौनसी धारा लागू होगी? और उसकी सजा क्या है?

उत्तर-बिना लाइसेन्स की बन्दूक से शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 आर्म्स
एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा तथा अपराध साबित होने पर इसकी अधिकतम सजा तीन साल
की होगी। बन्दूक की जब्त होना जरूरी है।

प्रश्न 7- लाइसेन्सी बन्दूक से शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की कौनसी धारा लागू होगी?

उत्तर- लाइसेन्सी बन्दूक से शिकार करने पर शस्त्र अधिनियम की 27 आर्म्स एक्ट के तहत
मुकदमा दर्ज होगा।

प्रश्न 8- ऊँट गाड़ों पर सदिग्ध रूप से वन क्षेत्र में घूमने वाले पेशेवर शिकारी वन बावरियों
की शक के आधार पर तलाशी ली जा सकती है या नहीं?

उत्तर- ऐसे लोगों की पुलिस अथवा वन-विभाग के अधिकृत सशम अधिकारी द्वारा तलाशी
ली जा सकती है।

प्रश्न 9- शिकार की घटना होने पर मोके पर पुलिस एवं वन विभाग का किस स्तर का
अधिकारी तलाशी व जाँच कार्यवाही में सशम है?

उत्तर- शिकार की वारदात में पुलिस उपनिरीक्षक अथवा उसके समकक्ष वन अधिकारी
कार्यवाही करने में सशम है।

प्रश्न 10- अगर सम्बन्धित अधिकारी वन अपराध की जाँच में शिकारी पक्ष से साठ-गाठ कर
उसे नाजायज फायदा पहुंचाने हेतु जान बुझ कर अनियमितता बरते तो क्या उसके विरुद्ध
न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है ?

उत्तर - अगर जाँच अधिकारी जानबुझकर अन्वेषणाधीन प्रकरण में शिकारी के पक्ष में नियमों
का उल्लंघन कर अनियमितता बरते तो उसके खिलाफ रक्षम कोर्ट में भारतीय दण्ड संहिता
की धारा 166, 167 के तहत वाद दायर किया जा सकता है।

प्रश्न 11. शिकारी द्वारा बदले की भावना से शिकायतकर्ता अथवा गवाह को प्रताड़ित करने,
घमकाने या आर्थिक नुकसान किये जाने पर क्या उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा
सकती है ?

उत्तर- ऐसी अवस्था में अदालत में यदि मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और
अनियुक्त जमानत पर रिहा हो तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 107 व 116 के तहत
कार्यवाही कर उसकी जमानत निरस्त करवायी जा सकती है।

प्रश्न 12. शिकारी स्वयं द्वारा मारा गया जानवर लेकर भाग रहा है, कानून की मदद करने
के उद्देश्य से उससे जानवर छीनने के दौरान अगर पीछा करने वाले पर शिकारी आक्रामक

होकर जान लेया हमला करदे और आपसी साहरा पूर्ण मुकाबले के दौरान शिकारी के चोट लग जाये, तो क्या कानून मदद करने वाले को बचा सकता है ?

उत्तर- हाँ, भा द स की धारा 97 एव 100 के तहत ऐसी अवस्था में प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो जाता है।

प्रश्न 13 राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक को वन अपराधों की शोक थाम हेतु क्या शक्तिया प्राप्त हैं ?

उत्तर- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 4 की उप धारा (3) के तहत नियुक्त अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक सरकारी लोक सेवक माना जायेगा, तथा अधिनियम में निर्देश है कि धारा 47 (ख) के तहत लाईसेन्सों के रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है तथा धारा 55 के तहत उसे वन एव वन्य जीव अपराध में प्रवेश, तलाशी बरामदगी और अवरोधन की शक्ति प्राप्त है तथा वह न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध उपयुक्त जाच कर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्राधिकृत है। वह मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के अधीन कार्य करेगा।

प्रश्न 14 किसी वन्य पक्षी या पशु को मारने के इरादे से किसी शिकारी ने जहर से सनें दाने भूमि पर बिखर दिये है और चुगकर जानवर मारे जाते है तो उक्त कृत्य वन्य जीव शिकार की श्रेणी में आता है या नहीं ?

उत्तर-मारने के सभूत मौजूद हो तो उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है।

प्रश्न 15 रात को हरिण की दर्दनाक चिल्लाहट सुनाई दी। सम्भावना शिकार घटित होने की है तो क्या करना चाहिए ?

उत्तर- ऐसी अवस्था में तत्काल पुलिस को सूचित कर सम्भावित स्थान पर तलाशी लिरायी जानी चाहिए। तलाशी के दौरान वहा पर वन्य जीव के शिकार की घटना घटित होने के उपयुक्त साक्ष्य एव औजार बरामद होने की स्थिति में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो सकता है।

प्रश्न 16 राजस्व भूमि में बिना वैद्य इजाजत के खेजड़ी आदि हरे पेड़ काटने वालो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु तहसीलदार अथवा अन्य कोई सक्षम अधिकारी बाध्य है या नहीं ?

उत्तर- राजस्व भूमि तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में आती है अत ऐसी अवस्था में सम्बन्धित तहसीलदार को लिखित सूचना दी जानी चाहिए। राजस्व भूमि में अवैध पेड़ कटाई पर भा द.सं की धारा 379 यह वन अधिनियम के तहत कार्यवाही हो सकती है। ऐसे पेड़ काटकर ले जाने वालों के पास टी पी. नही हो तो धारा 42 एव 52 के तहत कार्यवाही संभव है।

इस लिए कानूनी सजा से बच रहे है वन्य जीव शिकारी।

हमारे देश में लगातार सिकुड़ते वन क्षेत्र के कारण कृषि क्षेत्र तो बढा परन्तु वन्य प्राणियों के लिए अनुकूल प्राकृतिक आवास सिमटते गये। इससे उनकी प्रकृति प्रदत्त सहज सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मरुभूमि में साल दर साल अकाल के हालात में चारे पानी की तलाश में भटकते हरिण, खरगोश, नील गाय आदि जंगली जानवर मजबूरन

किसानों के खेतों की और पलायन करने को विवश हैं। जंगली झाड़ियों में अपने आपको छुपाकर जान बचाने वाले ये वन्य जीव ऐसे विकट हालात में सहज ही शिकारीयों के हाथों मारे जा रहे हैं। एक हरिण के मांस एवं खाल की किंमत वर्तमान में लगभग 5 हजार रूपये होने के कारण शिकारियों द्वारा सर्वाधिक हरिणों का शिकार किया जा रहा है। इस स्थिति का एक निराशाजनक पहलू यह भी है कि इन घटनाओं में साक्षी आम किसान वर्ग शिकारियों की इन करतूतों को जानकर भी अपने क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत अनजान बना रहता है। वन्य जीवों से फसल सुरक्षा के अलावा हथियार बंद कूर शिकारियों का खोफ तथा उनके संभावित बदले की भावना से नुकसान की आशका के चलते लोग कानून का सहयोग कर दोषी शिकारियों को पकड़वाने से कतराते हैं।

यही कारण है कि घटित शिकार वारदातों में से मात्र 5 प्रतिशत मामले ही उजागर हो पाते हैं। जिन्हे विश्‍नोई समाज मुस्तागीस बनकर संबन्धित थानों में केश दर्ज करवाता है। यह सर्व विदित तथ्य है कि विश्‍नोई सामाज अपनी धार्मिक भावना के कारण हरिण शिकार की कोई भी झुठी शिकायत नहीं करवाता। लेकिन इसके बावजूद पुलिस का मौजूदा रवैया शिकारियों को दण्डित करवाने में कारगर साबित नहीं हो रहा है। क्योंकि शिकार अपराधों में प्राय पुलिस ईमानदारी बरतने के बजाय उल्टे दोषी पक्ष से अधिकाधिक रिश्वत ऐठने को ही अपना अभिष्ट ध्येय मानकर चलती है।

अतः अक्सर शिकारी अपराधी घडल्ले से शिकार करके भी अदालतों से घडाघड घुटते देखे जा रहे हैं। ऐसे अनेक शिकार प्रकरणों में शिकारियों के विरुद्ध वर्षों के सघर्ष के दौरान मैंने अपने अनुभव से ऐसा महसूस किया है। अपवाद के तौर पर कुछ ईमानदार अधिकारियों के अलावा उच्चाधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक पुलिस कर्मी भ्रष्टाचार में रत हैं। पुलिस थानों में आने वाली शिकार की शिकायतों पर प्राय सीधे तौर पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती। ऐसी सूचना पर शीघ्र रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष तथ्यान्वेषण की बजाय पुलिस पहले जाँच का झुठा नाटक कर रिश्वत ऐठने हेतु शिकारी के पक्ष में एसी प्रकिया अपनाती है कि शिकायतकर्ता को मनक तक नहीं लगती और अपराधी के पक्ष में वास्तविक तथ्यों में हेर फेर कर पूरे प्रकरण को सदेह की परिधि में लाकर अपराधी को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए शिकायतकर्ता की सही सूचना को जानबूझकर नजर अदाज किया जाता है। अपराध घटित हो जाने का पता लग जाने के बावजूद बरामदगी एवं पूछताछ की दिशा शिकारियों के बचाव के एवज में ली गई रिश्वत पर ही निर्भर करती है। अतः सर्व प्रथम घटना स्थल पर शिकारी अथवा उनके नजदीक सबधी को अलग से ले जाकर गोपनीय पूछताछ के बहाने रिश्वत की राशि तय कर ली जाती है और यहीं से शुरु होता है— "शिकारी को रिश्वत लेकर बचाने का सिलसिला"।

केश को शिकारी के पक्ष में करने के लिए पुलिस ऐसे-ऐसे झूठे गवाह तक गड लेती है जिसकी शिकायतकर्ता को मनक तक नहीं लगती। कानून में ऐसा प्रावधान है कि गवाहों के हस्ताक्षर बयान पर नहीं होते कानून प्रदत्त इस सुविधा का खुलकर दुरुपयोग किया

जाता है। पुलिस जिस तरह से घटना को दर्शाना चाहती है। उसी के अनुरूप मनचाहे बयान लिख लेती है। गवाहों को मात्र नाम-पता पूछा जाता है। केश दर्ज करवाने के बाद फरार मुल्जिमों की गिरफ्तारी एव शेष हथियार आदि साक्ष्यों की बरामदगी के सम्बन्ध में शिकायत कर्ता द्वारा पूछने पर रटा रटाया गोलमाल जबाब मिलता है कि कार्यवाही कर रहे हैं। इस प्रकार अपनी सुविधानुसार भ्रष्ट तरीके से मुल्जिम को कब बुलाकर गुप-चुप ढंग से कोर्ट में पेश कर दिया जाता है? "इसका शिकायत कर्ता को तब पता चलता है जब शिकारी जमानत करवाकर उसे धमकाने लगता है"। इस प्रकार पुलिस द्वारा कूटरचित जाँच की तथाकथित विरोधाभाषी जाँच फाईल सहित चालान कोर्ट में पेश हो जाता है। इतना ही नहीं कोर्ट में प्रस्तुत केशों में गवाही हेतु तलब किये गए कई गवाहों को सबधित पुलिस द्वारा उक्त केश को कमजोर करने हेतु जान बूझ कर सुचित नहीं किया जाता। जिससे या तो गवाह के गिरफ्तारी के वारंट निकल जाते हैं अथवा कोर्ट गवाह को गैर हाजिर मान लेती है। इस प्रकार पुलिस की भ्रष्ट कारगुजारियों का लाभ अन्ततः शिकारी को मिलता है।

जिन केशों को पुलिस अपनी जाँच में झुठा करार देती है। उनकी एफ.आर. कोर्ट में प्रस्तुत करने एव कोर्ट द्वारा मजुर होने की इतिला अपनी करतुतों को छिपाने हेतु जान बूझकर पुलिस द्वारा परिवादी पक्ष को नहीं दी जाती है। अतः परिवादी कोर्ट द्वारा प्रदत्त समय सीमा की अवधि में पुलिस की झुठी जाँच कार्यवाही के विरोध में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता और पुलिस के काले कारनामों पर अन्ततः पर्दा ही पडा रहता है। इस प्रकार पुलिस की भ्रष्टता और निष्क्रियता का लाभ अततः दोषी को मिलता है। प्रस्तुत लेख में बीकानेर सभाग पुलिस की उपरोक्त कारगुजारीयो का उल्लेख मेने सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं किया है। बल्कि उपरोक्त घटनाओं का मे स्वयं प्रत्यक्ष साक्षी हुं। बीकानेर जिले के खाजूवाला उपखण्ड में घटित प्रायः तमाम शिकार की वारदातों पर जीव रक्षा बिश्नोई सभा खाजूवाला के दखल से सम्बधित पुलिस थानो मे दर्ज शिकार अपराध के पचासो केशो मे मेने (सभा अध्यक्ष रामकिशन डेलु) नजदीक से देखा है। आज भी ऐसे शिकार के केशो मे हमें शिकारियो के साथ-साथ भ्रष्ट पुलिस से भी सघर्ष करना पड रहा है। पुलिस की उपरोक्त कारगुजारियो के कारण ही बिश्नोई सभाज जब तब पुलिस को कोसता रहता है। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते सुधार की गुजाईश दूर दूर तक नजर नहीं आती। शिकार प्रकरणो मे पुलिस रिश्वत के लिए नियम कायदों की किस प्रकार धज्जिया उडा रही है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण में पाठकों को देना चाहूंगा जो इस प्रकार है -

दिनांक 7-4-2002 को चक 1 एच उब्ल्यु एम (खाजूवाला) क्षेत्र में जगुराम बावरी व उसके पुत्र हरखाराम तथा महेन्द्रसिंह सिख के द्वारा बन्दूक से हरिण मारने पर खाजूवाला थाने मे दर्ज मुकदमे मे पुलिस ने शिकारी पक्ष से सांठ-गाठ के बाद न तो बन्दूक बरामद की तथा न ही सही गवाही लिखी। मुल्जिमो को कानूनी सजा से बचाने के लिए कोर्ट में प्रस्तुत चालान मे खाजूवाला पुलिस द्वारा उक्त केश मे बरामद हरिण को कुत्तों के द्वारा मारना दिखा

दिया गया। इतना ही नहीं नामजद शिकारी हरखाराम को बचाव पक्ष का गवाह तक बना डाला। जबकि मैंने स्वयं पुलिस को घटना स्थल पर ले जा कर बन्दूक की गोली से मरे हरिण को बरामद करवाकर पोस्टमार्टम के दौरान हरिण के रगीन फोटो भी खींचे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हरिण के गोली से मरने का स्पष्ट उल्लेख है। जांच अधिकारी के उक्त भ्रष्ट रवैये की शिकायत समा द्वारा प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक की गई थी। लेकिन निष्पक्ष जाँच नहीं हुई। स्पष्ट है कि अब उक्त केश में अपराधियों का बरी होना तय है। मौजूदा कानूनी प्रावधान के अनुसार प्रशासन अथवा सरकार की अनुमति के बिना ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ अन्य कानूनी विसंगतियाँ भी इसके लिए जुम्मेवार हैं, मसलन शिकार प्रकरणों में गवाह के बयान बचाव पक्ष के वकील के प्रश्नों पर आधारित होना, सरकारी वकील द्वारा शिकायतकर्ता को सबधित केश के संबंध में कानूनी जानकारी नहीं देना, तथा लम्बित प्रकरणों में गवाहों से बार-बार कोर्टों का चक्कर कटवाना, शपथ पत्र पर दिये गए गवाह के बयान मान्य नहीं होना, कोर्ट में प्रीजार्च ऐवीडेन्स का प्रावधान आदि कानूनी विसंगतियों का लाभ अन्ततः शिकारी को मिलता है।

अक्सर ये देखा जाता है कि शिकार की घटना के समय समाज जितना मुखर होता है, उतनी सक्रियता बाद में दिखाई नहीं देती। कोर्ट में केश जाने के बाद शिकार अपराधों की पैरवी के लिए समाज को और अधिक सक्रियता दिखानी होगी। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा एवं समाज के बुद्धिजीवियों से मेरा विनम्र आग्रह है, कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में दर्ज मुकदमों की पैरवी हेतु सामाजिक स्तर पर अधिवक्ता नियुक्त किये जाएं तथा इसका खर्चा समाज वहन करे ताकि भविष्य में वन्य जीवों के हत्यारों को उनके किये की अधिकतम कानूनी सजा मिल सके।

अवैध शिकार की रोकथाम हेतु आवश्यक सुझाव

1. शिकार प्रकरणों में मौजूदा पुलिस गवाही की प्रक्रिया में भा. द. संहिता की धारा में संशोधन कर वन अपराध प्रकरणों में गवाह के हस्ताक्षर का प्रावधान किया जावे ताकि जाँच अधिकारी तथ्यों में हेर फेर न कर पाए।
2. वन अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक थानों की तरह अलग से वन पुलिस का गठन हो।
3. वन्य जीव शिकार प्रकरणों को केश ऑफिसर स्कीम के दायरे में लाकर जाँच करवाई जाए।
4. हथियार बन्द शिकारियों के आंतक से गवाह कोर्ट में आकर समुचित गवाही नहीं दे पाता अतः शपथ पत्र पर दी गई गवाही मान्य हो।
5. शिकार अपराधों से जुड़े लोगों को जारी किए गए हथियार लाईसेन्स रद्द किए जाए।
6. जाँच का अधिकार पुलिस उप अधीक्षक से नीचे के श्रेणी के अधिकारी को न हो।
7. शिकार अपराधों के प्रकरणों की जाँच शाकाहारी अधिकारी से करवाई जाए।
8. इस क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सहयोगरत पजीकृत स्वयंसेवी संस्था पदाधिकारियों को आत्म रक्षा हेतु हथियार लाईसेन्स देने की व्यवस्था हो।

- 9 वन्य जीव शिकार प्रकारणों को रेशन ट्रायल घोषित किया जाए।
- 10 कोर्ट में वन्य जीव अपराधों में दो बार गवाही लेने (प्रीचार्ज एवीडेन्स) की बजाय एक ही बार गवाही की व्यवस्था हो।
- 11 सूचना के अधिकार के तहत सम्बन्धित केश के कोर्ट में चालान तक पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से परिवादी को अवगत करवाना अनिवार्य घोषित किया जाए।
- 12 फसल रक्षा के बहाने आदतन शिकारियों को लाकर वन्यजीवों को मरवाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अकुश लगाने के लिए इन्हें लाने वालों को सह अभियुक्त बनाया जाए।
- 13 सम्बन्धित केश में मुल्जिमों से साठ गाठ कर बरामदगी एवं अन्य तथ्यों में हेरफेर करने वाले एव इन प्रकरणों में कोताही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोर्ट में समुचित कार्यवाही हो।
- 14 ऊँट गाड़ो पर शिकार की टोह में घुमने वाले पेशेवर शिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अभियान चलाकर उनके हथियार जब्त कर उन्हें पाबन्द किया जाए।
- 15 शिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए वन विभाग को माकूल हथियार वाहन एव संचार के साधन उपलब्ध करवाये जाये।
- 16 संबंधित केश में गवाहों को संरक्षण तथा आने जाने का किराया दिलवाया जाये।
- 17 शिकार प्रभावित वन्य पशु के पोस्टमार्टम की प्रति शिकायतकर्ता को देने हेतु संबंधित पशु चिकित्सक को पाबंद किया जाये।
- 18 वन्य प्राणियों की मौजूदगी वाले क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाये।
- 19 संचार माध्यमों से शिक्षा पाठ्यक्रम में वन्य जीवों के महत्व का प्रचार हो।
- 20 वन्य जीव शिकार विषयक सूचनाओं के लिए जिलास्तर पर हेल्पलाइन शुरू की जाये।

कानून द्वारा संरक्षित वन्य पशु पक्षी

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो राजस्थान में दिनांक 19/1973 को लागू हुआ इस कानून के अध्याय 3 की धारा 9 के अन्तर्गत उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति इस कानून में संरक्षित अनुसूचि 1, अनुसूचि 2 अनुसूचि 3 एव अनुसूचि 4 में वर्णित जंगली पशु पक्षियों का शिकार नहीं करेगा। (सिवाय लाईसेंस धारी के) इन चारों अनुसूचियों में वर्णित संरक्षित निम्नलिखित संरक्षित किसी वन्य पशु पक्षी का कोई व्यक्ति अगर शिकार करेगा तो वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (कानून) के उल्लंघन का दोषी होगा और कानून के उल्लंघन पर इस कानून की धारा 51 के अन्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

अनुसूचि-1 (स्तनपायी वन्य पशु)

कृष्णमृग, काला हरिण, चिकारा हरिण, भूश्रंगी हरिण, भारतीय गजेल हरिण, चौसिंगा हरिण, कृष्णसार हरिण, मुषक हरिण, कस्तुरी मृग, दलदली हरिण, हाथी, भालु, मेंढा, हिमालयी लाल भालु, शेर, चीता, मेघी तेंदुआ, बाघ, नीलगिरी शेर, हिम तेंदुआ, व्याघ्र, (पैंथर) भेड़िया, तिब्बति गजेल, तिब्बति जंगली गधा, तिब्बति लोमड़ी, तिब्बति ऐन्टीलोप या घिरन, मरु लोमड़ी, टोप लगूर, सुनहरा लगूर, नील गिरी लगूर, पात बन्दर, शिया बन्दर, मछियादी

बिल्ली, सुगहरी बिल्ली, हिमालयी बिल्ली, चिता बिल्ली, सगम मेरी बिल्ली, फैंलास बिल्ली, भूरी चितती बिल्ली, शरमिदी बिल्ली, वन विडाल (रोही मिनडा) अंडमानी, जगली सूअर, जगली भैसा, जंगली याक, घोरखर गधा, बड़ी गिलहरी, खरगोश, (लोमशश) भालु शूकर, हुलाक, लाल पण्डा, छोटा भारतीय कछुआ, चीनी पेंगोलिन, बिज्जु, उदबिलाव, स्लोक बियर, (भालु) सीलू, कैकड़ा खौर मैकाक, मलय या सब भालु, सरी स्नवफिन डाल्फिन, उरियल या शापो, मारबोर, ओविस एमान साप्यान, हगल रकू, गौर या भारतीय बाइसन, गागेय डाल्फिन, इयूगोंगा, मरु बिल्ली, कैराकल, केटेसियन प्रजाति, विटुरोग, भारत,

अनुसूचि-1 (जल स्थलचर एवं सरी सृप वर्ग के जीव)

मगरमच्छ (सभी प्रकार के), घड़ियाल, अजगर, लिजर्ड या वाई ओवल

अनुसूचि-1 (पक्षी) ऐसी उप नस्तो और नस्तों से भिन्न जो अन्य अनुसूचियों में वर्णित है ।

बाज, सारस काली गर्दन वाला, महान भारतीय सारंग, महान भारतीय धनेर, पहाड़ी बटेर, नार काडमी धनेर, निको थारी क्युतर, पीकॉक, फीजेट, (पोलीप्लीक्ट्रोन वाइकाल कारटम) मयूर, (पावो क्रिस्टेट्स) गुलाबी सिर वाला बतख, साईबेरियन सफेद सारस, (प्रसल्यूकोजैरनस), तिब्बती हिम मुर्गा (ट्रोपोजैलस टिवेटनस) श्वेतोरा समुद्री उकाब, (हैलिएटस ल्यूसोगास्टर) श्वेत पख वन बतख (कैरिनास्कूआलाटा) हाबास बस्टार्ड, श्वेतकर्ण फिजट, श्वेत स्पून विल ।

अनुसूचि-2

असमिया बन्दर, टोपी वाला बन्दर, सुअर पूछ बन्दर, रेसुस बन्दर, ठुठदार पूछवाला बन्दर, सामान्य लंगूर, बगाल सेही, हिमालयी अकीटीट सेही, हिमालीय नट, या सलामन्दर, जगली कुत्ता या डोल, (ज्युअन अल्पाइनस) घमेतियन, स्पिनी टेल्ड, लिजर्ड या साडा, (यूरोमार्स्टिक्स हार्डनिकी) मुश्क बिलाव, (मालाबार मुश्क बिलाव को छोडकर विवेरासईडा की सभी प्रजातिया, जगली बिल्ली, (फेसिस बचोस) उदबिलाव, सामान्य लोमडी, उडन गिलहरी, बड़ी गिलहरी, हिमालयी काला भालु, सियार, गन्ध माजरी, लाल लोमडी, रीछ, स्पर्महवेल, ६ गमन या मूषक सर्प, श्वानमुख सर्प, भारतीय कोबरा, किंग कोबरा, रसल्स वाइपर, ओली देसियस, कीलबैक, स्नेक, वारनस स्पेसीज, (पीत मॉनीटर छिपकली को छोडकर) चैकरेड कील बैक स्नेक, कथियान्याल, मार्रन्स, मार्मोटस,

अनुसूचि-3 (स्तनपायी)

नील गाय, चीतल, लकड़बग्घा (हायना), सांभर, जंगली सुअर (ससस्क्रोफा), शूकर हरिण, गोरल, भोंकू हरिण या मन्टजैक

अनुसूचि-4 (स्तनपायी)

खरगोश (कलंक धरा, सामान्य भारतीय, मरुहिमालयी शश) भारतीय सेही (हिस्ट्रिक्स इडिका), नेवले (जीपस हर्पेस्टस), गन्धमाजरि (वर्मला, पेरे गुस्ना, मस्टेला पुटोरियस), काटा चूहा, (हैमिचिनस औरिटस) फाइव स्ट्रिप्ड पाम स्किवरल (फनम्बुलुस पेन्न्टी)

पक्षी

बुलबुल, सारस, बतख, बगुला, राजहंस, नीलकण्ठ, मैना, मुनिया, उल्लू, तीतर, बटेर, टिटिहरी, तेलीयर, गिद्ध, बया, कठफोड़वा, फुदकी, अबलक, नौरग, हवासील, पराकीट, कबुतर (कोलम्बिडी), ब्ल्यूरॉक कबूतर, (कोलम्बोलिविया)के सिवाय, चघरी, कोयला, (कुकुलिडी), जल कौवा, टिकरी, कलग्मी बतख, हरेवा, सारग हुकना, सारग बटेर, पथा, भूरे सिर वाला सामुद्रिक, नील, करेल, बसन्त गौरी, बब्लर, अयोसेट, अवादवत, कगुलिन्दें बानकर, फाख्ता, मरकती, झागोज, नीलयी, तूती, चाफिन्च सहित, हंसावर, फुलचूही, मकरवीमार, गोल्डपिच, ग्रीब्स, बक, बुज्जा, आइरस या भुवींगी, जल मोर, जंगल मुरगा, किलकिला, चण्डूल, लोटीकीटस, शिकारी मुटरी, सहित मुटरी, मन्निकिनस, मेगोपोडस, सहेली, छपका, पीलक, कस्तुरामार, फेजेण्ट, फ्लोवर्स, जलमुर्गी, (जलकुक्कुटी) मरुतीतर, चाहा, स्पर्फाउल, रवरबानक, चमरघेघ, पनलवा, शकरखोरा, चैती, बाम्कार, गगारा, ट्रोगोन, वाक्स बिल्स, श्वेताक्ष,।

इसके अलावा 12 प्रजातियों के सर्प, अनुसूचि-2 भाग दो से भिन्न सूचिबद्ध इस प्रकार है -

एम्बली केंहलिडी, एमिलिडी, बोइडी, कोलब्राइडी, डासी पेपटिडी, इलापिडी, (कोबरा क्रेट और कोरल सर्प) ग्लौकोनिडी, हाइड्रोपिडी, (ताजे जल और समुन्द्री सर्प) इलिसिडी, लेप्टोटीफ्लोपिडी, युरोपेल्टिडी,

वायपरिडी, जेनोपेल्टिडी, ताजेजल के मेंढक, (राणाप्रजाति) थीकील्डटर्टल, कछुए, पिण्डजटोड, मूस, तितलिया और पतंगे।

हरिणों की रक्षार्थ अमर शहीद बलिदानी

हरे वृक्षों की तरह बिश्नोई समाज के लोग प्रकृति के वन्य जीवों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी रहे हैं। जिस प्रकार देश की सीमा पर शत्रु पक्ष के आक्रमण की स्थिति में सैना का जवान गोलियों के सामने सीना तान कर डटा रहता है। उसी प्रकार बिश्नोई समाज के लोग अपनी धार्मिक आस्थावश हरिण आदि वन्य जीवों पर संकट आने पर निस्वार्थ भाव से हथियार बंद क्रूर शिकारी को वन्य जीवों के शिकार करने से रोकने का प्रयास करते हैं, जिसकी किमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पडती है। इस प्रकार वन्य जीवों की रक्षार्थ अपनी जान कुरबान करने वालों के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत है -

1. श्री चुनाराम पुत्र श्री हरदानराम गोदारा उम्र 22 वर्ष नि रोहिचाकला जि. जोधपुर दिनांक 19.5.39 को हरिण शिकार प्रकरण में शहीद हुए।
2. श्री धुकलराम माल सन् 1947 मे ग्राम रोदू जि. नागौर मे मगरासर ठाकर को हरिण के शिकार से रोकने के प्रयास में शहीद हो गये।
3. श्री चिमनाराम पुत्र श्री गोरखाराम मौंडू उम्र 31 वर्ष निवासी बारासण त गुडामालानी, जि बाड़मेर हरिण शिकारियों से जूँझते हुए दि 12.4.47 को शहीद हुए।
4. श्री प्रतापाराम पुत्र श्री गोरखाराम मौंडू उम्र 29 वर्ष निवासी बारासण त गुडामालानी जि बाड़मेर हरिण शिकारियों से मुठभेड़ में दि. 12.4.47 को शहीद।

5. श्री अर्जुनराम पुत्र श्री प्रभुराम पंवार, उम्र 36 वर्ष, निवासी भगतासनी जि. जोधपुर दि. 3. 250 को हरिण शिकारियों से मुठभेड मे शहीद हुए।
 - 6 श्री बीरबलराम पुत्र श्री बिड़दाराम खीचड़ उम्र 30 वर्ष निवासी लोहावट त फलौदी जि जोधपुर दि. 17.12.77 को शिकारियों को हरिण मारने से रोकने के प्रयास मे शहीद हुए।
 7. श्री निहालचन्द पुत्र श्री हनुमान धारणिया उम्र 35 वर्ष निवासी सांयतसर त. डूगरगढ जि बीकानेर, भागते शिकारियों का पिछा करने के दौरान दि 3 10 96 को शहीद हुए।
 - 8 श्री भीयाराम पुत्र श्री लालाराम गोदारा उम्र 25 वर्ष निवासी बनाड़ जिला जोधपुर दि 15 5 63 को हरिण शिकारियों से मुठभेड में शहीद।
 - 9 श्री गगाराम पुत्र श्री फुसाराम ईशरवाल उम्र 35 वर्ष नि. चैराई त. ओसिया जि जोधपुर हरिणों के शिकार प्रकरण में दिनांक 8 9.2000 को शहीद हुए।
 10. श्री गगाराम ज्याणी नि नान्दडा कला जि. जोधपुर हरिण शिकार प्रकरण मे दि 26 4 06 को शहीद हुए।
 11. श्री हजारीराम पुत्र श्री भागीरथ मींझू उम्र 68 वर्ष नि. मेहराणा जि. फिरोजपुर (पंजाब) को हरिण शिकारियों द्वारा बदले की भावना से शहीद हुए।
- उपरोक्त विश्‍नोई समाज के अलावा अन्य समाज के लोगो ने भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु बलिदान दिये। जो इस प्रकार है:-
1. श्री नारायणराम पुत्र श्री पुरखाराम जाट निवासी भीमडा त वायतु, जि बाडमेर, दिनांक 4.7 99 को हरिण की रक्षार्थ शहीद हुए।
 - 2 श्री सुखाराम पुत्र श्री कोजाराम जाट उम्र 30 वर्ष निवासी चातरामाजरा जि नागौर दिनांक 30 5 99 को हरिण शिकारियों का पिछा करने के दौरान शहीद हुए।
 - 3 श्री छेलुसिंह पुत्र श्री चैनसिंह राजपुत उम्र 25 वर्ष निवासी मैयासर त. नोखा, जि. बीकानेर दि. 29 1 03 को हरिण शिकारियों का पिछा करने के दौरान शहीद हुए।
 - 4 श्री हरिसिंह पुत्र श्री राधाकिशन राजपूरोहित उम्र 30 वर्ष नि झाबरा त. पोकरण, जि. जैसलमेर दि 28 4 04 को हरिणों की रक्षार्थ शहीद हुए।
 - 5 श्री केहरसिंह जाट निवासी भूतनकला (हरियाणा) शिकारियों से सघर्ष के दौरान दि. 8 4 78 को शहीद हुए।
 6. श्री हरिनारायण वाजपेयी निवासी मंगलपुर जोरा त कानपुर (उ प्रेदश) ने नीलगायों के शिकार के प्रतिबंध की माग पर 1 5 83 को आत्मदाह कर बलिदान दिया।

विश्वनोई महिलाओं के हरिण प्रेम की अनूठी मिशाल

वन एव वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के साथ-साथ विश्वनोई महिलाओं में भी वन्य जीवों की सुरक्षा की भावना शुरू से ही रही है इस समाज की ममतामयी माताओं ने अनाथ एवं बेसहारा हरिण शावकों को अपने आचल का दुध पिला-2 कर उनका पोषण किया। ऐसी अनूठी मिशाल अन्यत्र मिलना दुर्लभ है।

इनमें ग्राम नाकोड़ी (हरियाणा) की श्रीमती रामीदेवी ग्राम खारा जि. जोधपुर की श्रीमती शारदादेवी, रामपुरा नारायण (पंजाब) की श्रीमती विजयलक्ष्मी सहू पत्नि विजयपाल सहू एव ग्राम जाजीवाल जि. जोधपुर की श्रीमती पुनीदेवी आदि सहृदयता माताओं ने उत्कृष्ट सवेदना का परिचय देते हुए अपनी मा से बिछुड़े लावारिस एव अनाथ हरिण शायकों को अपने लाडलों की तरह स्वयं का दुध पिला-पिलाकर अपने स्नेह से पाला पोषा।

जब मोहम्मद साहब हरिण के जामिन बने

एक बार अरब देश के सुने जंगलों में से गुजरते हुए मोहम्मद साहब ने एक बहेलिए द्वारा बिछाये गये जाल में एक हरिणी को फसे हुए देखा। तो उन्हे हरिणी पर रहम आ गया एव उन्होंने शिकारी को कहा कि इसे छोड़ दो- पर शिकारी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोनो की बाते बहेलिए की जाल में फसी मादा हरिणी सुन रही थी। मोहम्मद साहब की कृपा से हरिणी ने मनुष्य की भाषा में बहेलिए से कातर स्वर में कहा कि-“मैं पिछे एक नवजात बच्चे को छोडकर आई हूँ, उसे दुध पिलाकर तथा दुलारकर वापिस आ जाऊगी”। पर बहेलिया नही माना तब-“मोहम्मद साहब बहेलिए के जाल में फंसी हरिणी के जामिन बने” तो बहेलिए ने हरिणी को जाल के पास से मुक्त कर दिया। और मोहम्मद साहब के प्रति कृतज्ञ हरिणी कुलाचे भरती हुई अपने बच्चे के पास चली गई। रास्ते में सोच रही थी कि मेरे जामिन अल्लाह के रसूल हैं अगर देरी हो गई तो न जाने बहेलिया उनके साथ क्या सलूक करेगा।

अत शीघ्र ही अपने बच्चे के पास जाकर उसे दुलार से दुध पिलाकर वापिस आ गई उसे वापिस लौटता देखकर बहेलिए का हृदय परिवर्तन हो गया। यह मोहम्मद साहब के कदमों में गिर गया तथा अपने पाप-कर्म पर पश्चाताप करते हुए उनसे माफी मांगने लगा। मोहम्मद साहब ने उसे उपदेश दिया कि हरिण आदि जंगल के तमाम जीव ईश्वर ने मनुष्य की सेवा के लिए बनाये हैं, इन्हे कत्ल कर देना गुनाह हैं। तब बहेलिए ने नतमस्तक होकर प्रण लिया कि वह भविष्य में कभी भी जानवरों का शिकार नही करेगा। मोहम्मद साहब ने बहेलिए को दुआएं दी और हरिणी उछलती-कुदती अपने बच्चे के पास पहुँच गई।

हरिणी के प्रति बादशाह की सहृदयता

एक दिन बादशाह सुबुकत्गीन शिकार के लिए गया। उसे शिकार का शोक था। बहुत तलाश करने पर भी उसे मारने के लिए कोई जानवर नही मिला। उसकी आखे जंगल में चारों ओर शिकार की तलाश में लगी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि एक हरिणी अपने बच्चे के साथ बेखट के निर्भय होकर घर रही हैं। काफी देर तक वह अपलक हरिणी और उसके बच्चे को निहारता रहा, और उसकी हिसा दया में बदल गई और उसने सोचा। “मारने से यह अच्छा होगा कि हरिणी के सुन्दर बच्चे को पकड़ लिया जाये।

वह उतरा धीरे-धीरे उनके समीप गया और दौंव त्ताककर बच्चे को पकड़ लिया। वह बेहद प्रसन्न था और बच्चे के पांव बाध कर घोड़े पर आगे काठी पर रख लिया और अपनी

राजधानी की ओर चल पडा। बेचारी हरिणी मे आखिर माँ का भावुक हृदय था, अपनी सतान के लिए विह्वल थीं। अपने प्राण की परवाह न कर वह भी उसके पीछे-पीछे हो ली अपने प्यारे बच्चे के वियोग मे हिरणी के नैत्रो मे झर-झर आँसू बह रहे थे। सुबुक्तगीन आखिर मनुष्य ही तो था। हिरणी की कातर अवस्था देखकर उसे दया आ गयी। उसने घोड़ा रोका, और बच्चे की टांगे खोलकर उसे छोड़ दिया बच्चा छलाँग लगाकर माँ के पास आ गया। हिरणी को मानो संसार मिल गया यह बच्चे को प्यार-दुलार से चाटने लगी, वह बहुत खुश हुई, और उछलती-कुदती अपने प्यारे बच्चे के साथ वन में लौट गई। पर लौटते समय जब तक सुबुक्तगीन आँखों से औझल नही हुआ तब तक वह उसकी और कृतज्ञता और प्रेम से निहारती रही। यह था "उसके सदव्यवहार का प्रताप"।

उस दिन रात को सुबुक्तगीन ने एक स्वप्न देखा, स्वप्न में पैगम्बर मोहम्मद साहब ने उससे कहा- "सुबुक्तगीन! आज तुमने जो सदव्यवहार एक वन्य पशु से किया है"। अत्लाहताला इससे बहुत प्रसन्न हुए हैं। "तुम जीवन मे बहुत उन्नति करोगे" तबसे सुबुक्तगीन ने शिकार करना छोड दिया। सच है सदव्यवहार (दया) चाहे मनुष्य के प्रति किया जाय अथवा पशु पक्षी के साथ वह कभी व्यर्थ नही जाता। सदा फलदायक होता है।

सौन्दर्य प्रसाधनों पर टिका क्रूरता का संसार

पृथ्वी का स्वामी केवल मनुष्य ही नही हैं। सब जीव जन्तुओं को धरती पर जीने का अधिकार है। अगर हम किसी जीव की रक्षा नही कर सकते तो उसे मारने का हमें क्या अधिकार है ?

* "दाढी बनाने के बाद आपटर सेब" लगाने के शौकीन यह नही जानते कि इस लोशन की परिक्षा के लिए न जाने कितने गिनिपिगो (जानवरों) की खाल उधेड़ी गई होगी।

* सेन्ट बनाने के लिए "बिज्जु" नामक जानवर को बुरी तरह से पीटा जाता है। वह व्यग्र होता है तो उसके शरीर से पदार्थ निकलता है जिससे सुगन्ध नचोडी जाती हैं इस दौरान उसकी ग्रन्थियों को चाकू से खरौंचा जाता है।

* बन्दरों व खरगोशों पर वैज्ञानिक प्रयोगों की निर्दयता पूर्ण गाथा सुनकर रोंगटे खडे हो जाते है। 3 स्त्रियों के सौन्दर्य प्रसाधनों मे किस प्रकार जीवो का दुरुपयोग होता है।

आईये देखें :-

* लिपस्टिक लगे जिन होठों से मुस्कराकर युवतियां इतराती हैं वह लिपस्टिक की लाली न होकर किसी न किसी मासूम जानवर का रक्त होता है, जो उनके मुख पर मुस्कराता है।

* महिलाएँ जिस फेस पाउडर का इस्तेमाल कर सुन्दर दिखना चाहती हैं वह "स्लेण्ड लोरिस" नामक बन्दर की प्यारी-प्यारी आँखों व दिल को घिसकर बनाया जाता है।

* प्रसाधन सामग्री को जुटाने हेतु रोज अनेक कछुओं को मारा जाता है। उनके शरीर से निकाला गया तेल प्रसाधन सामग्री में इस्तेमाल होता है।

- * टेल्कम पावडर एव लिपिरिटक के प्रयोग नन्हे बन्दरों पर करके उन्हे मौत के घाट उतार दिया जाता हैं। 1984 में 5 करोड़ थे अब मात्र 40 लाख ही रह गये है।
 - * गधबिलाय को मार मारकर उसकी धैली से सुगन्ध निकालते है जिसा सुगध को स्त्रिया घाव से लगाती हैं। गधबिलाय कुछ सप्ताह में दम तोड देता है। करतुरी के लिए हरिण की नाभी चीरी जाती है।
 - * शैम्पू के निर्माण के लिए खरगोश का सिर पिंजड़े मे फसाकर उसकी आंखें घिमटियों द्वारा फोड दी जाती है। जिससे भयानक पीड़ा सहते हुए खरगोश मर जाता है और फुटी हुई आंखों के सत से शैम्पू बनाया जाता हैं।
 - * साप छिपकली एव घडियाल को पकड़कर उनकी रीढ की हड्डियो को तोडकर जीवित अवस्था मे उनकी खाल खींच ली जाती है और उन्हे तड़फ तड़फ के मरने के लिए फँक दिया जाता हैं। उनकी खाल से लेदर की विभिन्न वस्तुएं बनायी जाती हैं।
 - * रेशम की साडी या रेशम के वस्त्र निर्माण हेतु हजारों लाखों रेशम के कीट जन्म से पूर्व ही खोलते पानी मे उबाल दिये जाते हैं एक साडी के निर्माण में 50 हजार कीटों की बलि दी जाती हैं।
 - * नरम कपडे के लेडिज हेड वेग बनाने के लिए जीवित पशुओ के बछडो (गाय, भैंस, कुत्ते) आदि चौपायों को मारकर अथवा उनके भ्रूण के पेट चीरकर जीवन बनने से पुर्व जीवित पशुओं को मारकर उनका क्रूम घमडा निकाला जाता है इनसे पर्स, जैकिट, बैल्ट, जूते आदि का निर्माण किया जाता है।
 - * मोती उत्पादन हेतु ओयस्टेट नामक जीव के शरीर को बेरहमी से घीरा लगा कर अप्राकृतिक मोती निर्मित कराते है और मोती निकालकर उसे मार देते हैं।
 - * फर के वस्त्र आदि के लिए गर्भवती भेड को लगातार पीटा जाता है जिससे समय से पूर्व मेमना पैदा हो जाता है फिर भेड के सामने ही उस मेमने की खाल खींच ली जाती हैं जिससे मुलायम फर की प्राप्ति हो सके।
 - * हाथी दाँत की सौन्दर्य सामग्री के लिए अनेको हाथियो को गैर कानूनी तरीको से प्रति वर्ष मारा जाता हैं।
 - * पशु बालो द्वारा निर्मित ब्रश आदि के लिए पशु को कसकर पकडा जाता हैं फिर उसके बाल बेरहमी से मोघ लिये जाते हैं।
 - * बाघ को उसकी बेशकिमती खाल, चर्बी, मांस व हड्डियों के अतिरिक्त कामोत्तेजक औषधियों के निर्माण के लिए मारा जाता हैं।
- उपरोक्त जीव क्रूरता मे शामिल स्त्री क्या करुणामयी होने का दावा कर सकती है ?
- घाँदी का वर्क -**

हिन्दू समाज में घाँदी का वर्क अपना महत्व रखता है। शादी के समय दुल्हे को चादी के वर्क में लिपटा हुआ पान खिलाया जाता हैं। मंदिर में प्रसाद पर घाँदी का वर्क लगाया जाता है सुपारी उद्योग में भी घाँदी के वर्क का उपयोग होता है। ताजी मिठाई भी घादी के

वर्क में सजी लुगावनी लगती हैं।

क्या आप जानते हैं कि चाँदी का वर्क कैसे बनाया जाता है ? बैल या भैंस की हत्या कर उनकी ताजी गर्म आतों में चाँदी की चादर को रखकर उसे हथोड़ों से तब तक पीटा जाता है जब तक चाँदी के वर्क का रूप न लेले। इस शाकाहारी वर्क में रक्त एव आतों के मास का अच्छा खासा अंश आ जाता है।

शाकाहार में मांसाहार

1. शक्कर— सफेदी हेतु हड्डियों का चारकोल के रूप में उपयोग होता है।
2. सेन्ट— जीवों के उत्तको एव जीव रसायन से निर्मित।
3. सेव— इसकी चमक हेतु शिलेक नामक जीव का उपयोग किया जाता है।
4. बिस्कुट—जीवों की वसा तथा अण्डे की सफेदी से निर्मित।
5. चोकलेट— अण्डे के लेसीथीन से युक्त।
6. केक— अण्डे का उपयोग।
7. जेमजेली— हड्डियों के जेलेटीन का उपयोग।
8. मिठाई— जेलेटीन का उपयोग।
9. दूध पेस्ट — जन्तु वसा व हड्डियों का उपयोग।

“किसी की जान गई, किसी की अदा ठहरी”

राजस्थान में गौ वध प्रतिषेध कानून

प्राचीन भारत में गौधन को अत्यन्त सम्मान जनक स्थान प्राप्त था गाय को मारना या पीटना उचित नहीं माना जाता था। गौ वध करने वाले को हेय दृष्टि से देखा जाता था। गौ वध करने वाला व्यक्ति जब तक उस पाप का प्रायश्चित्त नहीं कर लेता तब तक उसे जाति बहिष्कृत की तरह व्यवहार किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों की सोच में भी बदलाव आया, और बिना दुध देने वाले गौ वध को लोग घर से बाहर निकाल कर अपने हाल पर छोड़ने लगे।

इस प्रकार आर्थिक रूप से अनुपयुक्त समझे जाने वाले गाय, बैल, बछड़े आदि गौ वध कसाईयों के हत्थे चढ़कर कत्लखानों में पहुंचकर कटने लगे। रही सही कमी मशीनीकरण ने पूरी कर दी। ट्रैक्टर आदि कृषि यन्त्रों से बुवाई का दायरा बढ़ जाने के कारण तथा परिवहन में मोटरो के प्रचलन से उपयोगी बैलो को नकार दिया गया, और वे मीत के मुह में जाने लगे। अनुपयोगी बछड़ों के उचित पालन पोषण नहीं होने से गावों में उन्नत सांडों का भी टोटा पड़ने लगा है।

इस प्रकार की विकट परिस्थितियों के कारण हमारे देश में प्रतिदिन हजारों की संख्या में गौधन काल के गाल में जा रहा है। अतः इनकी सुरक्षा हेतु कठोर कानून की जरूरत महसूस की गई और इस सम्बंध में राजस्थान सरकार द्वारा “राजस्थान गौवंशीय पशु (वध

का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन) अधिनियम 1995" नामक कानून दिनांक 24 8 95 को राज्य में लागू हुआ इस अधिनियम में गाय, बछड़ा, बछिया साड व बैल को गौवशीय पशु माना गया। इस अधिनियम में कारित अपराध को विभिन्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो इस प्रकार है -

- 1 किसी भी ढग या रीति से मारना।
- 2 किसी भी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए मारना।
- 3 आशय पूर्वक मारना।

उदाहरण के लिए मुसलमान लोग ईद पर भी इनका वध नहीं कर सकतेगे। चराई, कृषि कार्य, डेयरी उद्योगों हेतु ले जाने, पशु मेले में भाग लेने के लिए अधिकृत सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रकिया में आवेदन कर समुचित लिखित अनुमति प्राप्त करेगा। बिना अनुमति के गौवशीय पशु को अन्यत्र ले जाना कानून का उल्लंघन माना जायेगा।

इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने के उद्देश्य को अग्रसर किसी भी ट्रक आदि वाहन से पशु ले जाया जाये तो ले जाने वाला दुष्प्रेरणा का दोषी माना जायेगा। अपराध साबित होने पर उसे 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा तथा 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

सम्बधित पशु के प्रवर्जन की लिखित अनुमति लेने से पूर्व सम्बधित पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य जाँच करवाकर सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी उस पशु को एक निश्चित कालावधि को चराई के लिए अन्यत्र ले जाने हेतु अनुमति देगा। लेकिन मजुरी की अवधि की तारीख अगले अगस्त माह से पूर्व यदि कोई व्यक्ति ऐसे गौवशीय पशु के परमिट मे उल्लेखित कालावधि के भीतर यदि वापिस नहीं लाता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने कानून की उप धारा 1 का उल्लंघन किया है।

अपराध पर कानूनी सजा

इस अधिनियम की धारा 8, 9 व 10 में जुर्माना व दण्ड के बारे मे प्रावधान इस प्रकार है -

1. इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी भी विधि, प्रथा, रूढी के द्वारा अगर कोई व्यक्ति गौ वंश (गाय, बैल, बछड़ा, बछड़ी व साड) का वध करता है या दुष्प्रेरणा करता है तो अधिनियम की धारा 8 के अनुसार इस अपराध की सजा न्यूनतम एक वर्ष से दस वर्ष तक का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा का प्रावधान है।

2 इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी कोई भी व्यक्ति गौ मांस या किसी रूप में गौ मांस उत्पादों का कब्जा बेचने व बेचने के लिए परिवहन नहीं कर सकता।

इसी अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति गौवशीय पशु को स्वयं या अपने किसी एजेन्ट या नौकर के जरिये मारने के प्रयोजन से यह जानते हुए भी कि उसका

वध किया जा सकता है। राज्य के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर पशु को न तो निर्यात कर सकता है और न ही करवा सकता।

अगर कोई अधिनियम की उपरोक्त धारा 4 व 5 का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा 8 के अनुसार 6 माह से 5 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 5000 रु के जुर्माने से दण्डित होगा।

3. किसी गौवंशीय पशु को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य करने या ऐसी दुष्प्रेरणा करने पर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार 3 वर्ष तक की अधिकतम कठोर कारावास एव 3000 रु के जुर्माने से दण्डित होगा।

4. किसी गौवंशीय पशु को साशय गंभीर क्षति पहुंचाने एव इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करने पर इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार 1 वर्ष से 7 वर्ष तक कठोर कारावास व 7000 रु. जुर्माना हो सकता है।

इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभीनिर्धारित किया है कि यदि किसी गौ वश पर प्रहार कर गंभीर क्षति कारित की जाती है, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तो उसे "वध" का दोषी माना जायेगा।

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गौ वश पर लाठी से प्रहार करता है चाहे उसका उद्देश्य उस गाय को मारने का नहीं रहा हो तो उसे "गंभीर क्षति" कारित करने का दोषी ही माना जायेगा।

गौ वंशीय पशु के अस्थायी प्रवर्जन के लिए परमिट

इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन राज्य में अकाल अथवा अभाव प्रस्त क्षेत्रों से गौ वंशीय पशुओं को अन्यत्र राज्य में चराई के लिए कृषि या डेयरी उद्योगों के प्रयोजनार्थ राज्य से बाहर, अथवा पशु मेले में राज्य से बाहर ले जाने की अवस्था में पशुओं को ले जाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह:-

1. सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
2. सक्षम प्राधिकारी उस प्रस्तावित आवेदन के मिलने पर प्रवर्जन हेतु आवश्यक परिस्थितियों का उचित मूल्यांकन कर सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्सक को उस पशु के स्वास्थ्य परीक्षण एवं पशुओं के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह से आश्रवस्त होगा।
3. पशु चिकित्सा अधिकारी प्ररूप -4 में प्रमाण-पत्र जारी करेगा और गौ वंशीय पशु के स्थायी पहचान चिन्ह लगायेगा।
4. इस प्रक्रिया का समाधान होने के पश्चात सक्षम अधिकारी उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए परमिट जारी कर सकेगा।
5. अस्थायी प्रवर्जन से गौ घन के लौटने पर आवेदन सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापिस लाये गये पशुओं के बारे में लिखित सूचना निर्धारित प्रपत्र के द्वारा देगा।
6. चराई एव पशु मेले में भाग लेने के बाद वापिस लाये गये पशुओं की संख्या के बारे में

फेरफार यदि कोई होतो उसके सबूत के साथ सक्षम अधिकारी को स्पष्टीकरण देना होगा।
 7 यदि कोई चराई के लिए ले जाये गये पशु को परमिट में विनिर्दिष्ट (अकित) कालावधि के भीतर-2 वापिस नहीं लाता है तो वह अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय होगा।
 8 इन्हे अन्यत्र ले जाने वाला परिवहक गौवशीय पशुओं की लदाई के पूर्व यह सत्यापित करेगा कि इन पशुओं के लिए अधिनियम की धारा 5 के अधीन विधि-मान्य विशेष परमिट जारी किया जा चुका है। ऐसा न होने पर अधिनियम की धारा 8 के अधीन दण्डनीय होगा।

इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध कारित करने पर वाहन से पुलिस द्वारा जब्त किये गये गौवंश को पशु कल्याण में लगी किसी स्वेच्छिक सस्था को अथवा गौ शाला को अंतिम निपटारा होने तक दिया जा सकता है। जहां गौ शाला नहीं हो वहां अन्य कोई व्यक्ति उन्हें रखना चाहे तां उन्हें भी सुपुर्द किया जा सकता है लेकिन ऐसे पशुओं के मालिक मिल जाते हैं तो उनसे पशुओं के रखरखाव का खर्चा वसूल कर उन्हें लौटाया जा सकता है।

राजस्थान में पशु बलि कानूनी अपराध

जिस तरह हमारे सामाजिक जीवन में कई प्रकार के अधविश्वास एव कुरीतियाँ प्रवेश कर गई है, उसी क्रम में देवी देवताओं के पूजा के विधान के नाम पर पाखण्डी पुजारियों ने पूजा के असली स्वरूप को बिगाड़ रखा है, जिसमें सबसे अधिक अखरे वाली बात है—“देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे निरपराध जानवरों की बलि चढ़ाना”। पशु बलि की इस हिंसक कुप्रथा के बारे में लोगों की यह बेतुकी सोच है कि—“देवी के आगे बकरे की बलि चढ़ाने से देवी खुश होगी”। जबकि यह सोच सरासर गलत है। पुरातन हिन्दू धर्म ग्रन्थों में कहीं भी पशु बलि की आज्ञा नहीं है। कुछ निहित स्वार्थी मांसाहारी लोगों ने कभी ऐसी धिनोनी कुप्रथा शुरू कर दी और लोग अज्ञान वश इसका अधानुकरण करते गये। न जाने इस गलत सोच के कारण आज तक कितने निरीह जानवरों को अपनी जान गवानी पड़ी।

जबकि वास्तव में देवी ऐसे पाप पूर्ण कृत्य से खुश होने की बजाय कुपित होती है। क्योंकि देवी सम्पूर्ण चराचर जगत की माता हैं। एक सामान्य माता भी अपनी सतान का बुरा नहीं चाहती फिर वह तो जगन्माता हैं। वो भला अपनी लाडली सतान निरपराध जानवर की हिंसा कैसे सहन कर सकती हैं ? अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि अधविश्वास पर आधारित इस पाप पूर्ण कृत्य के कारित होने पर उसे प्रयत्न पूर्वक रोकने का प्रयास करें। अन्यथा ऐसा करने वाले पाखण्डी को कानून के सुपुर्द करावे।

महान सत विल्होजी महाराज पशु बलि पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं :-

भरम उपाय पाहण गुरु थरपे, साध सेवा नहीं जाणी।

निरजीव आगे सरजीव मारे, दुल गया बिन पाणी।।

इस कुप्रथा की रोक थाम हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर 24 अप्रैल 1975 को राजस्थान पशु और पक्षी बलि (प्रतिषेध) अधिनियम 1975 लागू किया

पोलीथीन की सुविधा धरती की दुविधा ।

गया। जिसकी धारा 3 में उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति मन्दिर अथवा सार्वजनिक एव धार्मिक पूजा स्थल परिसर में न तो पशु अथवा पक्षियों की बलि देगा और न बलि देने में सहायता करेगा तथा अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि—

(क) न तो बलि का आयोजन करेगा, न ऐसे आयोजन का प्रस्ताव करेगा।

(ख) न तो बलि देगा, और न बलि देने में प्रस्ताव करेगा, अथवा

(ग) न तो बलि में सहायता करेगा, न भाग लेगा, न ऐसी सहायता अथवा सेवा का प्रस्ताव करेगा।

पशु बलि होने की पूर्व सूचना पर संभावित पशु बलि को रोकने के लिए निषेधात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। इस सम्बन्ध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को परिवाद प्रस्तुत करने पर मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन कर बलि देने पर अपराधी को एक वर्ष तक के सजा एव 1000रु. का जुर्माना या दोनों ही सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।

अपराध की सजा

1. जो कोई इस अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा अथवा उल्लंघन में सहायता या दुष्प्रेरणा करेगा तो दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 माह तक हो सकेगी। अथवा ऐसे जुर्माने से 500 रुपये तक का हो सकेगा। अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

2. जो कोई धारा 4 अथवा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा अथवा उल्लंघन में सहायता या दुष्प्रेरणा करेगा। तो उसे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 माह तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो 300 रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

बिमार एवं घायल पशु पक्षी की सेवा हमारा—धर्म

पशु दो प्रकार के होते हैं — एक पालतु तथा दुसरा वन्य पशु। मनुष्य की स्वाभाविक मनोवृत्ति है कि जिन पशुओं से उसे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति व आर्थिक लाभ मिलता है, उनका बिमार पड़ जाने पर यथा साध्य ईलाज करवाता है, लेकिन यह प्रवृत्ति तब तक ही कायम रहती है जब तक पशु उसके काम आता रहे। उदाहरण के लिए किसी दुर्घटना में अगर पशु अपग होकर चलने फिरने में लाचार हो जाये या बुढ़ा हो जाता है तो उस पशु को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। यह प्रवृत्ति नैतिक रूप से उचित नहीं है। स्वार्थ वश की गई सेवा, सेवा नहीं होकर मात्र अपना उल्लू सीधा करना है। निःस्वार्थ सेवा यही है जो किसी पशु की असहाय अवस्था में की जाये।

एक बार सत दादुदयाल रात्रि में कही जा रहे थे तो उन्हें एक जगह थोड़े-थोड़े अन्तराल से "राम... राम... राम" के नाम की आवाजे क्रमबद्ध सुनायी दी। संत दादु

जी ने अनुमान लगाया कि शायद ऐसा कोई भक्ता होगा जो एकान्त में बैठकर तल्लीनता से प्रभु नाम का जाप कर रहा है। वे जिज्ञासावश उस आवाज की दिशा में उसके समीप गये तो उन्होंने देखा, कि एक किसान अपने बैल के द्वारा रैहट घंटा रहा था जैसे ही वह रैहट के पात्रों का पानी खाली करता तो बैल का पूछ मरोड़कर "राम" शब्द का उच्चारण करता उसी देखकर रात की पूर्व धारणा एकाएक बदल गई और उन्होंने कहा-

"दादु दुनिया बावळी, कहे चाम को राम।

पूछ मरोडे बैल को काटे आपगो काम।।

यही स्थिति हमारी हो गई है कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र स्वार्थ वश की गई सेवा का उतना महत्व नहीं होता जितना कि निस्वार्थ भाव से होता है। पशु पालकों द्वारा अपना मतलब हल होने के बाद पशु धन को प्रायः असहाय अवस्था में छोड़े निढाल पड़े हुए किसी पशु को देखकर सद्दय पुरुष के दिल में दया भाव का स्वामाविक संचार होता है। वास्तव में धर्म का मूल तत्व दया ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र स्वार्थ वश की गई सेवा का उतना महत्व नहीं होता जितना कि निस्वार्थ भाव से होता है। अतः ऐसी दयनीय हालात में घायल, बीमार, पड़े हुए बेबस मूक प्राणियों की सेवा व चिकित्सा करना हमारा धर्म ही नहीं कर्तव्य भी है।

क्योंकि इस प्रकार बेहाल पशु अपनी पीड़ा का इजहार हमारे सामने नहीं कर सकते। अतः ऐसी स्थिति में उनके हाव भाव से ही हमें ये जान लेना चाहिए कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्वनोई सभा व पीपुल फॉर एनीमल्स, विश्वनोई टाईगर फॉर्स जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ता ऐसे दीनहीन जरूरत मद पशुओं की पीड़ा को बाटने का प्रयास करते हैं। अधिक से अधिक लोगों को ऐसी सस्थाओं से जुड़कर अपना अमूल्य योगदान करना चाहिए।

पिछले वर्ष दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था "ऊट बना दूठ" खबर को पढ़कर मालूम हुआ कि जालवाली गांव के पास सडक के किनारे एक दुर्घटना ग्रस्त ऊट महिने भर से पैर टुटा निढाल पड़ा अपनी बेबसी के आसू बहा रहा है। इस खबर को पढ़कर पीपुल फॉर एनीमल्स बीकानेर के उपाध्यक्ष शिवराज जाखड़ बीमार पशु प्रमारी मोखराम धारणियां श्री लक्ष्मण खीचड़ भवरताल सहारण चम्पालाल कालीराणा आदि कार्यकर्ताओं ने ट्रेक्टर ट्रौली से ऊट का बीकानेर वेटनरी कॉलेज में ईलाज करवाकर उसे राहत पहुंचायी। इसी प्रकार इन सस्थाओं के कार्यकर्ता बीकानेर, नोखा, श्रीकोलायत, खाजूवाला, लूणकरणसर आदि क्षेत्रों में इसी प्रकार के हालात के शिकार मूक पशु पक्षियों की चिकित्सा सेवा में जुटे हुए हैं। इसी प्रकार शिकारियों अथवा कुत्तों द्वारा घायल एव बीमार हरिण आदि वन्य जीव तथा अकाल की मार से पीड़ित गौधन जिन्हे तत्कालीक ईलाज और चारे की जरूरत है तथा उन्हें इन्तजार है कि कोई ऐसा दयालु आये और उसकी पीड़ा को हर ले। इस प्रकार बेहद कष्ट पूर्ण हालात में बेबस मूक प्राणियों की सेवा से जो आत्म सतुष्टि मिलती है उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कई नवयुवकों में तो इस सम्बन्ध

में गजब का सहानुभूति भाव देखा गया है। आज से दो वर्ष पूर्व खाजूवाला से 15 किमी. दूर बाणी का एक नव युवक कुत्तों द्वारा बुरी तरह घायल किये एक नील गाय के बच्चे को लेकर खाजूवाला जीव रक्षा समा कार्यालय पहुंचा तो उसी देखकर मैं दंग रह गया, कि वन्य पशु को कंधे पर लाद कर लाने से उसके कपड़े रक्त से सने हुए थे। लेकिन उस नवयुवक रामनिकास सहायण ने इसकी परवाह न कर उक्त वन्य पशु को ईलाज हेतु खाजूवाला पहुंचाया। कई दिन ईलाज के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बचाने वाले को दुआ देती हुई वह नीलगाय जंगल में भाग गयी। आपकी नजर में ऐसा कोई बेसहारा घायल अथवा तड़पता हुआ पशु अश्रुपूर्ण नेत्रों से सहायता की अपेक्षा से आप को निहारता नजर आये तो तुरन्त उसकी सेवा में जुट जायें। पीड़ित की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।

ऑक्सीटोक्सीन इंजेक्शन के दुष्परिणाम



डॉ. हनुमान दीप्ती

आज हम ऐसे असंतुलित भौतिक विकास की दहलीज पर आ खड़े हैं, जहां हमारी नैतिकता डगमगाने लगी है। सकारात्मक सोच की जगह स्वार्थपरता ने ले ली है। अपने स्वार्थ को साधने के लिए क्रूरता पूर्वक व्यवहार बढ़ने से मात्र लाभ की बातें सोची जाने लगी हैं, येन-केन प्रकारेण लाभ हासिल करने की प्रवृत्ति ने बेजुबान जानवरों को भी नहीं बक्सा है अधिक उत्पादन की महत्वाकांक्षा ने मनुष्य को इस कदर अंधा बना दिया है कि वह प्रकृति के कायदे कानून तोड़ कर भी पशुओं का दोहन करने को आमादा है। देश में पशुओं के दुग्ध दुहने के लिए ऑक्सीटोक्सीन नामक इंजेक्शन का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

पशु पालक इसे सामान्य भाषा में पशु पावसने वाले टीके के नाम से जानते हैं। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. हनुमानाराम सीरवी खाजूवाला के अनुसार इस इंजेक्शन का प्रयोग दुग्ध दुहने के लिए करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसे लगाने पर पशु के थनों में दुग्ध तो उतर आता है लेकिन यह दुग्ध पीने वाले के लिए अत्यन्त हानि कारक है। लगातार इसके प्रयोग से पशु का दुग्ध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस हारमोन का दुग्ध में उत्सर्जन होने के कारण मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पशु औषधि वैज्ञानिकों द्वारा किये गये विभिन्न अनुसंधानों के परिणामों के आधार पर ऑक्सीटोक्सीन से होने वाले कुप्रभावों के बारे में जो तथ्य सामने आये हैं। वे निम्नानुसार हैं—

1. इसके नियमित प्रयोग से दुग्धरू पशुओं की दुग्ध स्त्रावी ग्रन्थियां प्रभावित होती हैं। उनकी कोशिकाएं नष्ट होकर दुग्ध उत्पादन में कमी होने लगती हैं एवं अतः पशु दुग्ध देना बंद कर देता है।
2. इसके लगातार प्रयोग से हारमोनल सतुलन बिगड़ जाता है जिससे पशु का शरीर क्रिया तंत्र एवं उसके पाचन अवशोषण तंत्र व चयापचयी क्रियाओं पर अत्यंत घातक प्रभाव पड़ता

हैं और इस टीके को अधिक मात्रा में देने पर दुध में सोडियम की मात्रा घट जाती है जिससे पशु के शरीर में खनिज असंतुलन बढ़ जाता है।

3 इसके लगातार प्रयोग से ओवेरियन (गर्भाशय) के संकमण की संभावना बढ़ जाती है तथा अंडाशय में गाठ बन जाने से अंडाशय काम नहीं करता।

4 हारमोनल असंतुलन से पशु के मासिक स्त्राव में गड़बड़ी होने से पशु समय पर ताव में नहीं आता। कभी कभी तो पशु का ताव में आना ही बढ़ हो जाता है।

5 ग्यामन पशुओं में इसके प्रयोग से गर्भपात या अधुरा बच्चा पैदा होने की संभावनाएं अत्यंत बढ़ जाती हैं। अधुरा बच्चा होने से पशु की समय पर जेर नहीं गिरती तथा अन्य समस्याएं जैसे बच्चेदानी में सुजन आना, ग्यामिन नहीं होना तथा ताव में आने पर भी ग्यामिन नहीं होने जैसी बिमारिया उत्पन्न हो जाती हैं।

6. जिन पशुओं में इस टीके का प्रयोग किया जाता है उनके दुध में ऑक्सीटोसिन हारमोन मिलने से नर पशु में परिपक्वता देरी से व मादा पशु में जल्दी आ जाती है ये दोनों ही परिस्थितिया सही नहीं हैं।

7 इस टीके के प्रयोग से निकाले जाने वाले दुध में उक्त पशु के रक्त, अस्थि व मज्जा, के घटक भी आ जाते हैं।

8 आक्सीटोसिन से प्रभावित पशु का दुध लेने वाले मनुष्यों में खासकर बच्चों में मस्तिष्क सम्बन्धी विकार, असांमयिक बुद्धि तथा हारमोनल असंतुलन पैदा हो जाता है।

इस दुध के सेवन से स्त्रीयों के मासिक धर्म में गड़बड़ी हो जाती है। गर्भपात होने के संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा स्त्रियों में स्तन कैंसर तथा पुरुषों में नपुंसकता होने में इस हारमोन का महत्वपूर्ण स्थान है। अत आक्सीटोक्सीन इजेक्शन पशु धन के विकास, स्वास्थ्य के लिए भारी रूकावट है। इसके प्रचलन को किसी भी हालत में रोकना होगा। जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की उप धारा 12 के तहत दुधारु पशुओं का दुध उतारने या बढ़ाने के ऐसे किसी भी प्रयास को अपराध माना जायेगा और दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा।

उक्त अधिनियम में यह दर्शाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति दुधारु पशु पर फुका या डुमदेव नामक क्रिया एव दुग्ध स्त्रवण को बढ़ाने के लिए कोई अन्य ऐसी क्रिया जिसमें के अन्तर्गत किसी पदार्थ का उपयोग करेगा जो उस पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या अपने कब्जे अथवा अपने नियंत्रण के अधीन किसी पशु पर ऐसा करता है तो वह अपराधी होगा लिप्त पाये जाने पर उसे 1000 रु तक जुर्माना या दो वर्ष कारावास अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इस टीके (ओषधि) की अद्वैत बिक्री एव दुरुपयोग करने वाले औषधि विक्रेताओं पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है। इस टीके का कुप्रभाव पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ मनुष्यों की सेहत से जुड़ा है अत हम सभी का यह कर्त्तव्य बनता है। कि इस दिशा में जन जागरण अभियान चलाकर इसके दुष्प्रभावों का प्रचार कर हर गांव, ढाणी, और दुर दराज में बैठे पशु पालकों को अवगत करवाया जाये।

पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम 1960

बहुत कम लोग जानते हैं कि देश के कानून में मूक पशुओं के प्रति बरती जाने वाली निर्दयता पूर्ण व्यवहार पर कानून में सजा का प्रावधान है और कोई भी व्यक्ति किसी पशु के प्रति क्रूरता पूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। पशु की क्षमता से अधिक उससे काम नहीं ले सकता, चाहे वो उस पशु का मालिक भी क्यों न हो। अपने पालतु पशु को कानून द्वारा मिले तमाम अधिकारों की रक्षा करना उसका दायित्व है।

पशु निर्दयता (निवारण) अधिनियम (केन्द्रिय अधिनियम) 1960 के अध्याय 3 की धारा 11 में उल्लेख है कि

(क) किसी पशु को पीटता है, ठोकरे मारता है, अधिक सवारी करता है, अधिक जोतता है, अधिक भार लादता है, यातनाएं देता है अथवा अन्य इस प्रकार का किसी पशु के साथ व्यवहार करता है जिसके कारण वह पशु अनावश्यक पीड़ा एवं कष्ट भुगतता है।

(ख) किसी पशु से ऐसा कार्य या परिश्रम कराता है, जिसे वह रोग, दुर्बलता, घाव, सूजन एवं अन्य कारण से करने के अयोग्य है, अथवा मालिक होने के कारण किसी पशु से इस प्रकार कार्य लेने हेतु अनुमति देता है, अथवा—

(ग) स्वेच्छा से तथा अनुचित रूप से किसी पालतु अथवा बंदी पशु में ऐसी कोई औषधि अथवा पदार्थ प्रवेश कराये जाने का कारण बनता है या कारण बनने का प्रयत्न करता है, अथवा—

(घ) किसी पशु को किसी गाड़ी अथवा अन्य वस्तु के भीतर या ऊपर इस रीति से ऐसी स्थिति में ले जाता है अथवा हस्तांतरित करता है जिससे वह अनावश्यक पीड़ा एवं कष्ट का विषय बनता है, अथवा—

(ङ) किसी पशु को ऐसे पिजड़े अथवा अन्य रहने के स्थान में रखता है या बंदी बनाता है जिसकी लम्बाई, चौड़ाई व ऊँचाई उस पशु की हरकत के लिए अपर्याप्त हो व उसे उचित अवसर प्रदान न करता हो, अथवा—

(च) किसी पशु को अनुचित रूप से लम्बे समय तक जंजीर अथवा अनुचित तंग रस्सी या भारी सख्त रस्सी से बांधे रखता है, अथवा—

(छ) मालिक होने के नाते वह उपेक्षा करता है अथवा उपेक्षा का युक्ति पूर्वक निमित्त बनता है व किसी आभ्यासित रूप से किसी कुत्ते को जंजीर से बांधे रखता है या सकुचित नजर बंदी में रखता है, अथवा—

(ज) किसी बंदी पशु का मालिक होने के नाते उसे भोजन, पानी, आश्रय प्रदान करने में असफल रहता है, अथवा—

(झ) किसी उचित कारण बगैर किसी पशु को ऐसी परिस्थितियों में त्याग कर जिसमें उसे भूखें निराहार रहकर अथवा पानी के अभाव में रहकर पीड़ा उठानी पड़े; अथवा—

(ञ) इच्छा पूर्वक ऐसे पशु को जिसका वह मालिक हो किसी सड़क पर खुला चले जाने देता

है जबकि पशु घूत के अथवा राक्तामक (हिडकाव) जैसे रोग से पीड़ित हो या किसी उचित कारण बिना रोगी अथवा अपंग पशु को जिराका वह मालिक है किसी सड़क पर मर जाने देता है, अथवा—

(ट) किसी ऐसे पशु को बेचने का प्रस्ताव करता है या उचित कारण बगैर अपने कब्जे में रखता है जो अंग, भंग किये जाने, भूखा प्यासा रखे जाने, अधिक संख्याओं में रखे जाने, अथवा अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ा भोग रहा हो, अथवा—

(ठ) अनावश्यक निर्दय शीति से जरूरी नहीं होने पर भी किसी पशु को अंग भंग अथवा दब करता है, अथवा—

(ड) किसी पशु को इस प्रकार नजर बंद करता है अथवा उसका निमित्त बनता है वह ताकि वह किसी अन्य पशु के शिकार की वस्तु न बन सके; अथवा—

(ढ) अपने व्यवसाय के प्रयोजनार्थ, पशु की लड़ाई अथवा किसी पशु को ललचाने के अनिप्राय से किसी स्थान को, रागठित करता है, रखता है, प्रयोग करता है, अथवा व्यवस्था करने का कार्य करता है तथा इस प्रकार के प्रयोग हेतु किसी स्थान के लिए आज्ञा देता है या प्रस्ताव करता है अथवा किसी प्रयोजन के लिए रखे गये किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश हेतु धन प्राप्त करता है, अथवा—

(ण) किसी निशाने बाजी की स्पर्धा में वृद्धि करता है या भाग लेता है जहां पशुओं को इस प्रकार की निशाने बाजी के प्रयोजनों हेतु मुक्त किया जाता हो ।

उपरोक्त पशु निर्दयता निवारण अधिनियम 1960 के अध्याय 3 की धारा 11 के क से लेकर ण तक उपबंधों के अधीन अपराध कारित करने पर अधिकतम 3 माह की सजा और 100 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है तथा इन अपराधों के घटित होने पर उपनिरीक्षक के पद का अधिकारी तलाशी व बरामदगी कर सकता है ।

जमीन पर बिखरा पोलीथीन कितना घातक ?

आज पोलीथीन की थैलियां पैकिंग सामग्री के तौर पर हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बनकर रह गयी हैं । सस्ता व सुलभ होने के कारण खान मान से लेकर दैनिक उपभोग की सभी वस्तुओं में पोलीथीन का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है । इससे मनुष्य के सामने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या उठ खड़ी हुई है । इसके फलतु कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण प्लास्टिक का कचरा हमारे लिए जी का जजाल बन गया है । जब से गुटखों व चॉकलेटों का प्रचलन बढ़ा है तब से पोलीथीन के कचरे में भारी इजाफा हुआ है । विगत 30 वर्षों में सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थों में पोलीथीन के प्रचलन से इनकी थैलियों के छोटे बड़े टुकड़े यत्र तत्र बिखर कर जगह जगह गन्दगी फैला रहे हैं । जन चेतना के अभाव में इनके भंगकर दुष्परिणामों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता । पोलीथीन मनुष्य द्वारा निर्मित वह कृत्रिम पदार्थ है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जबकि कागज, जूट, गत्ते आदि से बनी पैकिंग सामग्री एक निश्चित समयवधि

में नष्ट होकर रेत में तब्दील हो जाती हैं। परन्तु पोलीथीन के टुकड़े छोटे-छोटे हो जाने के बावजूद जमीन से संयोग पाकर भी नष्ट नहीं होते और व सालों साल धरती में पर पड़ा रहता है। पोलीथीन नष्ट नहीं होने की प्रकृति के कारण अब पर्यावरण प्रदुषण का खतरा बनकर उभरा है।

सहज ही हल्का होने के कारण पोलीथीन थोड़ी सी हवा के झोंके से दूर-दूर तक बिखर कर गावों और शहरों के अलावा दूर दर्राज के खेतों में भी पहुंच गया है वहां बोयी जानी वाली फसलों के अंकुरण में बाधा बनता जा रहा है। जहां जहां कृषि भूमि में पोलीथीन के टुकड़े मौजूद हैं हल की नोक से फट फटने के बावजूद पोलीथीन के टुकड़ों के नीचे गिरे बीज को उगाया नहीं जा सकता-

भूमि पर गर पड़ा हुआ है, पोलीथीन का छोटा पाना।

उगा नहीं जा सकता दाना, बोने वाला है अनजाना।।

पोलीथीन खाने से गौ धन संकट में

फालतु समझकर फैंके जाने वाले पोलीथीन से सबसे बड़ा अनर्थ यह हो रहा है कि गलियों में गिरे पोलीथीन आदि के टुकड़ों को खाकर रोजाना भारी मात्रा में अपने अमृत मय दुध से हमारा पोषण करने वाली गौ माता मौत के मुंह में जा रही है। अक्सर लोग अपनी गायों को दुहने के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं। गलियों में इधर उधर गुंठ मारता पशु प्लास्टिक की थैलियां खा जाता है। जिससे मात्रा राजस्थान में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में गौ धन बेमौत मर रहा है। जिसके जिम्मेवार और कोई नहीं हम स्वयं हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को सम्मान जनक माता का दर्जा प्राप्त है। लेकिन हमारी अपनी लापरवाही से रोजाना बड़ी संख्या में गौ धन का दुखद अन्त सचमुच दिल दहलाने वाली घटना है। परन्तु कटु सत्य है।

भूमि पर फैंके टुकड़ों को अपनी गौ माता घर जाती है।

प्राण त्यागती तड़फ-तड़फ कर हमको तनिक दया ना आती।

मरती गऊरे करे पुकार! सुणले धर्म हीण संसार,

मौत बिना हमको मत मार नहीं मिलेगी दुधांधार।

पोलिथीन खा कर मरने वाली गायों के शरीर के सब अंग समय आने पर रेत बन जाते हैं लेकिन उसके पेट में मौजूद पोलिथीन, गुटखों के पाऊच, सिन्थेटिक कपड़ों के टुकड़ो आदि की गठरीनुमा कृत्रिम पदार्थ गाय का पूरा शरीर नष्ट होने के बावजूद देखे जा सकते हैं जो बाद में पुनः धरती पर बिखर कर पूर्ववत् नुबसान पहुंचाने लगते हैं। इस प्रकार पोलिथीन खाकर बीमार गायों के मरने का सिलसिला नहीं रुका तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम गौ रस (धी, दूध, दही) के लिए तरस जाएंगे।

खाजूवाला के पशु चिकित्सक डॉ. हनुमानाराम सीरवी के अनुसार पशु के द्वारा खाया गया पोलीथीन किसी भी तरह से पच नहीं पाता और आतों में फंसकर लगातार इकठठा होता जाता है और अधिक संख्या में इकठठा होने पर गठरीनुमा बनकर पशु की भोजन नली

को अवरूद्ध कर देता है जिससे पशु के आफरा आ जाता है तथा पेट में गांठ बनने से आत में रुकावट जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। जिससे पेट में दर्द का होना, बार-बार दस्त लगना, गैस बनना शुरू हो जाता है, जब आफरा आता है तो पेट डोल की तरह बजता है कभी कभी जुगाली करने पर आफरा उतर जाता है। पशु सुस्त रहता है। पशु के दोनों पैरों के बीच सूजन आना, इस बीमारी का मुख्य लक्षण है।

उपचार:- प्लास्टिक खाने से बीमार पशु का किसी भी दवा से ईलाज नहीं हो सकता मात्र पेट का ऑपरेशन कर पशु की जान बचायी जा सकती है। लेकिन जीवित पशु के पेट से पोलिथीन निकालने के लिए रुमनटौमी ऑपरेशन की सुविधा जिला स्तर के अलावा अन्यत्र दूर दराज में कहीं भी सुलभ नहीं है तथा साधन हीन पशु पालकों द्वारा शहर लाकर महंगे खर्च से ऑपरेशन करवाना उनके ब्युते से बाहर है। अतः ऐसी हालात के शिकार पशु की मौत को टाला नहीं जा सकता है।

हवा के झोंके से चलाय मान पोलिथीन उड़कर जहा भी जाता है वहां अपना विनाशक दुष्प्रभाव अवश्य छोड़ता है। कृषि भूमि के अलावा गावों व शहरों में गन्दे पानी की निकासी की नालिया पोलिथीन की थैलियां फसने से बाधित हो रही हैं। इनमें गिर कर इक्कठा हुआ पोलिथीन पानी के प्रवाह को रोक देता है, जिससे पानी दुषित होकर सड़ांध मारने लगता है। बड़े महानगरों में तो सिवरलाईने तक इनसे जाम हो जाती हैं। बदबुदार गन्दे पानी से अनैक प्रकार की घातक बिमारियां पनपती है। इस प्रकार अपने दुष्प्रभावों के कारण पोलिथीन आम जन की परेशानी का कारण बना हुआ है। इस समस्या से निजात पाने हेतु आज पूरा विश्व चिंतित है।

राजस्थान सरकार ने पुनः चक्रित पोलिथीन की पतली थैलियों पर कानून रोक लगा रखी है। लेकिन कानून को तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक आम आदमी इनके नुकसान को समझकर इनकी रोक थाम की स्वयं पहल नहीं करेगा। पोलिथीन के दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु निम्न उपाय अपेक्षित हैं:-

1. हमेशा सब्जी एवं खाद्य पदार्थ पोलिथीन की बजाय अन्य थैले में लाने की आदत डालें।
2. घर में आई पोलिथीन, नायलोन के थिथडो को फेंकने की बजाय सुरक्षित इक्कठाकर जला दें।
3. सार्वजनिक तौरपर इनके सम्भावित खतरों के प्रति आमजन को आगाह कर जनचेतना के भाव जागृत किये जाये।
4. धार्मिक और सामाजिक एवं सरकारी आयोजनों में भोजन व नाश्ते में प्रयोग किये जा रहे यूज एण्ड थ्रो प्लास्टिक पात्रों पर सख्ताई से पाबंदी लगे।
5. सभी धर्माचार्य एवं राजनेतागण आमजन को इस सम्बन्ध में प्रेरित करें।
6. मौजूदा पोलिथीन के कचरों के ढेरों को इक्कठा कर जलाने का गली गली में अभियान चलाया जाये।
7. ग्राम पंचायत नगर पालिका व नगर परिषद में अपशिष्ट प्लास्टिक को नष्ट करने हेतु प्रति वर्ष बजट में प्रावधान हो।

8. सचार माध्यमों से पोलीथीन की हानियों का निरंतर प्रचार प्रसार हो।
9. मेलों अथवा धार्मिक महत्व स्थलों पर पोलीथीन फैकने की प्रवृत्ति पर रोक लगे।
10. पोलीथीन बनाने वाली फैक्ट्रीयों पर प्रतिबंध लगाने की पुरजोर मांग हो।

यज्ञ का विधान क्यों ?

हिन्दू धर्म शास्त्रों में यज्ञ का बहुत महत्व है। हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वामाविक है कि आखिर यज्ञ का विधान क्यों किया गया ? मनुस्मृति में यज्ञ के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से समझाया गया है। उसमें उल्लेख है कि यज्ञ से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होकर उसके चौर सेदित कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य के मनोविकार घटते हैं। ब्रह्मतेज में वृद्धि होती है, अच्छे विचारों का उदय होकर भगवान की प्राप्ति सुगम हो जाती है। यज्ञ के द्वारा अनेक कामनाओं की पूर्ति होती है जिनमें मुख्य लाभ आत्म कल्याण है। इस प्रकार यज्ञ से निश्चित रूप से शान्ति दायक शुभ सदगति होती है।

धर्म शास्त्रों में उल्लेख है—

अग्नौत्रास्ताहुतिः सम्यगादित्य मुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्वष्टेरन ततः प्रजा ॥

अर्थात् अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य की किरणों में उपस्थित होती है उनके संसर्ग से अन्तरिक्ष में इस प्रकार का अनुकूल वातावरण बन जाता है जिससे बादलों का संग्रह होने लगता है और वे समय पाकर धरती पर बरसते हैं। उस वर्षा से अन्न, औषधि, वनस्पति, लता, फूल-फल आदि विविध वनस्पतियां मानव व प्राणी मात्र हेतु उत्पन्न होते हैं। कवि भीम पाण्डिया के शब्दों में—

हवण लोक परलोक सुधारे सुखदाई संपै संसार,

परियावरण हुवै घण निरमल सुध-बुध ही जीवणरौ सार ।

गाय के शुद्ध घी एवं धूप गुगल आदि सुगन्धित पदार्थों से विधि विधान पूर्वक किये जाने वाले यज्ञ से वायु मण्डल शुद्ध होता है, तथा वायुमण्डल में मौजूद प्रदूषित विषैली गैसों का दुष्प्रभाव नष्ट होता है। जिसका धरती के सभी जीव धारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। अब तो भौतिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है, कि यज्ञ से वायुमण्डल में हवन सामग्री के धूर के जो अणु फैलते हैं उनमें निगेटिव चार्ज के विद्युत आवेश प्रवेश कर जाते हैं। ये अणु वायुमण्डल में मौजूद नमी को खींच लेते हैं, और इस प्रकार धीरे-धीरे इनके आस-पास बादल के खण्ड बन जाते हैं। ये बादल यज्ञीय धूम्र अणुओं से ओत-प्रोत रहते हैं। इनका विषैला अंश नष्ट हो जाता है। ऐसी दृष्टि में केवल मनुष्य ही नहीं सारे प्राणी मात्र वनस्पति और मिट्टी में भी सात्विक भावों का संचार हो जाता है।

मुण्डकोपनिषद में कहा गया है जो व्यक्ति शास्त्र विधि से नित्य प्रति यज्ञ में आहुति देता है उसे मरण काल में अपने साथ लेकर ये आहुतिया सूर्य की किरणों बनकर वहां पहुंचा

देती है, जहा देवताओं के स्वामी इन्द्र निवास करते हैं। तात्पर्य यह कि अग्निहोत्र स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का अमोघ उपाय है।

गुरु जम्भेश्वर भगवान ने अपने शब्द में कहा—

जा दिन तेरे होम न जप न तप न क्रिया, जाण के भागी कपिला गाई।

अर्थात् हे मनुष्य! जिस दिन तेरे घर में यज्ञ, जप, तप आदि धार्मिक क्रियाएं नहीं हो तो तू समझना की तेरी बुद्धि रूपी कपिला गाय भाग गई अर्थात् तेरा जीवन निष्फल है।

कात्यायन स्मृति में उल्लेख है कि जो मनुष्य कर्म में स्थित हो कर एक दिन भी पवित्र हो कर अग्नि की सेवा करता है वह उस समय से एक सौ दिन तक स्वर्ग के सुख भोगता है।

गीता जी के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं—

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पुर्जन्यादन्न सम्भव ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्रव ॥४॥ श्री मद्भागवतदगीता ॥

अर्थात् सम्पूर्ण प्राणी अन्न से पोषित होते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है, यज्ञ से वर्षा होती है। कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है कर्म वेद से उत्पन्न होता है तथा वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। परमात्मा सर्वत्र यज्ञ में विद्यमान हैं।

अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्वोई समा के बढ़ते कदम

वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में बीकानेर जिले के विश्वोई समाज की उल्लेखनीय भूमिका रही है। वैसे तो समाज का हर युवा इनके संरक्षण के प्रति सजग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षार्थ निरन्तर सक्रिय रहते हैं। शिकार अपराधियों के विरुद्ध इनके द्वारा छेड़ी गई मुहिम लगातार जारी है।

जब भी कोई वन अपराध घटित होता है तो वे लोग दोषी शिकारियों को कानून पकड़वाने हेतु सक्रिय हो जाते हैं और घटित वारदात की पूरी तहकीकात कर दोषी लोगों को कानून की परिधि में लाने हेतु प्राण-प्रण से जुट जाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक अपराधी शिकारी सप्रमाण पुलिस की गिरफ्त में न आ जाय।

इस प्रकार निःस्वार्थ व समर्पित भाव से वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जिले की सभी तहसीलों में कार्यकर्ता सक्रिय है। तहसील स्तर पर शिकारियों के विरुद्ध संचालित अभियान में जिला स्तर पर कार्यकारिणी नहीं होने से कुछ कठिनाईयां आ रही थी। सम्बन्धित पुलिस थाना से लेकर मुन्सिफ कोर्ट तक ही कार्यवाही संभव हो पा रही थी सेशन कोर्ट में केश जाते ही शिकारियों की जमानत हो जाती थी। जिला प्रशासनिक स्तर पर सुनवायी नहीं होती थी। पूर्व जिलाध्यक्ष स्व श्री शकरलाल सिवर के निधन के बाद जिलाध्यक्ष पद भी रिक्त हो गया। तब विश्वोई समाज के गणमान्य लोगों और बुद्धिजीवियों ने दिनांक 12.2.06 को विश्वोई धर्मशाला बीकानेर में एक निटिंग बुलायी। तथा अ. मा. जीव रक्षा विश्वोई समा की जिला कार्यकारिणी का गठन किया। जिसमें सर्वसम्मति से (सेवानिवृत्त पुलिस उप अधीक्षक) श्री

बीरबलराम धारणियां को अध्यक्ष, श्री शिवराज जाखड़ को उपाध्यक्ष श्री डॉ. कृष्णलाल बिश्नोई को कोषाध्यक्ष, रामकिशन डेलू को महासचिव, नियुक्त किया गया।

इसके अलावा तहसील स्तर पर बीकानेर अध्यक्ष श्री मोखराम धारणियां, लूणकरणसर अध्यक्ष श्री धुकलराम भादू, नोखा अध्यक्ष श्री महीराम दिलाईया, श्रीकोलायत अध्यक्ष श्री ईमीलाल नैण, खाजूवाला अध्यक्ष रामकिशन डेलू को चुना गया।

इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी समा की ईकाइयां गठित करने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुरूप जिलाध्यक्ष श्री धारणियां ने जन्माष्टमी के दिन खाजूवाला पहुँचकर वहाँ की 16 पंचायतों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई। जिनमें खाजूवाला पंचायत के प्रभारी रामकिशन डेलू, 2 कंएलडी के श्री बंदीराम खदाव, 2 कालुवाला श्री इन्द्रजीत पंवार, 22 केवाईडी श्री लाजपत थोरी, 14 बीडी श्री रामकुमार पूनियां, सांभरदा श्री हरचन्द माल, 8 केवाईडी श्री पृथ्वीराज धारणियां, 34 केवाइडी श्री सतपाल भादू, गुल्लुवाली श्री मनीराम सिंवर, 3 पावली श्री सुदेशकुमार रोहज, सियासर चोगान श्री ओमप्रकाश गोदारा, 17 केवाईडी श्री फरसाराम बोला, कुण्डल श्री हनुमान खीचड को नियुक्त किया गया।

नव नियुक्त समा अध्यक्ष श्री बीरबलराम धारणियां को वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक प्रकार के प्रयास करने होंगे। इस क्षेत्र में आने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने हेतु जिले के सभी पर्यावरण प्रेमियों को एक जुट होकर इन्हें सहयोग प्रदान करना होगा।

जिलाध्यक्ष ने भविष्य की चुनौतियों से पार पाने के लिए कई योजनाएं बनायी हैं जिन्हे सभी लोगों की सहमति से ही क्रियान्वित किया जा सकता है। समा की भावी योजनाएं इस प्रकार हैं:-

1. वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर समाज के लोगों को जोड़ा जायेगा।
2. सदस्यता अभियान गाव-गाव में चलाकर अधिकाधिक लोगों को इस मिशन में शामिल किया जायेगा।
3. अदालतों में विचाराधीन तमाम शिकार प्रकरणों की फाईले निकलवाकर विद्वान वकीलों द्वारा उचित समीक्षा करायी जायेगी।
4. वर्ष में एकबार जिला स्तर पर जीवरक्षा सम्मेलन आयोजन किया जायेगा।
5. कोर्ट में लम्बित शिकार केशों की पेरवी हेतु वकील नियुक्त किये जायेंगे। प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधितम 11 लोगों को सम्मानित किया जायेगा।
6. वर्ष में एक बार आय व्यय लेखा जोखा प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उपरोक्त गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक फंड राशि एकत्रित की जायेगी।

लूणकरणसर जीव रक्षा विश्नोई समा की गतिविधियां

खाजूवाला की तरह लूणकरणसर समा की ईकाई भी वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षार्थ प्रयत्नशील है। इस ईकाई के अध्यक्ष श्री धुकलराम भादू, सचिव एडवोकेट रामसिंह सिहाग, काकडवाला के भूतपूर्व सरपंच श्री कालुराम ज्योषी, पीपुल फॉर एनीमल्स के प्रभारी श्री

बनवारीलाल कडवासरा, एडवोकेट हसराज गोदारा, श्री रामस्वरूप पूनियां, प्रेम गोदारा, श्री ओमप्रकाश, श्री मनीराम नाई, श्री सतपाल गोदारा, आदि कार्यकर्ता इस हेतु प्रयासरत हैं। इसके अलावा अवैध पेड़ कटाई को रोकने तथा बेसहारा घायल एवं विमार पशु पक्षियों के ईलाज में सभा कार्यकर्ताओं ने कई पशु पक्षियों को बीकानेर ले जाकर उनका नि स्वार्थ भाव से ईलाज करवाया। उनके द्वारा सेवा भाव से किये जा रहे उक्त प्रयास प्रशंसनीय है इसके अलावा इस क्षेत्र में वन्य जीवों के शिकार से सम्बंधित घटित घटनाएं इस प्रकार हैं—

1 दिनांक 15.12.04 को कालु गाँव की रोही में 5 हरिणों का शिकार होने पर ग्रामवासियों के सहयोग से लूणकरणसर थाना प्रभारी श्री भूपेन्द्रसिंह, हवलदार श्री मनीराम बिश्नोई, राजेश, रतनलाल व मनीराम ने लगभग 10 किमी तक शिकारियों का पीछाकर मारे गये 5 हरिणों की खाल व बन्दूक बरामद की तथा मन्साराम, करणाराम नामक शिकारियों को नामजद किया। इस आशय का मुकदमा 316/4 बजरगलाल ब्राम्हण नि कालु ने दर्ज करवाया।

2 दिनांक 4.3.05 को भिखनेरा की रोही में लाधू, शंकर बावरी, बशीरखॉ व राँझेखॉ द्वारा मिलकर चिकारा हरिण मारने पर राजेन्द्रसिंह राजपूत की तरफ से शिकारियों के खिलाफ लूणकरणसर थाने में मुकदमा सं 09/5 दर्ज करवाया गया।

3 दिनांक 10.4.05 को ढाणी भोपालाराम क्षेत्र में पृथ्वी व नोपा बावरी द्वारा बन्दूक से दो हरिण व तीतर का शिकार करने पर श्री रामेश्वरलाल ब्राम्हण व श्री सहीराम जाट ने उनका साहस पूर्ण पीछाकर पृथ्वी बावरी को पकड लिया, तथा शिकार में प्रयुक्त ऊँट गाडा, बन्दूक व छूरी और मृत हरिण बरामद करवाया। श्री धुंकलराम भादू ने इस आशय का मुकदमा सं 59/05 दर्ज करवाया।

4 दिनांक 13.4.05 को ढाणी भोपालाराम क्षेत्र में भगननाथ व आणदनाथ द्वारा 1 खरगोश व झाऊ चूहे का शिकार करने पर जीवणराम ब्राम्हण व बालुराम ने लूणकरणसर थाने में मुकदमा सं. 63/5 दर्ज करवाकर मारे गये जानवर बरामद करवाये।

5 दिनांक 13.6.05 को रावासर की रोही में हरिणों के शिकार की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी श्री राजेन्द्र भादू, हवलदार श्री मनीराम गिला एवं ग्रामीणों ने तुरन्त मौक पर जाकर शिकारियों का पीछा किया। घटनास्थल पर दो मारे गये हरिण एक ऊँटनी मिली व बन्दूक जब्त की गई।

6 दिनांक 28.10.05 को हरचन्द नाथ व सवाईनाथ द्वारा एक लोमड़ी का शिकार करने पर श्री ओमप्रकाश ब्राम्हण नि. बामनवाली ने इस अपराध का मुकदमा सं 23/5 लूणकरणसर थाने में दर्ज करवाया एवं लोमड़ी बरामद करवाकर शिकारी को पकडवाया।

उपरोक्त शिकार प्रकरणों में शिकारियों की धरपकड एवं बरामदगी में लूणकरणसर पुलिस की सकारात्मक भूमिका रही। इतना ही नहीं लूणकरणसर पुलिस ने स्वयं अपने प्रयास से गौ वंश तस्करों को कानून के शिकजे में केंद किया।

1 दिनांक 23.2.06 को धाना लूणकरणसर के हवलदार श्री मनीराम विशनोई ने अर्जनसर चौराहे पर एक ट्रक पकड़ा। जिसमें 27 बड़े बेल बेहद कष्ट पुर्ण हालात में बुरा दुस कर भरे हुए थे। उन्हें चुचठ खाने में कटने हेतु ले जा रहे गी तस्कर अमीर खां व औशक अली निवासी सातला (उप्र.) को रिंगरवतार कर बन्धक पशुओं को महाजन गौशाला के सुपुर्द किया गया। तथा दोषियों के खिलाफ राजस्थान गौवशीर्ष अधिनियम के तहत मुकदमा नं 12/06 दर्ज किया।

2 दिनांक 13.7.06 को दुलमेरा के पारा एक मिनी ट्रक में भर कर इसी प्रकार यातना पुर्ण हालात ले जा रहे दस बछड़ों को गी तस्कर शमशेर व बशी निवासी श्री गगानवर को लुणकरणसर धाने के हवलदार श्री मनीराम विशनोई ने पकड़कर उनके खिलाफ मुकदमा नं 145/06 दर्ज करवाया और बछड़ों को बजरग गौशाला लुणकरणसर के सुपुर्द करवाया गया। कार्यवाही में मेनपाल कुम्हार व कारी राम कस्या ने भी सहयोग दिया।

बीकानेर शहर इकाई की गतिविधियां

बीकानेर शहर एव देहात क्षेत्र में घटित होने वाली दुर्घटनाओं में घायल पशु व पक्षी जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता। ऐसे लाचार और दयनीय हालात के शिकार जानवर इलाज हेतु प्राय बीकानेर आते रहते हैं। इसके अलावा शिकार प्रभावित क्षेत्रों से आनेवाले चौटिल हरिण, खरगोश, नीलगाय व मोर आदि वन्य जीवों के इलाज और रख रखाव हेतु बीकानेर तहसील के अध्यक्ष श्री मोखराम धारणिया के सफल नेतृत्व में उनकी टीम के सहयोगी युवा एडवोकेट श्री सुनील पुनिया देसलसर, एडवोकेट श्री लक्ष्मण खिचड बन्धाला, एडवोकेट हेतराम खिचड जै. मगरा, एडवोकेट घनश्याम खिचड बन्धाला, एडवोकेट मनीराम सिगड़ रासीसर, एडवोकेट राजकुमार पूनिया देसलसर, सभा के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिगड़ व श्री शिवलाल सिगड़ रासीसर, श्री भयरलाल सारण भोजासर, श्री घम्पालाल कालीराणा सत्तेरण, श्री मनीराम गोदारा जेगळा, श्री रामगोपाल खीचड जे. मगरा, श्री जयप्रकाश भाम्भू खारा, श्री जयप्रकाश पूनिया जेगळा, श्री श्रवण तरड जसरासर, श्री हनुमान देहडू सलूडियां, श्री बाबूलाल धारणियां, सावतसर, श्री रामकिशन पूनिया देसलसर, श्री बाबूलाल भाम्भू खारा, श्री रामकृष्ण तरड जसरासर, श्री सुनील भाम्भू खारा, श्री गोकलराम खीचड जै.मगरा, सभा सचिव श्री गोपीराम पूनिया जेगळा, प्रचार मंत्री श्री घनश्याम खदाव जेगळा, एडवोकेट श्री हसरराज डेलू बीकानेर, श्री शुभकरण डेलू काकड़ा, श्री रामरतन डेलू काकड़ा, श्री हनुमान सेन बीकानेर, श्री रमेश गोदारा जेगळा, श्री किसन पूनिया जेगळा, पशु क्रूरता निवारण समिति बीकानेर के सचिव श्री मांगीलाल भादू जेगळा, श्री बाबूलाल लेधा कुचोर, श्री हनुमान बैनीवाल धक विजयसिंहपुरा श्री राधाकिशन खीचड मोडावत, श्री पवन सारस्वत मालासर, श्री जगदीश धारण देशनोक, श्री प्रभूगर स्वामी व यशपाल शर्मा बीकानेर।

उपरोक्त युवाओं की सगठित टीम निस्वार्थ भाव से बेसहारा घायल एवं बिमार पशु

पक्षियों के ईलाज एव उनके प्रति क्रूरता को रोकने हेतु एव जीव रक्षा सभा की अन्य गतिविधियों में विशेष तौर पर सक्रिय रहती है। सभा इस प्रकार दीन हीन पशु पक्षियों की चिकित्सा एव सेवा हेतु ऐसे अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना चाहती है। अतः किसी भी जाति अथवा धर्म को मानने वाले शाकाहारी लोग इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं।

इसके अलावा विशनोई धर्मशाला बीकानेर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री लेखराम घायल एव प्रबंध कार्यकारिणी के तमाम सदस्य जीव रक्षा विशनोई सभा के सहयोग हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। सभा का मुख्यालय भी विशनोई धर्मशाला परिसर में ही स्थित है।

सभा की नोखा की इकाई के श्री महिराम दिलोइया व अखिल भारतीय विशनोई महा सभा के कार्यकर्ता एव अखिल भारतीय जम्शेवर सेवक दल के सदस्य नोखा क्षेत्र में अवैध शिकार की रोकथाम हेतु विशेषतया प्रयत्नशील है।

इसी तरह बज्जू के श्री महीराम बेनीवाल व कोलायत तहसील क्षेत्र में सभा अध्यक्ष श्री ईमीलाल नैण एडवोकेट हराराज डेलू व अर्जुनराम बैनीवाल नि चक विजयसिंहपुरा, श्री हरीराम घायल ठेकेदार आदि कार्यकर्ता इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं।

जीव रक्षा विशनोई सभा खाजूवाला परिचय

नहरी विकास के साथ साथ जैसे-2 खाजूवाला उपखण्ड में कृषि क्षेत्र बढ़ा वहाँ पर मौजूद हरिण आदि वन्य प्राणियों पर सकट के बादल मडराने शुरू हो गये। पूर्व में कभी कभार होने वाली शिकार की घटनाओं में घिता जनक ढग से वृद्धि होने लगी। ऐसी विषम परिस्थिति में वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु सन् 1989 में "जीव रक्षा विशनोई सभा खाजूवाला" का गठन किया गया। इस सगठन के अध्यक्ष श्री रामकिशन डेलू बने।

वन एव वन्य जीवों के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की सभा के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा भाव से प्रभावित होकर सगठन से लोग लगातार जुड़ते गये और सगठन भरपुर उत्साह से इस क्षेत्र में काम करता गया। इस प्रकार विगत 17 वर्षों में सभा ने क्षेत्र में घटित हुई तमाम शिकार की घटनाओं में दोषी (शिकारियों) के विरुद्ध सक्रिय होकर अहम भूमिका निभाई। सभा ने अपने प्रयासों से वन्य जीव शिकारियों के खिलाफ लगभग 100 से अधिक मुकदमों में सबधित थानों में दर्ज करवाकर शिकारियों की करतूतों को बेनकाब किया। उन दर्ज होने वाले सभी मुकदमों में दोषियों के खिलाफ घटनास्थल पर पहुँचकर पुलिस जाँच व अपराधियों की गिरफ्तारी में सभा अध्यक्ष ने सक्रिय सहयोग किया तथा घायल वन्य प्राणियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। इस लम्बे सघर्ष पूर्ण अभियान के दौरान, सभा कार्यकर्ताओं ने निडरता पूर्वक शिकारियों से जुँझते हुए जिस दृढ़ अटुट निष्ठा एव त्याग का परिचय दिया उसकी मिशाल अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वैसे तो पूंगल, खाजूवाला, छतरगढ व दन्तौर आदि क्षेत्रों में इस पुस्तक के लेखक एव सभा अध्यक्ष रामकिशन डेलू के सफल नेतृत्व में सभा कार्यकर्ताओं द्वारा वन्य प्राणियों के शिकारियों के विरुद्ध किये गये सघर्ष की दास्ता इतनी

विस्तृत है कि उन सस्मरणों को शब्दों में पिरोना सहज नहीं है अतः पूर्व में घटित घटनाओं को सक्षिप्त में घातकों की जानकारी हेतु इस पुस्तक में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो इस प्रकार हैं :-

1. दिनांक 26.8.7 को चक 4 के.जे.डी. में ट्रेक्टर पर सवार होकर बन्दूक से हरिण का शिकार करने वाले कंसरा, नन्दराम, काशी व नत्थू बावरी को पुलिस थाना खाजूवाला को पकड़वाकर उनसे मारा गया हरिण व बन्दूक बरामद करवाई।
2. दिनांक 16.10.88 को चक 24 के.जे.डी. में हाकमखा व देवीलाल जाट द्वारा बन्दूक से हरिण का शिकार करने पर खाजूवाला पुलिस को मौके पर लेजाकर कारतूस की डार व मारे गये हरिण की खून आलुदा मिटटी जप्त करवाई।
3. दिनांक 16.10.91 को चक 12 बी.एल.डी. में कुडके से हरिण का शिकार करने वाले दोषी देवराज व महिराम बावरी और कासम खा मुस्लमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर मारा गया हरिण पूगल पुलिस को बरामद करवाया।
4. दिनांक 11.2.92 को चक 10 डी.के.डी. में हरिणों को मारने वाले मोहम्मद लवाणा व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा छतरगढ थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर मौका मुआयना करवाया। घटनास्थल पर से खून आलुदा मिटटी व शिकारियों की जीप के टाघरो के निशान दिखाये।
5. दिनांक 31.10.92 को बोंडसिंह निवासी चक 2 के.जे.डी. द्वारा हरिण का शिकार करने पर मौके पर से खाजूवाला पुलिस को लेजाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया।
6. दिनांक 1.7.92 को चक 3 के.जे.डी. में हरिण को मारने वाले राजसिंह, निर्मलसिंह, जग्गीरसिंह को मौके पर खाजूवाला पुलिस लेजाकर मथ हरिण व शिकार में प्रयुक्त ट्रेक्टर न. आर आर वयू 6563 जप्त करवाया।
7. दिनांक 18.2.93 को चक 4 ए.डी.एम. में लोहे के शिकजे में फांसकर हरिण मारने वाले दातार सिंह, रणजीतसिंह निवासी 2 ए.डी.एम. को खाजूवाला पुलिस के सुपुर्द करवाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया।
8. दिनांक 8.8.93 को चक 31 के.जे.डी. के निवासी सोहनसिंह, नायबसिंह, भोजा, मोहन नायक व पूनम मेघवाल द्वारा मिलकर हरिण का शिकार करने पर खाजूवाला पुलिस को घटनास्थल पर लेजाकर हरिण की खाल बरामद करवाई।
9. दिनांक 9.9.93 को चक 4 बी.आर.डब्ल्यू.एम. में बन्दूक से हरिण का शिकार करने पर फूसाराम जाट, कालू, बलवीर व पालाराम के खिलाफ खाजूवाला थाने में कार्यवाही कर मृत हरिण बरामद करवाया।
10. दिनांक 26.2.94 को चक 18 के.जे.डी. में हरिण मारने वाले नानक व गजन बावरी

के विरुद्ध खाजूवाला थाने में केस दर्ज करवाकर ए.एस.आई बूटासिंह को घटनास्थल पर मौका मुआयना करवाया व मौके पर खून आलुदा मिट्टी जब्त करवाई।

- 11 दिनांक 23 8 94 को चक 2 एन.जी.एम. की रोही में ऊंट गाड़े पर वन्य प्राणियों के शिकार की टोह में विचरण कर रहे पेशेवर शिकारी लिछमण, सुरजा, ईश्वर, चेतन, धन्ना व शिली को मौके पर पूगल पुलिस को लेजाकर पकड़वाया व उनके द्वारा मारे गये 11 साड़े, एक हरिण, 4 गोफाट (पाटा गोह) बारह कुड़के व ऊंट गाड़ा जब्त करवाया।
- 12 दिनांक 3 12 94 को चक 1 जी डब्ल्यू एम में कुड़के में फसाकर हरिण मारने वाले सोहन बावरी को खाजूवाला पुलिस से पकड़वाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया।
13. दिनांक 25 8 95 को चक 2 डी.के.डी मे बदूक से हरिण मारने वाले शम्भू खां, भादे खां, सूरू खां व आदराम मेघवाल निवासी 3 डीकेडी के खिलाफ छतरगढ थाने में अभियोग दर्ज करवाकर घटनास्थल का मुआयना करवाया।
- 14 दिनांक 5 10 95 को चक 2 जी.डब्ल्यू एम में बोदूराम बावरी, सोहन बावरी व हजारी द्वारा हरिण मार-काटकर लेकर भागते हुए बोदूराम बावरी से हरिण का मांस के टुकड़े छीनकर खाजूवाला पुलिस थाने में बरामद करवाये। एवं मांस काटने की छुरी भी जब्त करवाई।
- 15 दिनांक 18 1.96 को चक 2 बी आर.डब्ल्यू एम मे बलवीर बावरी, बोदूराम बावरी व हजारी द्वारा कुड़के मे जकड़े तडफते हुए हरिण को मौके पर खाजूवाला पुलिस लेजाकर बरामद करवाया।
16. दिनांक 20.2.96 को चक 13 के.जे.डी. स्थित अपने खेत में लगाये हुए कुड़के को उखाडकर भागे हरिण का पीछा कर मारने वाले नन्दलाल व छगन ओड को खाजूवाला पुलिस को घटनास्थल पर लेजाकर पकड़वाया।
17. दिनांक 3 5 96 को माधोडिग्गी क्षेत्र में कुड़के मे फसाकर हरिण मारने वाले जोगाराम व मोटाराम के खिलाफ केस दर्ज करवाकर घटनास्थल से खाजूवाला पुलिस को मारा गया हरिण बरामद करवाया।
18. दिनांक 5.3.97 को सिसाडा पोस्ट वाच टावर के पास बी एस एफ के जवानों एव कालूसिंह द्वारा जीप में सवार होकर रात्रि को बदूक से हरिण का शिकार करने पर खाजूवाला पुलिस को घटनास्थल पर लेजाकर सरसो के पौधों में जगह-जगह बिखरा खून जीप के टायरों के निशान व जवानों के पद चिन्ह दिखाये।
19. दिनांक 29 4 97 को चक 2 के एल डी में कुड़के में फसाकर हरिण मारने वाले कर्मसिंह बावरी को हरिण के मृतांग सहित पूगल पुलिस के ए.एस.आई मल्सूराम

को मौके पर लेजाकर गिरफ्तार करवाया तथा हरिण के मृतांग व कुड़का जब्त करवाया।

20. दिनांक 29 4 97 को चक 1 ए.डी.एम. में जीप संख्या यूटीएक्स 6253 से पीछा कर हरिण मारने वाले रामलाल ओड, को पूगल थाने के सी आई शायरसिंह के सुपुर्द कर मारा गया हरिण बरामद करवाया।
21. दिनांक 26 5 97 को चक 2 एमडब्ल्यूएम. के बावरी शिकारी के काश्तशुदा खेत में पूगल पुलिस को लेजाकर शिकारी द्वारा भूमि में गाड़ा हुआ हरिण का पकाया हुआ मांस बरामद करवाया।
22. दिनांक 3 7 97 को चक 2 बी.एल.डी. में शंकर मेघवाल द्वारा बंदूक से मारे गये हरिण के मृतांग काटी हुई अवस्था में पूगल थाना प्रभारी शायर सिंह को घटनास्थल पर लेजाकर बरामद करवाये व शिकारी शंकर को गिरफ्तार करवाया।
23. दिनांक 31 8 97 को के.जे.डी. नहर के पास रावला रोड़ पर किसी अज्ञात शिकारी द्वारा बोरी में बंद दो हरिणों के शव चलती गाड़ी से फँकी अवस्था में खाजूवाला पुलिस को लेजाकर बरामद करवाया व इस आशय का केस दर्ज करवाया।
24. दिनांक 5 1.98 को पाक सीमावर्ती सिसाड़ा पोस्ट क्षेत्र में पेशेवर शिकारी सुल्तान नायक व उसके आठ अन्य सहयोगियों द्वारा जगली सुअर को घेरकर भालो से मारने पर खाजूवाला पुलिस को लेजाकर मारा गया सुअर व शिकारियों का फोर्ड ट्रेक्टर जब्त करवाया।
25. दिनांक 16.2.98 को चक 4 एसडब्ल्यूएम. में श्रवण बावरी द्वारा कुड़के में फसाकर मारा गया हरिण मौके पर पूगल पुलिस को लेजाकर बरामद करवाया।
26. दिनांक 3 8 98 को चक 2 एसएसएम. में पेशेवर शिकारी देसराज, भगवाना, लाला, मंगला व छिन्दा बावरियों द्वारा बन्दूक से हरिण मारने पर मौके पर खाजूवाला पुलिस लेजाकर शिकार में प्रयुक्त ट्रेक्टर जब्त करवाया। व मृत हरिण का भूमि पर गिरी खून आलुदा मिटटी जब्त करवाई।
27. दिनांक 248.98 को चक 5 के एल.डी. में हरिण का शिकार करने वाले सुगना बावरी व उसके सहयोगी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की।
28. दिनांक 18 10 98 को श्री जम्हेश्वर भगवान मंदिर खाजूवाला परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा बिखरे चुंगे को चुंगते कबूतरो को गुल्लक से मारने वाले शिकारी विजेन्द्र व पप्पू साठिया के खिलाफ खाजूवाला थाना में केस दर्ज करवाकर शिकारियों को कबूतर सहित पकड़वाया।
29. दिनांक 12.12 98 को चक 4 के जे.डी. में कुड़कों में फांसकर हरिण मारने वाले पेशेवर शिकारी पालसिंह बावरी को भागते हुए पुलिस थाना खाजूवाला से पकड़वाकर मारे गये हरिण के मृतांग, तख्ता, घुरी आदि जब्त करवाये।

- 30 दिनांक 25 12 98 को पाक सीमावर्ती पवनी पोस्ट क्षेत्र में नोखा ठाकुर कुशल सिंह द्वारा स्थानीय किसानों के विरोध के बावजूद जबरदस्ती वन्य जीवों को शिकार करने पर वहा जाकर रिथति की तहकीकात कर जिला प्रशासन को लिखित शिकायत की गई।
- 31 दिनांक 27 1 99 को नोखा ठाकुर के पुत्र व चौथिये (काश्तकार) पप्पू व अमीर ने शिकार करने का तरीका बदलते हुए खेतों में कुड़के लगाये एक कुड़के में फसा एक हरिण मरने पर खाजूवाला पुलिस को मौके पर लेजाकर वहां मौजूद पप्पू व अमीर बावरी को पकड़वाकर हरिण बरामद करवाया। पुलिस थाना प्रभारी पृथ्वीसिंह द्वारा दोषी का नाजायज पक्ष लेने पर विरोधस्वरूप जन आन्दोलन के तहत हजारों वन्य जीव प्रेमियों को इकट्ठा कर खाजूवाला मण्डी में 31 जनवरी को उग्र प्रदर्शन कर थाने का घेराव करने के बाद नोखा ठाकुर की शिकारी गतिविधियां बंद हो पाई।
- 32 दिनांक 31 1 99 को 14 के जे.डी. बी में किसी अज्ञात शिकारी की गोली से मृत पाये गये हरिण की शिकायत पर खाजूवाला पुलिस को मौके पर लेजाकर जांच के दौरान मृत हरिण बरामद करवाया।
- 33 दिनांक 12 6 98 को कश्मीरा सिंह सिख निवासी पजावा (पजाव) द्वारा हरिण मारने पर मौके पर मारा गया हरिण देशनोक पुलिस से बरामद करवाकर सभा अध्यक्ष के भाई रामनिवास डेलू द्वारा पकड़वाया गया व कानूनी कार्यवाही की गई।
- 34 दिनांक 2 2 99 को गोविन्दराम व हरजीराम बावरी द्वारा चक 6 एम एम (पूगल) में बंदूक से हरिण मारने पर पूगल पुलिस को मौके पर लेजाकर मारे गये हरिण के मृतांग बरामद करवाये गये।
- 35 दिनांक 6 3 99 को शौकिया शिकारी दीदार सिंह मजहबी, जगजीत सिंह व अग्नेज सिंह जटसिख और मेजरसिंह रायसिख द्वारा चक 3 बी वाई एम. की रोही में जीपो से हरिणों का पीछा कर बंदूको से मारने पर खाजूवाला पुलिस को मौके पर लेजाकर उक्त शिकारियों को गिरफ्तार करवाकर शिकार में प्रयुक्त जीप व ट्रेक्टर जब्त करवाये। सबूत मिटाने हेतु खेतों में जगह जगह गाड़कर छिपाये हुए हरिणों के मृतावशेष सभा कार्यकर्ताओं की मदद से ढूँढ ढूँढकर खाजूवाला पुलिस अधिकारी सवाईसिंह को जब्त करवाये।
- 36 दिनांक 6.3.99 को वन्य जीव शिकारियों द्वारा पकड़कर बांधा हुआ एक बंदर चक 3 बी.थाई एम. में खाजूवाला पुलिस को बरामद करवाया।
- 37 दिनांक 8 2 99 को चक 3 एम डब्ल्यू.एम. में महावीर नाई व विजयसिंह राजपूत द्वारा योजना बनाकर खेत की बाड़ में शिकजेनुमा तार में फसाकर हरिण मारने पर पूगल पुलिस को मौके पर लेजाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया।
- 38 दिनांक 1 3 99 को भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र खरुला पोस्ट पर तैनात भारतीय

सीमा सुरक्षा बल के चार जवानों द्वारा सरकारी जीप से पीछा कर अपनी सर्विस राईफलों द्वारा तीन हरिणों का शिकार करने पर पूगल थाने में केस दर्ज करवाया एवं पुलिस को मौके पर लेजाकर वारदात की पुष्टि करवाई।

- 39 दिनांक 19.4.99 को कुण्डल गांव से बाहर डेरा डाले 6-7 घुमंतु जोगी जाति के लोगों द्वारा भाले से हरिण मारने पर मौके पर शिकारियों से मुठभेड़ में घायल हुए हनुमान गोदारा की शिकायत पर खाजूवाला पुलिस लेजाकर दोषियों को गिरफ्तार करवाया।
- 40 दिनांक 15.6.99 को चक 27 बी.डी के कश्मीर, मलकीत बावरी ने खरगोश का शिकार किया सभा कार्यकर्ता राजेश गोदारा द्वारा पीछाकर कर खरगोश सहित पकड़ने पर गांव वालों ने उससे शिकारी को छुड़वा दिया और शिकारी ने उल्टे राजेश के विरुद्ध प्रताड़ना का झूठा केस कर दिया तब सभा ने दखल कर शिकारी के विरुद्ध शिकार का मुकदमा नं 106/99 दर्ज करवाया।
41. दिनांक 21.9.99 को चक 37 के वाई डी. के छेलू व कश्मीर बावरी द्वारा दो हरिणों का शिकार करने पर घटनास्थल पर खाजूवाला पुलिस लेजाकर खोजबीन के उपरांत शिकारियों के खेत में दो अलग-अलग खड्डों में मारकर छुपाये दो हरिणों व तीन लोहे की छुरिया बरामद करवाई।
- 42 दिनांक 10.12.99 को चक 5 जे.एम. मे गुलाम नबीखा व गायड़ खा आदि द्वारा ट्रेक्टर से रात को पीछा कर बंदूक से हरिणों का शिकार की वारदात पर शिकारियों का पीछा कर मारे गये हरिणों को छीनने में प्रयासरत सुरजाराम डेलू का शिकारियों ने अपहरण कर प्रताड़ित करने के बाद उसके खिलाफ मनगढत झूठा केस दर्ज करवाने का प्रयास करने बज्जू थाना पहुंचने पर असलियत को उजागर कर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बीकानेर से दखल करवाकर शिकारियों के विरुद्ध शिकार, अपराध व मारपीट प्रकरण बज्जू थाने में पंजीबद्ध करवाया।
- 43 दिनांक 9.2.2000 को चक 8 एस टी एम में कालू व भानी बावरी द्वारा खेतों की रखवाली के बहाने बंदूक से हरिण मारने पर छतरगढ पुलिस को लेजाकर मौके पर मारा गया हरिण बरामद करवाया।
- 44 दिनांक 15.3.2000 को आदूराम नायक निवासी 19 के एल डी द्वारा अपने खेत की सीध में कुड़के में फासकर एक हरिण मारने पर पूगल पुलिस को घटनास्थल पर लेजाकर शिकारी आदूराम को पकड़वाया कुड़के में फसे हरिण की टांग कटकर अलग हुई अवस्था में जब्त करवाई।
- 45 दिनांक 14.4.2000 को चक 14 डी के डी में हरिण मारने वाले देवीलाल व दलीप बावरी, हनुमान मेघवाल आदि के खिलाफ केस दर्ज करवाकर मारे गये हरिण के मृतांग खाजूवाला पुलिस से बरामद करवाये। व मांस काटने की छुरी तथा तख्ता

भी जब्त करवाया।

- 46 दिनाक 11.7.2000 को चक 29 के.वाई.डी. में बलवीर व कृपाल बावरी द्वारा जहरीला दाना डालकर बड़े पैमाने पर मारी गई कमेडियों के अपराध में स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से बलवीर को खाजूवाला थाने में पकड़वाया। मौके पर मारी गई चार कमेडिया जब्त करवाई।
- 47 दिनाक 13.7.2000 को पुलिस की पूर्व कार्यवाही से बेखबर फरार शिकारी कृपाल बावरी ने हल्के विष से युक्त गेहू के जहरीले दाने पुन खेतों में बिखेर दिये मौके पर खाजूवाला पुलिस को लेजाकर दूसरी बार मारी गई 25 कमेडिया व दौ कौर बरामद करवाये। (जब्त मृत पक्षियों के फोटो राजस्थान पत्रिका के 14.7.2000 के अंक में प्रकाशित)
- 48 दिनाक 14.9.2000 को चक 18 के जे.डी. में मोहन फकीर न कालू मोपा द्वारा गर्दन मरोड़ कर हरिण शावक का वध करने पर खाजूवाला पुलिस के थानेदार श्री हरजिन्द्र सिंह व रामेश्वर विश्नोई को साथ लेकर शिकारियों को पकड़वाया और उनके कब्जे से मारा गया हरिण बरामद कराया। मुकदमा न.-219
- 49 दिनाक 5.1.01 को गाव करणीसर माटियान के भीखसिंह राजपूत द्वारा पालने के बहाने हरिण को घर लेजाकर मार देने की सूचना मिलते ही पूगल पुलिस के द्वारा शिकारी के घर मारे गये हरिण के टुकड़े बरामद करवाकर शिकारी को पकड़वाया। मुकदमा न 07
- 50 दिनाक 11.1.01 को चक 15 बी.एल.डी. में खेत की बाड़ के फंदे में हरिण फास कर शिकार करने वाले कालू नाई, सुल्तान मेघवाल आदि के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर खून आलूदा मिटटी हरिण के बाल, लोहे के तार का शिकजा बरामद करवाये। मुकदमा नं. 16
51. दिनाक 27.10.1 को चक 4 डी डब्ल्यू.डी. में पालसिंह द्वारा लगाये कुडके में तड़फते हरिण को कालूराम खीचड द्वारा अपनी दुकान में रख कर इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद दुकान में रात को ताले में बंद हरिण को पालसिंह शिकारी पक्ष के लोग दुकान तोडकर सबुत मिटाने की नियत से ले गये सूचना मिलने पर पूगल पुलिस से खोजबीन के बाद खिलीया बावरी की टाणी से मारा गया हरिण बरामद करवाया। मुकदमा न. 2
- 52 दिनांक 4.3.01 को चक 6 बी.एल.डी. के सफी खां, करीम खां व हीरा बावरी द्वारा बदूक से हरिण मारने पर, पूगल पुलिस को मौके पर लेजाकर सफी खां की टाणी में काट कर पकाई मादा हरिणी, उसका नवजात मृत बच्चा पिछवाड़े में फँकी अवस्था में तथा छुरी व लकड़ी का तख्ता भी बरामद करवाये। मौके पर मौजूद शफी खां को पकड़वाया। मुकदमा नं. 42

53. दिनांक 4 3 01 को उसी दिन उपरोक्त केस के मौके मुआयने के दौरान ही बंदूक चलने की आवाज की दिशा में पुलिस द्वारा जाने से इंकार करने पर सभा कार्यकर्ताओं के सहयोग से ऊंट गाड़े पर भागते तीन जनों को घेरा देकर काफी मशक्कत के बाद उनसे टोपीदार बंदूक छीनकर उन्हें 2 किमी दूर शफी खा की ढाणी लाकर वहां पर मौजूद पूगल पुलिस के हवाले किया। मुकदमा नं. 43
54. दिनांक 24 3.01 को क्षेत्रीय वन अधिकारी दंतौर को लिखित शिकायत करवाकर 11 जनवरी को 15 बी.एल.डी. में हरिण के शिकारी सुल्तान मेघवाल की ढाणी की तलाशी लेकर वहां से मारे गये हरिण के सींग, कुडका और दोषी द्वारा 50 किलोग्राम कटीला तार (वन विभाग की नर्सरी से चुराकर छुपाया हुआ) वनपाल हनुमान गोदारा, बख्तावर सिंह व बहादुर पूनीयां द्वारा बरामद किया गया दोषी सुल्तान की मां ने बरामदगी करने वाली पूरी टीम पर मारपीट व छुआछुत का झूठा केस दायर कर दिया जो बाद में पुलिस जांच में झूठा साबित हुआ। वन विभाग में दर्ज मुकदमा नं. 95/9
55. दिनांक 15 5 01 को चक 29 के.वाई.डी (बी) में गुरदेव बावरी निवासी 365 हैड द्वारा खरगोश मारने पर शिकारी को सभा कार्यकर्ताओं की मदद से खाजूवाला थाने में मारे गये खरगोश सहित लेजाकर पेश किया। मुकदमा नं 75
56. दिनांक 31.5 01 को चक 5 जे.एम (जगासर) में ट्रेक्टर से रात को पीछा कर हरिण का लाईट की रोशनी में शिकार करने वाले शिकारी सुरेन्द्र व कालू को उडनदस्ता बीकानेर को मौके पर लेजाकर पकड़वाया। मारे गये हरिण की एक टांग कटी अवस्था में व हरिण काटने का लकड़ी का तख्ता खून से सना बरामद करवाया। मुकदमा धारा 9/51 व 39 के तहत वन विभाग में दर्ज करवाया।
57. दिनांक 20 5 01 को बलवीर बावरी के लड़कों व जैवाई द्वारा चक 11 डी.डब्ल्यू डी. में जाल बिछाकर खरगोशों का शिकार करने पर घटनास्थल पर पूगल पुलिस को लेजाकर मारा गया खरगोश व उसे छीनने के प्रयास में छुटी शिकारी की चद्दर आदि बरामद करवाये ढाणी की तलाशी के दौरान सभी शिकारी फरार पाये गये। मुकदमा न 89
58. दिनांक 23 7 01 को चक 9 पी.के.डी में लालेखॉं व रज्जाकखॉं निवासी 11 के.वाई. डी. द्वारा ट्रेक्टर से हरिण का पीछा कर बंदूक से शिकार करने पर शिकार में प्रयुक्त ट्रेक्टर सहित मारा गया हरिण बरामद करवाया। मुकदमा नं. 146
59. दिनांक 22.12 01 को पेशेवर शिकारी फतूराम बावरी निवासी सतराना (अनूपगढ़) द्वारा सपत्निक खाजूवाला क्षेत्र में आकर वन्य जीवों का शिकार कर सतराना जाने वाली बस में रवाना होने की सूचना मिलने पर रावला थाना प्रभारी श्री बाबूलाल बिश्नोई को फोन पर सूचित कर शिकारी को नाकाबंदी कर रावला में बस से उतार

- कर गिरपतार करवाया। मारे गये चिंकारा हरिण के अलावा चार जीवित सँडे रावला पुलिस द्वारा शिकारी की तलाशी के दौरान कटटों में से जब्त किये गये।
- 60 दिनांक 3302 को गिदाराम व पतराम नायक निवासी 14 बी.एल.डी द्वारा हरिण का शिकार करने पर पूगल थाने मे मुकदमा नं. 19/02 दर्ज करवाया।
- 61 दिनांक 8302 को पोला, नरसी केसरा मेघवाल और चेलारिंह राजपूत द्वारा मिलकर लोहे की तार के फंदे मे फंसाकर हरिण का शिकार करने पर दोषियों की ढाणी से मारा गया हरिण पूगल पुलिस को बरामद करवाया। मुकदमा नं 2
- 62 दिनांक 7402 को चक 26 के जे.डी. में बंदूक से एक हरिण को मारने वाले जगूराम बावरी को उसकी ढाणी खाजूवाला पुलिस ले जाकर पकडवाया एवं घटनास्थल से शिकारी द्वारा मारा गया हरिण बरामद करवाया। मुकदमा नं 31
- 63 दिनांक 22602 को चक 15 के एल.डी मे छोदू नायक व रामूराम द्वारा बंदूक से हरिण मारने पर पूगल पुलिस को मौके पर लेजाकर शिकारी छोदू की ढाणी की तलाशी के दौरान सिल्वर की तपेली में पकता हुआ हरिण का मास बरामद करवाया। मुकदमा न 70
- 64 दिनांक 6802 को चक 1 पावली के कृष्ण व दर्शन बावरी द्वारा हरिण का शिकार करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी को मौके पर ले जाकर शिकारी द्वारा हरिण की ड्रेसिंग के बाद खेत के टिब्बो में दो जगह खडडो मे दफनाए गये हरिण के शेष अवशेष बरामद करवाये। मुकदमा वन विभाग नं44
- 65 दिनांक 17.1202 को चक 14 बी.डी. में गुरमुख व रामूराम द्वारा हरिण का शिकार करने पर खाजूवाला थाने के सी आई रामेश्वर ताल संहारण को मौके पर लेजाकर आकडे के पेड मे छुपाया हुआ अभागे हरिण का सिर कटी अवस्था मे बरामद करवाया। घर की तलाशी के दौरान शिकारी गुरमुख लोहे के बडे सदूक में छुपा पाया गया।
- 66 दिनांक 10103 को वन क्षेत्र मे कुडके लगाकर उनमें फसने वाले हरिणों को मारने वाले शकर व बलवीर बावरी और गुरमीत मजहबी निवासी 1 के जे.डी को कई दिनों की रात्रि गश्त के बाद आखिर दबोच लिया गया और उसी दिन रात को खाजूवाला पुलिस के सुपुर्द कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया शिकारियों की निशान देही पर सहायक निरीक्षक चम्पाराम ने घटनास्थल पर दो अलग-अलग स्थानों पर जमीन खोदकर लगाये गये कुडके बरामद किये। मुकदमा न 3
67. दिनांक 11103 को टोकला (कोलायत) में जलदाय विभाग कर्मियों द्वारा तीन हरिणों का शिकार कर पाईपों पर लटकाने की सूचना पर जिला कलेक्टर बोकानेर को शिकारियों के खिलाफ घटना से संबंधित कार्यवाही हेतु लिखकर फैसल किया गया।
68. दिनांक 26.103 को सिसाडा पोस्ट क्षेत्र के किसानों द्वारा ठेके पर बावरी शिकारी

रखकर 30-40 वन्य जीवों को मरवाने की शिकायत पर खाजूवाला थाने में सहायक उप निरीक्षक आदूराम को घटनास्थल पर लेजाकर शिकार कर रहे दो बावरियों का पीछा किया गया। इस दौरान शिकारियों से छूटा ऊंट पुलिस ने जब्त किया मौके पर से शिकारियों द्वारा मारी दो नील गायें भी पुलिस को बरामद करवाई। मुकदमा नं. 10

69. दिनांक 22.03 को घक 15 के.एल.डी. में खेत की बाड़ में पतले तार के फदे में फंसाकर लाठियों से हरिण का शिकार करने वाले गुरभीत व सुखासिंह को पूगल पुलिस से मौके पर गिरफ्तार करवाकर घटनास्थल पर मारा गया हरिण बरामद करवाया।

70. दिनांक 12.3.03 को कालू खां नियासी 8 डी.एल. बख्खू खां नियासी 7 डी.एल. द्वारा घक 7 डी.एल. में बंदूक से हरिण मारने पर शिकारियों के विरुद्ध छतरगढ थाने में कानूनी कार्यवाही करवाई गई। मुकदमा नं. 21

71. दिनांक 6.6.03 को घक 12 डी.के.डी. में राजे खां व कृष्ण बावरी नियासी 9 डी. के.डी. द्वारा कुडके से फांसाकर हरिण का शिकार करने पर छतरगढ पुलिस को घटनास्थल पर लेजाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया व दोषियों को गिरफ्तार करवाया। मुकदमा नं. 26

72. दिनांक 17.9.03 को घक 5 के.जे.डी. के गुरघरणसिंह पंजाबी द्वारा (पक्षियों से फसल रक्षा के लालघ में) खेत में गेहू के जहरीले दाने बिखेर दिये गये। उन दानों को घुगने वाले सैंकड़ों कमेड़ियों, कबूतरों आदि पक्षियों ने उड़ते हुए दम तोड़ दिया इस आशय की शिकायत मिलने पर वन्य जीव उड़न दस्ता बीकानेर की टीम को बुलाकर घटनास्थल पर लेजाकर तहकीकात करने पर घटना सही घटित होनी पाई गई दोषी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सजा के तौर पर दोषी से 21 हजार रूपया जुर्माना अपराधी से रसीद संख्या 1857/7 के मार्फत नगद वसूल करवाया गया।

73. दिनांक 12.1.04 को सूचनानुसार घक 9 डी के डी. के बच्चूखों आदि किसानों द्वारा फसल रक्षा के बहाने वन्य प्राणियों को मारने हेतु हथियार बंद पेशेवर बावरियों को बुलाने पर छतरगढ पुलिस को लेकर घटनास्थल पर गये लेकिन पुलिस आने की पूर्व सूचना मिलने पर शिकारी पुलिस के जाने से पहले कहीं छुप गये। वहां के लोगों को भविष्य में पाबन्द करवाया।

74. दिनांक 6.6.04 को घक 2 के.एच.एम. में चंदूराम नायक द्वारा द्वारा पप्पूसिंह के खेत में खरगोश का शिकार करने पर खाजूवाला पुलिस को घटनास्थल पर लेजाकर वारदात घटित होने की पुष्टि करवाई। पुलिस ने शिकारी चन्दूराम नायक को घारा 151 में 24 घण्टे हवालात में बंद रखकर छोड़ दिया। शिकार कैसे दर्ज नहीं किया।

- 75 दिनांक 28.6.04 को चक 1 के.जे.डी. में एक खरगोश व तीन पाटा गोह को मारने वाले शिकारी सुरजाराम व चनणाराम बावरी को मय शिकार खाजूवाला पुलिस के सुपुर्द करवाया गया। मुकदमा नं. 125
76. दिनांक 11.1.03 को चक 6 के.डब्ल्यू.एम में खलीलखॉं, हाजी शरीफ आदि ने जीप से हरिण का पीछा कर बंदूक से हरिण मार दिया। तब प्रत्यक्षदर्शी समा कार्यकर्ता श्री गौरीशंकर बिश्नोई निवासी 8 के.डब्ल्यू.एम ने पूगल थाना में इस आशय का मुकदमा नं. 5/3 यन अधिनियम, 27 आर्म्स एक्ट के तहत शिकारियों के खिलाफ दर्ज करवाया।
- 77 दिनांक 7.8.04 को बाबूनाथ ने रावला रोड़ चक 6 पी.एच.एम की रोही में एक चिकारा हरिण को शिकारी कुतों की मदद से घेरकर लाठियों से मार डाला, और मारा गया हरिण डेरे पर ले जाकर छुपा दिया। समाध्यक्ष द्वारा इस आशय का मुकदमा संख्या 154/4 खाजूवाला थाने में दर्ज करवाकर मौके पर पुलिस को लेजाकर बाबूनाथ के डेरे पर से उसकी निशानदेही पर पानी की मटकियों के नीचे खड्डा खोदकर दफनाई अवस्था मे मारा गया हरिण बरामद करवाया गया। इस प्रकरण में खाजूवाला पुलिस जाँच अधिकारी द्वारा शिकारी से मिलकर परिवादी द्वारा लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अपराध घटित होने की लाईनें जान बूझकर हटाने पर खाजूवाला न्यायालय को वकील के माध्यम से अवगत करवाया तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत प्रेषित की।
78. दिनांक 21.1.05 को श्री नारायणराम पुत्र श्री मामराज बिश्नोई निवासी चक 19 एस बी.एस ने टेलीफोन पर बताया कि वहाँ कौशलाराम, ताराचन्द, भंवरलाल जाट ने खोड में कुडका लगाकर एक हरिण को फासकर शिकार किया है लेकिन सम्बन्धित थाना सुथारवाला मे मौजूद ए.एस.आई नेचलाराम मेघवाल न तो रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, न मौके पर जा रहे हैं। तब मैंने जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक महोदय को फोन नं 252234 पर फोन कर वस्तु स्थिति से अवगत करवाकर कानूनी कार्यवाही की प्रार्थना की। फलतः सम्बन्धित पुलिस ने मौके पर पहुचकर मारा गया हरिण बरामद कर केस दर्ज कर लिया।
- 79 दिनांक 27.5.05 को 3 पावली पचायत के सरपच श्री जगदीश सहारण ने टेलीफोन से सूचना दी कि दलीप सिंह कागड़िया के खेत में उसी के काश्तकार गुरुदेव बावरी ने कुडके मे हरिण फसाकर गर्दन मरोडकर मार डाला है। इस आशय का मुकदमा खाजूवाला थाना में दर्ज करवाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया।
80. दिनांक 2.9.05 को अखाराम नायक चक 37 के.जे.डी. ने अपने खेत की बाड़ में लौहे के तारों के फंदे लगाकर एक हरिण का शिकार कर लिया। रात को 11 बजे मनीराम डेलू द्वारा इसकी सूचना मिलने पर खाजूवाला पुलिस को मौके पर

लेजाकर मारा गया हरिण बरामद करवाया। मुकदमा नं

81. दिनांक 12.1.06 को चक 2 के.वाई.डी. के करतार बावरी आदि द्वारा कुड़का लगाकर पिकार का प्रयास करने एवं अवैध रूप से नहर के पानी में मछलियां पकड़ने पर सभा कार्यकर्ता मुकेश कुमार की शिकायत पर खाजूवाला थाने में मुकदमा नं. 03/6 दर्ज करवाकर कुड़का आदि बरामद करवाये।
82. दिनांक 20.1.06 को कमाल खां के खेत में शिकारी ने कुड़का लगाकर पिकार किया। हनुमान भादू निवासी 11 टी डब्ल्यू.एम. की सूचना पर कंट्रोल रूम को सूचित कर बज्जू पुलिस अधिकारी देवानन्द के द्वारा मारा गया हरिण व कुड़का बरामद करवाया।
83. दिनांक 24.2.06 को करनैलसिंह रायसिख निवासी 6 पीएचएम ने खेत की सीव में तार के फंदे में फंसाकर हरिण का शिकार किया। रामरतन खीचड़ से इसकी सूचना मिलने पर खाजूवाला पुलिस को मौके पर ले जाकर कर तार के फंदे, खूनआलुदा मिट्टी, कुल्हाड़ा, मृत हरिण का मांस तथा शराब की भट्टियां भी पकड़वायी। मु. नं. 29/06
84. दिनांक 19-3-06 को चक 6 डी.के.डी. (छतरगढ) के किसानों द्वारा यहां हरिण, नीलगाय आदि वन्य जीवों को मरवाने हेतु आपस में चन्दा कर बिठाये गए पेशेवर बावरी जाती के व्यक्ति को मौके पर जाकर स्वयं टिब्ये पर बैठे देखकर इसकी शिकायत श्रीमान् हेमन्त पुरोहित आई जी साहब को लिखित में की। उनके दखल से शिकारी को मगया जा सका।
85. दिनांक 8-5-06 को शिकारी प्रदीप नायक निवासी शेखसर (झुंझनू) ट्रक खलासी के द्वारा खाजूवाला के पास वन क्षेत्र में एक कबूतर मारने पर खाजूवाला पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वाया। चाकु से छिले कबूतर को देखकर खाजूवाला सीआई. श्रीमान् शायरसिंह राठौड ने अपनी मजबूरी बतायी कि कबूतर संरक्षित प्राणी नहीं है अतः मामला दर्ज नहीं हुआ।
86. दिनांक 3-6-06 को चक 3 पी.बी. में रमेश बावरी द्वारा बन्दूक हरिण मारने की सूचना सुखराम कालीराणा निवासी 3 पी.बी. ने दी, उन्हें शिकारी का पिछा करने को कहा गया तथा पुगल पुलिस को लेकर घटनास्थल दिखाया। फरार शिकारी को दुसरे दिन पकड़वाया। मुकदमा न. 55/06
87. दिनांक 25.5.06 को चक 7 पी.के.डी. में वन्य जीवों के सफाये हेतु यहां के लोगों द्वारा लाये गये पेशेवर सुभाष बावरी ने हरिणों का पिछाकर हरिण की टांग में गोली मारी इसका विरोध करने पर शिकारी ने सभा कार्यकर्ता श्योपत भाट पर चाकू से जान लेवा हमला कर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुगल पुलिस को घटनास्थल पर ले जाकर फरार शिकारी की बन्दूक, गोतियां, खूनआलुदा मिट्टी, व वन्य जीवों को मरवाने हेतु शिकारी द्वारा इक्की की हुई 15 कट्टे गेहु नगदी

आदि जब्त करवायी।

- 88 दिनांक 9-7-06 को चक 5 पी.बी. में शिकारी ने एक खरगोश का पिछा कर कुल्हाड़ी से शिकार किया। सूचना मिलने पर पुलिस को घटना स्थल पर ले जाकर मारा गया खरगोश व खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद करवाई।
- 89 दिनांक 1-9-06 को आधी रात को 2 के एल.डी. पंचायत प्रभारी श्री बदीराम खदाव ने मोबाईल पर सूचना दी कि चक 35 के.जे.डी. (ए) में स्थिति मनफूल बावरी के खेत में हरिण के कराहने की आवाज आई है, तब खाजूवाला पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर गई। शिकारी के खेत से एक कुडका बरामद किया तथा शिकारी को गिरफ्तार किया।

गौ हत्या, गौ वंश तथा पशु उत्पीड़न से संबंधित

- दिनांक 5 2 92 को चक 2 पी.बी. के पास छत्तरगढ रोड पर अवारा गायों को छोड़ने आये लोग किसानों के ललकारने पर गायों को चलते ट्रेक्टर से सडक पर फँक गये, जिससे एक गाय के पैर की हड्डी टूट गई व दो-तीन गाये चोट लगने पर घायल हो गई। उनका इलाज करवाया व दोपी ओमप्रकाश, कुलवीर, हंसराज व सुरेन्द्र निवासी जीयावाली को इस कृत्य के लिये फटकारा दोपियो ने अपना गुनाह कबूल कर स्वेच्छा से प्रायश्चित स्वरूप 2100 रुपये खाजूवाला गौशाला मे रसीद कटवाई।
- दिनांक 9 9 95 को चक 5 के.जे.डी. के सुनील व बाल मुकुन्द धानक द्वारा बछडे को घेर कर लाटियो से पीट-पीट कर मारने पर दोषियों के खिलाफ खाजूवाला थाने मे 2 आर पी सी. एक्ट के तहत केस दर्ज करवा कर मारा गया बछड़ा बरामद करवाया। मुकदमा नं 95
- दिनांक 19 12 95 को मदनलाल रेगर निवासी 20 वी डी द्वारा बेल का बेरहमी से लाटियों से पीट-पीट कर मार देने की ग्रामीणो की शिकायत पर सभा द्वारा मदनलाल से सम्पर्क किया तो दोपी ने अपनी गलती मानकर स्वेच्छा से प्रायश्चित स्वरूप श्री कृष्ण गौशाला खाजूवाला में 1100 रुपये की रसीद कटवाई।
- दिनांक 4.7.97 को चक 35 के.जे.डी. के राजूराम व छोगाराम नायक द्वारा अपनी टोपीदार बन्दूक से हरिणो पर फायर करने की शिकायत पर घटनास्थल पर जाकर देखा कि कृष्ण ज्याणी द्वारा पीछा करने पर शिकारी राजूराम सीसे की गोलियाँ, बारुद और जूते छोड़कर भाग गया। लेकिन पूगल पुलिस ने इन वस्तुओं को पर्याप्त सबूत नहीं मानकर केस दर्ज करने से इंकार कर दिया। अतः टोपीदार बंदूक जब्त करवाने हेतु

लिखित कार्यवाही की गई।

5. दिनांक 10.3.98 को के.जे.डी नहर के किनारे रोजाना पक्षियों का शिकार करने वाले अवतार सिंह मजहबी सिख की लाईसेंस बन्दूक जिला कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर जब्त करवाई गई।
6. दिनांक 20.7.2000 को चक 17 के वाई डी आवादी के केवलसिंह उसके पिता द्वारा गांव के सांड की निर्दयता से पिटाई कर गांव से बाहर खदेड़ने पर सांड को छुड़ाने गये चन्द्रराम विश्णोई के साथ दोषियों द्वारा लाठियों से मारपीट करने पर दोषियों के खिलाफ जिला पुलिस स्तर पर कार्यवाही कर पिटाई के शिकार चन्द्रराम की मदद की गई।
7. दिनांक 8.5.2000 को पुलिस थाना खाजूवाला में उपखण्ड अधिकारी के मार्फत लिखित आदेश करवाकर खाजूवाला मण्डी के सुअर मालिक ढगलाराम, राजू, चन्द्र, नरसी, मखण, हरि नायक, बिहारी, कश्मीर, मामराज खटीक के विरुद्ध मण्डी में पालित सुअरों को अवारा छोड़ देने पर धारा 139 आई.पी.सी के तहत इस्तगासा दर्ज करवाया गया जिसमें अकाल की मार से निढाल पड़ी बेवस जीवित गायों को नोच-2 कर खाने पर मरी गायों का उल्लेख था लेकिन समय पर कार्यवाही नहीं होने पर मण्डी में जन जागृति पैदा कर स्थानीय प्रशासन को उन सुअरों को बेदखल करने पर मजबूर कर दिया गया। इसी का परिणाम है कि आज मण्डी पूर्णतः सुअर मुक्त है।
8. दिनांक 29.6.2000 को दुर्गा माता मंदिर के पास खाजूवाला में शराव पीकर नशे में धुत ट्रक सं. आर.जे 13/जी 5694 के चालक द्वारा ट्रक को खुले में बैठी हुई एक गाय पर चढ़ाकर मार दिया गया। ट्रक लेकर भाग जाने पर खाजूवाला पुलिस से नाकाबन्दी करवाकर चक 40 के जे डी के पास पकड़वाया गया। अपराधी के विरुद्ध धारा 429, 279 के तहत केस दर्ज करवाकर पकड़वाया गया। मुकदमा नं. 128
9. दिनांक 27.7.2000 को मगलराम व उसके लडकों द्वारा बछड़ी को पीट-पीट कर मारने पर पशु निर्दयता निवारण अधिनियम एवं गौवंश वध की धाराओं के तहत खाजूवाला पुलिस थाना में केस दर्ज करवाया गया। मुकदमा नं. 183
10. 28.7.2001 को चक 4 के.जे.डी. में पल्लुसिंह मजहबी के खिलाफ अवारा गाय को लगातार 7-8 दिन तक भूखी प्यासी बाँध कर रखने व लाठी से पैर तोड़ने पर खाजूवाला थाने में पशु अत्याचार निवारण के तहत केस दर्ज करवाया।

11. दिनांक 4 8 2001 को चक 38 के.जे.डी. नहर के पास नर्सरी के वनकर्म सुरझान, रमेश, कृष्णनाथ व गगारांम द्वारा कई सूनी गायो को बाडे में जयरदस्ती भूखी प्यासी बंद रखने पर गौ उत्पीड़न कानून के तहत खाजूवाला थाने में केस दर्ज करवाया ।
12. दिनांक 22.8 2002 को चक 18 के.जे.डी के मोमनराम पुत्र श्योलाल जाट द्वारा विगत 8-9 दिनों से भूखी प्यासी गाय बांधे रखने की सूचना मिलने पर उक्त दोषी का गाय नहीं खोलने पर केस दर्ज करवाने की चेतावनी देने पर मोमनराम गाय छोड़ने पर सहमत हो गया ।
13. दिनांक 6 1 2002 को चक 9 के.एल.डी. के नब्खूखों, सम्भूखों, शमीरखों, मुमताज ने मिलकर एक जीवित बछड़े को मार काट कर खा लेने के बाद ड्रेसिंग के बाद शेष मृतांगो को कच्चे खाले के बीचो बीच खड़डा खोदकर दफना दिया और उपर पानी चला दिया । सूचना मिलते ही पूगल एव खाजूवाला चिकित्सको के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया ।
14. दिनांक 27 5 2002 को सेना द्वारा खेतो मे बिछाई गई वारुदी सुरगो की तारवदी (चक 20 केवाई डी मदरेश गोदारा के खेत में) अन्दर अवार गाये घुस गई तब खाजूवाला स्थित सेना के अस्थाई मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी से लिखित अनुरोध कर सेना की मदद से उक्त गायो के प्राणो की रक्षा की गई ।
15. दिनांक 17 3 2003 को चक 19 के.जे.डी के मोमनराम द्वारा गांव के सांड को कई दिनों तक भूखा प्यासा बांधकर मारने पर ग्रामीणो की शिकायत पर धारा 8,9,10 राज गौ वशीय अधिनियम के तहत खाजूवाला थाना मे केस दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही करवाई गई । मुकदमा न. 41
16. दिनांक 12 6 2003 को खाजूवाला मण्डी के बेल गाडा चालक रामूराम पुत्र रामचन्द्र लुहार द्वारा अपने मरियल बैल के गाडे पर दोपहर की तपती धूप मे 17 किग भार लादकर हाकने पर बेदम बेल निडाल होकर गिर पडा तब गाडे का जुआडा बेल के सीगो पर गिरने से सीगो की पोलरी (खोल) उखड गया । बेल के ईलाज के बाद मण्डी वासियो के आग्रह पर केस दर्ज नहीं किया गया । गाडा चालक ने स्वेच्छा से प्रायश्चित स्वरूप 111 रूपये की रसीद गौशाला मे कटवाई व भविष्य मे ज्यादा वजन नहीं लादने का वचन दिया ।
17. दिनांक 28.1 2004 को चक 12 केवाई डी से पाच भेड बकरियां चुराकर मीणा मार्केट स्थित मखणसिंह कसाई की मांस की दुकान मे बेचने पर

चोरी के जानवरों को ऐसे चोरों से खरीदकर दो जानवर तुरन्त फुरत काटकर बेच देने वाले लोगों की मास की दुकानें हटवाने हेतु जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया।

18. दिनांक 6.1.2004 को मीणा मार्केट के मांस विक्रेता नत्थू खां, युसुफ खां, फमण ओड, माला, सुरजा, सुखराम, महावीर खटीक, हरदेवसिंह व अवतार सिंह मजहबी द्वारा स्वास्थ्य नियमों की लगातार अनदेखी कर सरेआम जानवरों को निर्दयता पूर्वक मारने पर उनके खिलाफ खाजूवाला उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सी.आर.पी.सी 133 के तहत समा की तरफ से इस्तगसा दायर किया गया।
19. दिनांक 27.8.94 को चक 43 KYD में BSF के जवानों द्वारा श्री रामनारायण भादू के खेत में तीतरों का अवैध शिकार बन्दूक द्वारा करने पर विरोध करने पर उनके बड़े अधिकारी द्वारा खाजूवाला मंदिर में आकर समाज के समक्ष अधीनस्थ जवानों की करतूत पर माफी मांगने पर समाज के आग्रह पर केस दर्ज नहीं किया गया।
20. दिनांक 15.5.2002 को खाजूवाला में हरिजन बस्ती के खुले बड़े कुण्ड में गिरे बड़े साड़ को उपखण्ड अधिकारी महोदय के मार्फत सेना के जवानों की मदद लेकर रस्सीयों से बाहर निकलवाया।
21. दिनांक 12.7.04 को घूरण यादव निवासी खाजूवाला ने लिखित शिकायत की कि यहां के विहारी मजदूर यहां से बैलों को खरीदकर एक ट्रक में 12 बड़े बैलों को बेहद कष्टपूर्ण हालात में टूसकर बिहार ले जा रहे हैं। यहां ये बैल कसाईयों को बेचे जायेंगे। तब प्रयास कर बिहार जा रहे उक्त ट्रक को रास्ते में पूगल से वापिस मंगवाकर खाली करवाया गया।
22. दिनांक 24.7.04 को रामवचन सिंह जिला मंत्री कुशीनगर विश्व हिन्दु परिषद में फोन पर बताया कि उक्त ट्रक को आज हमने पकड़कर थाना कोतवाली हाटा में खड़ा करवाया है तथा गौ-तस्करों के विरुद्ध धारा 3,5,8 गौ-वशी अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा नं. 427/4 दर्ज करवाया है। उल्लेखनीय है कि इस ट्रक को खाजूवाला उपखण्ड अधिकारी ने नियम विरुद्ध अनुमति प्रदान की थी। इस आशय का फैंक्स कुशीनगर से परिषद के कार्यकर्ताओं से प्राप्त हुआ।
23. दिनांक 11.9.04 को मिनी, ट्रक संख्या आर जे-19 3972 के ड्राईवर राजकुमार पुत्र मकखनसिंह ओड खाजूवाला ने पुरानी मण्डी चौराहे पर बैठी एक बछड़ी का पैर लापरवाही से ट्रक से कुचलने पर ट्रक को

स्थान में एक वर्ष का एक बछड़ा जिसे कुत्तों ने घेरकर बुरी तरह नोच खाया है। लहु लुहान अवस्था में बेसुध पड़ा है। घटनास्थल पर पशु चिकित्सक को लेजाकर कुत्तों द्वारा काटे गये घावों में टाके लगवाये तथा स्वरथ होने तक उसका ईलाज करवाया।

32. दिनांक 9.4.05 को सूचना मिली कि नई मण्डी में एक बूढ़ा सांड बीमार व असहाय अवस्था में पड़ा तड़फ रहा है। तो उसके पास चिकित्सक को ले जाकर टीके लगवाये गये। काफी प्रयास के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। अतः उसकी ससम्मान अन्त्येष्टि कर दी गई। रामप्रताप भादू, पवन गिला, सुभाष धारणिया, राजू पुरोहित ने भी इसमें सहयोग किया।
33. दिनांक 11.7.06 को तरसेमसिंह सिख 22 केवाईडी की सूचना पर खाजूवाला से बाहर हड़डी रोहडी पर बैठे एक तीन वर्षीय बछड़े को ट्रेक्टर ट्रैली से गौ शाला में लेजाकर पशु चिकित्सक से उपचार करवाया। इस पेर टुटे बछड़े को असहाय अवस्था में कुत्ते नोच रहे थे।
34. दिनांक 26.1.06 को सीमा सुरक्षा बल के खरोला पोस्ट अधिकारी श्रीमान हरदेस बिश्नोई द्वारा खाजूवाला लाये (कुडके से घायल) हरिण को बीकानेर भिजवाकर उपचार करवाया गया।
35. दिनांक 10.8.06 को सडक दुर्घटना में घायल हरिण को लेकर श्री सुखराम कलिराणा आये। जिसका उपचार करवाया गया।

मारने के इरादे से बंधक बनाकर रखे हरिणों को मुक्त करवाया।

1. दिनांक 22.6.99 को चक 5 एम डब्ल्यू एम. के मलकीत व बलवन्त बावरी एवं गुलजारी बावरी निवासी 4 एम डब्ल्यू एम. के घर बन्धक बनाकर रखे दो हरिणों को क्षेत्रीय वन अधिकारी दन्तौर को मौके पर ले जाकर सुपुर्द करवाया एवं दोषियों को मौके पर पकड़वाया।
2. दिनांक 5.10.2000 को सूचना मिलने पर जगुराम पुत्र बग्गुराम ओड निवासी लालबास हरियाणा हाल गाव सजरवाला (खाजूवाला) के घर पर मारकर खाने हेतु कई दिनों से बंधक बनाकर रखे चिंकारा हरिण को सजरवाला जाकर मुक्त करवाया गया। ग्राभीणों के आग्रह पर दोषी के विरुद्ध केस दर्ज नहीं करवाया गया।
3. दिनांक 5.9.04 को किशोरसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह राजपूत निवासी 27 के.वाई.डी. जो एक थैले में एक जीवित हरिण शाबक को लिये जा रहा था। सभा कार्यकर्ता भवर सिहाग की सूचना पर उसका पीछा कर उसके द्वारा अपहृत हरिण के बच्चे को जंगल में दूर ले जाकर छोड़ा गया।
4. दिनांक 10.2.05 को छत्तरगढ प्रतिनिधि श्री रामचन्द्र बिश्नोई ने सूचना

की कि हजारीराम भाट निवासी छत्तारगढ के घर में 2 हरिण जलात या गिरासी के घर में 1 हरिण पाता हुआ है तथा खाजूवाला में डॉ. विस्तो के घर एक हरिण बंधे होने की सूचना पर इन चारों हरिणों की रिहाई हेतु श्रीमान् उप मन सरदाक छत्तारगढ को लिखा गया।

- 5 दिनांक 31.05 को दिनेरा पुत्र बनवारी बिश्नोई निवासी 23 के वाई डी ने सूचना दी कि पप्पू सिंह पुत्र जोगेन्द सिंह मजहबी निवासी 25 के वाई डी द्वारा मारकर खाने की नियत से एक खरगोश को पकड़ा गया है। तब उस को अपहृता से छुड़वाकर उसे जंगल में दूर ले जाकर स्वतंत्र छोड़ दिया गया।

मानवीय सहायताार्थ सहयोग

- 1 दिनांक 15.10.2001 को खाजूवाला में घिसाट-2 कर चलने वाले गुणे भिखारी को राजीव सार्बिन्ल के पारा रोडवेज की बस द्वारा पैर कुचले जाने पर खाजूवाला थाने के किरी पुलिराकर्णी ने बस ड्राइवर से अपनी जेब गर्म कर छोड़ दिया। पुलिस थाने के पारा गम्भीर घायल अवस्था में कराहते भिखारी को शाम को पुलिस वाले हॉस्पिटल के पास पटक गये। तब सारी स्थिति जानकर खाजूवाला पुलिस की दृढबहीनता की शिकायत बीकानेर कंट्रोल रूम में फोन पर की गई तब पुलिस हरकत में आई और बस घालिया को बिलासपुर द्वारा 219, 304 के तहत केस दर्ज कर बस को 1060 को जब्त किया गया। लेकिन अत्यधिक रक्त स्राव के कारण काफी प्रयत्न से ईलाज के बावजूद भिखारी को बचाया नहीं जा सका और भिखारी पल बसा।

दिनांक 3.12.2002 को सुबह से विकलांग और अभाव ग्रस्त पम्पूराम पुत्र आनारीम नयबहू निवासी 32 के वाई डी पर आभित भूख से बेहतर 6 रादस्वीय परिवार की 34 के वाई डी पघायत की घणित सूधि में लेने विकलांग पेंशन एवं राहत के तौर पर स्थानीय प्रशासन से निशुल्क अनाज हेतु लिखित निवेदन किया गया।

दिनांक 3.12.2002 को गरीब और भूमिहीन, असहाय सुशिला बेवा हजारीराम, मेघवाल निवासी सिसाड़ा को निशुल्क अनाज एवं विधवा पेंशन शुरू करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला से अनुरोध किया गया।

दिनांक 19.12.2003 को चक 2 एम.टी.एम में हिस्से पर काश्त करने वाले हड़मान बिश्नोई की ढाणी में आग से सम्पूर्ण घरलु सामान अनाज,

नगदी, कपड़े आदि जलकर नष्ट हो जाने पर प्रशासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत इदिरा आवास का गेहूँ अभावग्रस्त परिवार को राजस्व तहसीलदार से दिलवाया।

- 5 दिनांक 23.12.2003 को गोमदराम पुत्र सुखाराम सासी की घास-फूस की छत में आग लगने से जले घरेलु सामान के कारण पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति में आपदा राहत के 1800 रुपये स्वीकृत करवाये।

अवैध पेड़ कटाई प्रकरणों पर सभा की कार्यवाही का विवरण

वीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में कई लोगों ने हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटकर लकड़ी चिराई के आरो व जिप्सम पकाने की भट्टियों में पहुँचाकर बेचने का धंधा बना रखा है। ऐसे लोगों को निरुत्साहित कर हरे पेड़ों को बचाने हेतु जीव रक्षा विधनोई सभा खाजूवाला विगत 10 वर्षों से प्रयासरत है। सभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर उठाये गये निम्नांकित विविध प्रकरणों में वन विभाग ने वन माफियाओं से हजारों रुपये जुर्माना वसूला एव अभियोग दर्ज किये। जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

- 1 दिनांक 12.7.95 को मेहराराम जाट द्वारा 8 के.वाई.डी नहर की 24 आर डी. पर 700 पेड़ों की कटाई पर मुकदमा दर्ज करवाया।
- 2: दिनांक 22.1.96 को चक 10 के एल डी (बी) नहर के किनारे अवैध रूप से काटे गये पेड़ों पर कार्यवाही।
- 3 दिनांक 20.2.98 को के.वाई.डी नहर की 62 आर डी पर अज्ञात लोगो द्वारा अवैध रूप से 70-80 हरे पेड़ों की कटाई पर कार्यवाही।
4. दिनांक 24.4.2002 को चक 12 डी डी में रूपाराम मेघवाल द्वारा 11 बड़े खेजड़ों की कटाई पर कार्यवाही।
- 5 दिनांक 4.2.2003 को चक 4 के.के.एम में रामूराम द्वारा 25 खेजड़ीयो की कटाई पर कार्यवाही।
- 6 दिनांक 26.5.2003 को पूगल ब्रांच नहर की आरडी 38 से 70 के बीच 200 हरे पेड़ों की अवैध कटाई पर कार्यवाही।
7. दिनांक 1.7.2003 को अग्नेजसिंह निवासी चक 2 के.डब्ल्यू.एम द्वारा 3 खेजड़ों की अवैध कटाई पर कार्यवाही।
9. दिनांक 6.12.2003 को चक 19 के.वाई.डी. बी के लिछमण बावरी आदि द्वारा खेजड़े की कटाई पर कार्यवाही।
10. दिनांक 13.1.04 को चक 2 पी.बी के बशीरखॉं मिरासी द्वारा पाँच खेजड़ो की कटाई पर कार्यवाही।

11. दिनांक 11.3.2004 को खाजूवाला में सड़क के किनारे दो हरे पेड़ों की कटाई पर कार्यवाही।
12. दिनांक 9.4.2004 को के.वाई.एम. माईनर के किनारे 40 कीकर के बड़े पेड़ों की कटाई पर कार्यवाही।
13. दिनांक 21.7.2004 को चक 13 डी.के.डी. में काटे गये हरे वृक्षों की ट्रेक्टर-ट्राली जख्त करवायी।
14. दिनांक 14.8.04 को डडी क्षेत्र में वनकर्मी ओमप्रकाश की मिलीभगत से हो रही पेड़ कटाई का खुलासा।
15. दिनांक 1.9.04 को श्रीमान् जिला कलेक्टर श्रीगगानगर को रायला क्षेत्रों में अवैध पेड़ कटाई रोकथाम हेतु लिखित अनुरोध।
16. दिनांक 29.9.04 को चक 4,5,6,7 व 8 एम.एम. के लोगों की पेड़ कटाई की शिकायत पर कार्यवाही।
17. दिनांक 7.10.04 को खाजूवाला मण्डी में हरे पेड़ों की कटाई में लिप्त दो आरा मशिनों पर कार्यवाही।
18. दिनांक 9.10.04 को पूगल ब्रांच की आर.डी. 60 से 62 तक नहर के किनारे खड़े हरे वृक्षों की कटाई का खुलासा।
19. दिनांक 11.10.04 की रात्रि को वन कर्मियों की टीम के साथ गश्त कर एक ट्रौली कटे पेड़ एवं अन्य 11 ट्रौली अन्य पेड़ काट कर लाने का खुलासा।
20. दिनांक 21.11.04 को के.जे.डी. नहर की 3 आर.डी. के किनारे कटे 5 खेजड़े वनविभाग को जख्त करवाये।
21. दिनांक 22.11.04 को पेड़ कटाई रोकवाने हेतु प्रतिनिधी मण्डल खाजूवाला उपखण्ड अधिकारी से मिला।
22. दिनांक 28.11.04 की रात को वन अधिकारियों के साथ जाकर 29 के.वाई.डी. में रात को नाका लगाकर एक ट्रौली हरे पेड़ जख्त करवाये।
23. दिनांक 2.12.04 को चक 14 के.एल.डी. (बी) नहर के किनारे 50 आर.डी. से 72 आर.डी. तक पेड़ कटाई का सिलसिला रोकवाया।
24. दिनांक 4.12.04 को चक 22, 35 के.वाई.डी. व 2 ए.डी.एम. में पेड़ कटाई की तहसीलदार खाजूवाला को सूचना दी।
25. दिनांक 8.12.04 को पूगल ब्रांच नहर के किनारे पर डडी में रोजाना पेड़ काटकर मावा भट्टी चलाने वाले कृष्ण यादव को लकड़ी सहित पकड़वाया।
26. दिनांक 15.12.04 को 2 पी.बी. में खेजड़ों की कटाई की शिकायत।
27. दिनांक 29.12.04 को 7 पी.एच.एम. के पास वन भूमि में आंधी से गिरे पेड़ों की चोरी के बारे में विभाग को आगाह किया।

28. दिनांक 4.3.05 को पूगल ब्रांच नहर की 60 आर.डी. पर मोबाईल आरे से पेड़ कटने की सूचना देकर रात्रि गश्त की मांग की।
 29. दिनांक 10-4-2005 को 6 बी.डी. में आरा सचालक द्वारा खड़े 70 पेड़ों का सौदाकर की जा रही कटाई रुकवायी।
 30. दिनांक 3.6.05 को खोयेवाला माईनर पर वन क्षेत्र में हुए पेड़ों की कटाई की सूचना दी।
 31. दिनांक 15.6.05 को पूगल ब्रांच नहर की उपनहर बी.एल.डी. की 106 आर.डी. से 109 आर.डी. तक यहां के बेलदार द्वारा नहर के किनारे अवैध पेड़ कटवाने की शिकायत।
 32. दिनांक 19.6.05 को चक 5 डी.के.डी. में हरे पेड़ों की कटाई की सूचना दी।
 33. दिनांक 9.8.05 को 6 एम.डी.डब्ल्यू.एम (डण्डी) में खेजडियां कटने की शिकायत।
 34. दिनांक 10.8.05 को चक 8 बी.डी. में 2 खेजड़े व 1 बैर कटने की सूचना।
 35. दिनांक 23.8.05 को चक 7 एस.एस.एम (सी) में 6 हरे खेजड़े कटे पकड़वाये।
 36. दिनांक 19.12.05 को चक 3 बी.एल.डी. में खेजड़े काटने वाले को रुकवाया।
 37. दिनांक 4.1.06 को चक 1 बी.वाई.एम. में 8 कटी खेजडीया पकड़वायी।
 38. दिनांक 18.1.06 को बीकानेर जिला कलेक्टर को पत्र देकर पी.के.डी. नहर के चक 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22 व 23 पी.के.डी. एवं 3 पी.के.एम. की 127 मुरब्बा वन भूमि में भू माफियाओं द्वारा वन उजाड़कर अवैध कब्जे का खुलासा।
 39. दिनांक 5.3.06 को वन विभाग के गश्ती दल के साथ जीरो आर.डी. रोड पर लखुवाली पुली के पास दो ट्रोली हरी कटी लकड़ियां जब्त करवायी।
 40. दिनांक 18.3.06 को चक 2, 5 एम.डब्ल्यू.एम. में हरे पेड़ कटने की शिकायत।
 41. दिनांक 7.4.06 को चक 1 पी.बी. में बड़े पैमाने पर हो रही हरे पेड़ों की कटाई रुकवायी।
 42. दिनांक 10.5.06 को चक 1 ए.डी.एम. में खेजड़े कटने की शिकायत।
 43. दिनांक 12.4.06 को अवैध पेड़ कटाई के विरोध में छतरगढ सभा प्रभारी श्री रामचन्द्र खीचड द्वारा डी.एफ.ओ. कार्यालय के सम्मन एक दिवसीय सांकेतिक धरना।
 44. दिनांक 21.8.06 को चक 13 के.एल.डी. के ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की आरक्षित भूमि में पेड़ कटाई को रुकवाया।
 45. दिनांक 22.8.06 को 25 के.वाई.डी. में सरकारी भूमि पर 7 पेड़ कटने की सूचना।
 46. दिनांक 4.9.06 को चक 3 कलुवाला में खेजड़े काट रहे वन माफियाओं का ट्रैक्टर व आरियाँ सीज करवायी।
- उपरोक्त तमाम अवैध पेड़ कटाई के प्रकरणों में छतरगढ क्षेत्र में घटित वारदातों में छतरगढ सभा प्रभारी श्री रामचन्द्र खीचड का उल्लेखनीय योगदान रहा।

पीपुल फॉर एनीमल्स बीकानेर परिचय

पर्यावरण संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली श्रीमती मेनका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्षा पीपुल फॉर एनीमल्स नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी श्री बाबुलाल जाजु ने 11 जनवरी 05 को कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में जिले की कार्यकारिणी गठित की जो इस प्रकार हैं -

1	संरक्षक	:-	श्री भवरलाल कोठारी
2	संयोजक	-	श्री डॉ. ए.के. गहलोत
3	जिला प्रभारी	:-	श्री रामकिशन डेलू
4	उपाध्यक्ष	-	श्री शिवराज जाखड
5	सचिव	-	श्री सुनिकुमार बाठिया
6	संगठन मंत्री	-	श्री लक्ष्मण खीचड
7.	प्रचार मंत्री	:-	श्री जसवत सिंगड़
8	कोषाध्यक्ष	-	श्री पुनमचन्द माल
9	विद्यालय प्रभारी	-	श्री जयकिशन गहलोत
10	बिमार पशु प्रभारी	-	श्री मोखराम धारणियां
11	नोखा प्रभारी	-	श्री राजाराम धारणिया
12	देशनोक प्रभारी	-	श्री गोविन्दराम सोनी
13	श्री कोलायत	:-	श्री ईमीलाल नैण
14	सांवतसर	-	श्री हरीराम धारणियां
15	छतरगढ	-	श्री पवन कश्यप
16	खाजूवाला	-	श्री रणजीत मजोका
17	काकडा	-	श्री रामेश्वरलाल डेलू
18	लूणकरणसर	-	श्री बनवारीलाल कडवासरा

मनुष्य के अनुकूल नहीं है मासाहार

सृष्टि के रचनाकार ईश्वर ने मनुष्य शरीर की रचना के साथ साथ उसके लिए उचित पोषण हेतु अन्न, दाले, फल, सब्जिया इत्यादि सुस्वादु भोज्य पदार्थों की भी व्यवस्था की। यहा तक की बीमार शरीर के ईलाज हेतु विविध संजीवनी जडी बूटियों को उत्पन्न किया। हमारी सुविधार्थ फसलों की बुवाई परिवहन एवं दुध, दही, घी आदि के लिए बहुउपयोगी पालतु पशुओं की रचना की, इसके अलावा मनुष्य की सेवा के लिए पशु पक्षी, कीट, पतंग, वनस्पति आदि से युक्त विहंगम सुन्दर संसार का निर्माण किया ताकि वे अपने अपने स्तर पर सेवा कर मनुष्य को सदैव लाभ पहुंचाते रहे और अपनी सहज क्रियाओं से धरती को प्रदुषण मुक्त बनाते रहें।

लेकिन खेद का विषय है आज मनुष्य ईश्वरीय कृत प्रकृति की इस सुव्यवस्था को तहस-नहस कर मनमानी करने लगा है। पशु पक्षियों से समुचित लाभ उठाने के बजाय इन्हे नृशसता पूर्वक मार-मार कर खाया जा रहा है। भारत मे मासाहार की बढ़ती गम्भीर प्रवृत्ति का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के समय जहा देश मे मात्र 300 बुचड़खाने थे परन्तु आज बढ़कर 35 हजार हो गये हैं। जिनमे प्रति वर्ष करोडो निर्दोष पशु पक्षियों को बेरहमी से काटा जा रहा है।

मनुष्य स्वाभाविक शाकाहारी प्राणी है। मास खाना उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं है। हमारे शरीर की आकृति मासाहार के कतई अनुकूल नहीं है। क्योंकि मासाहारी प्राणियों के शरीर की रचना एवं खाने पीने का ढंग अलग तरह से होता है। किसी भी जानवर को मारे बिना मास प्राप्त नहीं हो सकता। अतः ऐसा करने से हिंसा की भावना बढ़ती है एव धर्म के संस्कार लुप्त हो जाते हैं। विश्वोई समाज में मासाहार का नाम लेना भी बुरा माना जाता है। इतना ही नहीं विश्वोई समाज ने लगभग 500 वर्षों से मासाहार के विरुद्ध एक मुहिम सी छेड़ रखी है। यही भावना उन्हे वन्य प्राणियों के विनाश को रोकने हेतु प्रेरित करती है।

हरिणों की व्यथा

मारी गई मति मानव की, यह देख मेरा मन हारा ।

पीछे पडे जान के गाहक, वन वन भटके वो बेचारा ।।

केसा सुन्दर रूप बनाया, केसी कर्ता की माया ।

उसका सृष्टा बडा सयाना, सबके मनको भाया ।।

लेकिन कुछ मानव अनजान, उजाड रहे धरती की शान ।

इनको बुद्धि दो भगवान, नहीं समझते अपनी आन ।।

इनकी करतूतों को सुनकर, हृदय तड़फता दिल रोता है ।

जीवन दाता ईश प्रभु, इस जग में ऐसा क्यों होता है ?

जैसी करनी वैसी भरनी, यह तो एक सच्चाई है ।

फिर भी जान नहीं पाये, जीवों पर आफत क्यों आई है ?

वन जीवो की दारुण व्यथा रह-रह मन को छूजाती है ।

फिर भी इन हृदयहिनों को, जरा शर्म नही आती है ।।

धरती के वन प्राणी सारे, सहमे बैठे है बेचारे ।

हिंसा की काली छाया के, आगे दौड़-दौड़ कर हारे ।।

कान खोलकर सुनो पापियों, भारी मोल चुकाना होगा ।

तब जैसे को तेसा होगा, सिर धुन-धुन पछताना होगा ।।

अन्तर्मन मे झाक शिकारी तू पत्थर की शिला न बन ।

दुःख देगा तो दुःख पायेगा, इतना अधिक अनाडी न बन ।।

बहुत हुआ अब जगो साथियो! अब तो ऐसा नही चलेगा ।

कलि काल की इस बेला में अपना धर्म निभाना होगा ।।

घरती करे पुकार

मानव जब दानव बण जावे, जीवां पर छुरी चलवावे ।
 मरतो जीव घणो दुःख पावे, पिजर कुके अर कुरलावे ॥
 दया भावना धार पीड़ा जानले
 हिंयों पीडा सँ भर जावे, पीडा घरती ने धुजावे ।
 काम्यां अणगिण नर भर जावे, देख-देख हियो भर आवे ॥

घरती करे पुकार मनवा मान ले
 छोडयो बाण फेर नही आवे, मुख मन में क्यों इतरावे ।
 मारयोडी माटी क्यूँ खावे, इणसँ धरम करम मिट जावे ॥

भीतर छोड विकार, मनडो थामले
 अणबोलां ने क्यूँ संतावे, वे दुःख किणरे सामी गावे ।
 माटी देख-देख ललचावे, जनम अकारथ थांरो जावे ॥

मरतो करे पुकार जुल्मी मान ले
 अपणी दुरगत आप करावे, माणस जनम फेर नही आवे ।
 धरम शास्तर आ बतलावे, तेरो जनम अकारथ जावे ॥

गियो जमारो हार, भोळा मान ले
 समझ बिना मुख पछतासी, तेरो धरम रेत रळ जासी ।
 इण विघ निरो पाप कमासी, निहचै तुं नरका मे जासी ॥

अपणो जनम सुधार, करम गत मान ले
 मारयो है तो मरणो पडसी, किया करम काटयां ही सरसी ।
 छाती पीट-पीट पछतासी, कोई दवा काम ना आसी ॥

हो मरणे तैयार, मूरख मान ले
 काट चौरासी नर तन पायो, मूढ पणे में फेर रुळायो ।
 मार-मार जीवां ने खायो, मूल धरम न तें बिसरायो ॥

पापी छोड शिकार अब तो मान ले
 बिना दया धरम नी पूरो, ओ कुकरम घणो है बूरो ।
 दया करो दीनो पर शूरो, धरम-ध्यान हो ज्यासी पुरो ॥

मन में सोच-विचार, कारण जान ले
 मानव जब दानव.....

पेड़ लगाओ जोत जलाओ

पेड़ लगाओ जोत जलाओ जाम्मोजी रा शब्द उचारो।

दया धर्म को मन मे धारो, मरते देखो जीव उबारो।।

जीवन में जुगति भर जासी, सृष्टि रा प्राणी सुख पासी।

प्रदुपण री अबखी बाधा, पूर्व में जानी अविनाशी।।

पीपासर मे अवतरित गुरु, समराथल जब किया पयाना।

दीन दुःखी को गले लगाओं, यही धर्म का मूल खजाना।।

अंतर्मुख हो जोत जलाई, सब शिष्यन के मन में भाई।

मरु भूमि की दुविधा देखी, काल करुर बडे दुःख दाई।।

साल बयाळो काळ भयंकर, विचलित होय उठे जम्मेश्वर।

किया निवारण होगी पीडा, भूखे प्यासे कांपे तन धर।।

तर-तर तपती लुआं चाले, अंगारा ज्यूँ सूरज बाळे।

काया कांपे हिंवडो हाले, तपती रेत आँख ने बाळे।।

काळ कोप रे कारण होवे, धरती रा प्राणी दुखीयारी।

किण विध आरा दुःखडा मेदु, जम्मेश्वर आ बात विचारी।।

जीवन में जुगति सँ जिवो पाखण्ड से मुंह मोडों भाई।

सांसो की कीमत को जाणो, घर घर पेड़ लगाओ भाई।।

हरिया रूँख कदे ना काटो, हरियाली ने जाणों प्राण।

खेत-खेत में शमी उगाओ, फल देसी थाने भगवान।।

रोटू धाम जब हुआ पयाना, चमत्कार को सबने माना।

खेजडियों को दिल से जोडो औरो को ये पाठ पढाना।।

हरियल टांस रूँखडा छाया, रोटू वासी सब हरसाया।

पेडा री महिमा रे कारण, तन मन धन री बढगी माया।।

खेजडली महाबलिदान

जम्भेश्वर की पावन वाणी, पढ सुण भगतो ने पहिचानी।

जीवन मोड़ चले उस पथ पर, रच दिनी इक करुण कहानी॥

खेजडली पेडां री नगरी, जोघाणे राजा ने अखरी।

काटण भेजी सेना सगळी, करी तियारी पूरी जबरी।

गाँव चौवठे गिरघर आया, राजा रा फरमान सुनाया।

सुन कर राजा का परवाना, विशनोईयां अतिशय दुःख छाया॥

गाँव-गाँव में फिरी दुहाई, भेळा हुया सैण अर भाई।

पेडां पर विपति वण आयो, जोघाणे रो राव कसाई॥

खेजडल्यां रा म्हे रखवाळा, म्हारो धरम खेजडी पाळां।

प्राण जिते काया में नाचे, पण राखण म्हे मर खप ज्याला॥

लीली खेजडियां मन भाती, सब री काया ने सरसाती।

जुल्मी जुल्म करो ना घाति, थारों हियों फटे ना छाती॥

खेत राज रो गाँव राज रो गाँव राज रो, काटयां सूँ कै जावे थारो।

राजाज्ञा ने सिर पर धारो, अपने अपने प्राण उवारो॥

जे पण राखो तो डंड देकर, अपने अपने घर को जावो।

खेजडल्यां लकडां रे खातिर, विरथा वयूँ थे प्राण गुमाओ॥

दाग लगे जे दाम दां पंथ मां पूणा हुय ज्यासां।

नही झुकणदां धर्म धजाने, खेजडल्यां हित मर ज्यासां॥

समझाकर सब हारग्या, गरभी अडयो गुमान।

भंडारी तन कर कहयो काटो शमी तमाम।

खट खट खट खट चले कुल्हाडयाँ पेडां स्यूँ चिमटे कट ज्यावे।

जाम्मोजी रो नेम निभावण, हंसता-हंसता प्राण गुमावे॥

दही बिलोणो छोड ईमरती, खेजडले रे जा लिपटाई॥

माँ रे पाछे बेटियां आई, मोह ममता भी रोक न पाई॥

काया री चिंता तजी साख पडयां लिपटया नर-नारी।

पेडां खातिर शीश कटाया धन्य धन्य बे नर अवतारी॥

दोहा- सतरासो सतियासिये, मंगलवार महान।

पेड़ तथा सिर सौंपग्या जग मे करग्या नाम॥

हुया 363 अमर बलिदान।

खेजड़ली के शहीदों की अगर बाणी

सिर कटा रहे है आज खेजड़ो के लिए, जहां को सदां याद आयेगें हमें।
 चल दिये अपना को छोड़ अपने हाल पर, दूनियां वाले हमें ना मूला पायेगें॥
 मरने कटने के डर से हटेगें नहीं, सब मिल करके साका करेगें यहीं।
 आज तन तो नहीं पर धर्म खास है, ये जताने को आज मरने आये है हम॥
 धर्म हेत जीवन जीने का पैगाम है, खेत के खेजड़े हमारी आन-बान हैं।
 उनतीस नियमों में यह खास नेम है, वन बचाने को आज मरने आये है हम॥
 खुद के स्वार्थ पे लड़ते अर मरते कई, धर्म की धार भैट चढ जायेगें हम।
 खेजड़ों के काज आज जान कुर्बान कर, मर जाने को आज मिलके आये है हम॥
 खेत की खेजड़ी को कभी काटना नहीं, जान पर खेल कर पेड़ रखना सही।
 धर्म हेत आज जान अपनी कुर्या नकर, धर्म को साकार कर जायेगें हम।
 जिस खेत में खेजड़ी की बढी तादाद है, उस खेत के धणी को धन्यवाद हैं॥
 खुशहाल उस धरती की खासियात है, यह बताने को आज मरने आये है हम।
 हरियाली के बिना वर्षा आती नहीं, यादलों को कभी भी लुमाती नहीं॥
 कुदरत की कहानी का एक राज है, यह सिखाने को आज मरने आये है हम।
 पेड़ जीवन की नैया के पतवार है, पेड़ रक्षा करो धर्म उपकार है॥
 बिन पेड़ श्वास लेना ही दुश्वार है, समझाने को आज मरने आये है हम।
 पेड़ सासों की घडकन के आधार है, पेड़ जीवन के जीने की दरकार है॥
 पेड़ धरती के सुन्दर श्रृंगार है, पेड़ बचाने को आज मरने आये है हम।
 धर्म के लिए जिओ धर्म पर मर मिटो, धर्म की आण से मूड के ना हटो॥
 उनतीस नियमों का ये आगाज है, दरशाने को आज मरने आये है हम।
 हम शहीदों की याद में तुम रोना नहीं, दिल को मजबुत कर होश खोना नहीं॥
 जनम एक ही नहीं इस धरा धाम पर बार-बार जनम ले लोट आयेगे हम

बार-बार.....

जाल खेजड़ी और कंकड़ों, बड़ पीपल रूखां नही छोड़ो ।

प्रकृति संगीत

रे साधो भाई खेजड़ला वर देला.....

जाम्भोजी रा शब्द बखाणे ।

जीवन में जुगति भर जाणे

कोई एहडा करम करेला

रे साधो भाइ खेजडला वर देला

काल कुसम्मो दूर भगावे ।

बरखा रा बादल बरसावे ।

खेत खळा भर दैला

रे साधो भाई, खेजडला वर देला

खड़ी खेजडीयां लेरा ले रे

जीवन सुख संगीत बिखेरे

गीत सुनो अलबेला

रे साधो भाई, खेजडला वर देला

खेजडियां रा बाग लगाओं

उसर खेत धान पनपाओ

हरिया खेत मुळकेला

मत पेड़ काट इन्सान

कर कुदरत रो सनमान रे, मत पेड़ काट इन्सान रे।

ऐ धरती रो सब विष पीवे, संसारी पेड़ा सूं जीवे।

राखे जीव जगत रो ध्यान रे, मत पेड़ काट इन्सान रे॥

प्राण बाव पेड़ा सूं आवे, आं बिन सांस कदे ना आवे।

सृष्टि रो गुण पहचान रे, मत पेड़ काट इन्सान रे॥

बादलिया पेड़ां सू आवे, तिरसी धरती ने तिरपावे।

तूं समझ बड़ो ओ ज्ञान रे, मत पेड़ काट इन्सान रे॥

आमो इन्दर घण गरणावे, बादलिया भी उड उड जावे।

बिन पेड़ा रो नुकसान रे, मत पेड़ काट इन्सान रे॥

परमारथ खातर ऐ जीवे, धुएँ, धुआसे ने ए पीवे।

ऐ जीवधारयो री जान रे, मत पेड़ काट इन्सान रे॥

शुभ्रज तपने की तैयारी, छाया मे दौडे ससारी।

मिलज्ये दुनियो ने आराम रे, मत पेड़ काट इन्सान रे॥

फल फुल्लोरी शोभा न्यारी, आपर निर्भर सब नर-नारी।

राखे जन्म मरण रो ध्यान रे, मत पेड़ काट इन्सान रे॥

धरती मे सब सूँ उपकारी, पेड़ा री महिमा है भारी।

थारो भलो करे भगवान रे, मत पेड़ काट इन्सान रे॥

कट गये पेड़ भूल भई भारी, विपदावाँ बढगई जनता री।

डेलू समझावे कर ध्यान रे, मत पेड़ काट इन्सान रे॥

॥ इति॥

राजस्थान राज्य पथ परिवहन के कर्मचारीगण जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक की लागत राशि वहन कर एक अनुकरणीय सदाहरण प्रस्तुत किया



शिवकरण डेल्
9414649047



रामपाल गिला
9414363812



ओमप्रकाश गोदारा
9414689928



मनीराम भाद्
9413105378



रामकिशोर डेल्
9413144688



रामरतन डेल्
01520-250353



चन्दुराम डेल्
9413143883



किशनलाल चारणिया
9414429334



मनीराम डेल्
01531-250351



रामघन भाद्
01531-220517



मवरलाल बागुडा
9413105248



रविशंकर वैनीवाल
9414414712



रामप्रताप पूनियों
9414967929



गणेशाराम गोदारा
9414138315



जगदीश गोदारा
9414648816



रामेश्वर डेल्
9928229649